

वार्षिक रिपोर्ट

2016-17



निभाए ज्यादा

ऊर्जा दक्ष भारत का निर्माण



इमारतों को ऊर्जा दक्ष बनाने पर राष्ट्रीय कार्यशाला



द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट (टेरी) और एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) के बीच समझौता



परिकल्पना

ईईएसएल लगभग 15 प्रतिशत खपत के बल पर 74,000 हजार करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के साथ ऊर्जा दक्ष भारत के लिए एक बाजार उपलब्ध कराने का इच्छुक है। यह खासतौर पर जनसुविधाओं जैसे नगर निगम भवन, कृषि, उद्योग आदि जिनमें नवाचारी व्यापार मॉडलों के कार्यान्वयन, निजी क्षेत्र की ऊर्जा सेवा कंपनियों 'एस्को' तक इसका प्रसार सुनिश्चित करने के एक प्रयास के साथ बाजार पहुंच बनाने का इच्छुक है।

मिशन

एक ऊर्जा दक्ष भारत का निर्माण

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, ने एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड 'ईईएसएल' का प्रवर्तन बिजली क्षेत्र के चार केंद्रीय उपक्रमों, एनटीपीसी लिमिटेड, पीएफसी, आरईसी और पावर ग्रिड के संयुक्त उपक्रम के रूप में किया गया है। ईईएसएल की स्थापना देश में ऊर्जा दक्षता के लिए बाजार बनाने और स्थायित्व प्रदान करने के लिए की गयी थी। ईईएसएल ऊर्जा दक्षता ब्यूरो 'बीईई' के साथ मिलकर काम करता है और यह राष्ट्रीय उन्नत ऊर्जा दक्षता मिशन 'एमएनआरई' की बाजार संबंधी गतिविधियों के अलावा जलवायु परिवर्तन पर प्रधानमंत्री की आठ राष्ट्रीय कार्य योजना में से एक है।



UJALA



SLNP



AgDSM



MEEP



Energy Efficient Buildings



AJAY



Energy Efficient ACs



Smart Meters



Financial Assistance Programmes



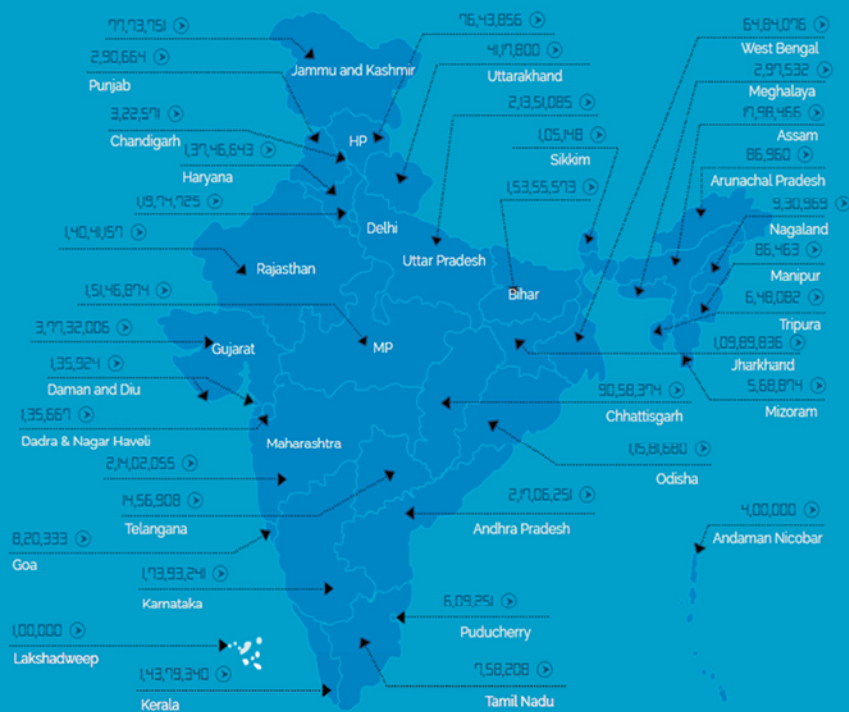
Solar AgDSM



Other Projects

Total LEDs distributed as on 28 OCT 2017 10:51

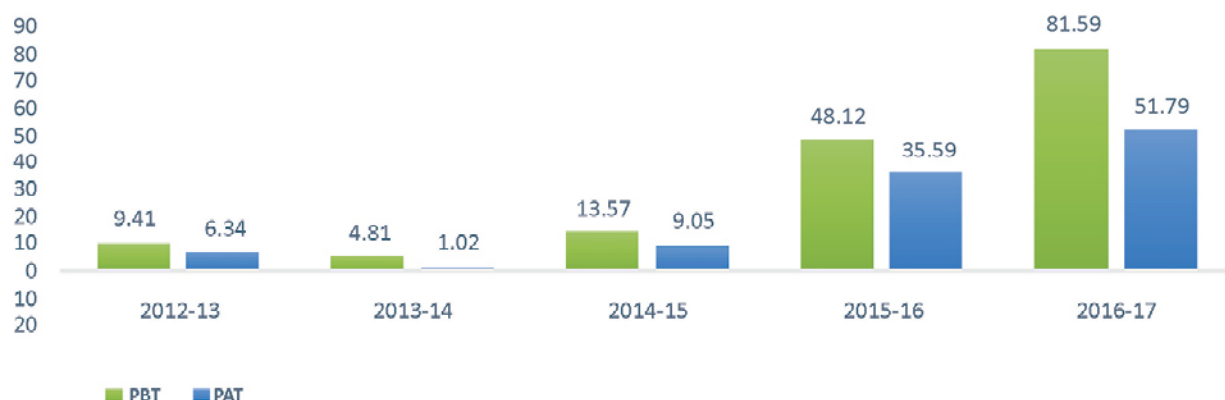
27,14,30,344



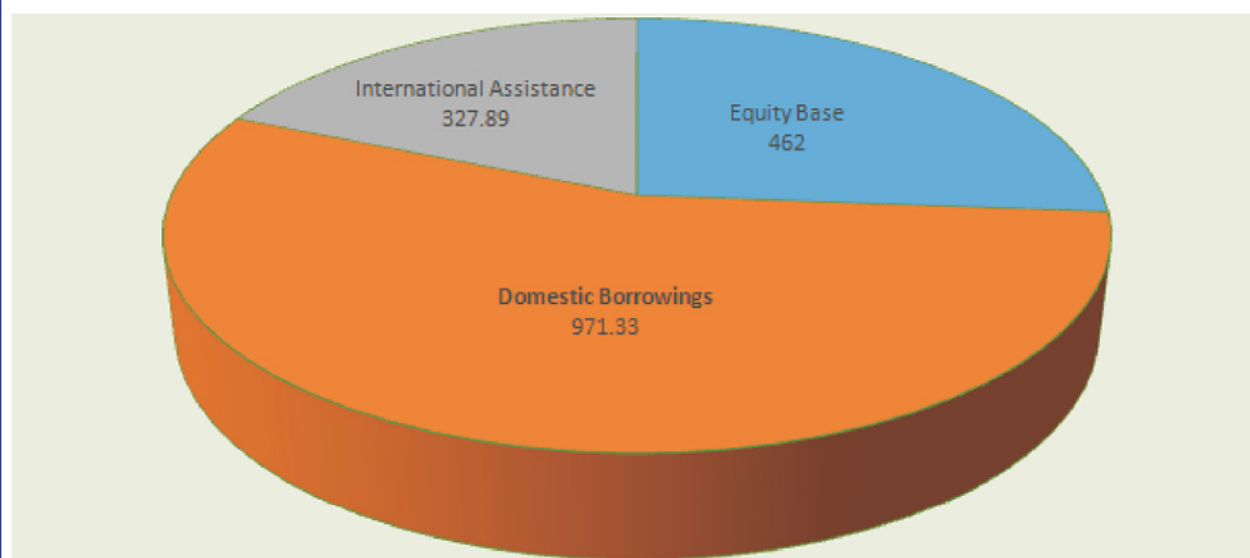
 UJALA Distribution Scheme  Institutional Distribution Scheme



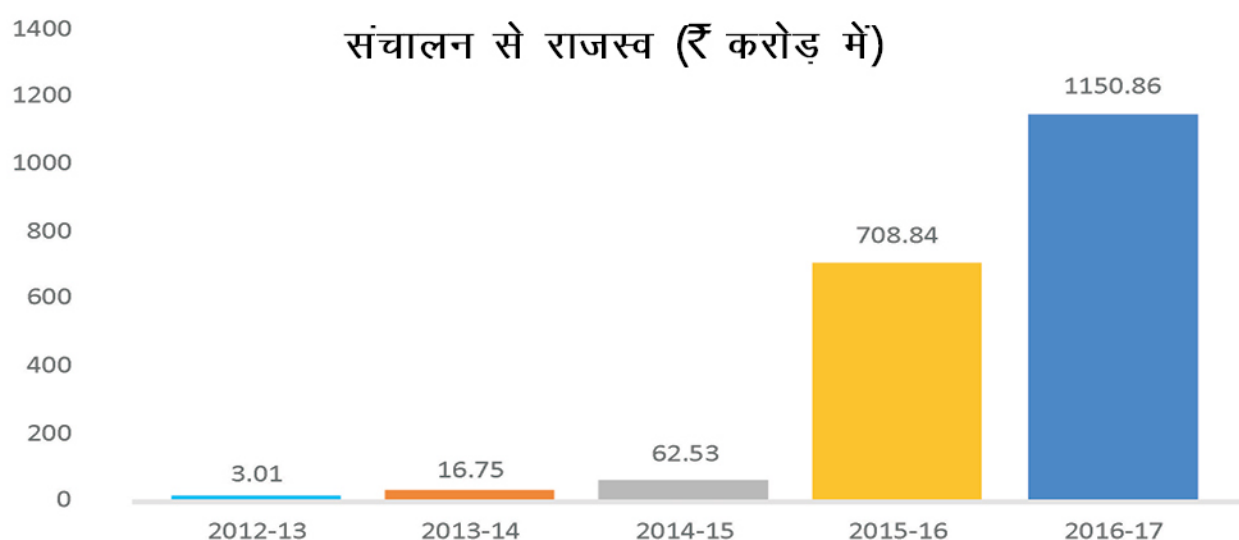
ईईएसएल के कार्य परिणाम (₹ करोड़ में)



ईईएसएल का संसाधन आधार 2016-17 (₹ करोड़ में)



संचालन से राजस्व (₹ करोड़ में)





उदयपुर में लागू स्ट्रीट लाइट कार्यक्रम

विषय सूची

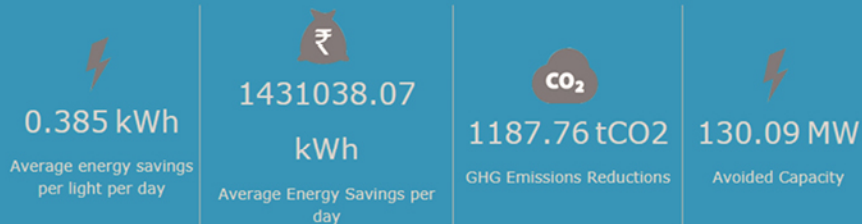
कंपनी की जानकारी	7
8 वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना	9
निदेशक की रिपोर्ट	14
वार्षिक रिटर्न का उद्घरण	27
सचिवीय लेखाकार रिपोर्ट	32
सांविधिक लेखाकार की रिपोर्ट पर प्रबंधन का उत्तर	35
सचिवीय लेखाकार की रिपोर्ट पर प्रबंधन का उत्तर	36
कैग की टिप्पणियां	37
प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट	41
सांविधिक लेखाकार की रिपोर्ट (एकल)	43
एकल वित्तीय परिणाम	49
सांविधिक लेखाकार रिपोर्ट (समेकित)	98
समेकित वित्तीय विवरण	103
फॉर्म एओसी -1	156

कंपनी की जानकारी

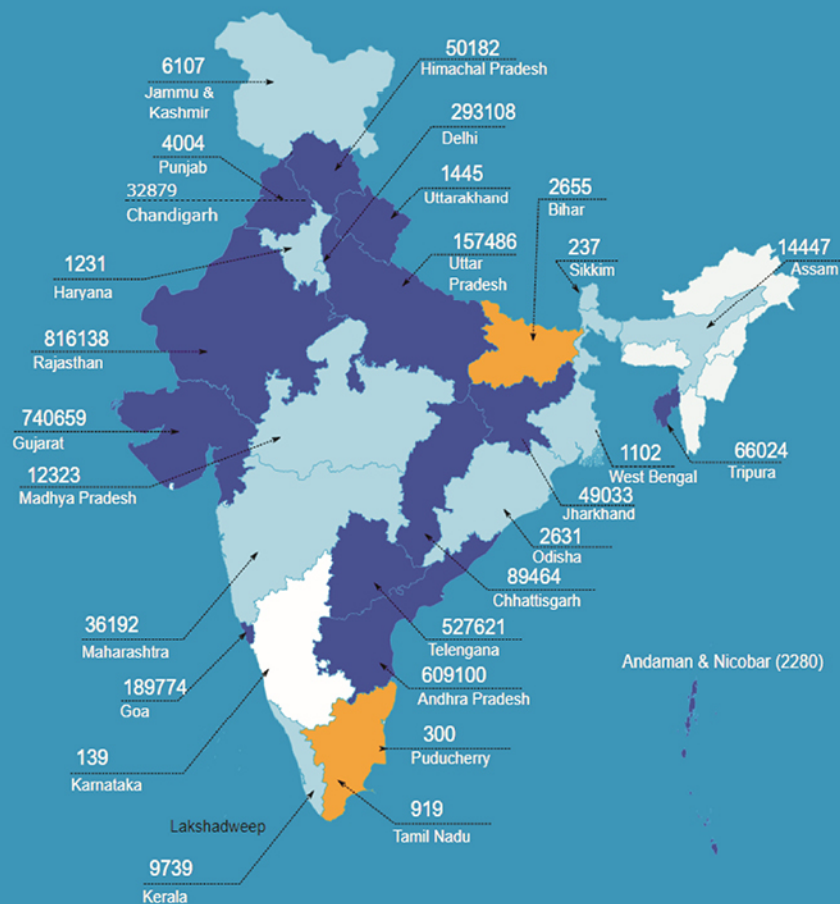
अध्यक्ष :	श्री के शर्मा (21.10.2016 से प्रभावी) श्री राजीव शर्मा (20.10.2016 तक)
प्रबंध निदेशक :	श्री सौरभ कुमार
निदेशक :	श्री राजपाल (14 जुलाई 2016 से प्रभावी) श्री वीके सिंह (21 अक्टूबर 2016 से प्रभावी) श्री अवकाश सक्सेसना (22 सितंबर 2016 से प्रभावी) श्री पंकज कुमार (04 अगस्त 2017 से प्रभावी) श्री अनिल कुमार गुप्ता (26 दिसंबर 2016 से प्रभावी) श्री एसएन गायकवाड़ (03 नवंबर 2016 तक) श्रीमती सीमा गुप्ता (25 अप्रैल 2016 तक) श्री पीके रवि (06 जुलाई 2016 तक) श्री आरके श्रीवास्त्व (06 सितंबर 2016 तक) श्री अरुणाव चक्रवर्ती (12 सितंबर 2016 तक) श्री संजय सेठ (16 सितंबर 2016 तक)
मुख्य वित्तीय अधिकारी :	श्री समीर अग्रवाल (07 जून 2016 तक) श्री एस गोपाल (08 जून 2016 से प्रभावी)
कंपनी सचिव :	सुश्री पूजा शुक्ला
सीआईएन :	यू40200डीएल2009पीएलसी196789
पंजीकृत कार्यालय :	चौथी मंजिल, सेवा भवन, आरके पुरम, नयी दिल्ली (110066)
कॉरपोरेट कार्यालय :	चौथी एवं पांचवीं मंजिल, आईडब्ल्यू एआई बिल्डिंग, ए-13, सेक्टर-1, नोएडा (201301) (उत्तर प्रदेश)
आंतरिक लेखाकार :	एम/एस जैन एंड मल्होत्रा, चार्टर्ड अकाउंटेंट, 42-बी, हनुमान लेन, हनुमान मंदिर के पास, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली (110001)
सांविधिक लेखाकार :	वीपीजीएस एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ई-149, सैनिक विहार गेट नंबर 1 के पीछे, ऋषि नगर, रानी बाग, नई दिल्ली (110034)
बैंकर्स :	भारतीय स्टेट बैंक केनरा बैंक यूनियन बैंक विजया बैंक आईसीआईसीआई बैंक एक्सीस बैंक यैस बैंक आईडीएफसी बैंक इंडसइंड बैंक
स्टॉक एक्सचेंज :	बीएसई लिमिटेड (बांड के लिए) 25वीं मंजिल, पीजे टावर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई- 400001
डिपोजिटरी :	नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड, चौथा तल, एविंग, ट्रेड वर्ल्ड, कमला मिल्स कंपाउंड, सेनापति मार्ग, लोअर परेल, मुंबई (400001) सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, फिरोज जीजीभाई टावर्स, 17वीं मंजिल, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई (400001)
रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट :	कार्बी कंप्यूटर शेयर प्राइवेट लिमिटेड, कार्बी हाऊस, 46, एवेन्यू 4, स्ट्रीट नंबर 1, बंजारा हिल्स, हैदराबाद (500034)
डिबेंचर ट्रस्टी :	एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज लिमिटेड, दूसरा तल ई, एक्सिस हाऊस, बॉम्बे डाइंग मिल्स कंपाउंड, पांडुरंग बुधकर मार्ग, वर्ली, मुंबई (400025)

Total Streetlight Completed as on Date: 28/10/2017

3,716,982



State Level Projects  Individual ULB Level Projects  Institutional Projects  Project under discussions 



आठवीं वार्षिक आम बैठक का नोटिस

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि एनर्जी एफिशियंसी सर्विसेज लिमिटेड के शेयर धारकों की आठवीं वार्षिक आम बैठक शुक्रवार, 29 सितंबर 2017 को पूर्वाह्न 10 बजे ओरलंडल बोर्ड रूम, एनटीपीसी लिमिटेड, कोर-7, पांचवीं मजिल, स्कोप कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली 110003 को निम्न कार्यों को निष्पादित करने के लिए आयोजित की जा रही है।

सामान्य कारोबार

- 31 मार्च 2017 को समाप्त वित्त वर्ष के कंपनी के ऑडिट की बैलेंस शीट और उक्त तारीख को समाप्त वित्त वर्ष के लाभ और हानि खाते के साथ निदेशक मंडल एवं लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार करना, अनुमोदित करना और अंगीकार करना (एकल और समग्र वित्तीय परिणाम)।

सदस्यों से आग्रह किया जाता है कि वह उपरोक्त प्रस्ताव पर विचार करें और उचित पाने पर संशोधन या बिना किसी संशोधन के साथ निम्नलिखित प्रस्ताव को आम प्रस्तावों के रूप में पारित करें:

संकल्प लिया जाता है कि बैठक से पहले पेश तथा शेयर धारकों के बीच वितरित 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वित्त वर्ष की एकल और समग्र लेखा-परीक्षित बैलेंस शीट और लाभ और हानि खाता तथा पूंजी प्रवाह परिणाम (लेखा नीतियों और अकाउंट के नोट के साथ), लेखा परीक्षक की रिपोर्ट (एकल और समग्र वित्तीय परिणाम) तथा निदेशकों की रिपोर्ट प्राप्त की गयी, विचार की तथा अपनायी गयी।

आगे संकल्प लिया जाता है कि कोई भी निदेशक या कंपनी सचिव वैधानिक आवेदनों और अन्य फॉर्मसल, शुल्क माफी और ऐसे सभी कार्यों, दस्तावेजों और चीजों को लागू करने के लिए अधिकृत हैं, जो उपरोक्त संकल्प को प्रभावी करने के लिए आवश्यक हो और प्रासंगिक हो।

- 31 मार्च 2017 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए 27.76 करोड़ रुपये के लाभांश और अन्य लागू लाभांश करों की घोषणा।

सदस्यों से आग्रह किया जाता है कि वे उपरोक्त प्रस्ताव पर विचार करें और उचित पाने पर संशोधन या बिना किसी संशोधन के साथ निम्नलिखित प्रस्तावों को आम प्रस्तावों के रूप में पारित करें:

संकल्प लिया जाता है कि 31 मार्च 2017 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा सिफारिश किये गये 27.76 करोड़ रुपये का लाभांश और अन्य लागू लाभांश करों की घोषणा की गयी और समान राशि कंपनी के योग्य सदस्यों को भुगतान की गयी।

- वित्त वर्ष 2017-18 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में मैसर्स वी पी जी एस एंड कंपनी की पारिश्रमिक तय करना।

सदस्यों से आग्रह किया जाता है कि वे उपरोक्त प्रस्ताव पर विचार करें और उचित पाने पर संशोधन या बिना किसी संशोधन के साथ निम्नलिखित प्रस्तावों को आम प्रस्तावों के रूप में पारित करें:

संकल्प लिया जाता है कि 21 जुलाई 2017 की तारीख वाले नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के पत्र संख्या सी.ए.वी./सी.ओ.वाई./केंद्र सरकार/ईईएसएल(1)/190 के माध्यम से वर्ष 2017-18 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त मै/एस वी पी जी एस एंड को कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा वित्त वर्ष 2017-18 के लिए तय शुल्क दिया जायेगा।

- रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्त श्री राज पाल (डीआईएन:02491831) के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति, जो हैं, जो योग्य हैं, उन्होंने स्वयं को पुनर्नियुक्ति के लिए पेश किया है।

- रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्त श्री आकाश सक्सेना (डीआईएन: 00529340) के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति, जो हैं, जो योग्य हैं, उन्होंने स्वयं को पुनर्नियुक्ति के लिए पेश किया है।

विशेष कार्य

- अधिकृत शेयर पूंजी को बढ़ाना

पारित करना और उचित पाने पर संशोधन या बिना किसी संशोधन के साथ निम्नलिखित प्रस्तावों को आम प्रस्तावों के रूप में पारित करना:

संकल्प लिया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 61 और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, और इसके तहत बनाए गए नियमों (किसी भी वैधानिक संशोधन सहित) या लागू होने वाले समय के लिए पुनरु अधिनियमित और कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन (एओए) के अनुच्छेद पांच के तहत 10 रुपये मूल्य प्रत्येक के 50,00,00,000/- (सिर्फ पचास करोड़) इक्विटी शेयरों में विभाजित कंपनी की अधिकृत 500,00,00,000/- (सिर्फ पांच सौ करोड़ रुपये) की शेयर पूंजी को बढ़ाकर 1500,00,00,000/- (सिर्फ पंद्रह सौ करोड़ रुपये) के दस रुपये मूल्य प्रत्येक के 150,00,00,000/- (सिर्फ डेढ़ सौ करोड़) इक्विटी शेयरों में विभाजित किया गया।

आगे संकल्प लिया जाता है कि कोई भी निदेशक या कंपनी सचिव संयुक्ति रूप से वैधानिक आवेदनों और अन्य फॉर्मस, शुल्क माफी और ऐसे सभी कार्यों, दस्तावेजों और चीजों को लागू करने के लिए अधिकृत हैं, जो उपरोक्त संकल्प को प्रभावी करने के लिए आवश्यक हो और प्रासंगिक हो।

7. कंपनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन (एमओए) के मौजूदा अनुच्छेद पांच में बदलाव

पारित करना और उचित पाने पर संशोधन या बिना किसी संशोधन के साथ निम्नलिखित प्रस्तावों को आम प्रस्तावों के रूप में पारित करना:

संकल्प लिया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, और इसके तहत बनाए गए नियमों के तहत, कंपनी के एमओए के अनुच्छेद पांच के स्थान पर निम्न अनुच्छेद हैं:

V. कंपनी की पूंजी बढ़ाने और घटाने के अधिकार के साथ कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 1500,00,00,000 (सिर्फ पंद्रह सौ करोड़ रुपये) है, जो दस रुपये मूल्य प्रत्येक के 150,00,00,000 /— (सिर्फ डेढ़ सौ करोड़) इक्विटी शेयरों में विभाजित है।

आगे संकल्प लिया जाता है कि कोई भी निदेशक या कंपनी सचिव वैधानिक आवेदनों और अन्य फॉर्मस, शुल्क माफी और ऐसे सभी कार्यों, दस्तावेजों और चीजों को लागू करने के लिए अधिकृत हैं, जो उपरोक्त संकल्प को प्रभावी करने के लिए आवश्यक हो और प्रासंगिक हो।

8. कंपनी के एओए के अनुच्छेद III(1) और अनुच्छेद 102(iv) में बदलाव करना

उचित पाने पर संशोधन या बिना किसी संशोधन के साथ निम्नलिखित प्रस्तावों को विशेष प्रस्ताव के रूप में पारित करना:

संकल्प लिया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 और 29 अगस्त 2017 को हुए संयुक्त उपक्रम और पूरक समझौते के अनुच्छेद 8.0(एफ) तथा अन्य लागू प्रावधानों और अगर उसके तहत कोई नियम बने हों तो, उसके तहत निम्न अनुच्छेदों को निम्न लिखित के रूप में बदला जाता है:

अनुच्छेद III (1)— कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 1500,00,00,000 /— (सिर्फ पंद्रह सौ करोड़ रुपये) है, जो दस रुपये मूल्य प्रत्येक के 150,00,00,000 /— (सिर्फ डेढ़ सौ करोड़) इक्विटी शेयरों में विभाजित है। कंपनी के पास सिर्फ एक तरह के शेयर होंगे — 'इक्विटी शेयर'।

अनुच्छेद 102 (iv)— 29 अगस्त 2017 को हुए संयुक्त उपक्रम और पूरक समझौते के अधिनियम और अनुच्छेद 7.3 के प्रावधानों के तहत, कंपनी के निदेशक(वित्त) और निदेशक(परियोजना एवं कारोबार विकास) ईईएसएल के अध्यक्ष, ईईएसएल के प्रबंध निदेशक और प्रमोटर कंपनियों, ऊर्जा मंत्रालय (केंद्र सरकार) तथा ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के एक-एक प्रतिनिधियों वाली चयन समिति द्वारा निदेशक मंडल द्वारा समय-समय पर अनुमोदित शर्तों के साथ पांच वर्ष तक के लिए चयनित होंगे।

आगे संकल्प लिया जाता है कि कंपनी के कोई भी निदेशक या कंपनी सचिव उपर्युक्त प्रस्ताव को प्रभावी बनाने के लिए जरूरी कार्यों, विलेखों तथा चीजों को करने के लिए अधिकृत हैं।

9. कंपनी के निदेशक के रूप में श्री पंकज कुमार (डीआईएन:07893712) की नियुक्ति पर विचार करना, और उपयुक्त पाये जाने पर संशोधन या बिना संशोधन के निम्ना प्रस्ताव को आम प्रस्ताव के रूप में पारित करना :

यह संकल्प लिया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 और इसके तहत बनाये गये नियमों के अनुसार, श्री पंकज कुमार (डीआईएनरू07893712), जो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा 03 जुलाई 2017 को जारी पत्र संख्या 02/17/डीआईआर/ईईएसएल/एडमिन-2013/3601 के माध्यम से ईईएसएल के निदेशक मंडल के लिए मनोनीत किये गये और बाद में बोर्ड ने चार अगस्त/2017 को आयोजित 55वीं बोर्ड मीटिंग में उन्हें अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया और जिनका कार्यकाल इस वार्षिक आम बैठक में समाप्त हो रहा है, उन्हें एतद् द्वारा कंपनी का निदेशक नियुक्ति किया जा रहा है, जो रोटेशन आधार पर सेवानिवृत्त होने के पात्र हैं।

आगे संकल्प लिया जाता है कि प्रबंध निदेशक और/या कंपनी सचिव को उपर्युक्त प्रस्ताव को प्रभावी बनाने के लिए जरूरी कार्यों, विलेखों तथा चीजों को करने के लिए अधिकृत हैं।

ईईएसएल के लिए कंपनी के निदेशक मंडल के आदेश से
(पूजा शुक्ला)

कंपनी सचिव

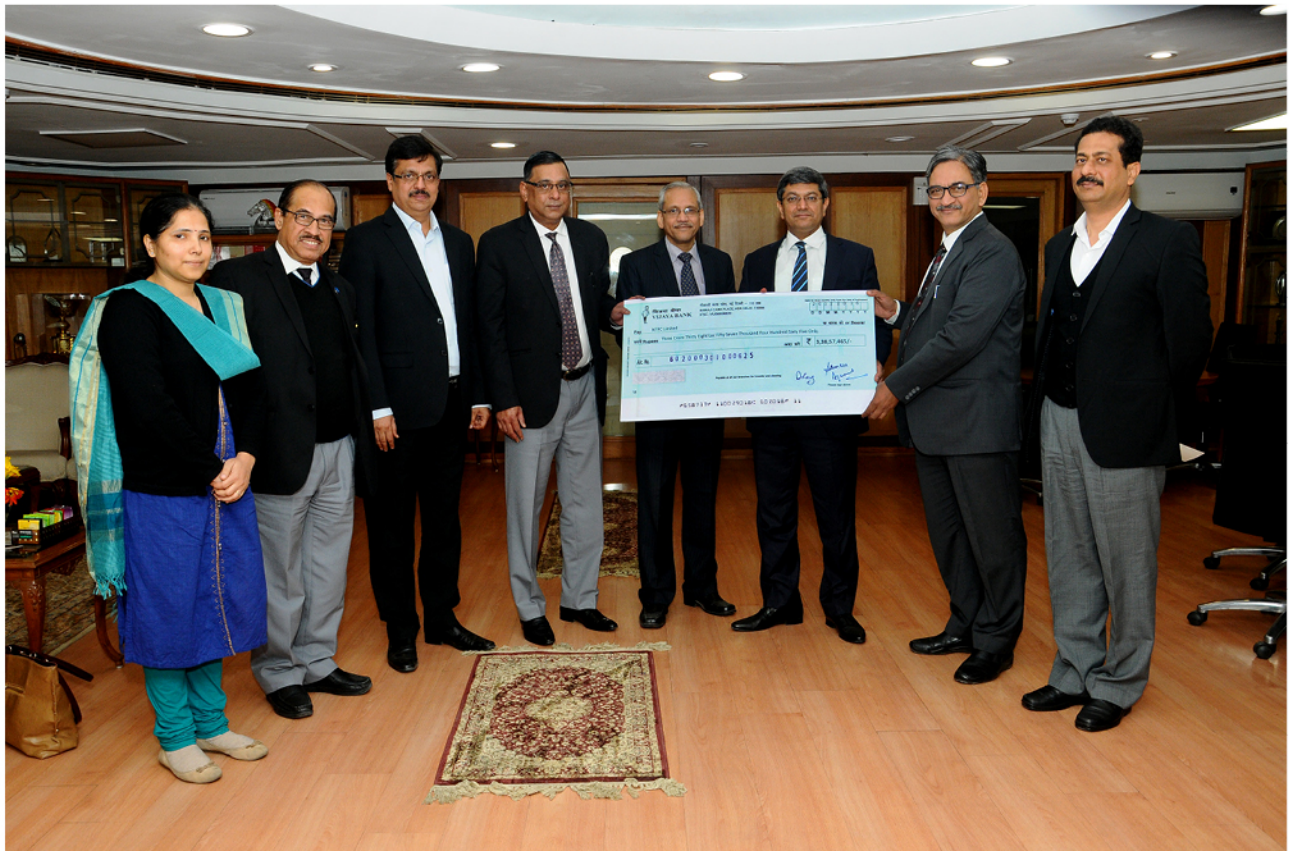
एम नंबर: एसीएस 18008

स्थान: नोएडा

तारीख: 21.09.2017

नोटः

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के तहत सांविधिक लेखाकारों की नियुक्ति का अधिकार नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कैंग) का है और धारा 142, के तहत उनका शुल्क कंपनी द्वारा वार्षिक आम बैठक में या वार्षिक आम बैठक में लिये गये निर्णय के आधार पर तय किया जाएगा। कैंग ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के तहत सांविधिक लेखाकार के रूप में मै/एस वाई पी जी एस एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स) फर्म पंजीकरण संख्या : 507971सी) नई दिल्ली को कंपनी का सांविधिक लेखाकार नियुक्त किया है। सदस्य कृपया काम और महंगाई दर को ध्यान में रखते हुए वित्त वर्ष 2017-18 के लिए सांविधिक लेखाकारों का पारिश्रमिक निर्धारित करने का अधिकार निदेशक मंडल को दें।
2. बैठक में भाग लेने एवं मतदान करने की पात्रता वाले सदस्य, बैठक में भाग लेने के लिए एक प्रॉक्सी की नियुक्ति के पात्र हैं तथा वह मतदान के समय प्रॉक्सी से मतदान करा सकते हैं, जिनका कंपनी का सदस्य होना कोई आवश्यक नहीं है। प्रॉक्सी को प्रभावी बनाने के लिए उसे कंपनी के पास विधिवत भरकर, मुहर लगाकर हस्ताक्षर के साथ पंजीकृत कार्यालय या प्रशासनिक कार्यालय में मतदान से कम से कम 48 घंटे पहले पहुंच जाना चाहिए। रिक्त प्रॉक्सी प्रपत्र संलग्न है।
3. नोटिस में उल्लिखित विशेष कार्य के संदर्भ में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 से संबंधित व्याख्यात्मक टिप्पणी अनुलग्नक में संलग्न है।
4. बैठक में शामिल होने के लिए अपने अधिकृत प्रतिनिधि को भेजने के इच्छुक कॉरपोरेट सदस्यों से आग्रह किया जाता है कि वे अपने प्रतिनिधि को बैठक में शामिल होने और अपने स्थान पर वोट देने का अधिकार प्रदान करने वाली निदेशक मंडल के प्रस्ताव की मूल प्रति कंपनी को भेजें।
5. इस नोटिस से उल्लिखित सभी संबंधित दस्तावेज कंपनी के पंजीकृत/कॉरपोरेट कार्यालय में पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 02 बजे तक के लिए सभी कार्य दिवसों में और बैठक में भी जांच के लिए उपलब्ध रहेंगे।
6. वार्षिक आम बैठक की नोटिस सभी सदस्यों को, जिनका ईमेल आईडी उपलब्ध है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजा जा रहा है, अगर उन्होंने नोटिस की प्रति भेजे जाने का आग्रह नहीं किया हो।
7. मार्ग का मानचित्र अनुलग्नक में संलग्न।



वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए भुगतानित लाभान्श

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के तहत आवश्यक व्याख्यात्मक वक्तव्य, नोटिस की

मद संख्या 6 और 7

वर्तमान में, कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 500,00,00,00/- (सिर्फ पांच सौ करोड़ रुपये) है, जो 10 रुपये मूल्य प्रत्येक के 50,00,00,000/- (सिर्फ पचास करोड़) इक्विटी शेयरों में विभाजित है।

गत वर्षों के दौरान, कंपनी का कारोबार लगातार बढ़ रहा है और कंपनी ने विस्तार की योजनाओं पर भी काम कर रही है। पूंजी आधार को बढ़ाने के लिए, यह प्रस्ताव किया जाता है कि जो 10 रुपये मूल्य प्रत्येक के 50,00,00,000/- (सिर्फ पचास करोड़) इक्विटी शेयरों में विभाजित 500,00,00,00/- (सिर्फ पांच सौ करोड़ रुपये) की अधिकृत शेयर पूंजी को बढ़ाकर दस रुपये मूल्य प्रत्येक के 150,00,00,000/- (सिर्फ डेढ़ सौ करोड़) के इक्विटी शेयरों में विभाजित 1500,00,00,000 (सिर्फ पंद्रह सौ करोड़ रुपये) कर दी जाए।

निदेशक मंडल ने 26 जुलाई 2016 को हुई 45वीं बोर्ड मीटिंग में कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी को 500 करोड़ रुपये से बढ़ाकर पंद्रह सौ करोड़ रुपये करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया, जो कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों और कंपनी के संयुक्त उपक्रम और पूरक समझौते के अधीन है। संयुक्त उपक्रम और पूरक समझौते-3 को 29 अगस्त 2017 को लागू किया गया है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 61(1) के प्रावधानों के तहत, अधिकृत शेयर पूंजी में कोई भी बढ़ोत्तरी, वित्त संबंधी धाराओं तथा एओए के अनुच्छेदों में बदलाव के लिए आम बैठक में शेयर धारकों का अनुमोदन आवश्यक है। इसीलिए, प्रस्ताव संख्या छह और सात को अनुमोदन के लिए पेश किया गया है।

कंपनी का कोई भी निदेशक या कंपनी के प्रमुख प्रबंधन अधिकारी या उनके रिश्तेदार इस प्रस्ताव के प्रति इच्छुक नहीं है और न ही उनका इससे कोई सरोकार है। बोर्ड आपके अनुमोदन के लिए इस प्रस्ताव की सिफारिश करता है।

मद संख्या 8

उपरोक्त प्रस्ताव (मद संख्या छह और सात) के अनुमोदन के बाद, कंपनी के एओए के अनुच्छेद iii(1) में संशोधन करना जरूरी है क्योंकि यह भी अधिकृत शेयर पूंजी को वर्णित करता है। अनुच्छेद iii(1) वर्तमान में अधिकृत शेयर पूंजी पांच करोड़ रुपये दर्शाता है, जिसे बढ़ाकर अब 1,500/- करोड़ रुपये करना है। इसी कारण, यह प्रस्ताव किया जाता है कि कंपनी के एमओए के अनुच्छेद पांच में किये गये संशोधन के अनुरूप लाने के लिए एओए के मौजूदा अनुच्छेद iii(1) के विकल्प के रूप में संकल्प में प्रस्तावित अनुच्छेद को लिया जाए।

उपरोक्त के अतिरिक्त, निदेशक मंडल ने 26 जुलाई 2016 को हुई बोर्ड मीटिंग में एक पूर्ण कालिक निदेशक (वित्ति) और एक पूर्ण कालिक निदेशक (परियोजना विभाग) नियुक्त करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया है, जिनका चयन ईईएसएल की चयन समिति की निगरानी में होने वाली खुली भर्ती प्रक्रिया के तहत बोर्ड द्वारा समय-समय पर अनुमोदित शर्तों के आधार पर की जायेगी।

29 अगस्त 2017 को हुए संयुक्त उपक्रम और पूरक समझौता लागू हुआ है। एसोसिएशन ऑफ कंपनी के अनुच्छेदों में अनुवर्ती बदलाव किये गये।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 के तहत किसी तरह के बदलाव के लिए आम बैठक में विशेष प्रस्ताव के द्वारा शेयरधारकों का अनुमोदन आवश्यक है। इसीलिए, अनुमोदन के लिए इसे शेयर धारकों के समक्ष पेश किया जाता है। कंपनी का कोई भी निदेशक या कंपनी के प्रमुख प्रबंधन अधिकारी या उनके रिश्तेदार इस प्रस्ताव के प्रति इच्छुक नहीं है और न ही उनका इससे कोई सरोकार है।

मद संख्या 9

ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने तीन जुलाई 2017 को जारी पत्र 02/17/डीआईआर(ईईएसएल)/एडमिन 2013/3601 के माध्यम से श्री पंकज कुमार को सरकार द्वारा मनोनीत निदेशक के रूप में मनोनीत किया। तदनुसार, बोर्ड ने 04 अगस्त 2017 को आयोजित 55वीं बोर्ड मीटिंग में उन्हें अतिरिक्त निदेशक (04 अगस्त 2017 से प्रभावी) नियुक्त किया। कंपनी को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 160 के प्रावधानों के तहत एक सदस्य से लिखित रूप में श्री पंकज कुमार की ईईएसएल के बोर्ड में सरकार मनोनीत निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए उनके नाम का प्रस्ताव करने के आशय की सूचना प्राप्त हुई। श्री पंकज कुमार की नियुक्ति अगर की जाती है, जो वह रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्त होने के पात्र होंगे। श्री पंकज कुमार को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के तहत निदेशक के रूप में नियुक्त करने से अयोग्य करार नहीं किया जाता है।

श्री पंकज कुमार के अलावा कंपनी का कोई भी निदेशक या कंपनी के प्रमुख प्रबंधन अधिकारी या उनके रिश्तेदार इस प्रस्ताव के प्रति इच्छुक नहीं है और न ही उनका इससे कोई सरोकार है। बोर्ड आपके अनुमोदन के लिए इस प्रस्ताव की सिफारिश करता है।

कंपनी के एमओए और एओए कंपनी के पंजीकृत/कॉरपोरेट कार्यालय में सभी कार्य दिवसों में कामकाज के समय पर और बैठक में भी जांच के लिए उपलब्ध रहेंगे।

ईईएसएल के लिए निदेशक मंडल के आदेश से

पूजा शुक्ला

कंपनी सचिव

एम नंबर: एसीएस 18008

स्थान: नोएडा

तारीख: 21.09.2017

एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड

(विद्युत मंत्रालय के पीएसयू की संयुक्त उपक्रम कंपनी)

निगम कार्यालय: चौथी और पांचवीं मंजिल, आईडब्ल्यूआई बिल्डिंग,

ए-13, सेक्टर-1, नोएडा - 201301, उत्तरप्रदेश

पंजीकृत कार्यालय: चौथी मंजिल, सेवा भवन, आर के पुरम नयी दिल्ली-110066

सीआईएन : यू40200डीएल2009पीएलसी196789

प्रॉक्सी फार्म

(फार्म संख्या एमजीटी-11)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 105(6) और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नीति, 2014 के नियम 19(3) के तहत

नाम :

फोलियो नंबर :

पंजीकृत पता :

शेयरों की संख्या :शेयर

मैं, उपरोक्त कंपनी के..... शेयरों का सदस्य होने के नाते, एतद् द्वारा इनकी नियुक्ति करता हूँ।

1.	प्रॉक्सी का नाम		
	पंजीकृत पता		हस्ताक्षर
	ईमेल		
या उसमें विफल			

2.	प्रॉक्सी का नाम		
	पंजीकृत पता		हस्ताक्षर
	ईमेल		

मेरी/हमारी प्रॉक्सी मेरे/हमारे लिए मेरी/हमारी ओर से 29 सितंबर 2017 को पुराना कक्ष, एनटीपीसी लिमिटेड, कोर-7, पांचवीं मंजिल, स्कोप कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003 में पूर्वाह्न 10:30 बजे आयोजित आठवीं वार्षिक आम बैठक में शामिल होने और मतदान करने और निम्नलिखित प्रस्तावों से संबंधित किसी स्थान के लिए आयोजित बैठक में की जायेगी :

क्रम संख्या	प्रस्ताव	के लिए	विरुद्ध
साधारण कार्य			
1.	वित्त वर्ष 2016-17 के लिए कंपनी के ऑडिट किए एकल एवं परिणाम वित्तीय परिणाम पर विचार, अनुमोदन और अंगीकार करना		
2.	वित्त वर्ष 2016-17 के लिए लाभांश की घोषणा करना।		
3.	वित्त वर्ष 2017-18 के लिए सांविधिक लेखाकारों का पारिश्रमिक तय		
4.	श्री राजपाल (डीआईएन : 062491831) के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति करना, जो रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्त हुए और खुद को पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तावित किया।		
5.	श्री आकाश सक्सेना (डीआईएन : 00529340) के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति करना, जो रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्त		
विशेष कार्य			
6.	अधिकृत शेयर पूंजी को बढ़ाना		
7.	कंपनी के एमओ की मौजूदगी पंजीगत धारा को बदलना		
8.	कंपनी के एओए में बदलाव		
9.	श्री पंकज कुमार (डीआईएन: 07893712) को कंपनी का निदेशक नियुक्त करने पर विचार करना		

.....20.....तारीख को हस्ताक्षरित

शेयर धारकों के

शेयर प्रॉक्सी धारकों के हस्ताक्षर

एक रुपये का
स्टाम्प लगाएं

नोट

1. इस प्रॉक्सी फार्म को प्रभावी बनाने के लिए, इसे अच्छी तरह भरकर बैठक शुरू होने के 48 घंटे पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा करें।
2. प्रॉक्सी के लिए कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं।
3. कृपया खानों में लिखे प्रस्तावों के सामने ✓ का निशान लगाएं। अगर आप किसी एक या सभी प्रस्तावों के सामने 'के लिए' या 'के विरुद्ध' कॉलम को खाली छोड़ देते हैं, तो आपकी प्रॉक्सी को उनके अनुसार वोट डालने का अधिकार होगा।

निदेशक की रिपोर्ट

प्रति
सदस्य

एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड

निदेशकों को आपके समक्ष 31 मार्च 2017 को समाप्त वित्त वर्ष की ऑडिट वित्तीय वक्तव्य के साथ कंपनी के कारोबार एवं संचालन पर आठवीं वार्षिक रिपोर्ट पेश करते हुए हर्ष की अनुभूति हो रही है।

इस दौरान परिचालन से 1,150.86 करोड़ रुपये के राजस्व की प्राप्त हुई। कुल राजस्व 1,227.18 करोड़ रुपये रहा। वित्त वर्ष 2016-17 के लिए कंपनी का शुद्ध लाभ 51.80 करोड़ रुपये रहा जो गत वित्त वर्ष की तुलना में 14.72 करोड़ रुपये अधिक है।

1. वित्तीय प्रदर्शन

1.1. वित्त के मुख्य तथ्य (एकल)

वित्त वर्ष 2016-17 के लिए कंपनी के प्रदर्शन की झलक, इससे पिछले वित्त वर्ष की तुलनात्मक स्थिति के साथ निम्नानुसार रही।

(लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016
शेयर पूंजी	46200.00	16500.00
कुल राजस्व (अन्य आय सहित)	122718.40	80311.45
मूल्यहास और कर पूर्व लाभ	13702.84	6774.23
हानि : मूल्यहास	5543.57	1755.00
कर पूर्व लाभ(हानि)	8159.27	5019.23
हानि : पीरियड एडजस्टमेंट से पूर्व (शुद्ध)	-	-
हानि : कराधान के लिए प्रावधान		
—चालू वर्ष	3104.83	1355.02
—आस्थितिगत कर परिसंपत्ति	(125.26)	(43.92)
कर के बाद लाभ/(हानि)	5179.70	3708.13
पिछले वर्ष से अग्रसारित लाभ/हानि	5463.02	2173.99
बैलेंस सीट से अग्रसारित किया गया बैलेंस	7874.86	5463.02

1.2. लाभांश

कंपनी के निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2016-17 के लिए 27.76 करोड़ रुपये के लाभांश की सिफारिश की है, जो आठवीं वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है।

1.3. शेयर पूंजी

10 रुपये प्रत्येक के 50,00,00,000/- इक्विटी शेयर में विभाजित 500/- करोड़ रुपये की अधिकृत शेयर पूंजी की तुलना में कंपनी की 31 मार्च 2017 तक जारी और भुगतानित शेयर पूंजी 462 करोड़ रुपये रही, जो 10 रुपये प्रत्येक के 46,20,00,000/- इक्विटी शेयरों के रूप में विभाजित रही। वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान कंपनी 25 अप्रैल 2016 को कंपनी के तीन प्रवर्तकों एनटीपीसी, आरईसी और पीएफसी को प्राइवेट प्लेसमेंट आधार पर 10 रुपये प्रत्येक के मूल्य के 29,70,00,000/- करोड़ रुपये के इक्विटी शेयर आवंटित किये। तदनुसार, वर्तमान तिथि पर एनटीपीसी, आरईसी और पीएफसी के पास कंपनी की भुगतानित इक्विटी शेयर पूंजी का करीब 32 फीसदी और पीजीसीआईएल के पास कंपनी की भुगतानित शेयर पूंजी का करीब चार प्रतिशत है।

1.4. कुल कीमत

31 मार्च 2017 को कंपनी की कुल कीमत 555.25 करोड़ रुपये है, जो गत वर्ष 417.63 करोड़ रुपये रही थी।

1.5. संसाधन संग्रहण

कंपनी ने क्रेडिटएनसाल्ट फर विडरोफबाउ (केएफडब्ल्यू) और एजॉस फ्रॉसे द डेवलपमेंट (एएफडी) से 103.09 करोड़ रुपये की राशि जुटायी। 31 मार्च 2017 तक बकाया राशि 326.24 करोड़ रुपये है। ईईएसएल ने साथ ही 500 करोड़ रुपये के सुरक्षित, प्रतिदेय, कर योग्य, गैर संचयी और गैर परिवर्तनीय बांड जारी किये, जो बीएसई लिमिटेड में सूचीबद्ध है।

	एसटीआरपीपी ए	एसटीआरपीपी बी	एसटीआरपीपी सी
प्रतिभूति विवरण	निजी प्लेसमेंट आधार पर जारी किए गए सुरक्षित प्रतिदेय कर योग्य गैर-संचयी गैर-परिवर्तनीय बॉन्ड सीरीज 1 (एसटीआरपीपी ए)	निजी प्लेसमेंट आधार पर जारी किए गए सुरक्षित प्रतिदेय कर योग्य गैर-संचयी गैर-परिवर्तनीय बॉन्ड सीरीज 1 (एसटीआरपीपी बी)	निजी प्लेसमेंट आधार पर जारी किए गए सुरक्षित प्रतिदेय कर योग्य गैर-संचयी गैर-परिवर्तनीय बॉन्ड सीरीज 1 (एसटीआरपीपी सी)
मात्रा	1250	1250	1250
आईएसआइएन नंबर	आईएनई688वी07017	आईएनई688वी07025	आईएनई688वी07033
अंकित मूल्य	₹10,00,000/-	₹ 10,00,000/-	₹ 20,00,000/-
जारी करने की तारीख	20.09.2016	20.09.2016	20.09.2016
कूपन दर	8.07%	8.07%	8.07%

1.6. नकद ऋण/अल्पकालिक सुविधा

31 मार्च 2017 तक कंपनी ने 350 करोड़ रुपये का अल्पकालिक ऋण प्राप्त किया है।

2. राष्ट्रीय कार्यक्रम

2.1. उजाला

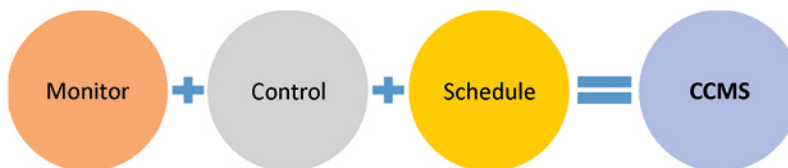
माननीय प्रधानमंत्री ने 05 जनवरी 2015 को पारंपरिक स्ट्रीट लाइट के स्थान पर स्मार्ट और ऊर्जा दक्ष एलईडी स्ट्रीट लाइटें लगाने और घरेलू उपभोक्ताओं को एलईडी लाइट प्रदान करने के लिए घरेलू दक्ष लाइटिंग कार्यक्रम (डीईएलपी) का शुभारंभ किया। लाइटिंग क्षेत्र भारत की कुल खपत का करीब 20 प्रतिशत हिस्सा खर्च करता है। इन कार्यक्रमों का लक्ष्य लाइटिंग में ऊर्जा दक्षता लाना है, क्योंकि इसमें ऊर्जा बचत की अपार संभावनाएं हैं।

डीईएलपी के तहत ईईएसएल ने एक सेवा प्रारूप तैयार किया है, जहां वह बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के साथ मिलकर काम करती है। डीईएलपी में डिस्कॉम को एलईडी बल्ब की अपफ्रंट लागत में निवेश करने की जरूरत को अनावश्यक बना देता है। 31 मार्च 2017 तक कुल 21,45,81,545 बल्ब, 15,98,967 ट्यूब लाइट और 5,87,795 पंखे वितरित किये गये हैं।

2.2. स्ट्रीट लाइट नेशनल प्रोग्राम (एसएलएनपी)

माननीय प्रधानमंत्री ने पारंपरिक स्ट्रीट लाइट के स्थान पर मार्च 2019 तक करीब 1.34 करोड़ स्मार्ट और ऊर्जा दक्ष एलईडी स्ट्रीट लाइटें लगाने के लिए 05 जनवरी 2015 को स्ट्रीट लाइट नेशनल प्रोग्राम का शुभारंभ किया। जिससे तकरीबन नौ अरब किलोवाट प्रतिघंटे की ऊर्जा बचत, स्थापित स्ट्रीट लाइट के लोड में 150 मेगावाट की कटौती और कार्बन उत्सर्जन में 62 लाख टन की कमी आ सकती है। इस कार्यक्रम के तहत ईईएसएल पारंपरिक स्ट्रीट लाइट के स्थान पर स्मार्ट और ऊर्जा दक्ष एलईडी स्ट्रीट लाइटें लगाता है। इस तरह के मॉडल में नगरनिगमों के बिना किसी अनावश्यक लागत के ऊर्जा दक्ष स्ट्रीट लाइट मिलती है, जिसका भुगतान को एक अवधि के अंदर ईईएसएल को करते हैं। 31 मार्च 2017 तक 544 यूएलबी ने एसएलएनपी में अपना नाम दर्ज कराया और 19.67 लाख स्ट्रीट लाइट को लगाया गया। इन 544 यूएलबी में से 193 यूएलबी (24 राज्यों में फैले) में काम पूरा हो चुका है, जिससे करीब 338.81 एमयू की वार्षिक ऊर्जा बचत होती है।

एसएलएनपी के तहत, केंद्रीय निगरानी एवं नियंत्रण प्रणाली (सीसीएमएस) का उपयोग देश के स्थानीय निकायों में एलईडी लाइटिंग सिस्टम की निगरानी और नियंत्रण के लिए किया जाता है। सीसीएमएस के उपयोग से कई कामों में आसानी होती है जैसे खराब स्ट्रीट लाइट की पहचान, वास्तविक समय में उसका नियंत्रण, लाइट की उम्र बढ़ना, ऑनसाइट रखरखाव लागत कम होना, रात्रि गश्त की जरूरत खत्म करना, अलार्म का स्वतः बजना और ऑरपेशन मैनेजर तथा कर्मचारियों को रखरखाव पर ध्यान देने की सूचना आसानी से मिल जाती है। आंध्र प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री चंद्रबाबू नायडू ने 50 यूएलबी से अधिक के लिए स्ट्रीट लाइट डैशबोर्ड शुरू किया है। इन सभी 50 डैशबोर्ड की निगरानी विजयवाड़ा के कॉमन कमांड सेंटर से होती है।



आंध्रप्रदेश के करीब 51 नगरनिगमों में तीन लाख से अधिक लाइट माननीय मुख्यमंत्री के कोर डैशबोर्ड से जुड़ी है। राजस्थान में सीसीएमएस प्रौद्योगिकी 10 से अधिक शहरों में लागू है और एक लाख के करीब लाइट डैशबोर्ड से जुड़ी है। सीसीएमएस त्रिपुरा में 30 से अधिक लाइट को सफलतापूर्वक चला रही है। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में सीसीएमएस टेक्नोलॉजी के माध्यम से करीब दो लाख लाइट जुड़ी है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में 14 हजार से अधिक लाइटों का रखरखाव सीसीएमएस के जरिये हो रहा है।

2.3. कृषि मांग संबंधी प्रबंधन (एजीडीएसएम)

एजीडीएसएम योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए आपकी कंपनी ने उजाला योजना के समान वितरण मॉडल को अपनाया है, जहां किसानों को काउंटर पर ही ऊर्जा दक्ष पंप सेट मिलते हैं। इसे वर्तमान में प्रतिवर्ष 2000 से 3000 पंप सेट परिवर्तित किये जाने के तरीके में तेजी आयेगी और इससे हर साल 2-3 लाख पंप सेट बदले जा सकेंगे। स्मार्ट कंट्रोल पैनल की नवाचारी संकल्पना अंगीकार की गयी है, जहां किसान अपने मोबाइल फोन के जरिये ही पंप सेट को स्विच ऑन या ऑफ कर सकते हैं और निगरानी के उद्देश्य से बिजली खपत का आंकड़ा सीधे ईईएसएल के डैशबोर्ड को ट्रांसमिट होता है। आपकी कंपनी ने दो लाख ऊर्जा दक्ष पंप सेट के वितरण

के लिए आंध्रप्रदेश की डिस्कॉम्स के साथ समझौता किया है और इसी के तहत जुलाई 2017 के अंतिम सप्ताह में स्मार्ट कंट्रोल पैनल के साथ पंप सेट का निशुल्क वितरण शुरू किया गया। इस परियोजना के लिए ईईएसएल परियोजना प्रबंधन सलाहकार(पीएमसी) के लिए रूप में काम कर रहा है और डिस्कॉम को इसे सफलतापूर्वक लागू करने में सहयोग प्रदान कर रहा है।

2.4. भवन ऊर्जा दक्ष रेट्रोफिट कार्यक्रम (बीईईआरपी)

गगनचुंबी सरकारी और वाणिज्यिक संस्थान देश में ऊर्जा खपत के मुख्य केंद्र हैं जो देश की बिजली खपत का करीब 15 प्रतिशत है। तीव्र आधारभूत ढांचा विकास तथा भारत में पीक डिमांड की समस्या को ध्यान में रखते हुए डीएसएम को भवन क्षेत्र के लिए मुख्य हल के रूप में चिह्नित किया गया। इससे ऊर्जा के बिल में काफी कमी आयेगी और साथ ही किसी भी यूटिलिटी के लोड कर्व को समतल करने में योगदान मिलेगा। उपर्युक्त जरूरत को ध्यान में रखते हुए ईईएसएल ने ऊर्जा दक्षता क्षेत्र में बाजार परिवर्तन के लिए एक बड़े हस्तक्षेप के रूप में भवन क्षेत्र पर फोकस किया है।

ईईएसएल के बीईईपी डिवीजन की अगले दो-तीन साल के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना है, जहां यह अगले दो साल में यानी वर्ष 2020 तक 10,000 से अधिक इमारतों को कवर करने के लिए दो हजार करोड़ रुपये से अधिक का निवेश लायेगा। ऐसा माना जा रहा है कि ईईएसएल इन इमारतों में करीब एक करोड़ एलईडी लाइट, 10 लाख सीलिंग फैन और डेढ़ लाख एसी को रेट्रोफिट करेगा। रेट्रोफिट के अलावा ईईएसएल का लक्ष्य सेंट्रलाइज्ड एसी सिस्टम, एनर्जी ऑडिट और इमारतों में नयी पीढ़ी की ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली के क्षेत्र में अपनी सेवा विस्तार का है। ईईएसएल के बिल्डिंग डिवीजन ने देश भर में करीब 35 महत्वपूर्ण इमारतों में ऊर्जा दक्ष उपकरण रेट्रोफिट किये हैं, जिनसे करीब 18.5 मिलियन यूनिट की ऊर्जा बचत होने और बिजली खपत में 39 फीसदी की कमी आने का अनुमान है।

उपरोक्त सफलतापूर्वक पूरी की गयी परियोजनाओं के अलावा ईईएसएल भारतीय रेलवे, ओडिशा, महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश और हिमाचल प्रदेश की सरकारों तथा केंद्रीय मंत्रालयों आदि के साथ जुड़कर करीब 5,000 से अधिक इमारतों को ऊर्जा दक्ष बनाने के लिए कई स्तरों पर काम कर रहा है। ईईएसएल नेशनल बिल्डिंग डैशबोर्ड भी लांच किया है, जिसका उद्घाटन माननीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई में आयोजित पहली राष्ट्रीय इमारत कार्यशाला के दौरान किया था। यह डैशबोर्ड ईईएसएल की दखल के बाद वास्तविक समय में हुई ऊर्जा बचत के बारे में सूचना देता है। यह वार्षिक कार्बन उत्सर्जन में आयी कमी और ऊर्जा दक्ष उपकरणों के रेट्रोफिट के कारण पीक डिमांड से बचने की भी जानकारी प्रदान करता है। (<<http://www.eeslbeep-com>>)

ईईएसएल की सेवाओं को देखते हुए वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों को आधिकारिक ज्ञापन जारी किया है कि वे ईईएसएल की सेवा का लाभ उठाकर अपनी इमारतों की मौजूदा लाइटिंग तथा उपकरणों की जगह एलईडी आधारित लाइटिंग और ऊर्जा दक्ष उपकरण लगायें। इससे सभी इमारतों को ऊर्जा दक्ष बनाने के ईईएसएल के मिशन को मदद मिलेगी।

2.5. परामर्श और सलाह सेवाएं

क. डीएसएम कार्यक्रम – 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई), विद्युत मंत्रालय ने देश में डिस्कॉम्स के मांग पक्ष प्रबंधन के लिए क्षमता निर्माण का कार्यक्रम शुरू किया है। लगभग 21 राज्यों की 34 बिजली वितरण कंपनियां इस कार्यक्रम के अंदर आती हैं। बीईई इस राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत 34 डिस्कॉम्स के लिए लोड शोध करने के साथ ही डीएसएम कार्य योजना तैयार करता है, डीएसएम मास्टर ट्रेनर को तैयार करता है तथा तकनीकी सहायता प्रदान करता है। ईईएसएल निम्न क्षेत्रों में बीईई को सहायता प्रदान करती है:

- सभी 34 डिस्कॉम: दो व्यक्ति प्रति डिस्कॉम को तकनीकी सहायता (टीए) प्रदान करना।
- लोड शोध करना।
- प्रत्येक डिस्कॉम के लिए डीएसएम कार्ययोजना तैयार करना।

तदनुसार, ईईएसएल ने डिस्कॉम्स के डीएसएम प्रकोष्ठ को सहायता प्रदान करने के लिए तकनीकी तथा वित्तीय पृष्ठभूमि के 64 सलाहकारों को नियुक्त किया है। इस साल के दौरान, बीईई के समक्ष 29 लोड रिसर्च रिपोर्ट और 30 डीएसएम कार्य योजना पेश की गयी। पांच लोड शोध रिपोर्ट और चार डीएसएम कार्ययोजनायें अभी लंबित हैं।

ख. परफॉर्म, एचीव एंड ट्रेड (पैट) योजना –

परफॉर्म, एचीव एंड ट्रेड (पैट) योजना तीन चरणों में लागू की जा रही है। पैट योजना का पहला चरण 2012–2015 तक चला जिसके तहत अधिक ऊर्जा खपत वाले आठ क्षेत्रों की 478 फैसिलिटी को जोड़ा गया। यह आठ देश की कुल ऊर्जा खपत का करीब 38 प्रतिशत खपत करते हैं। इसका लक्ष्य कवर की गयी 478 फैसिलिटी में 66.86 करोड़ टन तेल के बराबर ऊर्जा खपत कम करने की है।

पैट योजना का दूसरा चरण 2016–2019 तक चलेगा। इसमें अधिक ऊर्जा खपत वाले 11 क्षेत्रों की 707 इकाइयों को कवर किया जायेगा। दूसरे चरण का फोकस पहले चरण के दायरे को विस्तृत करना और तीन नये क्षेत्रों रेलवे, तेल शोधक कारखानों और डिस्कॉम को जोड़ना है। इससे ऊर्जा बचत की कवरेज 38 प्रतिशत से बढ़कर 70 प्रतिशत हो जायेगी। सीमेंट, पंप, आयरन एव स्टील और टेक्सटाइल क्षेत्र की 188 इकाइयां तथा शेष चार क्षेत्रों सीमेंट, खाद, अलकली और ताप विद्युत संयंत्रों की 130 इकाइयां हैं। नये क्षेत्र रेलवे, तेल शोधक कारखाने और डिस्कॉम में इस तारीख तक करीब 170 इकाइयां हैं। अन्य डीसी की पहचान की जा रही है जिनकी संख्या 707 के करीब होगी।

क्रम संख्या	क्षेत्र		पैट 1 चक्र	पैट 2 चक्र		
			डीसी की संख्या	बचत	डीसी की संख्या	बचत
1.	पावर (थर्मल)	किलो कैलोरी/किलोवॉट घंटा	144	3.21	154	3.13
2.	लोहा और स्टील	उत्पाद की टन/टोय	67	1.47	71	2.28
3.	सीमेन्ट	उत्पाद की टन/टोय	85	0.82	111	1.12
4.	एल्युमिनियम	उत्पाद की टन/टोय	10	0.46	12	0.47
5.	फर्टीलाइजर	उत्पाद की टन/टोय	29	0.48	37	0.45
6.	पेपर और पल्प	उत्पाद की टन/टोय	31	0.12	29	0.15
7.	टेक्सटाइल	उत्पाद की टन/टोय	90	0.07	99	0.09
8.	चलोर एलकली	उत्पाद की टन/टोय	22	0.05	24	0.10
9.	पेट्रोलियम रिफाइनरी	हजार बैरल प्रति एनर्जी फैक्टर प्रति मिलियन ब्रिटिश थर्मल	-	-	20	1.11
10.	रेलवेज	100 जीटीकेएम प्रति लिटर	-	-	100	NA
11.	डिस्कॉम	प्रतिशत का ट्रांसमिशन और वितरण नुकसान	-	-	50	0.94
कुल			478	6.686	707	18.00

अधिकतर क्षेत्रों (नये डीसी के लिए) के लिए तीन वर्षों के लिए गत वित्त वर्ष रिपोर्ट किये गये आंकड़े को पैट के दूसरे चरण के लिए आधार वर्ष माना जायेगा। नये क्षेत्रों के लिए पैनलबद्ध एजेंसियों को प्रो-फॉर्मा और लक्षित फिवशेसन तरीके के लिए कार्यशाला आयोजित की जायेगी। इसका आयोजन बीईई पैट के दूसरे चरण में शामिल किये गये सभी तीन नये क्षेत्रों रेलवे, तेल शोधक कारखानों और डिस्कॉम के लिए करेगा।

पैट का दूसरा चरण बिजली मंत्रालय द्वारा 31 मार्च 2016 को अधिसूचित निजी डीसी को लक्षित करेगा। अधिसूचना में यह स्पष्ट किया गया है कि जो भी संस्थान 30 केटीओई से अधिक खपत करेगे उन्हें डीसी माना जायेगा। परफार्मेंस एसेसमेंट डॉक्यूमेंट में सत्यापन और मापने के तरीके को विस्तार से बताया गया है। पैट के दूसरे चरण के गैजेट में यह कहा गया है कि डीसी को लक्ष्य वर्ष 2018-19, 01 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2019 तक, के लिए उनके लिए उल्लिखित ऊर्जा खपत के नियमों तथा मानकों का पालन करना होगा।

- ग. **स्टैंडर्ड एंड लेबलिंग (एसएंडएल) कार्यक्रम** – ईईएसएल इस कार्यक्रम में बीईई के लिए निगरानी और मूल्यांकन करने वाली एक स्वतंत्र एजेंसी (आईएमई) के रूप में काम करती है। बीईई का यह महत्वाकांक्षी कार्यक्रम विभिन्न उपकरणों के लिए न्यूनतम प्रदर्शन ऊर्जा मानक (एमईपीएस) तय करता है और उपभोक्ताओं को ऊर्जा दक्ष उपकरणों के इस्तेमाल और खरीद के लिए जानकारी युक्त विकल्प प्रदान करता है। एक आईएमई के रूप में ईईएसएल, विभिन्न निर्माताओं से स्टार रेटिंग के लिए बीईई को प्राप्त सभी उपकरणों की जांच परख करती है। दस्तावेजों तथा अन्य जरूरतों के सत्यापन के बाद, ईईएसएल बीईई के समक्ष हर उपकरण की स्टार रेटिंग की सिफारिश करती है ताकि वह आगे की कार्रवाई कर सके। इसके अलावा, ईईएसएल एसएंडएल योजना के प्रावधानों के अनुसार मार्केट सर्विलांस और चेक टेस्टिंग भी करती है। इस साल के दौरान, ईईएसएल ने लगभग 5,341 आवेदनों की जांच की जिनसे 82,91,906 रुपये का कुल राजस्व प्राप्त हुआ।

3. नयी पहलें

3.1. अटल ज्योति योजना (अजय) – नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की विकेंद्रित सौर योजना तथा एक उप योजना अजय का अनुमोदन सरकार ने असम, बिहार, झारखंड, ओडिशा तथा उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा संचालित स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए किया है, जहां घरेलू ग्रिड की कनेक्टिविटी 50 प्रतिशत से भी कम है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने ईईएसएल को दो सितंबर 2016 को जारी पत्र संख्या 42/12/2016/17/पीवीएसई के माध्यम से उपरोक्त राज्यों में इस योजना को लागू करने वाली एजेंसी के रूप में नियुक्त किया। इस योजना की कुल लागत 499.30 करोड़ रुपये है। इस योजना को नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कोष द्वारा संयुक्त रूप से फंड किया जा रहा है। मंत्रालय स्ट्रीट लाइट की कुल लागत का 75 प्रतिशत और शेष 25 प्रतिशत का भुगतान सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कोष, पंचायत फंड या नगर निगम तथा अन्य शहरी स्थानीय निकायों के फंड से किया जाना है। इस योजना को मिशन के दिशा निर्देशों के अनुसार लागू करना है और स्ट्रीट लाइट लगाने का काम 31 मार्च 2018 तक पूरा किया जाना सुनिश्चित करना है। पांच सितंबर 2017 तक ईईएसएल को 169 में से 61 अनुमोदन पत्र मिले और इसने बिहार, झारखंड तथा उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में 20,000 से अधिक सौर ऊर्जा चालित एलईडी लाइट लगाये।

3.2. शहरी रूपांतरण तथा कायाकल्प के लिए अटल मिशन (अमृत)

माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून 2015 में इस योजना का शुभारंभ किया था, जिसका मुख्य लक्ष्य आधारभूत ढांचा स्थापित करना है ताकि शहरी कायाकल्प के लिए समुचित सीवरेज नेटवर्क, जल आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके और देश भर के शहरों और नगरों में जल आपूर्ति, सार्वजनिक लाइटिंग, परिवहन और घरेलू खपत में ऊर्जा दक्षता सुनिश्चित की जा सके जिससे सभी लोगों खासकर गरीबों और पिछड़ों के जीवन स्तर में सुधार आये। देश भर के कुल 500 शहरों को अमृत मिशन शहर के रूप में चिह्नित किया गया है।

अमृत मिशन में उल्लिखित सुधारों में ऊर्जा एवं जल ऑडिट तथा कचरा शोधन संयंत्र और जल शोधन संयंत्र को अधिक ऊर्जा दक्ष बनाना एक बड़ा सुधार है। नगर निगम ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम को भारत में वृहद स्तर पर लागू करने और बाजार परिवर्तन के लिए शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार और ईईएसएल के बीच 28 सितंबर 2016 को समझौता ज्ञापन पत्र पर हस्ताक्षर हुए। इस एमओयू के तहत ईईएसएल शहरों में इनवेस्टमेंट ग्रेड एनर्जी ऑडिट रिपोर्ट (इसके बाद रिपोर्ट के रूप में उल्लिखित) तैयार कर सकती है और इस परियोजना को लागू करने के लिए रिपोर्ट के तथ्यों के आधार पर राज्य सरकारों और ग्राहक एजेंसी के साथ त्रिपक्षीय समझौता कर सकती है।

3.3. स्मार्ट मीटर कार्यक्रम

भारत सरकार की योजना 200 से अधिक इकाइयों की खपत करने वाले सभी उपभोक्ताओं के लिए वित्त वर्ष 2019 तक स्मार्ट मीटर की स्थापना सुनिश्चित करने की है, जिससे राजस्व संग्रह प्रणाली की मौजूदा मैन्युअल प्रणाली में बदलाव आयेगा जिससे कम बिल आयेगा और बिल संग्रह क्षमता बढ़ जायेगी। इसे हासिल करने के लिए, आपकी कंपनी ने एएमआई (उन्नत मीटरिंग ढांचा) के समाधान का प्रस्ताव दिया है जिसमें स्मार्ट मीटर, संचार, हेड एंड सिस्टम, बैक एंड आवश्यकताएं और यूटिलिटी लीगेसी सिस्टम के साथ इसका एकीकरण शामिल है। आपकी कंपनी स्मार्ट मीटर की स्थापना के लिए जीपीआरएस सपोर्ट करने वाले एनआईसी कार्ड खरीदेगी, सिस्टम इंटीग्रेटर एजेंसी और आईटी इन्फ्रा (हेड एंड एमडीएम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर) की तैनाती करेगी, क्लाउड होस्टिंग और जीपीआरएस सर्विस प्रदाता की तैनाती करेगी, परीक्षण, कमीशनिंग और एएमआई प्रणाली का एकीकरण, परियोजना अवधि के लिए निगरानी एवं रखरखाव उपलब्ध करायेगी।

यह परियोजना कॉस्ट प्लस एप्रोच के साथ बूट मॉडल के तहत प्रस्तावित है जिसका मतलब है कि सभी कैपेक्स/ओपेक्स आपकी कंपनी के द्वारा किये जायेंगे, राज्यों/प्रतिष्ठानों को निवेश करने की जरूरत नहीं। कॉस्ट प्लस मॉडल के तहत, करार राशि आपूर्ति सामग्री की मूल लागत, संबद्ध श्रमिक और ओवरहेड खर्च के साथ व्यय को जोड़कर और शेयर पर रिटर्न के संबंध में बनी सहमति के आधार पर निर्धारित होगी। उत्तर प्रदेश और हरियाणा को एएमआई को शुरू करने के लिए चिह्नित किया गया है।

3.4. अधिक ऊर्जा दक्ष एयर कंडिशन कार्यक्रम

एयर कंडिशन का बाजार 10 से 15 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है और पीक लोड डिमांड में इसका काफी योगदान है। ईईएसएल उच्च ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए और ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल (जीडब्ल्यूपी) को कम करने के लिए अधिक ऊर्जा दक्ष एसी कार्यक्रम को देश भर में लागू कर रही है। यह कार्यक्रम शुरुआत में इमारतों तथा प्रतिष्ठानों की मांग को कवर करने के लिए शुरू किया गया। इस कार्यक्रम में शामिल मुख्य कार्य निम्न हैं:

- क. ईईएसएल इमारतों तथा संस्थागत क्षेत्रों में जीरो/3 स्टार और और पांच स्टार वाले एसी को बदलकर अधिक ऊर्जा दक्ष एसी लगायेगी।
- ख. ईईएसएल इस कार्यक्रम को उपभोक्ताओं की जरूरतों तथा वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखकर कैपेक्स(अपफ्रंट सेल) और किस्त (वार्षिक) मॉडल पर लागू करेगी।
- ग. शुरुआत में, एनर्जी सीजनल एनर्जी एफिशियंसी अनुपात (आईएसईआईआर) 5.2 के एक लाख एस की खरीद करेगी। यह उत्पाद पांच स्टार वाले एसी से 30 से 40 प्रतिशत अधिक ऊर्जा दक्ष है।
- घ. सभी लाइटिंग, पंखों तथा एसी को बदलकर ऊर्जा दक्ष उपकरण लगाने के लिए वित्त मंत्रालय के आदेश से सरकारी इमारतों और संस्थागत क्षेत्रों में मांग बढ़ेगी।
- ङ. आर्डर की गयी संख्या चार माह के अंदर बीईईपी को डिलीवर कर दी जायेगी।

3.5. इलेक्ट्रिक वाहन कार्यक्रम

ईईएसएल ने केंद्र सरकार के साथ मिलकर बाजार के लिए इलेक्ट्रिक वाहन कार्यक्रम की शुरुआत की है। ईईएसएल ने एलईडी आधारित घरेलू और नगरपालिका प्रकाश व्यवस्था में सफलतापूर्वक क्रांति ला दी है, जिसमें नवाचारी बिजनेस मॉडल के जरिये 26 करोड़ से अधिक एलईडी बल्ब वितरित किए गए हैं और 32 लाख एलईडी स्ट्रीट लाइट्स बिना किसी अनुदान या सब्सिडी के स्थापित किए गए हैं। ईईएसएल का नया और लचीला व्यापार मॉडल इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में सरकारी एजेंसियों/अधिकारियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली लगभग पांच लाख पेट्रोल/डीजल कारों को तीन से चार साल की अवधि के भीतर बदल देने के लिए लागू किया जा रहा है। ईईएसएल ई-वाहन की मांग और खरीद करेगी जिसे इन एजेंसियों को पट्टे पर दिया जायेगा। यह साथ ही, चार्जर्स इन्फ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने के लिए भी प्रोत्साहित करेगी। ईईएसएल ने 10,000 ईवीएस और 4000 चार्जर्स की खरीद की प्रक्रिया शुरू कर दी है। भारत इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देकर वर्ष 2030 तक यात्री वाहनों की ऊर्जा संबंधी 64% अनुमानित मांग और 37% कार्बन उत्सर्जन को कम कर सकता है। सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन को कम करने और इलेक्ट्रिक वाहनों पर जोर देने से लोगों को संदेश जाता है और इससे मांग पैदा करने में भी मदद करती है।

4. अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम

4.1. ऊर्जा दक्षता हेतु आंशिक जोखित गारंटी निधि (पीआरजीएफईई) और पीआरएसएफ

भारत सरकार ने जलवायु परिवर्तन पर अपनी राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) घोषित की है, जिसमें जून 2010 में उन्नत ऊर्जा दक्षता मिशन (एनएमईईई) शामिल है। एनएमईईई में ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने के चार प्रमुख प्रयास बताये गये हैं। ये हैं : निष्पादन प्राप्ति व्यापार (पीएटी), ऊर्जा दक्षता वित्तीय मंच (ईईएफपी), ऊर्जा दक्षता हेतु बाजार रूपांतरण(एमटीईई), ऊर्जा दक्षता आर्थिक विकास की रूपरेखा (एफईईईडी)।

एनएमईईई का एक मुख्य तत्व उद्योग में ऊर्जा दक्षता आर्थिक विकास रूपरेखा की स्थापना है, जिसका मुख्य फोकस ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए राजकोषीय और निवेश गारंटी साधनों का विकास है। एफईईईडी में आंशिक जोखिम गारंटी निधि (पीआरजीएफ) और ऊर्जा दक्षता हेतु उद्योग पूंजी निधि (वीसीएफईई) शामिल है।

पीआरजीएफईई एक जोखिम साझा प्रक्रिया है, जिसमें वाणिज्यिक बैंकों को ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के लिए जारी ऋणों की तुलना में जोखिम का सामना करने के लिए आंशिक कवरेज मिलता है। इस योजना को 26 मई 2016 को विद्युत मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया था। पीआरजीएफईई के तहत समर्थन सरकारी इमारतों, नगर निगमों, एसएमई और उद्योगों तक सीमित है। पीएफआई द्वारा लेनदार को ऋण का वितरण करने से पहले पीआरजीएफईई से गारंटी लेनी होगी। यह गारंटी प्रति परियोजना 10 करोड़ रुपये (1500 लाख रुपये प्रस्तावित) या ऋण राशि का 50 फीसदी, दोनों में जो कम हो, उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। गारंटी मान्य होने की अधिकतम तिथि गारंटी जारी होने के पांच साल तक की होगी। पीआरजीएफईई के तहत योग्य योजनाएँ, जिनमें प्रतिभागी वित्तीय संस्थान (पीएफआई) गारंटी के लिए आवेदन कर सकते हैं, वे ऊर्जादक्ष परियोजनाओं के लिए पीएफआई से एस्को के लिए ऋण सुविधाएं दे सकते हैं। ईईएसएल को आरईसी लिमिटेड और आरईसी पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी लिमिटेड के साथ कंसिंटियम में पीआरजीएफईई के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में चुना गया है।

ईईएसएल ने योजना को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यशालायें भी आयोजित की। पहली कार्यशाला मुंबई में (तीन अक्टूबर 2015 को) आयोजित की गयी, जिसमें प्रमुख वित्तीय संस्थानों तथा एस्को की भी भागीदारी देखी गयी। वर्कशॉप की अध्यक्षता श्री बीपी पांडेय, अतिरिक्त सचिव, विद्युत मंत्रालय ने की। दूसरा वर्कशॉप चार नवंबर 2015 को नयी दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसका लक्ष्य वित्तीय संस्थानों की चिंता को समझना था। तीसरा वर्कशॉप सह उद्घाटन समारोह 24 मार्च 2017 को मुंबई में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता श्री बीपी पांडेय, अतिरिक्त सचिव, बिजली मंत्रालय ने की, जहां पीआरजीएफईई का लोगो, ब्रोशर और संचालन मैनुअल लांच किया गया। ईईएसएल ने साथ ही अप्रैल 2016 में विजयवाड़ा में ऊर्जा दक्षता पर राष्ट्रीय वर्कशॉप का आयोजन किया, जिसमें ऊर्जा दक्षता फाइनेंसिंग पर एक समर्पित सत्र का आयोजन किया गया था।

ईईएसएल की इन पहलों और एस्को के साथ बैठकों के फलस्वरूप लागू करने वाली एजेंसी ने बीईईई के समक्ष कई परियोजनाएँ पेश की हैं।

इस तारीख तक, चार वित्तीय संस्थान, यस बैंक, आंध्रा बैंक, टाटा क्लीनटेक कंपनी लिमिटेड और आईडीएफसी बैंक पीआरजीएफईई के तहत पैनल पर आ चुके हैं।

4.2. आंशिक जोखिम साझा सुविधा (पीआरएसएफ)

आंशिक जोखिम साझा सुविधा (पीआरएसएफ) परियोजना का उद्देश्य वाणिज्यिक वित्त प्रवाह तथा ऊर्जा सेवा कंपनियों की भागीदारी के जरिये भारत में ऊर्जा बचत में मदद करना है। इस परियोजना के दो घटक हैं। पहला घटक सुविधा की स्थापना और संचालन को समर्थन देना है ताकि उप फाइनेंसर को उप गारंटी उपलब्ध करायी जा सके और पूर्ण समाधानों, कदमों और सत्यापन गतिविधियों के जरिये ऊर्जा दक्षता बाजार का विकास किया जा सके।

आंशिक जोखिम साझा सुविधा का प्रबंधन भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा किया जाता है। इसका वित्तपोषण ग्लोबल एनर्जीरमेंट फैसिलिटी (जीईएफ) के योगदान तथा क्लीन टेक्नोलॉजी फंड गारंटी द्वारा आकस्मिक निधि के रूप में किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने पीआरएसएफ योजना को अपनी मंजूरी दे दी है और साथ ही इसे कम जोखिम वाला करार करने पर भी सहमति जतायी है।

दूसरे घटक द्वारा तकनीकी सहायता, क्षमता निर्माण और संचालन समर्थन दिया जाता है। संचालन से जुड़ी गतिविधियों में निम्न कार्य शामिल हैं: (एक) बाजार विकास, परियोजना प्रबंधन, जागरूकता निर्माण और लाभार्थियों तथा संबंधित लोगों तक पहुंच बनाना (दो) उप परियोजनाओं से जुड़े विवादों के निपटान के लिए पूर्ण तत्परता के साथ कानूनी कदम उठाना। (तीन) फैसिलिटी की वेबसाइट, एक प्रबंधन सूचना प्रणाली और अन्य रिपोर्टिंग सिस्टम को विकसित करना और उसका रखरखाव करना। (चार) मानक मूल्य निरूपण और लेन देन दस्तावेजों, रिपोर्टिंग टेम्पलेट और ऊर्जा दक्षता दिशानिर्देश तैयार करना, प्रोजेक्ट रिपोर्ट का सुदृढीकरण करना, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण देना तथा ऑनलाइन समर्थन तैयार करना। (पांच) प्रतिभागी वित्तीय संस्थानों, ऊर्जा सेवा प्रदाता कंपनियों और लाभार्थियों के लिए तकनीकी सहायता, और क्षमता निर्माण की सुविधा प्रदान करना।

उपरोक्त दोनों घटक बाजार प्रेरित ऊर्जा दक्षता पारिस्थितिकी तंत्र की परिस्थितियों को मजबूत बनाने के लिए तैयार किये गये हैं, जो ऊर्जा दक्षता बाजार बाधाओं को संबोधित करने तथा अनुभाग 2 में चिह्नित किये गये विकास संबंधी उद्देश्यों के लिए अनिवार्य हैं। अपने-अपने क्षेत्रों के प्रमुख संस्थान सिडबी और ईईएसएल इस योजना को लागू करने वाली एजेंसियां 'प्रोजेक्ट एगजिक्यूशन एजेंसी (पीईए)' हैं। इस 4.30 करोड़ डॉलर की परियोजना में 3.7 करोड़ डॉलर की आंशिक जोखिम साझा सुविधा है, जिसमें ग्लोबल एनर्जीरमेंट फैसिलिटी द्वारा दी गयी 1.2 करोड़ डॉलर की राशि, क्लीन टेक्नोलॉजी फंड द्वारा प्रदत्त 2.5 डॉलर की आकस्मिक निधि और जीईएफ द्वारा तकनीकी सहायता तथा क्षमता निर्माण के लिए प्रदत्त 60 लाख डॉलर हैं।

तकनीकी सहायता और क्षमता निर्माण : तकनीकी सहायता तथा क्षमता निर्माण के लिए 60 लाख डॉलर की राशि जीईईएफ द्वारा दी गयी है, जिसका प्रबंधन सिडबी और ईईएसएल को करना है। इसके द्वारा तकनीकी सहायता, क्षमता निर्माण और संचालन सहित बाजार विकास, प्रबंधन, सूचना प्रणाली तथा मानक दस्तावेज प्रणालियों को समर्थन दिया जाता है। परियोजना 31 अगस्त 2015 से प्रभावी है। पीआरएसएफ परियोजना की वेबसाइट (<http://prsf.sidbi.in>) विकसित कर ली गयी है और यह सुचारु रूप से संचालित की जा रही है। पांच संगठनों इलेक्ट्रॉनिका फाइनेंस लिमिटेड, टाटा क्लीनटेक कैपिटल लिमिटेड, रेलीगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड, यस बैंक लिमिटेड और कॉरपोरेशन बैंक के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर कर दिये गये हैं। रेलीगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड के अलावा अन्य सभी से मास्टर गारंटी एग्रीमेंट भी कर लिया गया है।

पीआरएसएफ के तहत अगस्त 2016 में पांच गारंटी जारी की गयी, जिसका गारंटी कवर 281.25 लाख रुपये था। ईई प्रोजेक्ट का क्रियान्वन यंत्र हार्वेस्ट एनर्जी प्राइवेट द्वारा कामाची स्पंज एंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, तमिलनाडु में किया जा रहा है। इस तारीख तक, 16.73 करोड़ रुपये या 25.7 लाख डॉलर के गारंटी कवर की सात ऊर्जा दक्ष परियोजनाओं को गारंटी दी गयी है।

4.3. वैश्विक पर्यावरण फैसिलिटी-5 (जीईएफ-5) – सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों में ऊर्जा दक्षता के लिए बाजार बदलाव को बढ़ावा

वैश्विक पर्यावरण फ़ैसिलिटी (जीईएफ) बहुपक्षीय पर्यावरण सम्मेलनों का नामित निधिकरण तंत्र है, जो विकासशील देशों को अपने राष्ट्रीय विकास प्रयासों में वैश्विक पर्यावरणीय लाभ को शामिल करने के लिए वित्त प्रदान करता है और अब आपकी कंपनी के साथ विकास के साथ समझौता किये बगैर ऊर्जा दक्षता के माध्यम से एक कम- उत्सर्जन अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने में मदद कर रहा है।

एमएसएमई उद्योग में दीर्घकालिक सतत परिवर्तन को प्रोत्साहित करने के लिए, भारत सरकार और यूएनआईडीओ ने भारत में एमएसएमई उद्योग के लिए एक कार्यक्रम' सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में ऊर्जा दक्षता के लिए बाजार परिवर्तन को बढ़ावा देना' शुरू किया है। इस परियोजना को यूएनआईडीओ द्वारा लागू, एमओएमएसएमई द्वारा निष्पादित किया जाना है और ईईएसएल के मुख्य निष्पादन भागीदार के रूप में होगी। यह जीईएफ-5 द्वारा वित्त पोषित परियोजना होगी और आपकी कंपनी, बीईई, एमओएमएसएमई (सामग्री के रूप में) और सिडबी (ऋण) द्वारा सह-वित्तपोषित होगी। इस परियोजना की अवधि 60 महीने की है। इस परियोजना के लिए कुल लागत 3.13 करोड़ डॉलर है जिसमें 4,465,455 डॉलर का अनुदान भी शामिल है।

4.4. वैश्विक पर्यावरण फ़ैसिलिटी-6 (जीईएफ-6)-भारत: 'ऊर्जा दक्षता के लिए बाजार का सृजन और उसमें सततता लाना'

ऊर्जा दक्षता के माध्यम से ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) के उत्सर्जन को कम करने और नए प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों को विकसित करने के उद्देश्य से जीईएफ-6 (2017-2022) को शुरू किया गया है। जीईएफ-6 परियोजना वर्ष 2022 तक 75 करोड़ टन कार्बनडाई ऑक्साइड एक्विवैलेंट कम करने और 3.83 करोड़ गीगा जूल तथा वर्ष 2032 तक 13.75 करोड़ गीगा जूल ऊर्जा बचत करने की परिकल्पना की गई है। इस परियोजना का लक्ष्य सभी सात प्रौद्योगिकियों (चरण एक-स्ट्रीट लाइटिंग, घरेलू लाइटिंग, बीईई 5 स्टार प्राप्त पंखे, और कृषि पंप्स और चरण दो- अति ऊर्जा दक्ष पंखे, ट्राई -जेनरेशन और स्मार्ट ग्रिड/मीटर) में निवेश के लिए आपकी कंपनी की भविष्य की विकास रणनीति के लिए सक्षम परिस्थितियां बनाना है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) और एशियाई विकास बैंक (एडीबी) इसे लागू करने वाली एजेंसियां हैं और आपकी कंपनी इस कार्यक्रम की क्रियान्वन एजेंसी है। इस परियोजना का कुल फंड 45.3 करोड़ डॉलर है, जिसमें 1.88 करोड़ डॉलर का अनुदान और आपकी कंपनी तथा विभिन्न बहुपक्षीय एवं द्विपक्षीय एजेंसियों का 43.42 करोड़ डॉलर (ऋण, इक्विटी, तकनीकी सहायता और सामान के रूप में) का सह-वित्तपोषण शामिल है।

जीईएफ-6 के तहत, 'अवधारणा के प्रमाण' निवेशों का समर्थन करने और ऊर्जा दक्षता वित्तपोषण को बढ़ाने और कार्यक्रम विकास के लिए एक ऊर्जा क्षमता रिवॉल्विंग कोष (ईईआरएफ) का भी स्थापित करने का भी प्रस्ताव है, जो देश में चिह्नित ऊर्जा दक्ष कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं की शुरुआती निवेश लागत को कवर करने में मददगार होगा। जीईएफ अनुदान और तकनीकी सहायता संसाधन ऐसे निवेशों में कुछ निश्चित जोखिम को कम करने में मदद करेगा। इन प्रौद्योगिकियों से अर्जित बचत का उपयोग तब अतिरिक्त परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए किया जा सकता है, जो तब पूंजी को एक स्थायी वित्तपोषण तंत्र के रूप में घूमने देगी। ईईआरएफ फ़ैसिलिटी, व्यापार विकास रणनीति की जांच के माध्यम से पूरक सुझाव प्रदान करेगी, चिह्नित निवेश अवसरों की योग्यता जांच करेगी, अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए सिफारिशें करेगी, और निवेश के लिए तैयार प्रस्तावों की तैयारी में सहायता करेगी, ऊर्जा दक्षता वित्तपोषण को बढ़ावा देगी और भारत में मांग पक्ष ऊर्जा प्रबंधन का समर्थन करेगी।

परियोजना को जीईएफ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अध्यक्ष ने स्वीकार कर लिया है और ईईएसएल यूएनईपी के साथ इस परियोजना सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया में है।

5. सहायक कंपनियों, उपक्रमों और संबद्ध कंपनियों का विवरण

आपकी कंपनी की 31 मार्च 2017 को निम्न सहायक कंपनियां हैं :

सहायक कंपनियों का नाम	संयुक्त उद्यम पार्टनर्स का विवरण	2016-17 के दौरान कंपनी का प्रदर्शन
ईईएसएल एनर्जी प्रो एसेट्स लिमिटेड (ईईपीएएल)	एनर्जी इफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड (80%) एनर्जी प्रो एसेट्स मैनेजमेंट लिमिटेड (20%)	ईईपीएल के 7 ऑपरेटिंग ऊर्जा दक्षता समझौते के साथ ब्रिटेन में शिक्षा और अवकाश क्षेत्रों (स्कूल, जिला परिषद, गोल्फ कोर्स) में 7 ग्राहकों के साथ है। इन अनुबंधों का कार्यकाल 9 से 18 साल तक है। वर्ष 2016-17 के दौरान परिचालन से राजस्व जीडीपी 0.53 मिलियन था। ईईपीएल, संयुक्त गर्मी और पावर सेगमेंट के साथ-साथ बैटरी भंडारण उपकरणों में उपलब्ध व्यवसाय के अवसरों की संभावनाओं की भी तलाश कर रहा है।

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार सहायक कंपनियों की वित्तीय स्थिति पर एक रिपोर्ट समेकित वित्तीय वक्तव्यों के अनुबंध के रूप में प्रदान की गई है और इसलिए संक्षेपण की खातिर यहां दोहराया नहीं गया है।

6. सूचना प्रौद्योगिकी पहलें

आपकी कंपनी के पास मजबूत सूचना प्रौद्योगिकी और संचार ढांचा है। ईईएसएल ने सूचना उपलब्धता, पारदर्शिता और निर्णय क्षमता को बढ़ाने तथा सभी कारोबारी कार्यों के समेकन के लिए इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) लागू की है। आपकी कंपनी सोर्सिंग के लेकर असेंबली, डिलीवरी और सर्विसिंग तक में डिजिटल प्लेटफॉर्म और एक प्रणाली लागू कर रही है ताकि सभी परियोजनाओं के उद्देश्यों को पूरा करने की दिशा में काम करें। कुछ झलकियां निम्न हैं:

ईआरपी : कर्मचारी सेल्फ सर्विस पोर्टल को इंटरनेट पर लांच किया गया है। यात्रा की बुकिंग, कर्मचारियों की डायरेक्टरी जैसी नयी प्रक्रियाओं को विकसित किया गया। ईआरपी प्रणाली का लाभ उधारकर्ताओं को बेहतर सेवा के हिस्से के रूप में विस्तारित किया जा रहा है।

ई-प्रापण प्रणाली : ईईएसएल ने सीवीसी के निर्देशानुसार, वस्तु एवं सेवाओं की प्राप्ति के लिए ऑनलाइन ई-प्रापण प्रणाली शुरू की है। सभी निविदायें ई-प्रापण साइट पर उपलब्ध हैं।

कागजरहित संचार : गो ग्रीन पहल के तहत ट्रेवल क्लेम, टेलीफोन क्लेम को पेपरलेस कर दिया गया है।

नयी नीति : कर्मचारियों को आईटी से जोड़ने के लिए डेस्कटॉप कंप्यूटर और लैपटॉप दिये गये, जो करीब शत प्रतिशत पूरा हो गया है।

इंटरप्राइज मेलिंग सिस्टम : आपकी कंपनी ने इंटरप्राइज मेलिंग सिस्टम शुरू किया है, जिसमें कर्मचारियों के लिए ई-मेल प्राप्त करने और भेजने की कोई सीमा नहीं है। मेल सर्वर होने का लाभ यह है कि कंपनी के कर्मचारी अब एकमुश्त ई-मेल प्राप्त कर सकते हैं या भेज सकते हैं और आईटी डिवीजन ई-मेल स्टोरेज स्पेस को प्रबंधित कर सकता है।

कंप्लेन हैंडलिंग सिस्टम (सीएचएस) : आपकी कंपनी ने बहु भाषीय सपोर्ट, टिकट स्टेटस पर एसएमएस भेजने और सोशल मीडिया से जुड़कर ग्राहकों, उपभोक्ताओं, ग्राहकों की शिकायतों का समय पर समाधान करने के लिए कंप्लेन हैंडलिंग सिस्टम लागू किया है।

डैशबोर्ड : आपकी कंपनी ने परियोजनाओं की प्रगति जानने के लिए उजाला, एसएलएनपी, अजय जैसी कई परियोजनाओं के लिए डैशबोर्ड शुरू किया है और संचार में सुविधा के लिए मोबाइल ऐप लांच किया है।

वीडियो कांफ्रेंसिंग : आंतरिक क्षमता को बेहतर करने और पारदर्शिता के लिए आपकी कंपनी ने कॉरपोरेट कार्यालय में समुचित वीडियो कांफ्रेंसिंग सॉल्यूशन शुरू किया है और इसे कंपनी के सभी कार्यालयों में शुरू करने की प्रक्रिया जारी है। ईईएसएल के मुख्य वेबसाइट को अधिक सुरक्षित नेटवर्क एमपीएलएस से जोड़ा गया है।

सुरक्षा : आपकी कंपनी ने साइबर हमलों से बचने के लिए एनआईसी के दिशानिर्देशों का पालन किया है।

7. संस्थागत सुदृढीकरण

परियोजना निवेश पोर्टफोलियो को बढ़ाने पर विचार करते हुए संस्थागत सुदृढीकरण को आपकी कंपनी में एक निरंतर प्रक्रिया के रूप में लिया जा रहा है। पीडब्ल्यूसी को संस्थागत सुदृढीकरण प्रक्रिया मानकीकरण और परियोजना की डिजाइन की गुणवत्ता सुधारने, उसे लागू करने और निगरानी आदि करने के लिए नियुक्त किया गया है।

8. आधिकारिक भाषा लागू करना

ईईएसएल मुख्यालय (कॉरपोरेट कार्यालय) में राजभाषा विभाग द्वारा हिंदी को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। आधिकारिक भाषा को बढ़ावा देने के लिए, कर्मचारियों को राजभाषा अधिनियम के प्रावधानों से अवगत कराया गया और उन्हें केंद्र सरकार की राजभाषा नीति का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

वर्ष के दौरान, कंप्यूटर प्रणाली पर हिंदी में काम करने के लिए हिंदी भाषा, हिंदी टाइपिंग/शॉर्टहैंड का प्रशिक्षण प्रदान किया गया था। कार्यालय और मानक बोलियों में इस्तेमाल किए जाने वाले सभी फार्म को द्विभाषी (हिंदी/अंग्रेजी) बनाया गया। ईईएसएल की वार्षिक रिपोर्ट का भी हिंदी में अनुवाद किया गया। सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी हिंदी में दी गई, द्विभाषी टेलीफोन निर्देशिका उपलब्ध है, वैज्ञानिक व्याख्यान हिंदी में आयोजित किए जाते हैं, हिंदी सॉफ्टवेयर/फॉन्ट सुविधा कंप्यूटर पर उपलब्ध कराई जाती है, ईईएसएल की वेबसाइट का हिंदी अनुवाद प्रगति पर है।

ईईएसएल हमेशा हिंदी भाषा को प्रोत्साहित करने और भारत सरकार के निर्देश के अनुसार समुचित कार्रवाई करने को तैयार है।

9. मानव संसाधन प्रबंधन

मानव संसाधन प्रबंधन का उद्देश्य एक कार्यकुशल संस्कृति का निर्माण करना और जरूरी कौशल से युक्त प्रेरित व्यक्तियों की नियुक्ति सुनिश्चित करना है। इसका उद्देश्य लगातार कौशल विकास करना और मूल सिद्धांतों का संवर्धन करना भी है, जिससे कर्मचारी सभी कार्यों में श्रेष्ठता हासिल करने के लिए प्रेरित हों और जिससे संबंधित पक्षों के मूल्य में बढ़ोत्तरी हो।

9.1. मानव संसाधन क्षमता

वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने इन-हाऊस ऑनलाइन भर्ती आवेदन विकसित किया, विदेशों में सलाहकारों/श्रमिकों की भर्ती के लिए आउटसोर्सिंग एजेंसियों के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए, कैंपस प्लेसमेंट शुरू किया। सलाहकारों/क्षेत्र के विशेषज्ञों और प्रशिक्षुओं की भर्ती के लिए ऑनलाइन रोलिंग विज्ञापन आईआईएम की शुरुआत की। वित्त वर्ष 2016-17 में, आपकी कंपनी ने खुले विज्ञापन के जरिए विभिन्न केंद्र में खुली भर्ती के चार चक्रों, एफटी एबसाप्शन के दो राउंड और क्षेत्र आधारित प्रशिक्षु भर्ती के जरिये 180 कर्मचारी नियुक्त किए। 31 मार्च 2017 को कंपनी की कुल कर्मचारी क्षमता 329 थी।

9.2. औद्योगिक संबंध

पूरे साल के दौरान भागीदारी संस्कृति और संचार के खुले माध्यमों पर जोर दिया गया। औद्योगिक संबंधों का परिदृश्य शांतिपूर्ण और सौहार्द्रपूर्ण रहा और पूरे साल के दौरान किसी भी कार्यदिवस की हानि नहीं हुई।

9.3. कर्मचारी कल्याण

कंपनी में कर्मचारी कल्याण और उन्हें शामिल करने की गतिविधियां इस तरह से डिजाइन की गयी हैं कि कर्मचारी संगठन के लक्ष्यों के उन्मुख हों, उनमें टीम भावना का विकास हो, संबंध की भावना निर्मित हो, कार्य-जीवन के बीच बेहतर संतुलन स्थापित हो और प्रतिस्पर्धात्मक कारोबारी परिदृश्य में कर्मचारी कंपनी के साथ जुड़े रहें। आपकी कंपनी के कर्मचारियों तथा उन पर आश्रित परिवारों को कैंशलेस स्वास्थ्य सुविधायें पैनलबद्ध दिल्ली तथा एनसीआर के अस्पतालों में उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त कर्मचारियों के लिए सब्सिडी युक्त मध्याह्न भोजन योजना, सांस्कृतिक गतिविधियां और खेलों का आयोजन कार्यस्थल पर रचनात्मक और खुशनुमा माहौल बनाने के लिए किया जाता है। दीर्घ अवधि वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए वित्त वर्ष 2016-2017 के दौरान कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति कोष

के साथ ही समूह निजी दुर्घटना बीमा योजना की स्थापना की गयी है। वित्त वर्ष 2016-2017 के दौरान कर्मचारियों के कल्याण के लिए विभिन्न पहल किए गए जैसे— जन्मदिन उपहार, अपशिष्ट पुनर्चक्रण प्रबंधन प्रणाली, स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन, स्थानीय अस्पताल के साथ मिलकर सप्ताह में तीन बार के लिए एक विजिटिंग डॉक्टर की सुविधा का लाभ लेने के लिए स्थानीय अस्पताल से जुड़ना और राष्ट्रीय पेंशन योजना के इन-हाऊस कैंप ईडीएलआई के बदले एलआईसी के माध्यम से सामूहिक बीमा योजना शुरू करना आदि।

9.4. मानव संसाधन विकास

आपकी कंपनी का मानना है कि किसी संगठन का उद्देश्य तभी सतर्ता के साथ हासिल किया जा सकता है जब इसका मानव संसाधन परिवर्तन को अपनाने के लिए तैयार हो, प्रतिस्पर्धात्मक हो और अपनी क्षमताओं का उपयोग करे और ऐसा चरणवार तरीके से दीर्घकालिक और अल्पकालिक जरूरतों पर आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिये ही संभव होगा। वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने इन-हाऊस लर्निंग सेंटर स्थापित किया और कॉरपोरेट कार्यालय में गैर-आवासीय प्रवेश कार्यक्रम और नये अधिकारियों के लिए पीएमआई नोएडा में आवासीय प्रवेश कार्यक्रम किया, देश और विदेशों में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं आदि के लिए करीब 270 अधिकारियों का प्रायोजक बना। पीएमआई, टेरी, एनपीटीआई, डेल कार्नेजी इंस्टीट्यूट के सहयोग से आपकी कंपनी ने कर्मचारियों के व्यवहारिक, प्रबंधकीय और क्रॉस फंक्शनल दक्षता विकसित करने के लिए बहुआयामी कार्यक्रम का आयोजन किया है। उपरोक्त कार्यक्रम स्वास्थ्य और जीवनशैली प्रबंधन, कार्यात्मक योग्यता, नेतृत्व और संचार सहित विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित किए गए हैं।

9.5. एमओयू रेटिंग और अवार्ड

वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान प्रवर्तक कंपनियों के साथ हस्ताक्षर किये गये एमओयू के संदर्भ में आपकी कंपनी के प्रदर्शन को 'अति उत्तम' की रेटिंग दी गयी है।

9.6. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

कंपनी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 लागू किया और 2016-17 में, 83 प्रतिशत सवालियों का सफलतापूर्वक जवाब दिया गया। आवेदन प्राप्त करने और अपील की प्राप्ति से संबंधित कार्यों को समन्वय करने वाले अधिकारियों का नाम और उनके द्वारा दी गयी जानकारी ईईएसएल की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

9.7. कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत किये गये खुलासे

कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न के खिलाफ शिकायतों के निपटान के लिए एक "आंतरिक शिकायत समिति" का गठन किया गया है। वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान कंपनी को यौन उत्पीड़न की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

9.8. राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

अधिकारियों के प्रशिक्षण और विकास जरूरतों की पूर्ति करने तथा कर्मचारियों के कौशल को बढ़ाने तथा उनके प्रदर्शन में बेहतरी लाने के लिए कंपनी ने देश एवं विदेशों में आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा वर्कशॉप के लिए 27 कार्यपालकों को प्रायोजित किया है।

9.9. सार्वजनिक शिकायतों का निवारण

आपकी कंपनी कुशल और समयबद्ध तरीके से सार्वजनिक शिकायतों के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। एक समर्पित अधिकारी वेब आधारित निगरानी प्रणाली यानी www.pgportal.gov.in पर प्राप्त सार्वजनिक शिकायतों का जल्द से जल्द समाधान प्रदान कर रहा है।

भारत सरकार के निर्देशानुसार, शिकायतों की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर सार्वजनिक शिकायतों का समाधान किया जाना है। अगर दो महीने की अवधि के भीतर इसे हल करना संभव नहीं है, तो अंतरिम उत्तर देना होगा। आपकी कंपनी न केवल समय पर जवाब देने पर जोर दे रही है बल्कि शिकायतों को हल करते हुए गुणवत्तात्मक पहलू पर भी जोर देती है। सभी प्रतिक्रियाएं वेब आधारित निगरानी प्रणाली यानी www.pgportal.gov.in पर अपलोड की जाती हैं। आपकी कंपनी शिकायतें उपरोक्त समय सीमा में हल करने का सभी प्रयास कर रही है।

10. कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व

कंपनी की बोर्ड मीटिंग में वित्त वर्ष 2016-17 के लिए ईईएसएल का सीएसआर बजट 44.33 लाख रुपये तय किया गया।

इस संबंध में कई विकल्पों को खंगाला गया, ताकि कंपनी इस फंड का इस्तेमाल सबसे बेहतर तरीके से करके इसके उद्देश्य की पूर्ति कर पाये। इसी बीच उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के जगदेई ग्राम पंचायत से घरों के अंदर शौचालय बनवाने के लिए एक आग्रह पत्र प्राप्त हुआ और इस परियोजना पर भारत के माननीय प्रधान मंत्री द्वारा शुरू किये गये स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत हमारी सीएसआर गतिविधि के रूप में काम किया जा सकता है। हम पौड़ी गढ़वाल जिले में किए गए "बेस लाइन अध्ययन" प्राप्त करने की प्रक्रिया में हैं ताकि ऊपर बताए अनुसार शौचालयों के निर्माण के लिए अधिकतम वंचित परिवारों की पहचान की जा सके। चूंकि, पौड़ी गढ़वाल एसएलएनपी कार्यक्रम और उजाला कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे परियोजना क्षेत्र में से एक है, सीआरआर के अनुच्छेद 2.3 का अनुपालन किया गया है। इसलिए, यह परियोजना हमारी सीएसआर गतिविधि के रूप में की जाएगी। हम वित्त वर्ष 2016-17 के लिए आवंटित सीएसआर निधि का उपयोग करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के तहत जरूरी कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व नीति हमारी वेबसाइट (www.eeslindia.org) पर उपलब्ध है।

11. मनोनयन और पारिश्रमिक नीति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 की उप धारा (3) के तहत जरूरी कंपनी की मनोनयन और पारिश्रमिक नीति हमारी वेबसाइट (www.eeslindia.org) पर उपलब्ध है।

12. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेश

कंपनी (अकाउंट) नियम 2014 के तहत ऊर्जा और प्रौद्योगिकी समावेश से संबंधित कुछ खास नहीं है क्योंकि कंपनी के पास अपनी कोई भी निर्माण फैसिलिटी नहीं है।

विदेशी आय एवं व्यय

विदेशी विनिमय आय एवं व्यय निम्न रहा :

विवरण	31 मार्च 2017 को समाप्त वित्त वर्ष (रुपये में)	31 मार्च 2016 को समाप्त वित्त वर्ष (रुपये में)
विदेशी मुद्रा में व्यय	10,33,49,851	30,624,023
विदेशी मुद्रा में आय	1,317,281	5,498,316

13. मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत प्रबंध निदेशक, मुख्य वित्तीय अधिकारी और कंपनी सचिव मुख्य प्रबंधन कार्मिक हैं। श्री एस गोपाल (08 जून 2016 से प्रभावी) की मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में नियुक्ति की गयी।

14. बोर्ड और बोर्ड की सभिति

वित्त वर्ष 2016-2017 के दौरान निदेशक मंडल की नौ बार बैठक हुई। जिन तिथियों पर बोर्ड की बैठक बुलाई गयी वे हैं: 25 अप्रैल 2016, 26 जुलाई 2016, 23 अगस्त 2016, 16 सितंबर 2016, 22 नवंबर 2016, 24 दिसंबर 2016, 18 जनवरी 2017, 02 मार्च 2017 और 15 मार्च 2017।

वित्त वर्ष 2016-2017 के दौरान सुश्री सीमा गुप्ता ईईएसएल में पीजीसीआई की शेयर हिस्सेदारी 10 प्रतिशत से कम होने के कारण पीजीसीआईएल की ओर से कंपनी की मनोनीत निदेशक नहीं रही। साथ ही विद्युत मंत्रालय ने भी छह जुलाई 2016 को जारी पत्र के माध्यम से संयुक्त सचिव ऊर्जा संरक्षण प्रभारीधार्थिक सलाहकार को उप सचिव (वित्त) के रूप में मनोनीत किया। इसी कारण, श्री राजपाल को श्री पीके रवि के स्थान पर सरकारी मनोनीत निदेशक (14 जुलाई 2016 से प्रभावी) नियुक्त किया गया। एनटीपीसी ने 1 सितंबर 2016 को जारी पत्र के माध्यम से श्री आरके श्रीवास्तव का मनोनयन वापस ले लिया तथा उनके स्थान पर श्री केके शर्मा को मनोनीत किया। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 12 सितंबर 2016 को जारी ऑफिस आर्डर संख्या 277/2016 के माध्यम से श्री ए चक्रवर्ती के स्थान पर श्री आकाश सक्सेना को मनोनीत निदेशक के रूप में मनोनीत किया और बीईई ने संगठन से श्री संजय सेठ के इस्तीफे के कारण 14 सितंबर 2016 को जारी पत्र के माध्यम से ईईएसएल के निदेशक के रूप में श्री संजय सेठ के मनोनयन को वापस ले लिया। आरईसी ने पांच अक्टूबर 2016 को जारी पत्र के माध्यम से श्री वीके सिंह, प्रबंध निदेशक, आरईसी को ईईएसएल बोर्ड में श्री राजीव शर्मा के स्थान पर मनोनीत किया। श्री एस एन गायकवाड़, जिनकी अतिरिक्त सचिव और निदेशक (परियोजना और कारोबार विकास) पद पर नियुक्ति हुई थी, वह (तीन नवंबर 2016 से प्रभावी) निदेशक नहीं रहे। अतिरिक्त सचिव और निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्त श्री अनिल कुमार गुप्ता सेवानवृत्त होने के कारण कंपनी के निदेशक नहीं रहे (26 दिसंबर 2016 से प्रभावी)।

निदेशक मंडल ने कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत विविध भूमिका के लिए अपने कर्तव्यों के प्रभावी निष्पादन हेतु निम्न समितियों का गठन किया है :

क: लेखा परीक्षा समिति

वित्त वर्ष के दौरान 26 जुलाई 2016, 16 सितंबर 2016, 24 दिसंबर 2016 और दो मार्च 2017 को लेखापरीक्षा समिति की चार बैठकें आयोजित की गयीं। इस रिपोर्ट के जारी होने तक लेखापरीक्षा समिति में शामिल सदस्य :

श्री राजपाल, निदेशक

श्री आकाश सक्सेना, निदेशक

श्री वी के सिंह, निदेशक

विशेष अतिथि :

सीजीएम (वित्त) / सीएफओ

हाजिरी में :

कंपनी सचिव

ख: सीएसआर समिति

वित्त वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की एक बैठक 23 अगस्त 2016 को आयोजित की गयी। इस रिपोर्ट के जारी होने तक सीएसआर समिति में शामिल सदस्य :

श्री राजपाल, निदेशक

श्री वी के सिंह, निदेशक

श्री आकाश सक्सेना, निदेशक

विशेष अतिथि

सीएसआर प्रकोष्ठ के प्रमुख

सीजीएम(वित्त/सीएफओ)

हाजिरी में:

कंपनी सचिव

ग: मनोनयन एवं पारिश्रमिक समिति:

वित्त वर्ष के दौरान मनोनयन एवं पारिश्रमिक समिति की दो बैठकों 23 अगस्त 2016 और दो मार्च 2017 को आयोजित की गयी। इस रिपोर्ट के जारी होने तक मनोनयन एवं पारिश्रमिक समिति में शामिल सदस्य :

श्री आकाश सक्सेना, निदेशक

श्री वी के सिंह, निदेशक

श्री राजपाल, निदेशक

विशेष अतिथि

सीजीएम(वित्त/सीएफओ)

हाजिरी में :

कंपनी सचिव

वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान प्रत्येक निदेशक द्वारा बैठकों में शामिल होने का विवरण निम्न है :

निदेशकों के नाम	बोर्ड मीटिंग की संख्या		लेखापरीक्षा समिति की बैठकों की संख्या		सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या		एनआरसी बैठकों की संख्या	
	योग्य	हाजिर	योग्य	हाजिर	योग्य	हाजिर	योग्य	हाजिर
श्री के के शर्मा	5	5	-	-	-	-	-	-
श्री सौरभ कुमार	9	9	-	-	-	-	-	-
श्री राजपाल	8	6	1	1	-	-	1	1
श्री आकाश सक्सेना	5	4	2	1	-	-	1	1
श्री वी के सिंह	4	4	-	-	-	-	1	1
श्री ए के गुप्ता	6	6	3	3	1	1	1	1
श्री एस एन गायकवाड़	4	4	1	1	-	-	-	-
श्री राजीव शर्मा	4	4	1	1	-	-	-	-
श्री संजय सेठ	3	1	1	0	1	1	1	1
श्री ए चक्रवर्ती	3	2	1	1	-	-	1	1
श्री पी के रवि	1	1	-	-	-	-	-	-
सुश्री सीमा गुप्ता	1	1	-	-	-	-	-	-

15. निदेशकों के उत्तरदायित्व के विवरण :

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की रूपरेखा और स्थापित अनुपालन प्रणालियों एवं कंपनी द्वारा इनके अनुरक्षण के आधार पर आंतरिक, सांविधिक, लेखा परीक्षकों, सचिवीय लेखा परीक्षकों द्वारा बाह्य परामर्शदाताओं द्वारा किए गए कार्यों एवं प्रबंधन तथा संगत बोर्ड समितियों द्वारा की गई समीक्षा सहित लेखा परीक्षण समिति के विषय में बोर्ड की राय है कि कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान पर्याप्त और प्रभावी थे। तदनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) के अनुपालन में निदेशक मंडल अपने सर्वोत्तम ज्ञान और क्षमता के अनुसार पुष्टि करते हैं कि :

- क. वार्षिक लेखा को तैयार करते समय, लागू मानकों का पालन किया गया है और यह भी कि इसमें वस्तु: कोई विचलन नहीं किया गया है।
- ख. लेखा नीतियों के चयन में इन्होंने सांविधिक लेखा परीक्षकों से परामर्श लिया और इन्हें निरंतर रूप से लागू किया गया ताकि निर्णय देकर अनुमान लगाए कि ये उचित तथा विवेकपूर्ण हैं, ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में और उसकी अवधि के लिए कंपनी के लिए कंपनी के कार्यों की स्थिति का एक सत्य और निष्पक्ष चित्र दे सकें।

- ग. इन्होंने अपने समुचित ज्ञान और क्षमता के अनुसार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी रखी है, ताकि कंपनी की परिसंपत्तियों को सुरक्षित रखा जाए और धोखाधड़ी का पता लगाते हुए इसकी तथा अन्य अनियमितताओं की रोकथाम की जा सके।
- घ. इन्होंने कंपनी के आधार पर वार्षिक लेखा तैयार किया है।
- ड. इन्होंने कंपनी द्वारा अपनाए जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रण तैयार किए हैं और उक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्ता तथा प्रभावी रूप से कार्यरत थे।
- च. इन्होंने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों के साथ अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियां संकल्पित की हैं और उक्त प्रणालियां पर्याप्त तथा प्रभावी रूप से कार्यरत थीं।
- 16. सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसएमई) आदेश 2012 के लिए सार्वजनिक प्रापण नीति के तहत रिपोर्टिंग**
- भारत सरकार ने सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसएमई) आदेश, 2012 के लिए सार्वजनिक प्रापण नीति अधिसूचित किया है। कथित नीति के संदर्भ में उत्पादित वस्तुओं तथा दी गई सेवाओं के वर्ष 2016-17 के दौरान कुल मूल्य 2,366.42 करोड़ रुपये था। एमएसई (अनु. जाति/अनु. जनजाति उद्यमियों सहित) से की गई कुल खरीद 271.66 करोड़ रुपये थी।
- 17. सतर्कता**
- आपकी कंपनी अपने प्रचालनों में पारदर्शिता, वस्तुनिष्ठता और गुणवत्तापूर्ण नियंत्रण सुनिश्चित करती है तथा इसकी निगरानी के लिए सतर्कता विभाग है। वर्तमान में, सीजीएम (वित्त) मुख्य सतर्कता अधिकारी का पदभार संभाल रहे हैं।
- 18. वार्षिकी विवरणी का सारांश**
- वित्त वर्ष 2016-2017 के लिए वार्षिक विवरणी का सारांश अनुलग्नक-1 के रूप में अंकित प्रपत्र संख्या एमजीटी-9 में निदेशक प्रतिवेदन के साथ संलग्न किया जा रहा है।
- 19. संविदाओं या संबंधित पक्षकारों के साथ व्यवस्था के विवरण**
- समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने अपने संबंधित पक्षकारों में से किसी के साथ कोई सामग्रीगत लेनदेन नहीं किया। सभी संबंधित पक्षकार लेनदेन कार्य के सामान्य दौर में थे और इन पर एक दूरी बनाए रखते हुए विचार विमर्श किया गया था। तदनुसार संबंधित पक्षकार के लेनदेन के प्रकटन की आवश्यकता कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा- 134(3) (एच) के तहत आवश्यक है, जो प्रपत्र एओसी-2 में लागू नहीं है।
- 20. ऋण एवं निवेश का विवरण**
- आपकी कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के तहत एक ब्रिटेन आधारित कंपनी के शेयरों में निवेश किया है। ईईएसएल ने 21 मार्च 2017 को 1.89 करोड़ रुपये में ईईएसएल एनर्जी प्रो एसेट लिमिटेड के 80 प्रतिशत इक्विटी शेयर खरीदे।
- 21. वर्तमान चिंताओं और भविष्य में कंपनी के संचालन को प्रभावित करने वाले न्यासों और न्यायालयों के महत्वपूर्ण आदि शून्य**
- 22. जमा**
- (क) वर्ष के दौरान स्वीकार : शून्य
- (ख) वर्ष के अंत तक भुगतानित नहीं हुए या दावा नहीं हुआ : शून्य
- (ग) क्या वर्ष के दौरान जमा की अदायगी या ब्याज का भुगतान करने में कोई चूक नहीं हुई है और यदि ऐसा है तो ऐसे मामलों की संख्या और कुल राशि कितनी है—
- 1) वर्ष के शुरुआत में : शून्य
 - 2) वर्ष के दौरान अधिकतम : शून्य
 - 3) वर्ष के अंत में : शून्य
- (घ) अधिनियम के अध्याय पांच के अनुसार नहीं किया गया जमा : शून्य
- 23. निदेशकों और निदेशक मंडल के प्रदर्शन का मूल्यांकन**
- जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक है, स्वतंत्र निदेशकों / बोर्ड / समितियों सहित निदेशकों के प्रदर्शन का मूल्यांकन बोर्ड द्वारा या नामांकन और पारिश्रमिक समिति या स्वतंत्र / नामित निदेशकों द्वारा किया जाता है।
- 24. लेखा परीक्षक**
- क. सांविधिक लेखा परीक्षक**
- नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैंग) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करके 21 जुलाई 2017 को जारी पत्र के माध्यम से मै/एस वी पी जी एस एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (फर्म पंजीकरण संख्या एफआरएन 507971सी), नई दिल्ली को वित्त वर्ष 2017-2018 के लिए कंपनी का सांविधिक लेखाकार नियुक्त किया। वित्त वर्ष 2017-2018 के लिए उनका पारिश्रमिक तय करने के अधिकार से निदेशक मंडल को अधिकृत करने के लिए कंपनी के सदस्यों का अनुमोदन कंपनी के निदेशक मंडल की आगामी वार्षिक आम बैठक में लिया जायेगा।

ख. सचिवीय लेखा परीक्षक

मे. आस्तिक त्रिपाठी एंड एसोसिएट्स, कार्यरत कंपनी सचिव को वित्त वर्ष 2016-2017 के लिए सचिवीय लेखा परीक्षण करने हेतु कंपनी का सचिवीय लेखा परीक्षक नियुक्ति किया गया और इसे रिपोर्ट में अनुलग्नक-2 में संलग्न किया गया है।

25. प्रबंधन का उत्तर

सांविधिक लेखाकारों और सचिवीय लेखाकारों के अवलोकन / सलाह पर प्रबंधन का उत्तर इस रिपोर्ट के अनुलग्नक 3 में संलग्न है।

26. कैग की टिप्पणियां

31 मार्च 2017 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए कंपनी के ऑडिट किये गये वित्तीय विवरण पर कैग ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (ए) के तहत 14 सितंबर 2017 को लिखित पत्र के माध्यम से टिप्पणी की। वित्त वर्ष 2016-2017 के लिए कैग की टिप्पणियां इस वार्षिक रिपोर्ट में सांविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के साथ अनुलग्नक-5 में संलग्न है।

27. सांविधिक प्रकटीकरण

वित्त वर्ष 2016-2017 के दौरान कंपनी के कारोबार की प्रकृति में कोई बदलाव नहीं आया।

क. कंपनी द्वारा आंतरिक नियंत्रणों सहित उचित निगरानी प्रक्रिया के लिए एक पर्याप्त प्रणाली अपनायी जाती है, जो विभिन्न लेन देनों की सटीक और समय पर वित्तीय रिपोर्टिंग, सांविधिक कानूनों, विनियमनों एवं कंपनी की नीतियों के साथ अनुपालन और प्रचालन की दक्षता सुनिश्चित करते हैं।

ख. 31 मार्च 2017 और इस रिपोर्ट की तारीख तक प्रतिबद्धताओं या सामग्री में ऐसे कोई बदलाव नहीं हुए, जिससे कंपनी की वित्तीय स्थिति पर कोई प्रभाव पड़े।

ग. कंपनी ने कंपनी के निदेशकों या किसी भी कर्मचारी के लिए कोई भी शेयर जारी नहीं किये हैं।

28. कर्मचारियों के विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197(12) के प्रावधानों के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन कार्मिकों की नियुक्ति और परिलब्धि) नियम, 2014 के नियम 5(1) के तहत आवश्यक जानकारी को शून्य माना जाये क्योंकि कंपनी के किसी भी कर्मचारी को 60,00,000 रुपये प्रति वर्ष या 5,00,000 रुपये प्रति माह से अधिक परिलब्धि समीक्षाधीन वित्त वर्ष के दौरान वर्ष के किसी भी हिस्से में प्राप्त नहीं हुई।

29. प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट इस रिपोर्ट का हिस्सा है और इन्हें अनुलग्नक-6 में संलग्न किया गया है।

30. आभार

कंपनी के निदेशक निरंतर सहयोग और सहायता के लिए भारत सरकार खासकर विद्युत मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और आर्थिक मामलों के विभाग के आभारी हैं। निदेशक निरंतर सहयोग और भरोसे के लिए राज्य सरकारों, राज्य इलेक्ट्रिक बोर्डों, राज्य पावर यूटिलिटीज और अन्य उधारकर्ताओं को धन्यवाद ज्ञापन करते हैं।

निदेशक समीक्षाधीन वर्ष के दौरान सभी स्तरों पर कंपनी के सभी कर्मचारियों द्वारा प्रशंसनीय, समर्पण और ईमानदारी की भावना से किये गये कार्य की प्रशंसा करना चाहते हैं। कंपनी अपने शेयरधारकों की उम्मीदों को पूरा करने का हर प्रयास करेगी और हार्दिक सहयोग तथा हर समय समर्थन के लिए उन्हें धन्यवाद देती है।

निदेशक मंडल की ओर से और उनके लिए
ईईएसएल

(के के शर्मा)

अध्यक्ष

(डीआईएनरू03014947)

तारीख : 21.09.2017

स्थान : नई दिल्ली

प्रपत्र संख्या.एमजीटी-9 वार्षिक रिटर्न का उद्घरण

31 मार्च 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष को (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3)
और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम 2014 के
नियम 12(1) के अनुपालन में)

1. पंजीकरण एवं अन्यी विवरण

i.	सीआईएन	यू40200डीएल2009पीएलसी196789
ii.	पंजीकरण तिथि	10/12/2009
iii.	कंपनी का नाम	एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड
iv.	कंपनी की श्रेणी	शेयरों द्वारा कंपनी लिमिटेड
v.	कंपनी की उप श्रेणी	भारतीय गैर सरकारी कंपनी
vi.	कंपनी का पता	चौथी मंजिल, सेवा भवन, आर के पुरम
vii.	सूचीबद्ध/गैरसूचीबद्ध	नयी दिल्ली – 110066
viii.	रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट का नाम और पता	सूचीबद्ध (कंपनी के ऋणपत्र सूचीबद्ध हैं)
		कार्बी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड, कार्बी सेलेनियम टावर बी, प्लॉट संख्या 31-32, गाचीबावली, फाइनेंसियल जिला, नानाक्रामगुडा, हैदराबाद- 500032 टेलीफोन संख्या: +91 (40) 6716 2222य फैक्स: +91(040) 2343 1551

2. कंपनी की मुख्य कारोबारी गतिविधियां

कंपनी के कुल टर्नओवर में 10 फीसदी या उससे अधिक योगदान करने वाली सभी कारोबारी गतिविधियां निम्न्य हैं:

क्रम संख्या	मुख्य उत्पादों/सेवाओं का नाम एवं विवरण	उत्पाद/सेवा एनआईसी कोड	कंपनी के कुल टर्नओवर का प्रतिशत
1.	वस्तुओं की बिक्री (एलईडी बल्बन)	47990	88.85%
2.	सेवाओं की बिक्री	74909	11.15%

3. धारकों, सहयोगी और सहायक कंपनियों का विवरण

क्रम संख्या	कंपनी का नाम एवं पता	सीआईएन/ जीएलएन	धारक/ सहायक/ सहयोगी	धारित शेयरों का प्रतिशत	लागू धारा
	ईईएसएल एनर्जी प्रो एसेट्स लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय : निकोलस हाऊस, रिवर फ्रंट, एनफील्डर, मिडलसक्स, यूनाइटेड किंगडम, ईएन13 एफजी		सहायक	80	2(87)

4. शेयरधारित पैटर्न (कुल एक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी ब्योरा)

1. श्रेणीवार शेयरधारिता

शेयरधारिता की श्रेणी	वर्ष के आरंभ में अर्थात् 01 अप्रैल 2016 को धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के समापन अर्थात् 31 मार्च 2017 को धारित शेयरों की संख्या				1 वर्ष के दौरान प्रतिशत में परिवर्तन
	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	
प्रवर्तक									
1. भारतीय									
क. व्यक्तिगत/एचयूएफ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख. केंद्र सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ग. राज्य सरकार		-	-	-	-	-	-	-	-
घ. कॉरपोरेशन निकाय	-	165000000	165000000	100	292999800	169000200	462000000	100	180
ड. बैंक/एफआई		-	-	-	-	-	-	-	-
च. अन्य कोई		-	-	-	-	-	-	-	-
उपकुल क (1):	-	165000000	165000000	100	292999800	169000200	462000000	100	180
2. विदेशी									
क) एनआरआई/व्यक्तिगत	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) अन्य-व्यक्तिगत	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) कॉरपोरेशन निकाय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) बैंक/एफआई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ड) अन्य कोई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उपकुल क (2):									
प्रवर्तक की कुल शेयर धारिता (क) = (क)(1)(क)(2)	-	165000000	165000000	100	292999800	169000200	462000000	100	180
ख. सार्वजनिक शेयर धारिता									
क) म्युचुअल फंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) बैंक/एफआई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) केंद्र सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) राज्य सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ड) उद्यम पूंजी	-	-	-	-	-	-	-	-	-
च) बीमा कंपनियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-
छ) एफआईआई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ज) विदेशी उद्यम पूंजी निधि	-	-	-	-	-	-	-	-	-
प) अन्य (बतायें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप कुल (ख)(1):	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. गैर संस्थाएं	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क. कॉरपोरेशन निकाय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(i) भारतीय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ii) प्रवासी	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख. व्यक्तिगत	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(i) एक लाख रुपये तक की सांकेतिक शेयर पूंजी के शेयर धारक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ii) एक लाख रुपये से अधिक की सांकेतिक शेयर पूंजी के शेयर धारक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग. अन्य (बतायें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप कुल (ख) (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल सार्वजनिक शेयर धारिता	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ख) = (ख) (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ग. जीडीआर और एडीआर के लिए अभिरक्षक द्वारा धारित शेयर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल योग (क+ख+ग)		165000000	165000000	100	292999800	169000200	462000000	100	180

2. प्रवर्तकों की शेयरधारिता

शेयरधारकों के नाम	वर्ष की शुरुआत में शेयरधारिता प.म. 01/04/2016			वर्ष के अंत में शेयर धारिता प.म. 31/03/2017			चालू वर्ष के दौरान शेयर धारिता में बदलाव का %
	शेयरों की संख्या	कंपनी का कुल शेयर प्रतिशत	%शेयर की वचनवद्धता / कुल शेयर की धारिता	शेयरों की संख्या	कंपनी का कुल शेयर प्रतिशत	%शेयर की वचनवद्धता / कुल शेयर की धारिता	
एनटीपीसी लिमिटेड	4,75,00,000	28.78%	शून्य	14,65,00,000	31.7%	शून्य	208.42
पावर फॉइनेस कॉरपोरेशन लिमिटेड	4,75,00,000	28.78%	शून्य	14,65,00,000	31.7%	शून्य	208.42
पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि.	2,25,00,000	13.66%	शून्य	2,25,00,000	4.87%	शून्य	Nil
रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लि.	4,75,00,000	28.78%	शून्य	14,65,00,000	31.7%	शून्य	208.42
कुल	16,50,00,000	100%	-	46,20,00,000	100%	-	-

iii. प्रवर्तकों की शेयर धारिता में बदलाव

विवरण	वर्ष की शुरुआत में शेयर धारिता		वर्ष के अंत में कुल शेयरधारिता	
	शेयरों की संख्या	कंपनी का कुल शेयर प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी का कुल शेयर प्रतिशत
वर्ष की शुरुआत में	16,50,00,000	100	-	-
25/4/2017 को 10 रुपये प्रत्येक के मूल्य 1 के 2,97,00,00,000 रुपये के 29,70,00,000 इक्विटी शेयर	-	-	46,20,00,000	100
वर्ष के अंत में	-	-	46,20,00,000	100

iv. शीर्ष दस शेयरधारकों के शेयरधारक पैटर्न (निदेशकों, प्रमोटरों और जीडीआर और एडीआर के धारक के अलावा)

	वर्ष की शुरुआत में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
शीर्ष 10 शेयरधारकों में से प्रत्येक के लिए	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
वर्ष की शुरुआत में शेयर				
वर्ष के दौरान शेयरहोल्डिंग में वृद्धि / कमी के कारण वृद्धि / कमी के कारणों को निर्दिष्ट करते हैं (उदाहरण के लिए आवंटन / स्थानांतरण / बोनस / इक्विटी आदि)	-	-	-	-
वर्ष के अंत में (या वर्ष के दौरान अलग होने की तिथि)				

v. निदेशक और महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कर्मियों का साझाकरण:

प्रत्येक निदेशक और केएमपी के लिए	वर्ष की शुरुआत में शोयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शोयरधारिता	
	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
वर्ष की शुरुआत में	0	0	-	-
श्री विजय कुमार सिंह को 100 इक्विटी शेयरों का स्थानांतरण (ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड के नामिती निदेशक)	-	-	100	0.00002
वर्ष के अंत में			100	0.00002

V. ऋण

कंपनी का ब्याज सहित बकाया ऋण, लेकिन भुगतान के कारण नहीं (लाख रुपये में) :

	जमा को छोड़कर सुरक्षित ऋण	असुरक्षित ऋण	जमा बचत	कुल ऋण
वर्ष की शुरुआत में कर्जदारता (01.04.2016)				
(i) मूलधन	35000	26028.65	0	61028.65
(ii) ब्याज देय, लेकिन भुगतान नहीं किया गया	-	-	-	-
(iii) ब्याज प्राप्त, बाकी देय नहीं	34.68	110.40	0	145.08
कुल (i+ii+iii)	35034.68	26139.05	0	61173.73
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणी में बदलाव				
• इसके अलावा	85000	10308.86	0	95308.86
• कमी	(25000)	(3500)	0	(28500)
शुद्ध परिवर्तन	60000	6808.86	0	66808.86
साल के अंत में कर्जदार (31.03.2017)				
(i) मूलधन	95000	32623.86	0	127623.86
(ii) ब्याज देय लेकिन जमा नहीं किया गया	-	-	-	-
(iii) ब्याज प्राप्त कोई बकाया नहीं	2133.57	165.43	0	2299
कुल (i+ii+iii)	97133.57	32789.29	0	129922.86

VI. निदेशकों और मुख्य प्रबंधकीय कर्मियों के पारिश्रमिक

क. प्रबंध निदेशक, पूरे-समय निदेशकों और / या प्रबंधक के लिए पारिश्रमिक:

(रु में राशि)

क्रम संख्या	पारिश्रमिक के विवरण	एमडी / डब्ल्यूडीटी / मैनेजर का नाम
क.		श्री सौरभ कुमार
1.	सकल वेतन (ए) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन (बी) लाभ / मूल्य 17/2 (2) आयकर अधिनियम, 1961 के तहत (सी) धारा 17 (3) के तहत वेतन के एवज में लाभ आयकर अधिनियम, 1961	39,71,097 6,419 शून्य
2.	स्टॉक का विकल्प	शून्य
3.	उद्यम इक्विटी	शून्य
4.	आयोग - मुनाफे का प्रतिशत - अन्य (निर्दिष्ट करें)	शून्य
5.	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	शून्य
	कुल (ए)	39,77,516
	अधिनियम के अनुसार सीमा	अनुसूची पांच के अनुसार

ख. अन्य निदेशकों का पारिश्रमिक:

क्रम संख्या	पारिश्रमिक का विवरण	निदेशक का नाम				कुल रकम
		-----	-----	-----	-----	
	1. स्वतंत्र निदेशकों • बोर्ड समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए शुल्क • आयोग • अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल (1)					
	2. अन्य गैर-कार्यकारी निदेशकों • बोर्ड समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए शुल्क • आयोग • अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल (2)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल (ख) = (1+2)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अधिनियम के अनुसार कुल मिलाकर छत					

ग. प्रधान निदेशक / प्रबंधक के अलावा अन्य मुख्य प्रबंधकीय कर्मचारियों का पारिश्रमिक :

(रु में राशि)

क्रम संख्या	पारिश्रमिक का विवरण	मुख्य वित्तीय अधिकारी		कंपनी सचिव	कुल
		समीर अग्रवाल	एस गोपाल	पूजा शुक्ला	
1.	सकल वेतन				
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन	3,01,035	25,43,172	12,03,693	40,47,900
	(ख) लाभ/मूल्य 17/2 (2) आयकर अधिनियम	25,994	शून्य	शून्य	25,994
	(ग) धारा 17 (3) के तहत वेतन के एवज में लाभ आयकर अधिनियम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2.	स्टॉक विकल्प	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3.	उद्यम इक्विटी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4.	आयोग				
-	मुनाफे का %				
-	अन्य (निर्दिष्ट करें)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5.	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल	3,27,029	25,43,172	12,03,693	40,73,894

VII. दंड / जुर्माना / दंडात्मक शुल्क :

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	जुर्माना / दंड / दंड शुल्क का विवरण यदि लगाया गया	प्राधिकरण (आरडी / एनसीएलटी / न्यायालय)	यदि कोई अपील की गई हो, (विवरण दें)
इस वर्ष कंपनी या इसके निदेशकों या अन्य अधिकारियों के खिलाफ कंपनी अधिनियम के किसी भी हिस्से के उल्लंघन के लिए कोई भी किसी भी प्रकार का जुर्माना / दंड / जुर्माना नहीं लगाया गया है। कंपनियों के प्रकार का प्रकार अधिनियम संक्षिप्त विवरण प्राधिकरण आरडी / एनसीएलटी / न्यायालय, लगाए गए दंड / सजा / कंप. उडिंग फीस का विवरण, यदि कोई हो, तो कोई अपील (विवरण दें)					

निदेशक मंडल के लिए
और ईईएसएल के लिए

के.के. शर्मा
अध्यक्ष
(डीआईएन: 03014947)

दिनांक : 21.09.2017
स्थान: नई दिल्ली

प्रपत्र संख्या एमआर-3 सचिवीय लेखाकार रिपोर्ट

31.03.2016 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (नियुक्ति एवं पारिश्रमिक कार्मिक) नियम 2014 की नियम संख्या 9 के अनुसार

प्रति,

सदस्य

एनर्जी एफिशियंसी सर्विसेज लिमिटेड

बौथी मंजिल, सेवा भवन आर के पुरम, नई दिल्ली -1100666

निगमन की तिथि: 10.12.2009

प्राधिकृत शेयर पूंजी : 5,000,000,000.0

भुगतानित शेयर पूंजी: 4,620,000,000.0

हमने एनर्जी एफिशियंसी सर्विसेज लिमिटेड (इसके बाद कंपनी के रूप में उल्लेखित) के लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन का सचिवीय लेखा परीक्षण किया है। सचिवीय लेखा परीक्षण इस तरह से किया गया है कि जो हमें कॉरपोरेट की गतिविधियों/सांविधिक अनुपालन के मूल्यांकन का तार्किक आधार देता है तथा मैं अब अपनी राय व्यक्त करता हूँ।

एनर्जी एफिशियंसी सर्विसेज लिमिटेड के बही खातों, दस्तावेजों, प्रपत्रों, कार्यालय दस्तावेजों तथा कंपनी के द्वारा रखे गये रिकॉर्ड और कंपनी, इसके अधिकारियों, एजेंटों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध करायी गयी जानकारी के सत्यापन के आधार पर, हम यह रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने 31 मार्च 2017 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया तथा कंपनी के पास अनुपालन व्यवस्था के लिए बोर्ड की समुचित प्रक्रिया है तथा अनुपालन के तरीके को उल्लिखित किया जाता है:

हमने 31 मार्च 2017 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए एनर्जी एफिशियंसी सर्विसेज लिमिटेड के बही खातों, दस्तावेजों, प्रपत्रों, कार्यालय दस्तावेजों, रिटर्न फाइल और कंपनी द्वारा रखे अन्य रिकॉर्डों की जांच निम्न प्रावधानों के तहत की :

- i. कंपनी अधिनियम, 2013 और इसके तहत बनाये गये नियमों के तहत
- ii. प्रतिभूति संविदा (नियामक) अधिनियम, 1956 (एससीआर) और इसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के तहत (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)।
- iii. डिपोजिटरी अधिनियम, 1996 और इसके अंतर्गत बनाये गये नियमों तथा उप नियमों के तहत (लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)।
- iv. विदेशी विनियम प्रबंधन अधिनियम, 1999 और इसके तहत बनाये गये नियमों तथा नियमकों जिसकी सीमा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तक है।

कंपनी ने वित्त वर्ष के दौरान विदेशों में प्रत्यक्ष निवेश किया और सभी लागू विदेशी विनियम प्रबंधन अधिनियम, 1999 और कंपनी अधिनियम, 2013 का पालन किया।

- v. भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) अधिनियम 1992 के निम्न नियमों और दिशानिर्देशों के अनुसार

क. सेबी (शेयरों और अधिग्रहण के प्राप्त अधिग्रहण) नियम, 2011 (लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)।

ख. भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग प्रतिबंध) नियम, 2015)।

ग. भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (पूजीगत और प्रकटीकरण आवश्यकताओं के मुद्दे) विनियमन 2009 (लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)।

घ. भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना और कर्मचारी स्टॉक क्रय योजना) दिशानिर्देश 1999 (लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)।

ङ. भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों के मुद्दे और सूचीबद्ध) विनियमन, 2008 (लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)।

च. कंपनी अधिनियम और ग्राहकों संबंधित भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (खास मुद्दे और शेयर हस्तांतरण एजेंटों के लिए रजिस्ट्रार) विनियमन 1993 (लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)।

छ. भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (इविटी शेयरों को गैर सूचीबद्ध करना) विनियमन, 2009 (लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)।

ज. भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड (प्रतिभूतियों की दोबारा खरीद) विनियमन, 1998 (लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)।

मैं/ हमने निम्न की लागू धाराओं के साथ अनुपालन की भी जांच की है:

- i. भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी किये गये सचिव मानक।
- ii. सूचीबद्धता समझौता स्टॉक एक्सचेंज के साथ कंपनी द्वारा दर्ज किया जाता है। यदि लागू हो (लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं क्योंकि डेट सिक्योरिटी बीएसई पर सूचीबद्ध हैं और कंपनी ने सेबी के सभी प्रावधानों (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकतायें) 2015 का पालन किया है।

समीक्षाधीन अवधि में कंपनी ने निम्नलिखित अवलोकनों के संबंध में उपरोक्त उल्लिखित विषय पर अधिनियम, नियम, विनियमन, दिशानिर्देश, मानक आदि के प्रावधानों का पालन किया:

1. कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(5) के प्रावधानों के अनुसार लेखा परीक्षा अवधि के दौरान स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति नहीं की।
2. कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों और अपने अनुच्छेद VII (कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 के साथ पठित) के अनुसार सीएसआर गतिविधियों की न्यूनतम राशि भी खर्च नहीं की।

हमारी आगे रिपोर्ट यह है कि :

कंपनी का निदेशक मंडल स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति के अलावा कार्यकारी निदेशकों और गैर कार्यकारी निदेशकों के बीच उचित संतुलन के साथ गठित है। निदेशक मंडल की संरचना में बदलाव, जो समीक्षाधीन अवधि के दौरान हुए थे, इन्हें अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किया गया था।

सभी निदेशकों को बोर्ड की बैठकों, कार्यसूची तथा कार्यसूची पर विस्तृत टिप्पणी अधिसूचित करने की पर्याप्त सूचना दी गयी है और कम से कम सात दिन पहले भेजा गया तथा बैठक से पहले कार्यसूची मदों पर अधिक जानकारी तथा स्पष्टीकरण मांगने और प्राप्त करने एवं बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए प्रणाली मौजूद है।

अधिकतर निर्णयों पर सहमति बन जाती है जबकि असहमत सदस्यों के विचार मिनट्स में रिकॉर्ड कर लिये जाते हैं।

हमारी आगे यह रिपोर्ट है कि संबंधित कानूनों, नियमों, नियामकों और दिशानिर्देशों की अनुपालन सुनिश्चित करने तथा उसकी निगरानी करने के लिए कंपनी के आकार तथा संचालन के अनुरूप पर्याप्त प्रणाली तथा प्रक्रियायें हैं।

आस्तिक त्रिपाठी एंड एसोसिएट के लिए
कंपनी सचिव

आस्तिक मणि त्रिपाठी
प्रोपराइटर
एफसीएस नंबर. 8670
सी पी नं. 10384

तारीख: 15.09.2017

स्थान: नई दिल्ली

आस्तिक त्रिपाठी एंड एसोसिएट कंपनी सचिव

यह रिपोर्ट उसी तिथि को हमारे पत्र के साथ पढ़ी जाये, जो इस रिपोर्ट के अनुलग्नक क में संलग्नी है और जो इस रिपोर्ट का महत्व पूर्ण हिस्सा है।

अनुलग्नक क

प्रति, सदस्य
एनर्जी एफिशियंसी सर्विसेज लिमिटेड
चौथी मंजिल, सेवा भवन आर के पुरम, नई दिल्ली –110066

हमारी रिपोर्ट इसी पत्र के साथ पढ़ी जाये।

1. सचिवीय रिकॉर्ड का रखरखाव कंपनी प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारे लेखा परीक्षण पर आधारित इन सचिवीय रिकॉर्डों पर राय व्यक्त करने की है।
2. सचिवीय रिकॉर्डों की सामग्री की सटीकता के बारे में तार्किक आश्वाहसन प्राप्त करने के लिए हमने समुचित लेखा परीक्षा अभ्यासों और प्रक्रियाओं को अपनाया।
3. परीक्षण आधार पर सत्यापन किया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सचिवीय रिकॉर्ड में सही तथ्य हैं। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा अपनायी गयी प्रक्रिया तथा तरीके हमारे मत निर्माण का आधार हैं।
4. हमने वित्तीय रिकॉर्ड और कंपनी के खातों की सत्यता और औचित्य का सत्यापन नहीं किया है।
5. जहां कभी आवश्यक हो, हमने कानूनों, नियमों, विनियमों तथा कार्यों आदि के अवसर के अनुपालन के बारे में प्रबंधन अभ्यावेदन प्राप्त किया।
6. कॉर्पोरेट के प्रावधानों और अन्य लागू कानूनों, विनियमों, मानकों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच प्रक्रिया के सत्यापन तक सीमित थी।

आस्तिक त्रिपाठी एंड एसोसिएट के लिए
कंपनी सचिव

आस्तिक मणि त्रिपाठी
प्रोपराइटर
एफसीएस नंबर.8670
सी पी नं. 10384

तारीख: 15.09.2017
स्थान: नई दिल्ली

वित्त वर्ष 2016-17 की सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर प्रबंधन के उत्तर

क्रम संख्या	लेखा परीक्षण की रिपोर्ट	प्रबंधन का उत्तर
1.	लेखा में प्रचार वीथी पर वित्तीय विवरण के नोट 1(सी) (10.6) की ओर ध्यान आकृष्टि किया जाता है। वित्त वर्ष 2016-2017 के दौरान कंपनी ने प्रचार पर 37.95 करोड़ रुपये खर्च किये, जिनमें से 20.98 करोड़ रुपये 'अन्य मौजूदा परिसंपत्ति' (वित्तीय विवरण के नोट-13 में) के शीर्षक से पूर्व में किये गये खर्च के मद में दिखाये गये। राजस्व का इस तरह का खर्च अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अमूर्त परिसंपत्तियों 38, के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। यह 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण पर पिछले लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में का भी विषय था।	ईईएसएल का लक्ष्य ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम (डीईएलपी/उजाला) के तहत वित्त वर्ष 2015-16 से शुरू अगले चार साल के दौरान पूरे देश में 77 करोड़ एलईडी बल्ब वितरित करने का है। प्रति एलईडी बल्ब की कीमत नियामक आयोग द्वारा तय की जाती है, जिसमें एलईडी बल्बों की प्राप्ति लागत, वितरण लागत एवं जागरूकता, इविटी पर रिटर्न तथा अन्य वित्तीय लागत एवं लागू होने वाले कर शामिल हैं। ईईएसएल ने आम लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रारंभिक चरण में राष्ट्रीय स्तर और राज्यों में डीईएलपी/उजाला कार्यक्रम के लिए जागरूकता पैदा करने एवं प्रचार करने पर अच्छी खासी रकम खर्च की। जागरूकता अभियान का खर्च नियामक आयोग द्वारा अनुमोदित है और यह कार्यक्रम की लागत का एक हिस्सा है। कार्यक्रम की अवधि के दौरान लक्षित सभी एलईडी बल्बों पर जागरूकता अभियान में लगे खर्च को वितरित करने की आवश्यकता है। वित्त वर्ष 2016-2017 की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक, जागरूकता अभियान का वही हिस्सा लाभ एवं हानि विवरण में शामिल किया गया है, जो वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान वितरित कुल एलईडी बल्बों की संख्या के अनुपात में है और शेष राशि को आने वाले वर्षों में उस साल वितरित बल्बों के अनुसार जोड़ा जायेगा। राजस्व। लेखा नीति में उपरोक्त व्यवहार का प्रकटीकरण किया गया है और वह अधोलिखित है: “राज्यों में डीईएलपी/उजाला कार्यक्रम के जागरूकता अभियान और प्रचार के मद में खर्च राशि लाभ एवं हानि विवरण के समानुपात में चालू वर्ष में संबंधित राज्यों में वितरण के लक्षित एलईडी बल्बों पर लगायी जाती है। शेष राशि को आने वाले वर्षों में उस साल वितरित बल्बों के अनुसार जोड़ा जायेगा। इसी तरह, डीईएलपी/उजाला कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय मीडिया अभियान के मद में खर्च हुई राशि चालू वित्त वर्ष में वितरित की गयी एलईडी बल्बों की संख्या के अनुपात में लाभ एवं हानि विवरण में शामिल है। शेष राशि को आने वाले वर्षों में उस साल वितरित बल्बों के अनुसार जोड़ा जायेगा।” उसी के अनुसार, वित्त वर्ष 2016-17 में प्रचार के मद में खर्च की गयी 37.95 करोड़ रुपये की राशि में से 20.98 करोड़ रुपये प्रीपेड व्यय के रूप में आगे ले जाये गये हैं। इसी कारण, जागरूकता अभियान के मद में खर्च व्यय को आगे के वर्ष मंड अग्रसारित करना व्यवस्था के तहत है।
2.	हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने विभिन्न पक्षों के साथ किये गये अलग अलग समझौते के तहत एलईडी आधारित सोलर लाइटिंग सिस्टम की आपूर्ति करने, उसे लगाने और उसे चालू करने के लिए जारी बिल के माध्यम से 1.48 करोड़ रुपये की राशि जुटायी लेकिन कंपनी ने आपूर्ति के समय मूल्य संवर्धित कर (वैट) की राशि उसमें नहीं जोड़ी और कंपनी ने सेवा प्रदान करने लिए किये गये करार के तहत सेवा कर भी नहीं लगाया, जो सेवा कर (मूल्य निर्धारण) नियम, 2006 के नियम 2ए (ii) के प्रतिकूल है। यह 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण पर पिछले लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में का भी विषय था।	ईईएसएल ऊर्जा दक्षता तथा सीडीएम परियोजनाओं, जिनमें कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व को लागू करना और परियोजनाओं की सततता के क्षेत्र में परामर्श सेवाएं प्रदान करता है। ईईएसएल पीएसयू को सीएसआर संबंधित गतिविधियों में निवेश का लक्ष्य हासिल करने में मदद करता है। इसमें किसी पीएसयू की ओर से ऊर्जा दक्षता उपकरणों जैसे एलईडी स्ट्रीट लाइटों, सौर वाटर पंप आदि लगाना शामिल है, जिसकी लागत पीएसयू द्वारा सीधे तौर पर वहन की जाती है। ईईएसएल सीएसआर परियोजना को लागू करते समय किसी उपकरण की बिक्री, खरीद का कार्य नहीं करती है। ईईएसएल सिर्फ अपने पीएसयू ग्राहक के लिए यह गतिविधि कर रही है। लेन देन के विषय में कानूनी स्थिति के अनुसार जो प्रभावी होने के दायरे में आते हैं, निम्न लिखित परीक्षणों को निर्दिष्ट किया गया है। • वस्तुएं चल होनी चाहिए अर्थात अचल संपत्ति वैट के दायरे से बाहर है। • इसमें वस्तुओं का हस्तांतरण, आपूर्ति या डिलीवरी होनी चाहिए। • वस्तुओं का भुगतान नगद, आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान सामग्री के जरिये किया जाना चाहिए। पीएसयू और ईईएसएल के बीच हस्ताक्षरित एमओयू में सीएसआर परियोजनाओं की संभावनायें परिलक्षित होती हैं। समझौते का प्रचालन भाग ईईएसएल को निम्नलिखित कार्य करने की जरूरत होती है:

		स्थापना के लिए जगह के चयन को लेकर परामर्श देना सीएसआर परियोजना के तहत आवश्यक उपकरणों की खरीद एवं स्थापना एक खास अवधि तक उन परियोजनाओं का रखरखाव सीएसआर परियोजनाओं के तहत निर्मित आधारभूत ढांचा ग्राहक पीएसयू की संपत्ति होता है। ईईएसएल को पीएसयू को दी गयी सेवा के लिए परामर्श शुल्क का भुगतान किया जाता है। आधारभूत ढांचा निर्माण से जुड़े सभी भुगतान ईईएसएल की प्रतिस्पर्धात्मक निविदाकरण प्रक्रिया के आधार पर ग्राहक पीएसयू द्वारा वास्तविक राशि की प्रतिपूर्ति की जाती है। ऐसी कोई खरीद नहीं है जो अपने संसाधनों का इस्तेमाल करके ईईएसएल द्वारा की गयी हो और फिर पीएसयू को हस्तांतरित की गयी हो।
		उपरोक्त के प्रकाश में, यह निष्कर्ष निकलता है कि ईईएसएल द्वारा वस्तुओं के स्थानान्तरण, आपूर्ति या प्रदायगी नहीं की गयी है। ग्राहक पीएसयू के लिए किया गया कार्य 'डिपोजिट कार्य' है और ईईएसएल एक लेनदेन सलाहकार और/या परियोजना प्रबंधन सलाहकार है। ग्राहक पीएसयू के लिए प्राप्त और स्थापित की गयी वस्तु पीएसयू की संपत्ति बनी रहती है। वस्तु का मूल्य ईईएसएल द्वारा प्राप्त नहीं किया जाता है लेकिन ग्राहक पीएसयू की ओर से ईईएसएल द्वारा आपूर्तिकर्ता को भुगतान किया जाता है। इसी कारण वे तीन परीक्षण जिन्हें वेट के दायरे का लेनदेन माना जा सकता है, वे इस मामले में लागू नहीं हैं और सीएसआर परियोजनाओं में वेट लागू नहीं है। यह ऐसे अनेक कार्यों के समान है जो विभिन्न संस्थानों द्वारा सरकार या उनकी एजेंसियों की ओर से किये जाते हैं। उपरोक्त से यह निष्कर्ष निकलता है कि ईईएसएल द्वारा उठाया गया कदम सही है।
3-	हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति नहीं की, जो कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति एवं योग्यता) नियमावली 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(4) और (5) का उल्लंघन है।	विद्युत मंत्रालय के निर्देशानुसार, प्रवर्तक कंपनियों से अपने एक स्वतंत्र निदेशक को ईईएसएल बोर्ड में निदेशक के रूप में नामित करने का आग्रह किया गया है। पीएसएल ने यह सूचना दी है कि उनके बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं है। एनटीपीसी ने अपने निदेशक मंडल में शामिल स्वतंत्र निदेशकों की सूची साझा की है। यह मामला अभी मंत्रालय में लंबित है।

अनुलग्नक-4

वित्त वर्ष 2016-17 की सचिवीय लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर प्रबंधन के उत्तर

क्रम संख्या	लेखा परीक्षण की रिपोर्ट	प्रबंधन का उत्तर
1.	कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013, की धारा 135 और इसके अनुच्छेद VII कंपनी नियम, 2014 (कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी नीति) के साथ पढ़ा जाये, के प्रावधानों के तहत सीएसआर गतिविधियों पर न्यूनतम राशि खर्च नहीं की।	वित्त वर्ष 2016-17 के लिए ईईएसएल के निदेशक मंडल की बैठक में 44.33 करोड़ रुपये के सीएसआर बजट का आवंटन किया। इस संदर्भ में, कई विकल्प तलाशे गये कि किस मद में इस बजट को खर्च किया जाये ताकि इसके उद्देश्य की पूर्ति हो। इसी बीच उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के जगदेई ग्राम पंचायत से घरों के अंदर शौचालय बनवाने के लिए एक आग्रह पत्र प्राप्त हुआ और इस परियोजना पर भारत के माननीय प्रधान मंत्री द्वारा शुरू किये गये स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत हमारी सीएसआर गतिविधि के रूप में काम किया जा सकता है। हम पौड़ी गढ़वाल जिले में किए गए "बेस लाइन अध्ययन" प्राप्त करने की प्रक्रिया में हैं ताकि ऊपर बताए अनुसार शौचालयों के निर्माण के लिए अधिकतम वंचित परिवारों की पहचान की जा सके। चूंकि, पौड़ी गढ़वाल एसएलएनपी कार्यक्रम और उजाला कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे परियोजना क्षेत्र में से एक है, सीआरआर के अनुच्छेद 2.3 का अनुपालन किया गया है। इसलिए, यह परियोजना हमारी सीएसआर गतिविधि के रूप में की जाएगी। हम वित्त वर्ष 2016-17 के लिए आवंटित सीएसआर निधि का उपयोग करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं।
2.	कंपनी ने वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (5) के अनुसार स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति नहीं की।	विद्युत मंत्रालय के निर्देशानुसार, प्रवर्तक कंपनियों से अपने एक स्वतंत्र निदेशक को ईईएसएल बोर्ड में निदेशक के रूप में नामित करने का आग्रह किया गया है। पीएसएल ने यह सूचना दी है कि उनके बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं है। एनटीपीसी ने अपने निदेशक मंडल में शामिल स्वतंत्र निदेशकों की सूची साझा की है। यह मामला अभी मंत्रालय में लंबित है।



सं/ MAB-III/Rep./01-53/A/cs-EESL/2017-18/ 793

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग

कार्यालय प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा

एवं पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड-III

नई दिल्ली

INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT

Office of the Principal Director of Commercial Audit

& Ex-Officio Member, Audit Board-III

New Delhi

Dated: 14/9/2017

सेवा में

प्रबंध निदेशक,

एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड,

नोएडा

विषय:- 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिये एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के वार्षिक लेखाओं पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(b) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ।

महोदय,

मैं एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लेखाओं पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(b) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ अग्रेषित कर रही हूँ। कृपया इस पत्र की संलग्नकों सहित प्राप्ति की पावती भेजी जाए।

संलग्न: यथोपरि

भवदीया,

रितिका

(रितिका भाटिया)

प्रधान निदेशक

31 मार्च 2017 को समाप्त वित्त वर्ष के वित्तीय विवरण पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (बी) के तहत कैग की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 के नियमों के तहत उल्लिखित वित्तीय रिपोर्टिंग के ढांचे के मुताबिक 31 मार्च 2017 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए ईईएसएल का वित्तीय विवरण को तैयार करना कंपनी प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139(5) के तहत कैग द्वारा नियुक्ति सांविधिक लेखाकार अधिनियम की धारा 143 के अनुसार अधिनियम की धारा 143 में उल्लिखित लेखा मानकों के मुताबिक स्वतंत्र लेखा परीक्षण कर वित्तीय विवरण पर अपनी राय व्यक्त करने के प्रति जिम्मेदार है। 30 मई 2017 को जारी उनकी लेखा रिपोर्ट से उनके द्वारा ऐसा किये जाने का उल्लेख है।

मैंने, कैग की ओर से अधिनियम 143(6) के तहत 31 मार्च 2017 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए ईईएसएल के वित्तीय विवरण का पूरक लेखा परीक्षण किया है। यह पूरक लेखा परीक्षण सांविधिक लेखाकारों के कार्य दस्तावेजों तक पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से तैयार किये गये हैं और सांविधिक लेखाकारों और कंपनी के किसी कार्मिक की पूछताछ तथा कुछ लेख रिकॉर्डों की जांच तक सीमित है। मेरे लेखा परीक्षण के आधार पर कोई महत्वपूर्ण चीज मेरे ज्ञान में नहीं आयी है, जो किसी टिप्पणी के लायक हो या सांविधिक लेखाकारों की रिपोर्ट के पूरक हो।

कैग के लिए उनकी ओर से
रितिका भाटिया
प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षण
ऑडिट बोर्ड III की पूर्व अधिकारी सदस्य
नई दिल्ली

तारीख: 14 सितंबर 2017

स्थान: नई दिल्ली



No.: MAB-III/Rep./26-12/CFS-EESL/2017-18/791

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग
कार्यालय प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा
एवं पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड-III
नई दिल्ली

INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT
Office of the Principal Director of Commercial Audit
& Ex-Officio Member, Audit Board-III
New Delhi

Dated: 14/9/2017

सेवा में

प्रबंध निदेशक,
एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड,
नोएडा

विषय: 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिये एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरण (Consolidated Financial Statements) पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(b) एवं धारा 129(4) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ।

महोदय,

मैं एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरण (Consolidated Financial Statements) पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(b) एवं धारा 129(4) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ अग्रेषित कर रही हूँ। कृपया इस पत्र की संलग्नकों सहित प्राप्ति की पावती भेजी जाए।

संलग्न: यथोपरि

भवदीया,

रितिका

(रितिका भाटिया)
प्रधान निदेशक

छठा एवं सातवाँ तल, सी.ए.जी. भवन एनेक्सी, 10, बहादुरशाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली-110002
6th & 7th Floor, C.A.G. Building Annexe, 10, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi-110002
Tel. : 011-23239213, 23239235 Fax : 011-23239211 Email : mabnewdelhi3@cag.gov.in

31 मार्च 2017 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए ईईएसएल के समेकित वित्तीय विवरण पर महालेखा एवं नियंत्रण परीक्षक की, धारा 143 (6)(बी), कंपनी अधिनियम, 2013, की धारा 129(4) के साथ पठित, के तहत टिप्पणियां।

31 मार्च 2017 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए ईईएसएल के समेकित वित्तीय विवरण को कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत उल्लिखित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार तैयार करने की जिम्मेदारी कंपनी प्रबंधन की है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा धारा 139(5), अधिनियम की धारा 129(4) के तहत नियुक्त सांविधिक लेखाकार धारा 143, अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित, के तहत अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत उल्लिखित लेखा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा के आधार पर वित्तीय विवरण पर टिप्पणी करने के लिए जिम्मेदार हैं। उनकी चार अगस्त 2017 की लेखा रिपोर्ट में ऐसा करने का उल्लेख है।

मैंने, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की तरफ से, धारा 143(6), अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित के तहत 31 मार्च 2017 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए ईईएसएल के समेकित वित्तीय विवरण का पूरक लेखा परीक्षण किया है। हमने ईईएसएल के वित्तीय विवरण का पूरक लेखा परीक्षण किया। विदेश में गठित होने के कारण ईईएसएल एनर्जी प्रो एसेस्ट लिमिटेड पर पूरक लेखा परीक्षण कराने के लिए सांविधिक लेखाकारों की नियुक्ति, अधिनियम की धारा 139(5) और 143(6)(बी) लागू नहीं है। तदनुसार, कैंग ने न ही इस कंपनी के लिए सांविधिक लेखाकार की नियुक्ति की और न ही पूरक लेखा परीक्षण किया। यह पूरक लेखा परीक्षण सांविधिक लेखाकारों के दस्तावेजों को लिये बगैर स्वतंत्र रूप से किया गया, और यह सांविधिक लेखाकारों और कंपनी कर्मचारियों और कुछ लेखा रिकॉर्ड की जांच तक सीमित है।

हमारे लेखापरीक्षण के अनुसार, कुछ भी ऐसा खास हमारे ज्ञान में नहीं आया, जिससे सांविधिक लेखाकार की रिपोर्ट पर पूरक लेखा परीक्षण करने या टिप्पणी करने की जरूरत हो।

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लिए उनकी तरफ से

रितिका भाटिया

प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट

उद्योग संरचना और विकास

2010 में 'उन्नत ऊर्जा दक्षता हेतु राष्ट्रीय मिशन (एनएमईईईई) भारत सरकार की एक नीति में संकेत किया गया कि ऊर्जा दक्षता और संरक्षण (ईई एंड सी) के लिए निवेश की संभाव्यता हेतु 75,000 करोड़ रुपये का प्रावधान है, जिसमें से ऊर्जा सघन उद्योगों में 30,000 करोड़ रुपये की संभाव्यता मौजूद है और शेष 44,000 करोड़ रुपये अन्य मुख्य मांग पक्ष के आर्थिक क्षेत्रों के लिए है। विश्वा बैंक की 2016 में जारी रिपोर्ट ने संकेत दिये कि भारत का ऊर्जा दक्षता बाजार 1.6 लाख करोड़ रुपये का है। नवीनीकृत डिमांड साइड मैनेजमेंट (डीएसएम) बाजार की संभावना 178 अरब किलोवाट प्रति वर्ष ऊर्जा बचत का अनुमान है।

अब तक समग्र बाजार के 10 प्रतिशत से कम हिस्से को एस्को विधि द्वारा मुख्य रूप लाइटिंग तथा कुछ औद्योगिक अनुप्रयोगों के क्षेत्रों में उपयोग किया गया है। बड़े पैमाने के विकास पर अनेक महत्वपूर्ण विनियामक, संस्थागत और निधिकरण बाधाओं से रुकावट है। ईईएसएल ने भारत के एक व्यावहारिक एस्को उद्योग के विकास की व्यवस्था की है।

पिछले एक वर्ष में ईईएसएल घरेलू तथा स्ट्रीट लाइटिंग क्षेत्रों में बड़े पैमाने के कार्यक्रमों को लागू करने में सक्षम रहा है। ईईएसएल द्वारा अपनाई गई मांग सघन कार्य नीतियों ने इन पूंजी सघन प्रौद्योगिकियों की लागत में कमी के लिए एक मुख्य भूमिका निभाई है। घरेलू एलईडी की लागत 75 प्रतिशत से भी अधिक घट गई है। इस लागत की कमी से पुनः भारत में एस्को बाजार की व्यवहारिकता प्रदर्शित होती है।

ईईएसएल ने मानक प्रस्ताव कार्यक्रम, ऑन बिल निधिकरण तथा विक्रेता निधिकरण सहित नए और नवाचारी एस्को मॉडल भी प्रदर्शित किए हैं। इन मॉडलों की सफलता और उभरने से भारत में एस्को उद्योग को और भी मजबूती मिली है।

आउटलुक

भारत में एस्को उद्योग सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। लागत की कमी से ईईएसएल द्वारा अपनाई गई सघन कार्यनीतियों में योगदान मिला है और इसके व्यापार मॉडल की सफलता से आने वाले वर्षों में ईईएसएल के लिए एक सकारात्मक नज़रिया बना है।

पिछले वर्ष सफलता और निवेश से प्रेरणा लेकर ईईएसएल ने अपने उजाला कार्यक्रम के जरिए लगभग 77 करोड़ घरेलू एलईडी और अपने स्ट्रीट लाइटिंग कार्यक्रम के जरिए 1.34 करोड़ ऊर्जा दक्ष स्ट्रीट लाइट की स्थापना की संकल्पना की। यह ईईएसएल के लिए परियोजनाओं की पृष्ठभूमि बनाएगी। स्ट्रीट लाइट कार्यक्रम को उन राज्यों तक भी विस्तृत किया जायेगा, जो इसके दायरे में अभी नहीं हैं। उजाला के संदर्भ में, पंखे और ट्यूब लाइट की खरीद बढ़ाने का प्रयास किया जायेगा। इस वर्ष ईईएसएल इन कार्यक्रमों से अन्य प्रौद्योगिकियों तक सर्वोत्तम कार्यों को अपनाने का प्रयास करेगी जिसमें इलेक्ट्रिक वाहन, स्मार्ट मीटर आदि शामिल हैं। इसी तरह ईईएसएल माइक्रो ग्रीड आधारित सोलर पंप सेट, नगर निगम ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम, रूफ टॉप सोलर और इमारत ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम को मजबूत करेगा।

ईईएसएल के प्रस्तावित जीईएफ-6 परियोजना के अनुमोदन के बाद ईईएसएल बहु और द्विपक्षीय एजेंसियों के साथ ट्राइ जेनरेशन, इंडस्ट्रियल चिलर्स और स्मार्ट ग्रिड जैसे ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देगी।

ईईएसएल सुदृढीकरण

ईईएसएल ने ऊर्जा दक्षता और मांग पक्ष प्रबंधन परियोजनाओं के निष्पादन में आंतरिक विशेषज्ञता का विकास किया है। दल के पास ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकियों में प्रधान नवाचार का अपार ज्ञान है। पिछले कुछ वर्षों में ईईएसएल ने अपने मूल ग्राहक आधार – वितरण जनोपयोगिताएं और नगर निगम इकाइयों – के साथ उत्कृष्ट संबंधों का विकास किया है। इससे ईईएसएल के बीईईपी, उजाला, ट्यूबलाइट और ऊर्जा दक्ष पंखा कार्यक्रम को सहायता मिलेगी। वर्तमान में ईईएसएल के पास बहु और द्विपक्षीय एजेंसियों से सस्ते वित्त उपलब्धता के विकल्प उपलब्ध हैं। यह हमारे ग्राहकों को मूल्यवान और बेहतर लाभ पहुंचाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ईईएसएल कुछ ऐसे संगठनों में से एक है जिसने देश में बड़े पैमाने पर ऊर्जा दक्ष परियोजनाओं में सफल निष्पादन किया है।

ईईएसएल की दुर्बलताएं

ईईएसएल ने आने वाले भविष्य के लिए वृद्धि के लिए पूरी तैयारी प्रक्षेपित की है। पर्याप्त संसाधनों की उपलब्धता ईईएसएल के लिए एक बड़ी चुनौती है। ईईएसएल की वृद्धि को ऊर्जा देने के लिए वर्तमान इविटी आधार छोटा है। ईईएसएल को वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराने के प्रयास किये जायेंगे। प्रवक्तों को पब्लिक इश्यू से पहले इविटी में निवेश करने कहा जायेगा। ईईएसएल के विकास की संभावनाओं को देखते हुए, अनुभवी मानव संसाधन की कमी भी एक बड़ी दुर्बलता है। इसके लिए ईईएसएल ने सिलसिलेवार भर्ती शुरू कर दी है। वर्तमान में ईईएसएल का परियोजना पोर्टफोलियो लाइटिंग क्षेत्र में बहुत अधिक केंद्रित है। इसमें अन्य प्रौद्योगिकी श्रेणियों में विविधीकरण की आवश्यकता है।

अवसर

ईईएसएल के वितरण यूटिलिटीज के साथ उत्कृष्ट कार्य संबंध हैं। उनके पास ऊर्जा दक्षता और मांग पक्ष प्रबंधन से संबंधित नियमों और नीतियों की भी गहरी समझ है। बड़े पैमाने की ऊर्जा दक्ष लाइटिंग प्रौद्योगिकी में उनकी सफलता ने उन्हें अन्य ऊर्जा खपत करने वाली प्रौद्योगिकियों, विशेष रूप से पंखों और एयर कंडीशनरों के विकास और उन्हें लागू करने के लिए एक प्रमुख उम्मीदवार बनाया है।

ईईएसएल स्मार्ट ग्रिड, ट्राई-जेनरेशन और औद्योगिक चिलर्स सहित दूसरे अभिनव ईई प्रौद्योगिकियों के बड़े पैमाने पर तैनाती के लिए व्यावहारिक व्यवसाय मॉडल विकसित करने के लिए वित्त पोषण एजेंसियों के साथ भी काम कर सकता है।

विदेशों में अवसर

भारत में ईईएसएल की सफलता ने ईईएसएल के लिए दक्षिण एशिया के अन्य उभरते बाजारों विशेष रूप से बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल पर ध्यान देने का मार्ग प्रशस्त किया है। ईईएसएल का अंतर्राष्ट्रीय संचालन उन स्थानों पर केंद्रित होगा, जहां राजस्व अधिक रहेगा और लाभ

अधिक रहे। दक्षिण एशिया के अलावा, ब्रिटेन के बाजारों में एलईडी लाइट कारोबार को तेजी से बढ़ाया जायेगा। ईईएसएल ने ब्रिटेन में कार्यालय स्थापित किया है और 1 मिलियन के वर्तमान टर्नओवर के साथ काम शुरू कर दिया है। ईईएसएल बोर्ड ने अगले दो वर्षों में 150 मिलियन पाउंड की व्यावसायिक योजना को मंजूरी दे दी है और अगले वित्त वर्ष में यूके के कारोबार का टर्नओवर 100 मिलियन से अधिक होगा। इसके अलावा, ब्रिटेन में 40 मिलियन की एल ई डी परियोजना की पहचान की गई है।

उजाला को मलेशिया में लांच किया जायेगा। नेपाल से दो करोड़ एलईडी बल्ब का आर्डर मिला है और इन्हीं तरह की मांगों की पूर्ति थाईलैंड और वियतनाम में की जा रही है।

खतरे, जोखिम और चिंताएं

ईईएसएल ने ऊर्जा दक्ष लाइटिंग कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में मानक प्रस्ताव कार्यक्रम और ऑन बिल निधिकरण की सफलता उजागर की है। इससे यूटिलिटीज कंपनियों में ईईएसएल से स्वतंत्र रहकर अपने कार्यक्रमों के निष्पादन की रुचि बढ़ी है। पुनः ईईएसएल के लिए लागत ऋण के रखरखाव ईईएसएल और उनके उपभोक्ताओं, दोनों के लिए बेहतर लाभ सुनिश्चित करने के एक स्थाई स्तर पर किया जाना चाहिए। इन प्रौद्योगिकियों के तीव्र परियोजना से बाजार में कमी पैदा हो सकती है, क्योंकि आपूर्तिकर्ताओं की विनिर्माण क्षमता ईईएसएल की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं हो सकती है। इसके परिणामस्वरूप भविष्य में बाजार में सस्ते आयात और खराब गुणवत्ता के उत्पादों का वितरण बढ़ सकता है।

आंतरिक कंट्रोल सिस्टम और उनकी पर्याप्ता

कंपनी, उपयुक्त निगरानी प्रक्रियाओं सहित आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्त व्यवस्था रखती है, जो विभिन्न लेनदेन, संचालन की दक्षता और वैधानिक कानूनों, विनियमों और कंपनी नीतियों के अनुपालन के सटीक और समय पर वित्तीय रिपोर्टिंग सुनिश्चित करता है। एक समान अनुपालन के लिए बिजली के उचित प्रतिनिधिमंडल और लेखांकन के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि पर्याप्त चेक और बैलेंस जगह में हैं और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली क्रम में हैं, नियमित और संपूर्ण आंतरिक लेखा परीक्षा चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की अनुभवी कंपनियों द्वारा आंतरिक रूप से आयोजित की जाती है।

आंतरिक नियंत्रण के पूरक के लिए, ईईएसएल ने वित्त वर्ष 2017 में ईआरपी प्रणाली लागू की है।

मानव संसाधन/औद्योगिक संबंध में महत्वपूर्ण प्रगति

तेजी से बढ़ती परियोजना आवश्यकताओं, अर्थात् प्रभावी कार्यान्वयन, रखरखाव, गुणवत्ता आश्वासन और समय पर निष्पादन, को पूरा करने के लिए वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान खुले विज्ञापन के माध्यम से विभिन्न कैंडिडेट्स में 180 कर्मचारी नियुक्त किए गए। 31 मार्च, 2017 को कंपनी का कुल कार्यबल 329 है। अनुभवी और नये अधिकारी तथा कर्मचारियों का अद्वितीय मिश्रण, परियोजना निष्पादन क्षमताएं बढ़ाए हुए है।

वित्तीय प्रदर्शन पर चर्चा

वित्त वर्ष के दौरान, कंपनी ने परिचालन से राजस्व में 375.97 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी दर्ज की जो वित्त वर्ष 2016-17 के 774.89 करोड़ रुपये से बढ़कर 1,150.86 करोड़ रुपये हो गया। कर पूर्व लाभ वित्त वर्ष 2015-16 के 50.19 करोड़ रुपये से बढ़कर 2016-17 में 81.59 करोड़ रुपये हो गया। वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान कंपनी का शुद्ध लाभ 51.80 करोड़ रुपये रहा जो गत वित्त वर्ष से 14.72 करोड़ रुपये अधिक है। कंपनी की कुल कीमत 31 मार्च 2017 को 32.95 फीसदी बढ़कर 1417.63 करोड़ रुपये से 555.25 करोड़ रुपये हो गयी।

वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान चल परिसंपत्ति 419.18 करोड़ रुपये से बढ़कर 968.01 करोड़ रुपये हो गयी। परियोजनाओं के कार्यान्वयन में वृद्धि के कारण वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान चल परिसंपत्ति में वृद्धि हुई।

पर्यावरण सुरक्षा एवं संरक्षण

पिछले वित्त वर्ष यानी 2016-17 के अंत तक ईईएसएल द्वारा निष्पादित परियोजनाओं से प्रति वर्ष 30 अरब किलोवाट ऊर्जा प्रति वर्ष की बचत हुई, 6100 मेगावाट से अधिक की पीक डिमांड को कम किया गया और सालाना 2.40 करोड़ टन से अधिक कार्बन उत्सर्जन कम हुआ। भविष्य में अन्य परियोजनाओं की योजना है जिनसे ये आंकड़े और अधिक बढ़ेंगे।

ईईएसएल ने पारे और सीसे के प्रदूषण को रोकने के लिए परियोजनाओं के दौरान पुराने लाइटिंग भंडार को नष्ट करने में समुचित ध्यान दिया। यह भंडार बिजली नियामक आयोग और स्थानीय प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार नष्ट किया जाता है।

श्रेणीवार या उत्पादवार प्रदर्शन

वित्त वर्ष 2016-17 में, ईईएसएल ने 33 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में उजाला परियोजनाओं को शुरू किया। इन परियोजनाओं के माध्यम से ईईएसएल ने करीब नौ करोड़ उपभोक्ताओं को तकरीबन 23 करोड़ एलईडी बल्ब का वितरित किया। इसी तरह, 2016-17 में स्ट्रीट लाइट परियोजनाओं को 21 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में क्रियान्वित किया गया और मार्च 2017 तक करीब 20 लाख स्ट्रीट लाइट बदली गयी। ईईएसएल ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के निर्माण और उन्हें लागू करने के लिए सीपीडब्ल्यूडी, यूपीएससी और डीएमआरसी सहित कई सरकारी एजेंसियों के साथ काम कर रही है।

चेतावनी नोट

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण" खंड में कुछ वक्तव्य दूरदर्शी हैं और लागू कानूनों और विनियमों के अनुसार उद्धृत हैं। कई कारक वास्तविक परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं, जो भविष्य में प्रदर्शन और दृष्टिकोण के संदर्भ में प्रबंधन की कल्पना से अलग हो सकते हैं।

सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के सदस्यों को

एकल इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वित्तीय विवरण पर रिपोर्ट

हमने एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ('कंपनी') के एकल इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वित्तीय विवरण का लेखापरीक्षण किया है, जिसमें 31 मार्च 2017 तक की बैलेंस शीट, लाभ और हानि (अन्य व्यापक आय सहित), पूंजी प्रवाह विवरण और वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों और अन्य स्पष्टीकरण संबंधी जानकारी का सारांश (इसके बाद "एकल इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वित्तीय विवरण" के रूप में संदर्भित) शामिल है।

एकल वित्तीय परिणाम के लिए प्रबंधन का दायित्व

कंपनी का निदेशक मंडल वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन, सहित व्यापक आय, पूंजी प्रवाह और अधिनियम की धारा 133 के तहत उल्लिखित इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सहित आम तौर पर भारत में स्वीकार्य लेखा सिद्धांत के मुताबिक कंपनी के इक्विटी में परिवर्तन पर सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देने वाले एकल इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वित्तीय विवरण तैयार करने के संदर्भ में कंपनी अधिनियम, 2013, की धारा 134(5) में उल्लिखित बातों के लिए जिम्मेदार है।

इस जिम्मेदारी में कंपनी धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं की पहचान और रोकथाम और कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार समुचित लेखा रिकार्ड का रखरखाव उचित लेखा नीतियों का चयन और उनका क्रियान्वयन; तार्किक निर्णय और अनुमान लगाना और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, एकल इंडियन स्टैंडर्ड अकाउंटिंग वित्तीय विवरण तैयार करने और उसके प्रस्तुतिकरण से संबंधित लेखा विवरणों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और धोखाधड़ी या भूल से दिये गये गलत विवरण से मुक्त हैं।

लेखापरीक्षक का दायित्व

हमारी जिम्मेदारी हमारे लेखापरीक्षण के आधार पर एकल इंडियन स्टैंडर्ड अकाउंटिंग वित्तीय विवरण पर मत देने की है।

हमने अधिनियम के प्रावधानों, लेखा और लेखा परीक्षा मानकों और मामलों को ध्यान में रखा है, जिन्हें अधिनियम के प्रावधानों और इसके तहत बनाए गए नियमों के तहत ऑडिट रिपोर्ट में शामिल करना जरूरी है।

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट ऑडिटिंग के मानक के अनुसार लेखापरीक्षण किया। उन मानकों के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं और अनुपालन और अनुपालन के लिए उचित आश्वासन प्राप्त करें कि क्या एकल इंडियन स्टैंडर्ड अकाउंटिंग वित्तीय विवरण गलतियों से मुक्त है या नहीं।

ऑडिट में एकल इंडियन स्टैंडर्ड अकाउंटिंग वित्तीय विवरण में उल्लिखित राशि और खुलासों के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य और प्रकटीकरण प्राप्त करने की प्रक्रियाएं शामिल हैं। चयनित प्रक्रियाएं, लेखा परीक्षक के फैसले पर निर्भर करती हैं, जिसमें एकल इंडियन स्टैंडर्ड अकाउंटिंग वित्तीय विवरण भौतिक गलतफहमी के जोखिम के आकलन शामिल हैं, चाहे वह धोखाधड़ी के कारण हो या त्रुटि के। उन जोखिम आकलनों को बनाने में, लेखा परीक्षक आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को समझता है। कंपनी के एकल इंडियन स्टैंडर्ड अकाउंटिंग वित्तीय विवरण की तैयारी के लिए जो परिस्थितियों में उपयुक्त ऑडिट प्रक्रिया तैयार करने के लिए एक सच्चे और निष्पक्ष दृश्य देते हैं। एक लेखापरीक्षण में शामिल लेखा नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन और कंपनी के निदेशकों द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों की समरूपता के साथ-साथ एकल इंडियन स्टैंडर्ड अकाउंटिंग वित्तीय विवरण की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल है।

हमारा मानना है कि हमें प्राप्त लेखा साक्ष्य पर्याप्त हैं और ये एकल इंडियन स्टैंडर्ड अकाउंटिंग वित्तीय विवरण पर हमारी योग्य लेखा-परीक्षा राय को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

योग्य राय का आधार

1. विज्ञापन व्यय के बारे में वित्तीय विवरण के नोट 1 (सी) (9.6) में ध्यान आकर्षित किया गया है। 2016-17 के वित्त वर्ष के दौरान, कंपनी ने विज्ञापन पर 37.95 करोड़ रुपये की राशि व्यय की जिसमें से 20.98 करोड़ रुपये पूर्व खर्च के रूप में स्थगित कर दिये गये हैं, जो "अन्य चालू परिसंपत्तियां" (नोट -13 वित्तीय विवरणों) के तहत दिखाए गए हैं। राजस्व का इस तरह व्यय एकल इंडियन स्टैंडर्ड अकाउंटिंग वित्तीय विवरण 38 "अमूर्त संपत्ति" के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। यह 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के वित्तीय वक्तव्यों पर पिछले लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में योग्यता का विषय था।
2. हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने पीएफसी से समझौते के तहत "एलआईडी आधारित सौर प्रकाश व्यवस्था" की समग्र आपूर्ति, स्थापना और कमीशन के लिए 1.48 करोड़ रुपये का बिल बनाया है लेकिन कंपनी ने मूल्य संवर्धित कर (जिन राज्यों में इसका निष्पादन किया गया, वहां लागू होने वाले कानूनों के तहत निर्दिष्ट दर) आपूर्ति पर नहीं लिया और सेवा अनुबंध सेवाओं के तहत सेवा कर भी नहीं लिया जो सेवा कर (मूल्य निर्धारण) नियम, 2006 के नियम 2 ए (ii) का उल्लंघन है। यह 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के वित्तीय वक्तव्यों पर पिछले लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में योग्यता का विषय था।
3. हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नहीं की, जो अधिनियम की धारा 149(4) और(5), कंपनी नियम (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता), 2014 के साथ पठित, का उल्लंघन है।

योग्य राय

हमारी राय में और हमारी जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के मुताबिक, ऊपर दिए गए योग्य पैराग्राफ के आधार पर 1 से 3 पैराग्राफ में वर्णित मामले के प्रभावों को छोड़कर, उपरोक्त एकल इंडियन स्टैंडर्ड अकाउंटिंग वित्तीय विवरण अधिनियम के अनुसार 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय सहित इसके वित्तीय प्रदर्शन, इसके नकदी प्रवाह और इक्विटी में परिवर्तन की

जरूरी सूचना और इंडियन स्टैंडर्ड अकाउंटिंग वित्तीय विवरण समेत भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सही और निष्पक्ष राय देते हैं।

अन्य मामले

- i. इस एकल इंडियन स्टैंडर्ड अकाउंटिंग वित्तीय विवरण में शामिल 31 मार्च 2016 को समाप्त वित्त वर्ष की कंपनी की तुलनात्मक वित्तीय जानकारी और 1 अप्रैल 2015 तक संक्रमण दिनांक की बैलेंस शीट, पूर्व में जारी वैधानिक वित्तीय वक्तव्य पर आधारित है, जो कंपनी नियम (अकाउंटिंग स्टैंडर्ड), 2006 के अनुसार, पहले जारी किए गए पूर्ववर्ती लेखापरीक्षकों द्वारा ऑडिट है, जिनकी 31 मार्च 2016 और 31 मार्च 2015 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए क्रमशः 16 सितंबर 2016 और 3 जुलाई 2015 की रिपोर्ट में एकल इंडियन स्टैंडर्ड अकाउंटिंग के अपनाने से लेखा सिद्धांतों में आये अंतर को लेकर है, जिसका लेखापरीक्षण हमने किया।

अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत जरूरी, अनुलग्नक 1 में, हम ऑडिट के तरीके, उस पर उठाये गये कदम और वित्तीय परिणाम पर इसके प्रभाव के संकलन के बाद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी दिशानिर्देशों पर एक संशोधित बयान देते हैं।
2. अधिनियम की धारा 143 (11) के अनुसार भारत सरकार द्वारा जारी की गई कंपनी (लेखा परीक्षक की लेखा) आदेश, 2016 ("ऑर्डर") तहत जरूरी, हम संलग्नक ए आदेश के अनुच्छेद-3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों के संदर्भ में एक बयान देते हैं।
3. अधिनियम की धारा 143 (3) के अनुसार आवश्यक, हम यह रिपोर्ट करते हैं कि:
 - (क) हमने उपरोक्त योग्य राय के आधार के 1 से 3 के पैराग्राफ में वर्णित मामले को छोड़कर सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जो हमारे ज्ञान और मान्यता के अनुसार लेखा परीक्षण के लिए आवश्यक थे।
 - (ख) हमारे विचार में, उपरोक्त योग्य राय के आधार में वर्णित मामलों के प्रभाव के अलावा, कानूनन जरूरी अकाउंट बुक कंपनी द्वारा रखी गयी है जैसा कि उन अकाउंट बुक की हमारी जांच से प्रकट होता है और जिन शाखाओं में हम नहीं गये वहां से ऑडिट के प्रयोजन के लिए उचित रिकॉर्ड प्राप्त हुए हैं;
 - (ग) बैलेंस शीट, लाभ और हानि का बयान, नकदी प्रवाह का बयान और इस रिपोर्ट के साथ निपटाए गए इक्विटी में परिवर्तन अकाउंट बुक के अनुसार हैं;
 - (घ) हमारी राय में, उपरोक्त योग्य राय के आधार पैराग्राफ के आधार में वर्णित मामलों के प्रभाव के अलावा, पूर्व उल्लिखित एकल इंडियन स्टैंडर्ड अकाउंटिंग वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं;
 - (ङ) निदेशक मंडल से 31 मार्च 2017 को प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के आधार पर, 31 मार्च 2017 को किसी भी निदेशक को धारा 164, और इसके तहत जारी प्रासंगिक नियमों के साथ पठित, के तहत निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने से अयोग्य घोषित नहीं किया गया।
 - (च) कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्त और इस तरह के नियंत्रणों के संचालन प्रभावशीलता के संबंध में "संलग्नक बी" में हमारी अलग रिपोर्ट को देखें; तथा
 - (छ) कंपनी नियम, (ऑडिट और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार, ऑडिटर की रिपोर्ट में अन्य मामले शामिल करने के संबंध में, हमारी जानकारी के अनुसार और दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार हमारी राय है :
 - i. कंपनी ने एकल इंडियन स्टैंडर्ड अकाउंटिंग वित्तीय विवरण में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा किया है;
 - ii. कंपनी के पास डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स सहित कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं है जिसके लिए निकट भविष्य में कोई नुकसान होने वाला हो।
 - iii. कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में कोई स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं है; तथा
 - iv. कंपनी ने 8 नवंबर, 2016 से 30 दिसंबर, 2016 की अवधि के दौरान निर्दिष्ट बैंक नोटों में किये गये सौदे के साथ ही होल्डिंग के बारे में वित्तीय विवरण में अपेक्षित जानकारी दी। हालांकि, हम इन खुलासों के बारे में पर्याप्त और उपयुक्त के प्रमाण प्राप्त करने में असमर्थ हैं कि ये खुलासे प्रबंधन द्वारा हमें दिये गये कंपनी के अकाउंट बुक के अनुसार हैं या नहीं – रेफर एकल इंडियन स्टैंडर्ड अकाउंटिंग वित्तीय विवरण नोट 45।

वीपीजीएस एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म
पंजीकरण संख्या : 507971सी

गुरुकृपाल सिंह बेदी
पार्टनर
मैबरशिप नंबर : 090637

स्थान: नोएडा
तारीख: 30 मई 2017

सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक 1

(पैराग्राफ में संदर्भित)

क्रम संख्या	विवरण/निर्देश	लेखा परीक्षक के उत्तर	उठाये गये कदम और वित्तीय विवरण तथा लेखा पर प्रभाव
1.	क्या कंपनी के पास फ्रीहोल्ड और लीजहोल्ड भूमि का टाइटल/लीज दस्तावेज है? अगर नहीं, तो कृपया, उस क्षेत्र का उल्लेख करें जिसके फ्रीहोल्डर और लीज होल्ड के लिए टाइटल/लीज दस्तावेज उपलब्ध नहीं है।	वित्त वर्ष के दौरान कंपनी ने कोई भी भूमि नहीं खरीदी।	शून्य
2.	क्या ऋण/कर्ज/ब्याज आदि की माफी का कोई मामला है ? अगर हां, तो इसकी वजह और मामले में शामिल राशि का उल्लेख करें।	वित्त वर्ष के दौरान कंपनी ने किसी भी ऋण/कर्ज/ब्याज आदि को माफ नहीं किया।	शून्य
3.	क्या थर्ड पार्टी के पास पड़े भंडार और सरकार या किसी भी प्रशासन से उपहार के रूप में प्राप्त परिसंपत्ति का समुचित रिकॉर्ड रखा गया है ?	कंपनी ने थर्ड पार्टी (उप ठेकेदार) के पास पड़े भंडार का समुचित रिकॉर्ड रखा है। कंपनी ने सरकार या किसी भी प्रशासन से उपहार के रूप में कोई भी परिसंपत्ति प्राप्त नहीं की है।	शून्य

स्थान: नोएडा

तारीख: 30 मई 2017

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक-ए

31 मार्च 2017 को समाप्त वित्त वर्ष के एकल इंडियन स्टैंडर्ड अकाउंटिंग वित्तीय विवरण पर कंपनी के सदस्यों को सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में निर्दिष्ट अनुलग्नक, हम यह रिपोर्ट करते हैं कि:

(i) (क) कंपनी ने उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है जिसमें, परियोजना उपकरणों और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस (सीडब्ल्यूआईपी) को छोड़कर मात्रात्मक विवरण और अचल संपत्तियों की स्थिति सहित पूर्ण विवरण है। हमारी राय में, मात्रात्मक विवरण और परियोजना उपकरण और सीडब्ल्यूआईपी की स्थिति का भी समुचित रिकॉर्ड बनाए रखना चाहिए।

(ख) हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, परियोजना उपकरणों को छोड़कर अपनी अचल संपत्तियों के भौतिक सत्यापन का एक नियमित कार्यक्रम है जिसके लिए सत्यापन केवल समय के दौरान किया जाता है। हमारी राय में, परियोजना उपकरणों का सत्यापन उचित अंतराल पर किया जाना चाहिए। प्रबंधन के अनुसार अचल संपत्तियों के भौतिक सत्यापन पर कोई भौतिक विसंगतियां नहीं देखी गईं।

(ग) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरण तथा कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के अनुसार अचल परिसंपत्ति की टाइटल डीड कंपनी के नाम पर है।

(ii) (क) कंपनी ने वर्ष की समाप्ति पर भंडार का भौतिक सत्यापन किया है। हमारी राय में तार्किक अंतराल पर भंडार के सत्यापन का कोई तरीका होना चाहिए और भौतिक सत्यापन की प्रणाली को भी मजबूत करने की जरूरत है तथा इसका विस्तार कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के लिए रखे भंडार तक होना चाहिए।

(ख) हमें दी गयी सूचना और जानकारी के अनुसार, भंडार के भौतिक सत्यापन और कंपनी के रिकॉर्ड के उल्लिखित भंडार के तुलनात्मक अध्ययन में पायी गयी विसंगतियों पर समुचित कार्रवाई हुई है और ये महत्वपूर्ण नहीं है।

(iii) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के तहत बनाये गये रजिस्टर में कवर एक व्यक्ति को कंपनी ने ऋण दिया है।

(क) इस प्रकार के ऋण के मंजूरी की शर्तें कंपनी के हितों के प्रतिकूल नहीं हैं।

(ख) मूल राशि और ब्याज के भुगतान की सारणी निर्धारित है और इनकी रसीद नियमित है।

(ग) इस प्रकार के ऋण संबंधित कोई राशि बकाया नहीं है।

(iv) ऋण और निवेश के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 की अनुपालना हुई है।

(v) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 और 76 या किसी अन्य संबंधित प्रावधानों तथा इसके तहत बनाये गये नियमों के अनुसार कंपनी ने आम लोगों से कोई भी जमा राशि स्वीकार नहीं की है।

(vi) केंद्र सरकार ने कंपनी अधिनियम की धारा 148(1) के तहत कंपनी के किसी भी प्रचालन के लागत के रिकॉर्डों के रखरखाव का जिक्र नहीं किया है।

(vii) (क) सांविधिक बकाया से संबंधित हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार: कंपनी स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की योग्य राय पैराग्राफ के आधार से संबंधित मामलों के अलावा गैर विवादित सांविधिक बकायों जैसे भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, शिक्षा, संरक्षा कोष, संपत्ति कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क/सेस और अन्य सांविधिक बकायों को नियमित रूप से जमा करा रही है।

हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, देय होने के छह माह से अधिक की कोई निर्विवादित राशि 31 मार्च 2017 को भविष्य निधि, मूल्य संबद्धित कर, बिक्री कर, आयकर, सीमा शुल्क, संपत्ति कर, उत्पाद शुल्क और सेस के संबंध में बकाया नहीं थी।

(ख) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, निम्न लिखित के अलावा बिक्री कर, आयकर, सीमा शुल्क, संपत्ति कर, उत्पाद शुल्क और सेस का कोई बकाया ऐसा नहीं है, जिसे उचित प्राधिकरण के पास जमा न किया गया हो :

कानून का नाम	बकाये का प्रकार	अवधि (वित्त वर्ष)	राशि (करोड़ में)	फोरम में लंबित
आंध्रप्रदेश वैट अधिनियम, 2005	मूल्य संवर्द्धित कर (वैट) जुर्माना	37.04* 34.79	F.Y 2015-16 F.Y 2015-16	बिक्री कर अपीलीय न्यायाधिकरण, आंध्रप्रदेश

*विरोध के तहत जमा और वसूली योग्य के रूप में प्रदर्शित।

- (viii) हमारी राय और हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरण के मुताबिक, कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी भी वित्तीय संस्थान, बैंक, सरकार और डिबेंचर धारक के ऋण या उधारी के भुगतान में कोई चूक नहीं की है।
- (ix) हमारी राय और हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान सावधि ऋण के तहत जुटायी गयी राशि कंपनी ने उसी उद्देश्य की पूर्ति में खर्च की, जिसके लिए वह ली गयी थी।
- (x) हमारी राय और हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, लेखा परीक्षण के दौरान कंपनी में या कंपनी के द्वारा कोई भी धोखाधड़ी नोटिस नहीं की गयी या रिपोर्ट नहीं की गयी।
- (xi) हमारी राय और हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरण और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी द्वारा की गयी जांच के अनुसार, कंपनी की अनुसूची पांच की धारा 197 के प्रावधानों के तहत आवश्यक अनुमोदन के अनुसार प्रबंधकों के पारिश्रमिक का भुगतान किया गया।
- (xii) हमारी राय और हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी निधि कंपनी नहीं है। इसी कारण, कंपनी (ऑडिटर रिपोर्ट) ऑर्डर, 2016 की धारा 3(ii) कंपनी पर लागू नहीं है।
- (xiii) हमारी राय और हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरण तथा कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी द्वारा की गयी जांच के अनुसार कंपनी संबंधित पक्षों के साथ सभी लेनदेन कंपनी अधिनियम की जहां लागू है, वहां 177 और 188 के अनुसार किये गये और लागू लेखा मानकों के अनुसार इन लेनदेन का खुलासा इंडिया स्टैंडर्ड अकाउंट वित्तीय विवरण में किया गया है।
- (xiv) हमारी राय और हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरण तथा कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी द्वारा की गयी जांच के अनुसार कंपनी ने एनटीपीसी, पीएफसी, और आरईसी को 10 रुपये के मूल्य के 29.7 करोड़ इक्विटी शेयर दिये जिनका कुल योग 29.7 करोड़ रुपये है। और साथ ही कंपनी ने वर्ष के दौरान 500 करोड़ रुपये की सुरक्षित, प्रतिदेय, गैर परिवर्तनीय डिबेंचरों की भी निजी प्लेसमेंट की।
- (xv) हमारी राय और हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरण तथा कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी द्वारा की गयी जांच के अनुसार कंपनी ने, कंपनी के निदेशकों और उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर नकदी लेनदेन नहीं किया। इसी कारण, कंपनी (ऑडिटर रिपोर्ट) ऑर्डर, 2016 की धारा 3(xv) कंपनी पर लागू नहीं है।
- (xvi) कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के की धारा 45-1ए के तहत पंजीकृत कराने की आवश्यकता नहीं है।

वीपीजीएस एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन 507971सी

गुरुकृपाल सिंह बेदी
(पार्टनर)
एम नंबर : 0906377

स्थान : नोएडा

तारीख : 30 मई 2017

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक – बी

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप धारा 3 के अनुच्छेद (1) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की रिपोर्ट

हमने 31 मार्च 2017 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरण के लेखा परीक्षण के साथ समान तिथि में एनर्जी एफिशियंसी सर्विसेज लिमिटेड के वित्तीय रिकॉर्ड पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का भी लेखा परीक्षण किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन का दायित्व

कंपनी प्रबंधन का दायित्व, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ('आईसीएआई') द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्ट पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल हैं, जो कंपनी के नीतियों के अनुपालन, परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने के लिए हैं तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत जरूरी समयानुसार विश्वसनीय और पूर्ण लेखा रिपोर्ट तैयार करना है।

लेखापरीक्षक का दायित्व

हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखा-परीक्षा पर आधारित वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर राय व्यक्त करना है। हमने आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग ('गाइडेंस नोट') और ऑडिटिंग के मानकों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट के अनुसार लेखापरीक्षण किया और कंपनी अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित किया जाना माना गया। 2013, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की एक लेखा परीक्षा के लिए लागू सीमा तक, दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू होते हैं और दोनों आईसीएआई द्वारा जारी किए गए हैं। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं और अनुपालन और लेखा परीक्षा का पालन करें ताकि वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित हो सकें और उसे बनाया रखा जा सके और यदि इस तरह के नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में कारगर ढंग से संचालित हों तो इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करें।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग और उनकी संचालन प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आकलन करना, जो एक महत्वपूर्ण कमजोरी मौजूद है, और आकलन जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना और मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं लेखा परीक्षक के फंसले पर निर्भर करती हैं, जिसमें एकल इंडियन अकाउंट स्टैंडर्ड वित्तीय विवरण की भौतिक गलतफहमी के जोखिम के आकलन शामिल हैं, चाहे वह धोखाधड़ी के कारण हो या त्रुटिवश।

हमारा मानना है कि कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारे लेखापरीक्षा राय को आधार प्रदान करने के लिए हमारे द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षा के प्रमाण पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्ट पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्ट पर एक कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और आम तौर पर स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने की एक प्रक्रिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण उन नीतियों और प्रक्रियाओं को शामिल करता है जो (1) रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित हैं, जो उचित विवरण में, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और स्वभाव को दर्शाते हैं। (2) उचित आश्वासन देते हैं कि लेनदेन आमतौर पर स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय वक्तव्य तैयार करने की अनुमति के लिए आवश्यक के रूप में दर्ज किए जाते हैं, और कंपनी की प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरण के अनुसार कंपनी की प्राप्तियां और व्यय ही बनाये जा रहे हैं। और (3) वित्तीय विवरणों पर सामग्री प्रभाव हो सकता है कि कंपनी की संपत्ति के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या स्वभाव की रोकथाम या समय पर पहचान के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करें।

वित्तीय रिपोर्ट से अधिक आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जैसे प्रबंधन की अनुचित भागीदारी और त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलतबयानी हो सकती है, जिनका पता नहीं लगाया जा सकता है। साथ ही, भविष्य की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन का अनुमान जोखिम के अधीन है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में होने वाले परिवर्तनों की वजह से अपर्याप्त हो सकते हैं या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर खराब हो सकता है।

राय

हमारी राय में, नियंत्रण मानदंडों के उद्देश्यों की उपलब्धि पर ऊपर वर्णित स्वतंत्र लेखा परीक्षा रिपोर्ट के पैराग्राफ 'योग्यता का आधार' के तहत प्रभावों को छोड़कर, कंपनी के पास सभी तरह से, वित्तीय रिपोर्टिंग पर समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय प्रबंधन की ऑडिट पर जारी निर्देश नोट में आंतरिक नियंत्रण के जरूरी घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण मानदंड पर आधारित इस तरह का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च 2017 तक प्रभावी रूप से काम कर रहे थे।

वीपीजीएस एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन 507971सी

गुरुकृपाल सिंह बेदी
(पार्टनर)

स्थान : नोएडा
तारीख : 30 मई 2017

एम नंबर 090637

31 मार्च 2017 को ईईएसएल की बैलेंस शीट

₹ लाख में

विवरण	नोट नंबर	31.03.2017 तक	31.03.2016 तक	01.04.2015 तक
संपत्तियां				
गैर तात्कालिक परिसंपत्ति				
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	2	60,109.90	27,600.34	5,580.67
प्रगतिमान पूंजी	3	36,618.37	14,284.41	533.07
अमूर्त संपत्ति	2	72.78	33.89	21.82
संयुक्त उद्यम में निवेश		189.04		
वित्तीय संपत्ति				
ऋण	4	127.59	41.62	28.97
अन्य वित्तीय संपत्तियां	5	10,116.07	10,360.95	5,765.06
अन्य गैर — वर्तमान परिसंपत्ति	6	594.62	962.96	52.27
कुल गैर — मौजूदा संपत्तियां		1,07,828.37	53,284.17	11,981.86
वर्तमान संपत्ति				
सूची	7	15,464.97	18,890.39	97.69
वित्तीय संपत्ति				
व्यापार स्वीकार योग्य	8	80,140.76	34,499.82	3,679.50
नकद और नकद उपकरण	9	26,467.08	24,497.02	3,519.68
नकद और नकद समकक्ष के अलावा बैंक की शेष राशि	9A	5,767.04	425.28	7,431.75
ऋण	10	66.36	36.30	4.28
अन्य वित्तीय संपत्तियां	11	8,050.65	8,890.97	3,865.84
वर्तमान कर संपत्ति (नेट)	12	622.74	670.49	86.36
अन्य मौजूदा परिसंपत्तियां	13	13,247.35	4,790.56	107.76
कुल मौजूदा संपत्ति		1,49,826.95	92,700.83	18,792.86
कुल संपत्ति		2,57,655.32	1,45,985.00	30,774.72
इक्विटी और देयता				
इक्विटी				
इक्विटी शेयर पूंजी	14	46,200.00	16,500.00	9,000.00
अन्य इक्विटी	15	9,333.79	25,263.02	2,173.99
कुल इक्विटी		55,533.79	41,763.02	11,173.99
देयताएं				
गैर मौजूदा देनदारियां				
वित्तीय देनदारियां				
उधारी	16	82,623.86	30,124.96	8,776.35
अन्य वित्तीय देयताएं	17	5,194.96	3,014.00	384.08
प्रावधान	18	223.16	92.59	49.77
निर्धारित कर देनदारियां	19	8.38	135.95	180.55
अन्य गैर चालू देनदारियां	20	43.95	29.38	12.38
कुल गैर चालू देनदारियां		88,094.31	33,396.88	9,403.13
वर्तमान देनदारियां				
वित्तीय देनदारियां				
उधारी	21	35,000.00	28,500.00	
व्यापार देनदारियां	22	45,869.51	34,794.41	9,377.27
अन्य वित्तीय देनदारियां	23	17,214.64	5,959.19	588.18
अन्य चालू देनदारियां	24	15,607.95	1,567.98	72.45
प्रावधान	25	10.82	3.52	2.20
वर्तमान कर देयताएं		324.30	-	157.50
कुल मौजूदा देनदारियां		1,14,027.22	70,825.10	10,197.60
कुल शेयर और देनदारियां		2,57,655.32	1,45,985.00	30,774.72
महत्वपूर्ण लेखा नीति	1			हमारी ऑडिट रिपोर्ट के अनुलग्नक
वित्तीय विवरण पर नोट	2 से 49			रिपोर्ट से संबंधित तिथि

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

वीपीजीएस एंड कंपनी

चार्टर्ड अकाउंटेंट

एफआरएन 507971सी

सौरभ कुमार

आकाश सक्सेना

पूजा शुक्ला

एस गोपाल

गुरुकृपाल सिंह बेदी

प्रबंध निदेशक

निदेशक

कंपनी सचिव

मु. वित्तीय अधिकारी

सहभागी

डिन : 06576793

डिन : 00529340

मो. नं. 090637

स्थान: नोएडा

दिनांक : 30th May 2017

एनर्जी एफिसिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल)

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का वक्तव्य

₹ लाख में

विवरण	नोट नंबर	31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
राजस्व			
संचालन से राजस्व	26	1,15,086.03	77,488.64
अन्य आय	27	7,632.37	2,822.81
कुल राजस्व		1,22,718.40	80,311.45
व्यय			
स्टॉक इन ट्रेड की खरीद		80,002.15	78,470.71
वितरण व्यय		8,188.53	4,783.34
मीडिया खर्च		2,015.12	1,454.55
भंडार में बढ़ोतरी/कमी	28	2,485.60	(17,937.25)
कर्मचारी लाभ व्यय	29	2,090.66	1,278.43
वित्तीय खर्च	30	6,156.09	1,387.65
मूल्यहास, परिशोधन और हानि व्यय	2	5,543.57	1,755.00
अन्य खर्च	31	8,071.47	4,099.79
कुल खर्च		1,14,553.19	75,292.22
कर देने से पूर्व लाभ		8,165.21	5,019.23
कर व्यय	32		
चालू कर			
चालू साल		3,110.27	1,576.88
पूर्व वर्ष		(5.44)	(221.86)
आस्थगित कर		(125.26)	(43.92)
कुल कर व्यय		2,979.57	1,311.10
वर्ष का मुनाफा		5,185.64	3,708.13
अन्य व्यापक आमदनी			
वस्तु, जिन्हें लाभ या हानि में दोबारा सूचीबद्ध नहीं किया जायेगा।			
— परिभाषित लाभ योजनाओं पर शुद्ध बीमा लाभ / (नुकसान)		(4.35)	(1.29)
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय, आयकर का शुद्ध		(4.35)	(1.29)
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय		5,181.29	3,706.84
प्रति शेयर इक्विटी शेयर (प्रति मान ₹ 10/- प्रत्येक)	33		
आधारभूत (₹)		1.25	2.73
मिश्रित (₹)		1.25	2.71
महत्वपूर्ण लेखा नीति	1		
वित्तीय विवरण पर नोट	2 से 49		
निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से			
सौरभ कुमार प्रबंध निदेशक दिन : 06576793	आकाश सक्सेना निदेशक दिन : 00529340	पूजा शुक्ला कंपनी सचिव	एस गोपाल मु. वित्तीय अधिकारी
			गुरुकृपाल सिंह बेदी सहभागी मो. नं. 090637

एनर्जी एफिसिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल)

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए पूंजीप्रवाह विवरण

₹ लाख में

	31.03.2017 को समाप्त हुआ वर्ष	31.03.2016 को समाप्त हुआ वर्ष
(क) संचालन गतिविधियों से पूंजी प्रवाह		
कर पूर्व लाभ	8,165.21	5,019.23
के लिए समायोजन: —		
मूल्यहास और परिशोधन	5,543.57	1,755.00
व्याज आय	(1,493.49)	(596.16)
विदेशी मुद्रा लाभ या हानि	(1,974.18)	71.32
आस्थशक्ति किराया व्यय	16.56	17.01
वित्तीय लागत	3,681.33	719.84
कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पूर्व संचालन लाभ	13,939.00	6,986.24
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन		
बढ़ोतरी/घाटा		
प्राप्य कारोबार	(45,640.95)	(30,820.31)
भंडार	3,425.42	(18,792.70)
ऋण, अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां और अन्य संपत्तियां	(7,491.02)	(14,361.20)
अन्य बैंक बैलेंस	(5,341.76)	7,006.47
	(55,048.31)	(56,967.74)
वृद्धि/गिरावट		
व्यापार देय, अन्य वित्तीय देनदारियां और अन्य देनदारियां	46,394.61	32,406.34
प्रावधान	131.22	42.16
	46,525.83	32,448.50
	(2,732.79)	(2,096.66)
	2,683.73	-19,629.66
आयकर का भुगतान		
संचालन गतिविधियों से प्राप्त नगद		
(ख) निवेश गतिविधियों से पूंजी प्रवाह		
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति की खरीद	(38,395.81)	(23,479.99)
प्रगतिमान पूंजी	(22,333.96)	(13,751.34)
व्याज आय	1,493.49	596.16
संयुक्त उद्यम में निवेश	(189.04)	
निवेश गतिविधियों में उपयोग किया गया कुल नकद	(59,425.32)	(36,635.17)
(ग) वित्तीय गतिविधियों से पूंजी प्रवाह		
उधार से प्राप्त	51,648.58	50,976.25
वित्तीय लागत	(1,527.41)	(616.94)
जारी शेयर पूंजी	9,900.00	7,500.00
शेयर आवेदन धन (लंबित आवंटन)		19,800.00
शेयर जारी करने की लागत	(19.42)	(90.69)
भुगतानित लाभांश	(1,067.72)	(271.79)
भुगतानित लाभांश कर	(223.37)	(55.33)
एक्सिस क्रेडिट कार्ड	0.99	0.66
वित्त गतिविधियों से नेट नकद	58,711.65	77,242.16
(घ) नकद और नकद समकक्षों में शुद्ध परिवर्तन (ए. बी. सी)	1,970.06	20,977.33
(च) नकद और नकद समकक्ष (उद्घाटन शेष वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल)	24,497.02	3,519.69
(छ) नकद और नकद समतुल्य (समापन शेष) (11-एफई)	26,467.08	24,497.02
नकद और नकद समतुल्य में नकद और बैंक बैलेंस शामिल है। नकद और नकद समतुल्य में नोट-9 के मुताबिक नगद पूंजी प्रवाह में निम्न बैंलेंस शीट राशि शामिल है		
नकद और नकद के प्रकार		
नकदी (तत्कालिक जरूरतों के लिए हाथ में नकदी)	8.04	3.17
बैंकों के साथ चालू खाते	26,459.03	24,493.86
	(26,467.07)	(24,497.03)

हमारी ऑडिट रिपोर्ट के अनुलग्न
रिपोर्ट से संबद्ध तिथि

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

वीपीजीएस एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन 507971सी

सौरभ कुमार
प्रबंध निदेशक
डिन : 06576793

आकाश सक्सेना
निदेशक
डिन : 00529340

पूजा शुक्ला
कंपनी सचिव

एस गोपाल
मु. वित्तीय अधिकारी

गुरुकृपाल सिंह बेदी
सहभागी
मो. नं. 090637

स्थान: नोएडा
दिनांक : 30th May 2017

इक्विटी में परिवर्तन के संदर्भ में ईईएसएल का वक्तव्य

(क) इक्विटी शेयर पूंजी 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए

₹ लाख में

1 अप्रैल 2016 को शेष राशि	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31 मार्च 2017 को शेष राशि
16,500.00	29,700.00	46,200.00

31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

₹ लाख में

1 अप्रैल 2015 को शेष राशि	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31 मार्च 2016 को शेष राशि
9,000.00	7,500.00	16,500.00

(ख) अन्य इक्विटी 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए

विवरण	रिजर्व और अधिशेष			कुल
	आवेदन राशि लंबित आवंटन साझा करें	डिबेंचर प्रतिदान निधि	प्रतिधारित कमाई	
1 अप्रैल 2016 को शेष राशि	19,800.00	-	5,463.02	25,263.02
इस साल का मुनाफा			5,185.63	5,185.63
अन्य व्यापक आमदनी			(4.35)	(4.35)
कुल व्यापक आय	-	-	5,181.28	5,181.28
पिछले वर्षों के लिए लाभांश पर कर				-
इक्विटी शेयर जारी करना	(19,800.00)		-	(19,800.00)
प्रतिधारित कमाई से स्थानांतरण		1,452.99	(1,452.99)	-
इक्विटी शेयरों के मुद्दे पर होने वाले लेनदेन की लागत, टैक्स की शुद्धता			(19.42)	(19.42)
अंतिम लाभांश (कर सहित) 2015-16 (नोट 15)			(1,291.09)	(1,291.09)
31 मार्च 2017 को शेष राशि	-	1,452.99	7,880.80	9,333.79

31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

विवरण	रिजर्व और अधिशेष			कुल
	आवेदन राशि लंबित आवंटन साझा करें	डिबेंचर प्रतिदान निधि	प्रतिधारित कमाई	
1 अप्रैल 2015 को शेष राशि	-	-	2,173.99	2,173.99
इस साल का मुनाफा	-	-	3,708.13	3,708.13
अन्य व्यापक आमदनी			(1.29)	(1.29)
कुल व्यापक आय	-	-	3,706.84	3,706.84
पिछले वर्षों के लिए लाभांश पर कर			1.53	1.53
शेयर आवेदन पैसे का मुद्दा	19,800.00			19,800.00
आय में स्थानांतरण			-	-
इक्विटी शेयरों के मुद्दे पर होने वाले लेनदेन की लागत, टैक्स की शुद्धता			(90.69)	(90.69)
अंतिम लाभांश (कर सहित) 2015-16 (नोट 15)			(328.65)	(328.65)
31 मार्च 2016 को शेष राशि	19,800.00	-	5,463.02	25,263.02

हमारी ऑडिट रिपोर्ट के अनुलग्न रिपोर्ट से संबद्ध तिथि

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

वीपीजीएस एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन 507971सी
गुरुकृपाल सिंह बेदी
सहभागी
मो. नं. 090637

सौरभ कुमार
प्रबंध निदेशक
डिन : 06576793

आकाश सक्सेना
निदेशक
डिन : 00529340

पूजा शुक्ला
कंपनी सचिव

एस गोपाल
मु. वित्तीय अधिकारी

स्थान: नोएडा
दिनांक : 30th May 2017

वित्तीय विवरण पर टिप्पणी

1. कंपनी की जानकारी और खास लेखा नीतियां

क. संस्थान की जानकारी

एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड 'ईईएसएल' (कंपनी) भारत की कंपनी है और सूचीबद्ध (सीआईएन: यू40200डीएल2009पीएलसी196789) है। कंपनी की डेट सिक्कर्टी बीएसई लिमिटेड में सूचीबद्ध है। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता है: चौथा तल, सेवा भवन, आर के पुरम, नई दिल्ली - 110066.

यह कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड, पीएफसी, आरईसी और पावरग्रिड का संयुक्त उपक्रम है और ऊर्जा दक्ष परियोजनाओं के क्रियान्वयन से जुड़ी है। कंपनी, ऊर्जा सेवा कंपनी (एस्को) के रूप में सीडीएम तथा ऊर्जा दक्षता आदि के लिए एक सलाहकार संगठन तथा एसडीए, यूटिलिटीज, वित्तीय संस्थानों आदि के क्षमता निर्माण के संसाधन केंद्र के रूप में काम कर रही है।

ख. तैयारी का आधार

1. अनुपालन का विवरण

इन वित्तीय वक्तव्यों को लेखांकन के प्रोद्भव आधार पर तैयार किया जाता है और भारतीय लेखा मानकों (इंडियन अकाउंट स्टैंडर्ड) के साथ कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के तहत अधिसूचित और उसके बाद के संशोधन, कंपनी अधिनियम, 2013 (सीमा तक अधिसूचित और लागू) और कंपनी अधिनियम, 1956 के लागू प्रावधानों का अनुपालन किया जाना है। यह इंडियन अकाउंट स्टैंडर्ड लेखा सिद्धांत के आधार पर तैयार कंपनी का पहला वित्तीय वक्तव्य है और इंडियन अकाउंट स्टैंडर्ड 101 (भारतीय लेखा सिद्धांत का पहली बार अंगीकार करना) को लागू किया गया। 31 मार्च 2016 तक सभी समयावधि के लिए, कंपनी ने भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुसार अपने वित्तीय विवरणों को तैयार किया, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानक, कंपनी अधिनियम, 2013 (सीमा तक अधिसूचित एवं लागू) और कंपनी अधिनियम, 1956, लागू प्रावधानों के अनुसार तैयार किया है। कंपनी ने संक्रमण की तिथि अर्थात् 1 अप्रैल 2015 को शुरुआती बैलेंस शीट में इंडियन अकाउंट स्टैंडर्ड 101 के प्रावधानों का पालन किया। ओपनिंग बैलेंस शीट में इस्तेमाल इंडियन अकाउंट स्टैंडर्ड की कुछ नीतियां पूर्ववर्ती जीएएपी नीतियों से अलग हैं, और तदनुसार शुरुआती बैलेंस को इंडियन अकाउंट स्टैंडर्ड के अनुसार समायोजित करने के लिए कुछ बहाव किये गये। इसी कारण, इंडियन अकाउंट स्टैंडर्ड 101 के अनुसार जरूरी इन समायोजनों को एक अप्रैल 2015 सीधे तौर पर बनाए आय के माध्यम से चिन्हित किया गया। यह इंडियन अकाउंट स्टैंडर्ड 101 के सामान्य नियम का असर है, जो पूर्वव्यापी रूप से इंडियन अकाउंट स्टैंडर्ड को लागू करना है।

किस प्रकार से इंडियन अकाउंट स्टैंडर्ड को अपनाने से रिपोर्ट की गई वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और कंपनी के नकदी प्रवाह को प्रभावित किया गया है, उसे नोट 42 में दिया गया है। यह वित्तीय विवरण 30 मई 2017 को निदेशक मंडल द्वारा जारी किए जाने के लिए मंजूर कर लिया गया था।

2. मापने का आधार

पूर्व लागत के आधार पर यह वित्तीय विवरण तैयार किया गया है।

3. कार्यात्मक और प्रस्तुति मुद्रा

ये वित्तीय विवरण भारतीय रुपए (₹) में प्रस्तुत किए जाते हैं, जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा है। प्रस्तुत की गई सभी वित्तीय सूचना निकटतम लाखों (दो दशमलव तक) तक दिखायी गयी है।

4. चालू और गैर चालू वर्गीकरण

कंपनी चालू/गैर-चालू वर्गीकरण के आधार पर बैलेंस शीट में संपत्ति और देनदारियां प्रस्तुत करती है। एक परिसंपत्ति चालू है जब यह है:

- सामान्य संचालन चक्र में बेचे या खपत करने का इरादा हो।
- मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य के लिए रखा हो।
- रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर रियलाइज होने की उम्मीद हो, या
- नगद या नगद समतुल्य हो जब तक रिपोर्टिंग अवधि के कम से कम 12 माह तक देनदारी को खत्म करने के लिए इस्तेमाल करने या बदलने के लिए प्रतिबंधित हो।

अन्य सभी परिसंपत्तियां गैर चालू के रूप में अधिसूचित हैं।

एक देनदारी चालू है जब:

- इसके सामान्य संचालन अवधि में खत्म होने की उम्मीद हो
- यह मुख्य रूप से कारोबार के लिए रखी गयी हो।
- यह रिपोर्टिंग अवधि के 12 माह के भीतर देय हो या
- रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीनों के लिए देयता का निपटान करने के लिए कोई बिना शर्त अधिकार नहीं हो

अन्य सभी देनदारियों को गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

आस्थलगत कर संपत्ति/देनदारियों को गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

ग. खास लेखा नीतियां

वित्तीय विवरणों की तैयारी में लागू महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सारांश नीचे दिया गया है। वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत सभी समयावधियों के लिए इन लेखा नीतियों को लगातार लागू किया गया है। कंपनी ने इंडियन अकाउंट स्टैंडर्ड 101 के विकल्प का चुनाव करते हुए इंडियन अकाउंट स्टैंडर्ड 16 और इंडियन अकाउंट स्टैंडर्ड 38 के प्रावधानों को लागू नहीं किया और संक्रमण की तारीख को पिछले जीएएपी की आगे ले जाने वाली राशि को इस्तेमाल किया। इसलिए, 1 अप्रैल 2015 को पिछले जीएएपी के अनुसार संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्तियां इंडियन अकाउंट स्टैंडर्ड में अंतरण में रखी गयीं।

1.

1.1 समेकन का आधार

नोट नं में वर्णित संयुक्त रूप से संयुक्त प्रबंधन के समेकित वित्तीय विवरणों के अनुसार प्रबंधन 43 (ii) समेकन के प्रयोजन के लिए कंपनी की एक ही रिपोर्टिंग तिथि तक पर भरोसा किया गया है। चूंकि संयुक्त उद्यम विदेशी संस्था में ब्याज मार्च -2017 के महीने में कंपनी द्वारा अधिग्रहण किया गया था, पिछले साल ऐसे संयुक्त उद्यम इकाई में ब्याज की हद तक समेकित आंकड़े, कंपनी के इन समेकित

वित्तीय वक्तव्यों में लागू नहीं हैं।

1.2 संयुक्त उद्यम में ब्याज

नोट नं 43 (ii) में उल्लिखित अपने समेकित वित्तीय वक्तव्यों के आधार पर संयुक्त उद्यम में रुचियों को इक्विटी पद्धति का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार है (नीचे 1.2 देखें), समेकित बैलेंस शीट में प्रारंभिक रूप से पहचाने जाने के बाद।

1.3. इक्विटी विधि

लेखांकन की इक्विटी पद्धति के तहत, निवेश शुरू में लागत पर मान्यता प्राप्त है और इसके बाद कंपनी के शेयरों के अधिग्रहण के मुनाफे या लाभ और हानि में निवेशक के नुकसान को पहचानने के लिए और निवेशक की अन्य व्यापक आय की कंपनी की हिस्सेदारी को पहचानने के लिए समायोजित किया जाता है। अन्य व्यापक आमदनी। संयुक्त उद्यम से प्राप्त या प्राप्य लाभांश निवेश की मात्रा में कमी के रूप में मान्यता प्राप्त है।

जब किसी इक्विटी-अकाउंट निवेश में नुकसान की कंपनी का शेयर इकाई के हितों के बराबर या उससे अधिक हो जाता है, जिसमें किसी अन्य असुरक्षित दीर्घकालिक प्राप्तियां शामिल हैं, तो कंपनी अधिक नुकसान नहीं पहचानती है, जब तक कि उसके दायित्वों का भुगतान न हो अन्य संस्था कंपनी और उसके संयुक्त उपक्रम के बीच होने वाले लेन-देन पर अवास्तविक लाभ कंपनी में कंपनी के हित की सीमा तक समाप्त हो जाते हैं। अनावृत नुकसान भी समाप्त हो जाते हैं जब तक कि लेन-देन ट्रांससेट की गई संपत्ति की हानि का सबूत नहीं देता। इक्विटी लेखांकन सामग्री निवेशकों की लेखा नीतियों को बदल दिया गया है जहां कंपनी द्वारा अपनाई गई नीतियों के अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो।

इक्विटी खाते में निवेश की मात्रा में हानि के लिए परीक्षण किया गया है, जिसमें वर्णित पॉलिसी के अनुसार 144 नीचे।

जब कंपनी संयुक्त नियंत्रण के नुकसान के कारण निवेश के लिए इक्विटी पद्धति को लागू करने के लिए समाप्त हो जाती है, तो इकाई में किसी भी ब्याज को बरकरार रखा जाता है, उसके निष्पक्ष मूल्य में लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त राशि ले जाने में परिवर्तन के साथ फिर से मापा जाता है। इसके अलावा, उस इकाई के संबंध में अन्य व्यापक आय में पहले पहचाने जाने वाले किसी भी राशि का विवरण दिया जाता है जैसे कि कंपनी ने संबंधित संपत्ति या देनदारियों का सीधे निपटारा किया है। इसका मतलब यह हो सकता है कि पहले से अन्य व्यापक आय में पहचानी गई राशि लाभ या हानि के लिए पुनः परिष्कृत की जाती है।

अगर एक संयुक्त उद्यम में स्वामित्व का हित कम हो जाता है लेकिन संयुक्त नियंत्रण बरकरार रखा जाता है, तो दूसरी व्यापक आय में पहले पहचाने जाने वाली राशि का केवल एक अनुपातिक हिस्सा लाभ या हानि के लिए पुनः परिष्कृत किया जाता है जहां उपयुक्त।

2. संपत्ति, संयंत्र और माप

2.1. प्रारंभिक मान्यता और माप

संपत्ति, पौधे और उपकरणों की वस्तुएं कम लागत में एकत्रित मूल्यहास / परिशोधन और संचित हानि के घाटे में मापा जाता है।

कंपनी द्वारा किए गए एलईडी परियोजनाओं के अलावा अन्य एस्को मॉडल ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं पर किए गए परियोजना विकास लागत को संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के रूप में मान्यता प्राप्त है।

परियोजना विकास लागत में खरीद मूल्य, करों और कर्तव्यों, श्रमिक लागत और परियोजना के कार्यान्वयन या संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अधिग्रहण के लिए प्रत्यक्ष रूप से किसी भी अन्य लागत को परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर व्यवस्थित आधार पर आवंटित किया गया है, जब तक परिसंपत्ति अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार है जब संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के किसी भी सामान के विभिन्न उपयोगी जीवन होते हैं, तो उन्हें अलग से मान्यता प्राप्त होती है परिसंपत्तियों का उपयोग करने के मामले में, जहां टेकेदारों के साथ बिलों का अंतिम निपटान अभी तक प्रभावी नहीं हुआ है, अंतिम समाप्ति के वर्ष में आवश्यक समायोजन के आधार पर पूंजीकरण अस्थायी आधार पर किया जाता है।

2.2. उत्तरवर्ती लागत

बाद के व्यय को परिसंपत्ति की वहन राशि में वृद्धि के रूप में पहचाना जाता है, जब यह संभावित होता है कि आने वाले खर्च से आने वाले भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को आएंगे और सामग्री की लागत विश्वसनीयता से मापी जा सकती है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के हिस्से को बदलने की लागत आगे ले जाने की राशि में मान्य है यदि यह संभव है कि भाग के अंतर्गत भावी आर्थिक लाभ कंपनी के पास आएंगे और इसकी लागत विश्वसनीयता से मापी जा सकती है। बदले गए पुर्जों की वहन कीमत मान्य नहीं है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की रोजमर्रा सर्विसिंग की लागत, जैसा हुआ, उसके मुताबिक लाभ या हानि में होती है।

2.3. डिकमिशनिंग लागत

परिसंपत्ति के इस्तेमाल के बाद उसे हटाने की संभावित लागत का वर्तमान मूल्य संबंधित परिसंपत्ति की लागत में जोड़ा होता है अगर उसे मान्य करार देने का मानदंड पूरा हो।

2.4. अमान्य

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को तब अमान्यता कहा जाता है जब भविष्य में कोई भी आर्थिक लाभ उनके उपयोग से या उनके निपटान से अपेक्षित नहीं होता है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के निपटान पर लाभ और हानि संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की वहन राशि के साथ निपटान से आय की तुलना करके निर्धारित होते हैं, और लाभ और हानि के बयान में चिह्नित है।

2.5. मूल्यम हास और परिशोधन

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के हर हिस्से की अनुमानित उपादेयता के आधार पर लाभ और हानि विवरण में मूल्यहास को उल्लिखित किया जाता है। निम्ने परिसंपत्तियों का मूल्यहास तकनीकी विश्लेषण के आधार पर उनकी उपादेयता के आधार है:

परिसंपत्ति की प्रकृति	परिसंपत्ति की उम्र
मोबाइल फोन	दो साल
एस्कोल परियोजनायें	परियोजना अवधि
लीज होल्ड इम्पुवमेंट	लीज अवधि

मूल्य हास का तरीका, उपादेयता और शेष उपादेयता की हर वर्ष के अंत में समीक्षा की जाती है और अगर उचित है तो उसे एडजस्ट

किया जाता है। तकनीकी आंकलन और सलाह के आधार पर कंपनी का मानना है कि उपरोक्त अनुमानित उपादेयता सही है और इसी अवधि में प्रबंधन को इन परिसंपत्तियों का इस्तेमाल करने की उम्मीद है। परियोजना विकास लागत में खरीद मूल्य कर, ड्यूटी, श्रम लागत और प्रशासनिक एवं टूर एंड ट्रेवलिंग व्यय, परामर्श शुल्क आदि जैसे अन्य आम व्यय समायोजित हैं, जिनकी पहचान की गयी है और जो परियोजना को लागू करने या अचल संपत्ति के अधिग्रहण पर आरोप्य हैं, उन्हें औ प्रणालीगत आधार पर परियोजना लागू करने में आवंटित किया गया, अदातन व्यय किया गया जब परिसंपत्ति इस्तेमाल के लिए तैयार थी। जहां मूल्यहास परिसंपत्ति की लागत विनिमय दर में उतार-चढ़ाव के कारण दीर्घावधि देनदारियों में कमी-वृद्धि की वजह से वर्ष के दौरान परिवर्तन से गुजरी है, उस परिसंपत्ति का गैर ऋणमुक्ति बैलेंस मूल्यहास/ऋणमुक्ति से संबंधित लेखा परीक्षण नीतियों के अनुसार शेष उपयोगिता आयु के दौरान चार्ज किया जाता है। अवमूल्यन / परिशोधन के लिए जहां यह संभावित है कि भविष्य में होने वाली लागत से प्राप्त होने वाला आर्थिक लाभ उद्यम तक पहुंच जाएंगे और सामग्री की लागत मापी जा सकती है, पीपीई पर इसके बाद के व्यय के साथ-साथ अपने अप्रयुक्त निष्प्रभावी राशि को संशोधित उपयोगी जीवन पर संभावित रूप से चार्ज किया जाता है।

2. प्रगतिमान पूंजी

प्रगतिमान पूंजी में सामग्रियों की लागत और प्रत्यक्ष श्रम, परिसंपत्तियों को लोकेशन पर लाने और प्रबंधन के उद्देश्य से कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए जरूरी स्थिति में लाने के मद में लगी अन्य लागत शामिल हैं। संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के निर्माण के खर्च, जब तक वे अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार नहीं होते हैं, संबंधित संपत्तियों की लागत पर व्यवस्थित आधार पर निर्धारित और आवंटित किए जाते हैं।

अगर प्रगतिमान पूंजी के तहत हुए एस्को, मॉडल एनर्जी एफिशिन्सी प्रोजेक्ट को अमल में नहीं किये गये, तो इसके संबंध में किए गए व्यय को उसी वर्ष लाभ और हानि के वक्तव्य में लिया जाएगा।

3. अमूर्त परिसंपत्ति

3.1. प्रारंभिक मान्यता और माप

कंपनी द्वारा हासिल की जाने वाली अमूर्त संपत्ति, जिनकी परिमित उपयोगी जीवन है, लागत कम संचित परिशोधन पर मापा जाता है और यदि कोई हो तो संचित हानि का नुकसान होता है। लागत में किसी भी सीधे विशेषकरणीय आकस्मिक व्यय शामिल होता है, जो इसके उपयोग के लिए संपत्ति तैयार करने के लिए आवश्यक होता है।

3.2. अमान्य

एक अमूर्त संपत्ति को तब अमान्यता करार किया जाता है जब भविष्य के किसी भी आर्थिक लाभ से उनके उपयोग या उनके निपटान से उम्मीद नहीं की जाती है। अमूर्त आस्तियों के किसी वस्तु के निपटान पर लाभ और हानि निर्धारित राशि से अमूर्त संपत्तियों के निपटान से निकासी से निर्धारित होती है और लाभ और हानि के बयान में मान्यता प्राप्त है।

3.3. ऋणमुक्ति

सॉफ्टवेयर की लागत को अमूर्त संपत्ति के रूप में मान्यता दी गई है, जिसका उपयोग वैधानिक अधिकारी की अवधि या तीन वर्ष, जो भी कम हो, किया जा सकता है।

4. उधारी लागत

फंड हासिल करने के संबंध में कंपनी द्वारा उठाये गये ब्याज या अन्य लागत उधारी लागत हैं। उधारी लागत उन क्षयी परिसंपत्तियों, जो इस्तेमाल के लिए तैयार होने में अच्छा खासा समय लेती हैं, उनके अधिग्रहण या निर्माण पर प्रत्यक्षतः आरोपित है। अन्य उधारी लागतों को उस अवधि के व्यय के रूप में चिह्नित किया गया है।

जब योग्य परिसंपत्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से कंपनी विशेष रूप से धन उधार लेती है, तो उधार लेने की लागत पूंजीकृत होती है। जब कंपनी सामान्य रूप से धन उधार लेती है और उसे योग्य परिसंपत्ति प्राप्त करने के उद्देश्य के लिए उपयोग करती है, उधार लेने की लागत का पूंजीकरण की गणना सामान्य उधार की भारित औसत लागत पर होती है जो अवधि के दौरान बकाया है और योग्यता के अधिग्रहण या निर्माण के लिए इस्तेमाल की जाती है।

उधार लेने की लागत का पूंजीकरण समाप्त होता है, जब उनके इच्छित उपयोगों के लिए योग्यता संपत्ति तैयार करने के लिए आवश्यक सभी गतिविधियों को पूरा किया जाता है। उधार लेने की लागत में ब्याज और अन्य लागतें शामिल होती हैं, जो एक इकाई को धन उधार के संबंध में उठता है। उधारी के अस्थायी निवेश पर अर्जित आय, योग्यता संपत्तियों पर अपने व्यय को लंबित करती है, उधार लेने की लागत से पूंजीकरण के लिए पात्र होती है। उधार लेने की लागतों में विदेशी मुद्रा उधार से उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतरों में वह हद तक कि वह ब्याज लागत के समायोजन के रूप में माना जाता है। अन्य उधार लेने की लागत उस वर्ष में एक व्यय के रूप में पहचानी जाती है जिसमें वे खर्च कर रहे हैं।

उपयोग के उप-वर्षीय वर्ष में पूंजीकरण के लिए आगे की जा रही योग्य परिसंपत्तियों के उपयोग के लिए उधारों की अनुपयुक्त राशि के लिए उधार लेने की लागत को रखा जा रहा है।

5. भंडार

भंडार का मूल्यांकन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट आधार पर आयी लागत के निचले स्तर और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर किया गया है।

6. नगद और नगदतुल्य

बैलेंस शीट में उल्लिखित नगद और नगदतुल्य में बैंकों, चालू नगद और तीन माह या उससे कम की अवधि वाले अल्पावधि सावधि जमा राशि समाहित है, जो मूल्य में परिवर्तन के योग्य हैं।

7. प्रावधान और आकस्मिक देनदारियां

अगर किसी पिछली घटना के परिणामस्वरूप, एक प्रावधान मान्यता प्राप्त है, तो कंपनी का मौजूदा कानून दायित्व है जिसका विश्वसनीय रूप से अनुमान लगाया जा सकता है, और यह संभव है कि दायित्व को निपटाने के लिए आर्थिक लाभों का बहिर्वाह आवश्यक होगा। यदि धन के समय मूल्य का प्रभाव सामग्री है, प्रावधानों को पूर्व-कर दर पर अपेक्षित भविष्य के नकदी प्रवाह को छूटने से निर्धारित किया जाता है जो धन के समय मूल्य के वर्तमान बाजार मूल्यांकन और देयता के लिए विशिष्ट जोखिम को दर्शाता है। जब छूट का उपयोग किया जाता है, समय के पारित होने के कारण प्रावधान में वृद्धि वित्त लागत के रूप में मान्यता प्राप्त होती है प्रावधान के रूप में मान्यता प्राप्त राशि, दायित्व के आस-पास के जोखिमों और अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए, रिपोर्टिंग तिथि पर वर्तमान दायित्व को व्यवस्थित करने के लिए आवश्यक विचार का सबसे अच्छा अनुमान है।

जब किसी प्रावधान को व्यवस्थित करने के लिए अपेक्षित कुछ या सभी आर्थिक लाभों को तीसरे पक्ष से बरामद किए जाने की संभावना

है, तो प्राप्य एक परिसंपत्ति के रूप में पहचाना जाता है यदि यह वास्तव में निश्चित है कि प्रतिपूर्ति प्राप्त की जाएगी और प्राप्य राशि को विश्वसनीय ढंग से मापा जा सकता है। किसी प्रावधान से संबंधित व्यय किसी भी प्रतिपूर्ति के मुनाफे और हानि जाल के बयान में प्रस्तुत किया गया है।

आकस्मिक देनदारियां पिछली घटनाओं से उत्पन्न संभावित जिम्मेदारी होती हैं और जिनके अस्तित्व की पुष्टि कंपनी से पूर्ण रूप से नियंत्रित नहीं होने वाली एक या अधिक भविष्य की घटनाओं से ही हो सकती है। जहां यह संभव नहीं है कि आर्थिक लाभों का बहिर्वाह आवश्यक हो, या राशि का विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता हो वहां दायित्व का आकस्मिक दायित्व के रूप में खुलासा किया जाता है, जब तक कि आर्थिक लाभ के बहिर्वाह की संभावना दूरस्थ नहीं होती है। प्रबंधन / स्वतंत्र विशेषज्ञों के फैसले के आधार पर आकस्मिक देनदारियों का खुलासा किया गया है। ये प्रत्येक बैलेंस शीट की तारीख में समीक्षा की जाती है और वर्तमान प्रबंधन अनुमान को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित किया जाता है।

9. राजस्व

9.1. वस्तु की बिक्री से प्राप्त राजस्व

एलईडी— एस्को परियोजनाओं सहित वस्तुओं की बिक्री से प्राप्त या प्राप्ति योग्य राजस्व, शुद्ध रिटर्न, व्यापार छूट और मात्रा छूट के उचित मूल्य पर मापा जाता है। अन्य बातों के साथ ही वर्तमान मूल्य के कारण विचार को छूट देना शामिल है अगर भुगतान सामान्य क्रेडिट शर्तों से परे हो। स्वामित्व के महत्वपूर्ण जोखिम और पुरस्कार खरीदार को स्थानांतरित कर दिया गया है, तो विचार की वसूली संभव है, संबद्ध लागत और माल की संभव वापसी विश्वसनीय रूप से अनुमान लगाया जा सकता है, राजस्व पर कोई निरंतर प्रभावी नियंत्रण, या साथ प्रबंधकीय भागीदारी नहीं है जब राजस्व मान्यता प्राप्त है, माल, और राजस्व की मात्रा विश्वसनीयता से मापी जा सकती है।

9.2. सेवाओं से प्राप्त राजस्व

प्रदत्त सेवाओं से प्राप्त राजस्व को आम तौर पर रिपोर्टिंग तिथि पर लेनदेन के पूरा होने के स्तर के अनुपात में मान्यता दी जाती है। निम्नलिखित शर्तों के पूरा होने पर राजस्व की पहचान की जाती है:

- राजस्व की मात्रा विश्वसनीयता से मापी जा सके;
- यह संभव है कि लेनदेन से जुड़ा आर्थिक लाभ संस्थान को मिले ;
- रिपोर्टिंग अवधि के अंत में लेनदेन के पूरा होने का चरण विश्वसनीयता से मापा जा सकता है; तथा
- लेनदेन लागत और लेनदेन को पूरा करने में लगी लागत को विश्वसनीयता से मापा जा सकता है

राजस्व की विभिन्न धाराओं के संबंध में राजस्व मान्यता इस प्रकार है:

स्ट्रीटलाइट और कृषि पंप परियोजनाएं:

स्ट्रीटलाइट और कृषि पंप परियोजनाओं की आपूर्ति और स्थापना से प्राप्त राजस्व ग्राहकों से हुए समझौते के आधार पर लाभ या हानि में वर्णित है।

सलाहकार सेवा परियोजनाएं:

रिपोर्टिंग तिथि पर लेनदेन के पूरा होने के स्तर के अनुपात में प्रदान किए गए परामर्श सेवाओं से प्राप्त राजस्व लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त है। पूरा होने का चरण वास्तविक प्रचालन के संदर्भ में निष्पादित कार्य के तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर संबंधित अनुबंधों की शर्तों के अनुसार मूल्यांकन किया जाता है।

9.3. अन्य आय

ब्याज आय की पहचान तब की जाती है, जब समय अनुपात आधार पर बकाया राशि और प्रभावी ब्याज दर विधि (ईआईआर) का उपयोग करते हुए, लागू ब्याज दर को ध्यान में रखते हुए उसे मापने और एकत्रित करने में कोई खास अनिश्चितता मौजूद न हो। ईएमआर का उपयोग करके ब्याज आय दर्ज की गई है। ईआईआर वह दर है जो वित्तीय साधनों की अपेक्षित जीवन पर या अनुमानित भविष्य के नकद भुगतान या रसीदों को ठीक से छूट देता है, जहां उपयुक्त है, वित्तीय परिसंपत्ति की सकल ले जाने की मात्रा या वित्तीय देयता की परिशोधित लागत के लिए। ईआईआर की गणना करते समय, कंपनी वित्तीय साधन के सभी संविदात्मक शर्तों (उदाहरण के लिए, प्रीपेमेंट, एक्सटेंशन, कॉल और इसी तरह के विकल्प) पर विचार करके अपेक्षित नकदी प्रवाह का अनुमान लगाता है, लेकिन अपेक्षित क्रेडिट घाटे पर विचार नहीं करता है। लाभ और हानि के बयान में ब्याज आय अन्य आय में शामिल है।

9.4. व्यय

वास्तविक आधार पर खर्च का हिसाब किया जाता है और सभी ज्ञात घाटे और दायित्वों के लिए प्रावधान किया जाता है।

9.5. सलाहकार अनुबंधों पर व्यय

सलाहकार करारों पर होने वाले व्यय को उस अनुबंध पर दी गई सेवा की प्रगति के आधार पर आय के अनुपात में शामिल किया जाता है।

9.6. उजाला कार्यक्रम के जागरूकता अभियान पर खर्च

राज्य में डीएलपी / उजाला कार्यक्रम पर विज्ञापन / जागरूकता पर होने वाले व्यय को चालू वर्ष में वितरित किए गए एलईडी बल्बों के अनुपात में मुनाफे और हानि के वक्तव्य के लिए प्रभारित किया जाता है, इसके साथ-साथ उस संबंधित राज्य के लिए कुल लक्षित एलईडी बल्ब वितरण की शुरुआत होती है। वर्ष और शेष राशि आगे के वर्षों में लाभ और हानि के बयान के लिए चार्ज करने के लिए आगे ले जाया जाता है। डीएलपी / उजाला कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय मीडिया कैम्पिंग पर लगाए गए समान खर्च, वर्तमान वित्तीय वर्ष में वितरित कुल एलईडी बल्बों के लिए लाभ और हानि के बयान के आरोप में लगाए गए हैं, इस पर डीएलपी / उजाला कार्यक्रम के तहत समग्र लक्षित एलईडी बल्ब वितरण के साथ-साथ वर्ष की शुरुआत और शेष राशि आगे के वर्षों में लाभ और हानि विवरण में चार्ज करने के लिए अग्रसारित होती है।

10. कर्मचारी लाभ

10.1. निर्धारित योगदान योजना

एक परिभाषित योगदान योजना रोजगार बाद योजना है जिसके तहत एक इकाई अलग संस्थाओं में निर्धारित अंशदान का भुगतान करती है और आगे की रकम का भुगतान करने के लिए कोई कानूनी या रचनात्मक दायित्व नहीं होगा। परिभाषित योगदान योजनाओं में योगदान के लिए दायित्व कर्मचारियों के कर्मचारियों द्वारा प्रदान की जाने वाली अवधि के दौरान लाभ या हानि में कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में मान्यता प्राप्त है। प्रीपेड योगदान को एक परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है जो कि नकद वापसी या भविष्य के भुगतान में कमी

उपलब्ध है। परिभाषित योगदान योजना का योगदान जो उस अवधि के समापन के 12 महीनों से अधिक समय के बाद होता है, जिसमें कर्मचारियों को सेवा प्रदान की जाती है उनके वर्तमान मूल्य के लिए छूट दी जाती है। कंपनी भविष्य निधि आयुक्त के लिए पूर्वनिर्धारित दरों पर भविष्य निधि में निश्चित योगदान देता है। वर्ष के लिए फंड में योगदान खर्च के रूप में पहचाना जाता है और लाभ या हानि के लिए चार्ज किया जाता है।

10.2. परिभाषित लाभ योजनाएं

परिभाषित लाभ योजना एक रोजगार बाद योगदान योजना है। ग्रेच्युटी के प्रति कंपनी की देनदारी परिभाषित लाभ योजनाओं की प्रकृति में है। परिभाषित लाभ योजनाओं के संबंध में कंपनी की शुद्ध दायित्व अलग-अलग योजना के लिए अलग-अलग गणना की जाती है, जो भविष्य के लाभ की राशि का अनुमान लगाते हैं जो कर्मचारियों ने अपनी सेवा के बदले वर्तमान और पूर्व की अवधि में अर्जित किए हैं; यह लाभ इसके वर्तमान मूल्य को निर्धारित करता है। किसी भी अज्ञात सेवा शुल्क की कटौती की जाती है। छूट दर भारत की सरकारी प्रतिभूतियों की प्रचलित बाजार की पैदावार पर आधारित होती है, रिपोर्टिंग तारीख के अनुसार, जो कंपनी की दायित्वों की शर्तों का अनुमान लगाने की परिपक्वता तिथि होती है और जो उसी मुद्रा में अंकित होती हैं जिसमें लाभ का भुगतान करने की उम्मीद की जाती है। अनुमानित इकाई क्रेडिट विधि का उपयोग करके एक योग्य एक्च्यूरी द्वारा प्रतिवर्ष का आकलन किया जाता है। जब गणना कंपनी के लिए एक लाभ में परिणाम, मान्यता प्राप्त संपत्ति किसी भी अज्ञात पिछले सेवा लागतों की कुल तक सीमित है। उस अवधि में ओसीआई में किसी भी बीमित लाभ या हानि को मान्यता दी जाती है जिसमें वे पैदा होते हैं।

10.3. अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

कंपनी अवकाश भुनाने (लीव इनकैशमेंट) के तहत मिलने वाले लाभ को दीर्घावधि कर्मचारी लाभ के रूप में देखती है।

लीव इनकैशमेंट के संबंध में कंपनी का दायित्व कर्मचारियों को वर्तमान और पूर्व अवधि में उनकी सेवा के लिए बदले में अर्जित राशि है; यह लाभ अपने वर्तमान मूल्य को निर्धारित करने छूट देता है। छूट दर भारत की सरकारी प्रतिभूतियों की प्रचलित यील्ड के आधार पर रिपोर्टिंग की तारीख के आधार पर होती है, जो कंपनी की दायित्वों की शर्तों का अनुमान लगाने की परिपक्वता तिथि होती है। अनुमानित इकाई क्रेडिट विधि का उपयोग करके गणना की जाती है किसी भी बीमितिक लाभ या हानि के उत्पन्न होने वाली अवधि में लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त है।

10.4. अल्पावधि लाभ

अल्पावधि कर्मचारी लाभ को उसी साल में भुगतानित कर दिया जाता है, जिस वर्ष संबंधित सेवाएं ली गयी हैं।

11. आयकर

आयकर व्यय में वर्तमान और आस्थगित कर शामिल है। वर्तमान कर व्यय को लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त है, अगर वह अन्य समग्र आय और इक्विटी में प्रत्यक्ष रूप से चिह्नित वस्तुओं से जुड़ा है तो, इस स्थिति में ओसीआई या इक्विटी में मान्यता प्राप्त है। मौजूदा कर, वर्ष के लिए कर योग्य आय पर देय अपेक्षित कर, अधिनियमित या पर्याप्त रूप से अधिनियमित कर दरों या रिपोर्टिंग की तारीख में लागू है, और पिछले वर्षों के संबंध में देय कर के किसी भी समायोजन का उपयोग कर देय है।

आस्थगित करों को बैलेंसशीट के तरीके से चिह्नित किया गया है। आस्थगित कर टैक्स दरों पर अनुमानित है, जो रिपोर्टिंग तारीख द्वारा अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित किए गए कानूनों के आधार पर, जब वे रिवर्स करते हैं तो अस्थायी अंतर पर लागू होने की संभावना है। वर्तमान कर देनदारियों और परिसंपत्तियों को ऑफसेट करने का कानूनी तौर पर लागू करने योग्य अधिकार होने पर डिफर्ड कर संपत्ति और देयताएं ऑफसेट होती हैं, और वे उसी कर प्राधिकरण द्वारा लगाए गए आय कर से संबंधित हैं। आस्थगित करों को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है, अगर वह अन्य समग्र आय और इक्विटी में प्रत्यक्ष रूप से चिह्नित वस्तुओं से जुड़ा है तो, इस स्थिति में ओसीआई या इक्विटी में मान्यता प्राप्त है।

आस्थगित कर संपत्ति को उस हद तक मान्यता दी जाती है कि यह संभव है कि भविष्य में कर योग्य मुनाफा उपलब्ध होगा जिसके अस्थायी अंतर का उपयोग किया जा सकता है। आस्थगित कर संपत्ति की प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर समीक्षा की जाती है और इस सीमा तक कम हो जाता है कि यह संभव नहीं है कि संबंधित कर लाभ साकार हो जाएगा।

लाभांश के वितरण से उत्पन्न होने वाले अतिरिक्त आय करों को उसी समय में मान्यता मिलती है जब संबंधित लाभांश का भुगतान करने की देयता को मान्यता मिलती है।

12. लीज

संचालित लीज की अकाउंटिंग-पट्टेदार

उस तरह के लीज समझौते, जहां परिसंपत्ति के मालिकाना हक से जुड़े जोखिम और लाभ काफी हद तक पट्टेदार के रूप में कंपनी को हस्तांतरित न हों, उन्हें संचालित लीज कहते हैं। इस प्रकार के लीज के तहत भुगतान को पट्टे की अवधि के दौरान स्ट्रीट लाइन आधार पर लाभ एवं हानि खाते में वर्णित किया जाता है, जब तक कि पट्टा देने वाले की क्षतिपूर्ति के लिए अपेक्षित सामान्य मुद्रास्फीति की तर्ज पर भुगतान नहीं बढ़ता है। पट्टे की अवधि के मुकाबले प्राप्त लीज प्रोत्साहनों को कुल लीज व्यय का अभिन्न अंग माना गया है।

13. गैर-वित्तीय संपत्तियों की हानि

कंपनी की गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों की मात्रा की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर यह निर्धारित करने के लिए की जाती है कि क्या इंड-एएस 26 के (परिसंपत्ति पर की हानि) प्रावधान के अनुसार, किसी हानि के संकेत तो नहीं है। यदि कोई ऐसा संकेत मौजूद है, तो संपत्ति की वसूली योग्य राशि अनुमान की जाती है।

किसी परिसंपत्ति या नकदी पैदा करने वाली इकाई की वसूली योग्य मात्रा, लागत को हटाकर इसका वास्तविक मूल्य और इस्तेमाल में इसका मूल्य है। उपयोग में मूल्य का आकलन करने में, अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह को पूर्व-कर का उपयोग करते हुए अपने वर्तमान मूल्य में छूट दी जाती है।

छूट दर परिसंपत्ति संबंधी जोखिम और धन के समय मूल्य का मौजूदा बाजार मूल्यांकन को दर्शाती है। हानि परीक्षण के प्रयोजन के लिए, संपत्ति जो अलग-अलग परीक्षण नहीं की जा सकती है, उन संपत्तियों के सबसे छोटे समूह में एक साथ समूहीकृत की जाती है जो अन्य परिसंपत्तियों या परिसंपत्तियों के समूह ('नकदी पैदा करने वाले इकाई', या 'सीजीयू') के सतत उपयोग से नकदी प्रवाह उत्पन्न करती हैं।

हानि को तब मान्यता दी जाती है जब किसी परिसंपत्ति या उसके सीजीयू की वहन राशि उसके अनुमानित वसूली योग्य राशि से अधिक है। हानि को लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त है। सीजीओ के संबंध में मान्यता प्राप्त हानि सीजीजी की परिसंपत्तियों की मात्रा से कम हो जाती है। पूर्वकाल में मान्यता प्राप्त हानि का आकलन किसी भी संकेत के लिए प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर किया जाता है कि हानि कम हो गई है या अब मौजूद नहीं है। वसूली योग्य राशि निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल अनुमानों में कोई बदलाव आया है, तो एक हानि उलट हो जाती है एक हानि के नुकसान को केवल उस हद तक उलट दिया जाता है जो परिसंपत्ति की ले जाने वाली राशि

उस निर्धारित राशि से अधिक नहीं होती है जो निर्धारित किया जाता है, अवमूल्यन या परिशोधन के शुद्ध होने पर, यदि कोई हानि नहीं पहचाना गया है।

14. संचालन श्रेणी

इंड-एएस 108 के अनुसार, सेगमेंट जानकारी पेश करने के लिए प्रयुक्त ऑपरेटिंग सेगमेंट को कंपनी के प्रबंधन द्वारा उपयोग किए गए आंतरिक रिपोर्टों के आधार पर खंडों के संसाधनों को आवंटित करने और उनके प्रदर्शन का आकलन करने के लिए पहचान की जाती है। निदेशक मंडल सामूहिक रूप से कंपनी के 'मुख्य परिचालन निर्णय निर्माता' या 'सीओडीएम' के रूप में इंड-एएस 108 में के अर्थ में है। आंतरिक रिपोर्टिंग प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल किए गए संकेतकों को प्रदर्शन मूल्यांकन उपायों के संबंध में विकसित किया जा सकता है। सीडीएम में रिपोर्ट किए जाने वाले सेगमेंट के परिणामों में एक सेगमेंट के लिए सीधे तौर पर विशेषताओं के साथ-साथ उन लोगों को भी शामिल किया जाता है, जिन्हें उचित आधार पर आवंटित किया जा सकता है। गैर आवंटित मदों में मुख्य रूप से कॉर्पोरेट व्यय, वित्त व्यय और आयकर खर्च शामिल हैं। श्रेणी के राजस्व को प्रत्यक्ष रूप से श्रेणी राजस्व के रूप में माना जाता है। श्रेणी के प्रत्यक्ष खर्च और उचित आधार पर आवंटित सामान्य खर्च को सीमेंट व्यय के रूप में माना जाता है।

श्रेणी पूंजी व्यय अवधि के दौरान संपत्ति, संयंत्र, उपकरण और सद्भावना के अलावा अन्य अमूर्त परिसंपत्तियों को प्राप्त करने में लगी लागत है। श्रेणी परिसंपत्ति में संपत्ति, संयंत्र, उपकरण, अमूर्त परिसंपत्तियां, कारोबार और अन्य प्राप्त किये जाने वाले भंडार और अन्य परिसंपत्तियां जिन्हें सीधे तौर पर सीमेंट को आवंटित किया जा सकता है।

वर्ष की श्रेणी रिपोर्टिंग के उद्देश्य से संपत्ति, संयंत्र और उपकरण जो इस्तेमाल के आधार पर श्रेणी को आवंटित किये गये वे संबंधित श्रेणी में वर्णित हैं। श्रेणी की परिसंपत्ति में निवेश, आयकर परिसंपत्ति, प्रगतिमान पूंजी, एडवांस कैपिटल, कॉर्पोरेट परिसंपत्ति और जो श्रेणी को तार्किक रूप से आवंटित नहीं किये जाते वैसी चालू परिसंपत्तियां शामिल नहीं हैं। श्रेणी की जवाबदेही में मुख्यतः व्यापार और अन्य देनदारियां, कर्मचारी लाभ और प्रावधान शामिल हैं। सेगमेंट देनदारियों में इक्विटी, आयकर देनदारियों, ऋण और उधारी और अन्य देनदारियों और प्रावधान शामिल नहीं हैं, जो श्रेणी को तार्किक रूप से आवंटित नहीं किए जा सकते हैं।

15. लाभांश

कंपनी के शेयरधारकों के लिए देय लाभांश और अंतिम लाभांश उस अवधि में इक्विटी में बदलाव के रूप में पहचाने जाते हैं, जिसमें उन्हें निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाता है और शेयरधारक की बैठक द्वारा क्रमशः अनुमोदित किया जाता है।

16. मैटेरियल प्राय पीरिएड एरर

मैटेरियल प्राय पीरिएड एरर को प्राय पीरिएड की तुलनात्मक राशि को ठीक करके ठीक कर लिया गया। यदि त्रुटि की शुरुआत सबसे पहले की अवधि से पहले की गई थी, तो प्रस्तुत की गई प्रारंभिक अवधि के लिए परिसंपत्तियों, देनदारियों और इक्विटी के उद्घाटन के शेष को पुनः ठीक किया गया है।

17. आय प्रति शेयर

वित्तीय वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से कंपनी की इक्विटी शेयरधारकों के मुकाबले शुद्ध लाभ या हानि को विभाजित करके प्रति इक्विटी शेयर की मूल आय का आकलन किया जाता है। प्रति इक्विटी शेयर की कमाई की गणना इक्विटी शेयरों की मूल आय के लिए भारित औसत इक्विटी शेयरों और भारित औसत इक्विटी शेयरों की औसत संख्या के आधार पर कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों के लिए शुद्ध लाभ या हानि को विभाजित करके की जाती है। सभी संभावित इक्विटी शेयरों के रूपांतरण पर जारी किए गए।

18. पूंजी प्रवाह विवरण

नकद प्रवाह विवरण इंड-एएस 7 में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार तैयार किया गया है।

19. वित्तीय साधन

वित्तीय साधन ऐसा कोई भी अनुबंध है, जो किसी इकाई की वित्तीय परिसंपत्ति को बढ़ाती है और किसी अन्य संस्था के लिए वित्तीय देनदारी या इक्विटी उपकरण है।

19.1. वित्तीय परिसंपत्ति

वित्तीय परिसंपत्तियों की प्रारंभिक मान्यता और माप

सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को उचित मूल्य पर शुरू में पहचाना जाता है, लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर दर्ज वित्तीय संपत्तियों के मामले में लेनदेन की लागत, जो अधिग्रहण या वित्तीय परिसंपत्ति के जारी होने के कारण होती है।

परिमाणी माप

ऋणमुक्ति लागत पर परिमाणीकृत माप ऋण साधन

प्रारंभिक माप के बाद, ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों को बाद में ईआईआर पद्धति का उपयोग करके ऋणमुक्ति लागत पर मापा जाता है।

ऋणमुक्ति लागत की गणना ईआईआर से जुड़े शुल्की या लागत और अधिग्रहण पर मिली छूट या प्रीमियम को ध्यान में रखकर की जाती है। ईआईआर ऋणमुक्ति को लाभ या हानि में वित्तीय आय में शामिल किया जाता है। हानि से होने वाले नुकसान को हानि या लाभ में चिह्नित किया जाता है। यह श्रेणी सामान्यतः व्यापार और अन्य प्राप्य पर लागू होती है।

एफवीटीओसीआई पर ऋण साधन (ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य)

ऋण साधन को एफवीटीओसीआई के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि निम्न दोनों मानदंड पूरे हो जाते हैं:

(ए) व्यापार मॉडल का उद्देश्य सविदागत नकदी प्रवाह को इकट्ठा करके और वित्तीय परिसंपत्तियों को बेचकर दोनों हासिल किया गया है, और

(बी) परिसंपत्ति के अनुबंधित नकदी प्रवाह एसपीपीआई का प्रतिनिधित्व करता है, एफवीटीओसीआई श्रेणी के भीतर शामिल ऋण साधनों की शुरुआत और साथ ही उचित मूल्य पर प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर मापा जाता है। उचित मूल्य आंदोलन ओसीआई में मान्यता प्राप्त है हालांकि, कंपनी व्याज आय, नुकसान हानि और रिवर्सल और विदेशी मुद्रा लाभ या लाभ और नुकसान में हानि पहचानती है। परिसंपत्ति की मान्यता पर, ओसीआई में पहले से मान्यता प्राप्त संचयी लाभ या हानि को इक्विटी से लाभ और हानि के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है। एफआईटीओसीआई ऋण साधन रखने पर ईआईआर पद्धति का उपयोग करते हुए व्याज आय के रूप में व्याज अर्जित किया गया है।

एफआईवीपीएल पर ऋण साधन (लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य)

एफवीटीपीएल ऋण साधनों के लिए एक अवशिष्ट श्रेणी है। किसी भी ऋण साधन, जो वर्गीकृत करने के लिए मानदंडों के अनुसार परिशोधित लागत या एफवीटीओसीआई के रूप में नहीं मिलता है, को एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसके अलावा, कंपनी एक डेट इस्टीमेट को वर्गीकृत करने का चयन कर सकती है, जो अन्यथा एफवीटीपीएल के अनुसार परिशोधित लागत या एफवीटीओसी मानदंडों को पूरा करती है। हालांकि, ऐसे चुनावों की अनुमति केवल तभी दी जाती है जब कोई माप या मान्यता असंगतता को कम कर देता है या समाप्त कर देता है (जिसे 'अकाउंटिंग विसंगति' कहा जाता है) एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल ऋण उपकरणों को उचित मूल्य पर मापा जाता है, जो लाभ और हानि में मान्यता प्राप्त सभी परिवर्तनों के साथ मापा जाता है।

इक्विटी निवेश

इक्विटी निवेश संयुक्त उद्यमों में इक्विटी निवेश लागत पर मापा जाता है।

गैर मान्य

एक वित्तीय परिसंपत्ति (या, जहां लागू हो, वित्तीय परिसंपत्ति का एक हिस्सा या समान वित्तीय संपत्ति की कंपनी का हिस्सा) मुख्य रूप से गैर मान्य होता है (यानी कंपनी की बैलेंस शीट से निकाल दिया गया) जब:

- संपत्ति से नकदी प्रवाह पाने का अधिकार समाप्त हो गया है, या
- कंपनी ने परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के लिए अपने अधिकारों को स्थानांतरित कर दिया है या किसी 'पास-थ्रू' व्यवस्था के तहत किसी तीसरे पक्ष के भौतिक देरी के बिना पूरी तरह से प्राप्त नकदी प्रवाह का भुगतान करने के लिए एक दायित्व ग्रहण किया है; और या तो (ए) कंपनी परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को काफी हद तक स्थानांतरित कर दिया है, या (बी) कंपनी न तो हस्तांतरित की है और न ही परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को बरकरार रखा है, लेकिन परिसंपत्ति पर नियंत्रण स्थानांतरित कर दिया है।

वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

इंड-एएस के अनुसार, कंपनी अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) मॉडल को मापने और निम्नलिखित वित्तीय संपत्तियों और क्रेडिट जोखिम जोखिम पर हानि के नुकसान की पहचान करती है:

(ए) वित्तीय साधन जो ऋण के साधन हैं, और परिशोधित लागत जैसे ऋण, ऋण प्रतिभूतियां, जमा, व्यापार प्राप्त्य और बैंक बैलेंस में मापा जाता है।

(बी) इंड-एएस के तहत व्यापार प्राप्तियां।

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों और जोखिम पर हानि के नुकसान की मान्यता के लिए, कंपनी निर्धारित करती है कि क्या प्रारंभिक मान्यता से क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है या नहीं। यदि क्रेडिट जोखिम में काफी वृद्धि नहीं हुई है, तो 12 महीने का ईसीएल हानि के नुकसान के लिए उपयोग किया जाता है। हालांकि, यदि क्रेडिट जोखिम में काफी वृद्धि हुई है, तो जीवनकाल ईसीएल का उपयोग किया जाता है। यदि, बाद की अवधि में, साधन की क्रेडिट गुणवत्ता में सुधार होता है जैसे कि प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट जोखिम में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई है, तो इकाई 12 महीने के ईसीएल पर आधारित हानि भत्ता पहचानती है।

19.2. वित्तीय देनदारियां

प्रारंभिक मान्यता और माप

सभी वित्तीय देनदारियों को शुरू में उचित मूल्य पर मान्यता प्राप्त है, उधारी तथा देनदारियों के मामले में, सीधे लेनदेन की लागत। कंपनी की वित्तीय देनदारियों में व्यापार और अन्य देनदारियां, उधार और प्रतिधारण धन शामिल हैं।

बाद के माप

वित्तीय देनदारियों का माप उनके वर्गीकरण पर निर्भर करता है, जैसा कि नीचे वर्णित है:

परिमाणीकृत लागत पर वित्तीय देयताएं

प्रारंभिक माप के बाद, ऐसी वित्तीय देनदारियों को बाद में एआईआर पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है। लाभ और हानि में लाभ या हानि में पहचाने जाते हैं जब देनदारियों को मान्यता दी जाती है और साथ ही ईआईआर परिशोधन प्रक्रिया के माध्यम से ऋणमुक्त लागत का आकलन किसी भी छूट या अधिग्रहण पर प्रीमियम या फीस या लागत जो कि ईआईआर का एक अभिन्न अंग है, ईआईआर परिशोधन को लाभ या हानि में वित्त लागतों में शामिल किया गया है। यह श्रेणी आम तौर पर उधार, व्यापार भुगतान और अन्य संविदागत देनदारियों पर लागू होती है।

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देनदारियां

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देनदारियों में लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य के रूप में प्रारंभिक मान्यता पर नामित व्यापारिक और वित्तीय देनदारियों के लिए आयोजित वित्तीय देनदारियां शामिल हैं। वित्तीय देनदारियां को वर्गीकृत के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि वे निकट अवधि में पुनर्खरीद के प्रयोजन के लिए किए गए हैं। इस श्रेणी में कंपनी द्वारा दर्ज किए गए व्युत्पन्न वित्तीय साधनों को भी शामिल किया गया है, जो इंड-एएस 109 द्वारा परिभाषित हेजिंग रिजर्व में हेजिंग इस्टीमेट के रूप में निर्दिष्ट नहीं हैं। व्यापार के लिए रखी गई देयताओं पर लाभ या हानि लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त है।

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर प्रारंभिक मान्यता पर वित्तीय देनदारी को मान्यता की प्रारंभिक तिथि पर नामित किया गया है, और यदि केवल इंड-एएस 109 में मानदंड पूर्ण हैं तो एफवीटीपीएल के रूप में नामित उत्तरदायित्वों के लिए, ओसीआई में अपने क्रेडिट जोखिम में होने वाले बदलावों के कारण उचित मूल्य लाभ/हानि को मान्यता दी जाती है। ये लाभ/हानि बाद में लाभ और हानि में स्थानांतरित नहीं किए जाते हैं। हालांकि, कंपनी इक्विटी के भीतर संचयी लाभ या हानि हस्तांतरित कर सकती है। ऐसे दायित्व के उचित मूल्य में अन्य सभी परिवर्तन लाभ या हानि के बयान में मान्यता प्राप्त हैं। कंपनी ने लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य के रूप में किसी वित्तीय देनदारियां को निर्दिष्ट नहीं किया है।

देनदारी के तहत दायित्व का निर्वहन या रद्द या समाप्त होने पर वित्तीय देयता को मान्यता दी जाती है। जब एक मौजूदा वित्तीय देयता को एक ही ऋणदाता से काफी भिन्न शर्तों पर बदल दिया जाता है या मौजूदा दायित्वों की शर्तों को काफी हद तक संशोधित किया जाता है, तो इस तरह के विनिमय या संशोधन को मूल उत्तरदायित्व की मान्यता और नई देनदारी की मान्यता के रूप में माना जाता है। संबंधित ले जाने की मात्रा में अंतर लाभ या हानि के बयान में मान्यता प्राप्त है।

अमान्यता

वित्तीय देनदारी को तब अमान्य किया जाता है, जब देनदारियों के तहत निर्वहन रद्द या समाप्त हो जाती है। जब एक मौजूदा वित्तीय देनदारी समान ऋणदाता से काफी भिन्न शर्तों पर बदल दी जाती है या मौजूदा दायित्वों की शर्तों को काफी हद तक संशोधित किया

जाता है, तो इस तरह के विनिमय या संशोधन को मूल दायित्व की मान्यता और एक नई देयता की मान्यता के रूप में माना जाता है। संबंधित अग्रसारित मात्रा में अंतर लाभ या हानि के बयान में मान्यता प्राप्त है।

(डी) अनुमान और प्रबंधन निर्णय

वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए निर्णय लेने, अनुमान और धारणाएं बनाने के लिए प्रबंधन की आवश्यकता होती है, जो लेखांकन नीतियों के आवेदन और परिसंपत्तियों, देनदारियों, आय, व्यय और संबंधित वस्तुओं के संबंधित मूल्यों के साथ-साथ आकस्मिक परिसंपत्तियों और देनदारियों के संबंधित खातों की रिपोर्ट को प्रभावित कर सकते हैं। बैलेंस शीट की तारीख अनुमान और प्रबंधन के निर्णय पिछले अनुभव और परिस्थितियों में उचित और विवेकपूर्ण माना जाने वाले अन्य कारकों पर आधारित होते हैं। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से अलग हो सकते हैं। अनुमान और अंतर्निहित मान्यताओं की निरंतर आधार पर समीक्षा की जाती है। लेखा अनुमानों के लिए संशोधन उस अवधि में मान्यता प्राप्त है जिसमें अनुमान संशोधित किए गए हैं और किसी भी भविष्य की अवधि में प्रभावित हैं।

वित्तीय वक्तव्यों को समझने के लिए, वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त राशियों पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव वाले लेखांकन नीतियों को लागू करने में आकलन, अनिश्चितता और महत्वपूर्ण निर्णयों के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के बारे में जानकारी निम्नानुसार है:

1. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का जीवनचक्र

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का अनुमानित उपयोगी जीवन कई कारकों पर आधारित है जिसमें अप्रचलन, मांग, प्रतिस्पर्धा और अन्य आर्थिक कारकों (जैसे उद्योग की स्थिरता और ज्ञात तकनीकी प्रगति) के प्रभाव और आवश्यक रखरखाव व्यय का स्तर शामिल है परिसंपत्ति से आने वाले भविष्य के नकदी प्रवाह को प्राप्त करने के लिए कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग की समाप्ति पर समीक्षा करती है, जो संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का उपयोगी जीवन है, और यदि उपयुक्त हो तो संभावित रूप से समायोजित किया जाता है।

2. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की पुनर्प्राप्ति योग्य राशि

पौधों और उपकरणों की वसूली योग्य राशि परियोजनाओं से जुड़े विशेष रूप से अपेक्षित बाजार दृष्टिकोण और भावी नकदी प्रवाह के बारे में अनुमान और मान्यताओं पर आधारित है। इन मान्यताओं में कोई भी बदलाव वसूल योग्य राशि के माप पर एक भौतिक प्रभाव हो सकता है और हानि हो सकती है।

3. रोजगार बाद लाभ योजना

कर्मचारी लाभ दायित्वों को बीमाकिक मान्यताओं के आधार पर मापा जाता है जिसमें मृत्यु दर और वापसी दरों के साथ-साथ छूट दरों में भविष्य के विकास, वेतन बढ़ने की दर और छूट दर के बारे में अनुमान लगाए गए हैं। कंपनी समझती है कि अपने दायित्वों को मापने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मान्यताओं को उचित और दस्तावेज दिया गया है। हालांकि, इन धारणाओं में होने वाले किसी भी परिवर्तन से परिणामी गणनाओं पर एक भौतिक प्रभाव हो सकता है।

4. राजस्व

कंपनी ने प्राप्त या प्राप्ति योग्य, रिटर्न का शुद्ध, व्यापार छूट और वॉल्यूम छूट के उचित मूल्य पर राजस्व को मान्यता दी है। भविष्य में नकदी प्रवाह के उचित मूल्य की गणना करने के लिए कंपनी ने छूट दर के रूप में उधार लेने की वृद्धि दर का इस्तेमाल किया है।

5. प्रावधान और आकस्मिक धन

प्रावधानों और आकस्मिकताओं को पहचानने में किए गए मूल्यांकनों को इंड-एस 37 के अनुसार, 'प्रावधान, आकस्मिक देनदारियों और आकस्मिक परिसंपत्तियों' के अनुसार बनाया गया है। आकस्मिक घटनाओं की संभावना के मूल्यांकन में संभावित नुकसान के संपर्क की संभावना के बारे में प्रबंधन द्वारा सर्वोत्तम निर्णय की आवश्यकता है। परिस्थितियों में परिवर्तन अप्रत्याशित घटनाओं के बाद होना चाहिए, यह संभावना बदल सकती है।

2. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

31 मार्च 2017 को

₹ लाख में

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यहास / परिशोधन और हानि			नेट ब्लॉक	
	01.04.2016 को	इजाफा	कटौती / समायोजन	31.03.2017 को	01.04.2016 तक	वर्ष के लिए	कटौती / समायोजन	31.03.2017 तक	31.03.2017 को
भूमि	-	743.64	-	743.64	-	-	-	-	743.64
लीज होल्ड सुधार	161.72	33.76	-	195.48	8.78	26.53	-	35.31	160.17
प्रोजेक्ट उपकरण	28,683.16	36,932.52	-	65,615.68	1,664.12	5,363.95	-	7,028.07	58,587.61
सेलफोन	11.38	26.08	-	37.46	3.94	9.95	-	13.89	23.57
दफ्तर के उपकरण	63.07	105.75	-	168.82	9.76	22.75	-	32.51	136.31
फर्नीचर फिट करना	289.65	33.41	-	323.06	27.52	30.54	-	58.05	265.00
कंप्यूटर	142.19	152.26	-	294.45	36.71	64.14	-	100.85	193.60
कुल	29,351.17	38,027.42	-	67,378.59	1,750.83	5,517.86	-	7,268.69	60,109.90
									27,600.34

2. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

31 मार्च 2017 को

₹ लाख में

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यहास / परिशोधन और हानि			नेट ब्लॉक		
	01.04.2015 को	इजाफा	कटौती / समायोजन	31.03.2016 को	01.04.2015 तक	वर्ष के लिए	कटौती / समायोजन	31.03.2016 तक	31.03.2016 को	01.04.2015 को
प्रोजेक्ट उपकरण	5,083.93	23,599.23	-	28,683.16	-	1,664.12	-	1,664.12	27,019.03	5,083.93
सेलफोन	4.69	7.83	1.14	11.38	-	4.50	0.56	3.94	7.44	4.69
दफ्तर के उपकरण	38.12	24.95	-	63.07	-	9.76	-	9.76	53.31	38.12
फर्नीचर फिट करना	261.79	27.86	-	289.65	-	27.52	-	27.52	262.13	261.79
कंप्यूटर	58.40	85.82	2.03	142.19	-	37.59	0.88	36.71	105.48	58.40
लीज होल्ड सुधार	133.74	27.98	-	161.72	-	8.78	-	8.78	152.94	133.74
कुल	5,580.67	23,773.67	3.17	29,351.17	-	1,752.27	1.44	1,750.83	27,600.34	5,580.67

31 मार्च 2017 को						₹ लाख में
विवरण	1 अप्रैल 2015 को सकल ब्लॉक	1 अप्रैल 2015 को संचित अभिव्यक्ति	1 अप्रैल 2015 को नेट ब्लॉक (डीमंड कोस्ट)	1 अप्रैल 2015 को समायोजन के रूप में इंडस्ट्रीज	1 अप्रैल 2015 को खोलने की शेष राशि	
प्रोजेक्ट उपकरण	14,366.81	555.27	13,811.54	(8,727.61)	5,083.93	
सेलफोन	10.38	5.69	4.69	-	4.69	
दफ्तर के उपकरण	48.52	10.40	38.12	-	38.12	
फर्नीचर	279.02	17.23	261.79	-	261.79	
कंप्यूटर	111.41	53.01	58.40	-	58.40	
लीज होल्ड सुधार	137.98	4.24	133.74	-	133.74	
कुल	14,954.12	645.84	14,308.28	(8,727.61)	5,580.67	

अमूर्त संपत्ति

31 मार्च 2017 को						₹ लाख में
विवरण	सकल ब्लॉक			ऋणमुक्ति		नेट ब्लॉक
	01.04.2016 को	इजाफा	कटौती / समायोजन	वर्ष के लिए	कटौती / समायोजन	
सॉफ्टवेयर	36.62	64.60	-	25.71	28.44	33.89
कुल	36.62	64.60	-	25.71	28.44	33.89

31 मार्च 2016 को						₹ लाख में
विवरण	सकल ब्लॉक			ऋणमुक्ति		नेट ब्लॉक
	01.04.2015 को	इजाफा	कटौती / समायोजन	वर्ष के लिए	कटौती / समायोजन	
सॉफ्टवेयर	21.82	14.80	-	2.73	2.73	21.82
कुल	21.82	14.80	-	2.73	2.73	21.82

क) संपत्ति के सकल ब्लॉक और पिछले जीएपी के तहत जमा मूल्यहास के बारे में जानकारी इस प्रकार है:

31 मार्च 2017 को					₹ लाख में
विवरण	1 अप्रैल 2015 को सकल ब्लॉक	1 अप्रैल 2015 को संचित अवमूल्यन	1 अप्रैल 2015 को निवल ब्लॉक (डीमंड कोस्ट)	1 अप्रैल 2015 को समायोजन के रूप में इंडस्ट्रीज	1 अप्रैल 2015 को खोलने की शेष राशि
सॉफ्टवेयर	30.78	8.96	21.82	-	21.82
कुल	30.78	8.96	21.82	-	21.82

3. प्रगतिमान पूंजी

31 मार्च 2017 को

₹ लाख में

विवरण	01.04.2016 को	वृद्धि	कटौती / समायोजन	31.03.2017 को
प्रगतिमान पूंजी				
सीडब्ल्यूआईपी – एसएपी	-	437.11	-	437.11
बिहार शरीफ स्ट्रीट लाइट	4.02	15.09	19.11	-
धर्मशाला स्ट्रीटलाइट एच.पी.	0.06	-	-	0.06
सीडब्ल्यूआईपी – एसएल एलईडी राजस्थान	4,319.39	23,942.68	20,179.83	8,082.24
सीडब्ल्यूआईपी – एसएल एलईडी आंध्र प्रदेश	1,800.12	17,565.03	12,435.95	6,929.20
छत्तीसगढ़ परियोजना	11.40	456.23	2.94	464.69
केरल एलईडी स्ट्रीट लाइटिंग	35.54	464.06	6.64	492.96
मरीन ड्राइव मुंबई एलईडी एसएल	246.24	3,036.80	485.06	2,797.98
सीडब्ल्यूआईपी – एसएल एलईडी पंजाब	-	236.78	-	236.78
सीडब्ल्यूआईपी – एडीडीएसएम – आंध्र प्रदेश	22.83	908.34	931.17	-
सीडब्ल्यूआईपी – एडीडीएसएम – कर्नाटक	-	1.95	1.95	-
सीडब्ल्यूआईपी – एडीडीएसएम – महाराष्ट्र	-	13.97	-	13.97
सीडब्ल्यूआईपी – एजीडीएसएम-राजस्थान	-	16.74	-	16.74
कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस – बिल्डिंग जम्मू और कश्मीर	-	108.32	0.17	108.15
सीडब्ल्यूआईपी- सीपीडब्ल्यूडी बिल्डिंग दिल्ली (डायरेक्ट व्यय)	-	4.81	-	4.81
सीडब्ल्यूआईपी – सीपीडब्ल्यूडी – आईपी भवन दिल्ली	-	623.58	-	623.58
सीडब्ल्यूआईपी – यूपीएससी – दिल्ली	-	4.56	-	4.56
जीवीएमसी स्ट्रीट लाइटिंग	6.83	-	-	6.83
दक्षिण दिल्ली एलईडी स्ट्रीट लाइट	6,560.47	9,178.19	12,878.14	2,860.52
सीडब्ल्यूआईपी – एसएल एलईडी – डिब्रूगढ़	-	32.77	-	32.77
सीडब्ल्यूआईपी – एसएल एलईडी – जीएचएमसी	-	52.68	-	52.68
सीपीडब्ल्यूडी – आईपी भवन दिल्ली	217.99	2.42	131.20	89.21
सीडब्ल्यूआईपी- डीएमआरसी राजीव चौक (डायरेक्ट व्यय)	-	53.22	-	53.22
सीडब्ल्यूआईपी- डीएमआरसी राजीव चौक (अप्रत्यक्ष व्यय)	-	2.25	-	2.25
सीडब्ल्यूआईपी- नीती आयुक्त सीपीडब्ल्यूडी पीएच-2 भवन (प्रत्यक्ष व्यय)	-	26.89	-	26.89
गोवा स्ट्रीट लाइट प्रोजेक्ट	0.23	3,836.46	43.79	3,792.90
सीडब्ल्यूआईपी – एसएल एलईडी गुजरात	-	3,820.71	-	3,820.71
गुवाहाटी स्ट्रीट लाइटिंग	6.89	404.34	6.61	404.62
एच.पी. एलईडी स्ट्रीट लाइट	0.58	1,853.39	940.65	913.32
सीडब्ल्यूआईपी – एसएल एलईडी – झारखंड	-	688.87	-	688.87
सीडब्ल्यूआईपी – एसएल एलईडी जम्मू और कश्मीर	-	40.16	-	40.16
सीडब्ल्यूआईपी – एसएल एलईडी तेलंगाना	-	302.58	-	302.58
लखनऊ एलईडी स्ट्रीट लाइटिंग	5.25	-	-	5.25
एमईएस दिल्ली कैंट एलईडी स्ट्रीट लाइटिंग	1.25	-	-	1.25
शिमला एलईडी स्ट्रीट लाइट	1.82	-	-	1.82
वाराणसी एलईडी स्ट्रीट लाइटिंग	1,033.45	2,083.51	275.68	2,841.27
मेडक एगड्सम तेलंगाना	10.06	0.03	10.09	-
सीडब्ल्यूआईपी – जयपुर प्रॉपर्टी	-	334.56	-	334.56
सीडब्ल्यूआईपी – कोलकाता संपत्ति	-	55.29	-	55.29
सीडब्ल्यूआईपी – ट्रेड मार्क	-	0.77	-	0.77
सीडब्ल्यूआईपी-एसएल गोवा (मुंबई)	-	0.31	-	0.31
सीडब्ल्यूआईपी-एसएल- गुजरात (मुंबई)	-	13.14	-	13.14
सीडब्ल्यूआईपी-एसएल- महाराष्ट्र (मुंबई)	-	11.04	-	11.04
सीडब्ल्यूआईपी – बांड पर ब्याज (अनब्लॉक) *	-	53.32	-	53.32
कुल	14,284.41	70,682.95	48,348.98	36,618.37

* उपयोग के अगले वर्ष में पूंजीकरण के लिए योग्यता प्राप्त परिसंपत्तियों के अधिग्रहण या निर्माण के उपयोग के लिए उधार लेने की अनुपयुक्त राशि के अनुपात में उधार लेने की लागत को रखा गया है। हालांकि, अस्थायी निवेश पर अर्जित आय, योग्य परिसंपत्तियों पर अपने व्यय को लंबित रखती है, उधार लेने की लागत से पूंजीकरण के लिए पात्र होती है, जैसा कि नोट सी 4 में लेखांकन नीतियों में कहा गया है "आईआरटी 'उधार लेने की लागत'।"

3. प्रगतिमान पूंजी

31 मार्च 2016 को

₹ लाख में

विवरण	01.04.2015 को मान ली गई लागत	वृद्धि	कटौती / समायोजन	31.03.2016 को
प्रगतिमान पूंजी				
बिहार शरीफ स्ट्रीट लाइट	-	4.02	-	4.02
धर्मशाला स्ट्रीट लाइट एच.पी.	-	0.06	-	0.06
राजस्थान एसएल चरण-II	-	4,639.29	936.52	3,702.77
राजस्थान एसएल एंड पीएच-4	-	1.54	0.01	1.53
13 यूएलबी एपी एलईडी स्ट्रीट लाइट	11.29	1,374.65	1,372.42	13.52
51 यूएलबी के एपी एलईडी स्ट्रीट लाइटिंग	-	10,090.73	8,304.13	1,786.60
सीईएससी मैसूर	20.62	388.65	409.26	-
अगरतला एमसी एलईडी स्ट्रीट लाइट	133.52	31.68	165.19	0.01
अलीगढ़ एमसी एलईडी स्ट्रीट लाइट	1.75	1,024.60	1,026.35	0.01
छत्तीसगढ़ परियोजना	11.39	0.22	0.21	11.40
केरल एलईडी स्ट्रीट लाइटिंग	12.34	23.20	-	35.54
मरीन ड्राइव मुंबई एलईडी स्ट्रीट लाइट	107.20	139.03	-	246.23
मुंबई (डीएलपी और स्ट्रीट लाइट)	23.35	15.56	38.90	0.01
राजस्थान एलईडी डेल्प और स्ट्रीट लाइट)	4.75	14.23	18.98	-
एडीडीएसएम राजानगर एपीईपीडीसीएल	0.22	22.60	-	22.82
जीवीएमसी स्ट्रीट लाइटिंग	18.94	2,568.84	2,580.95	6.83
दक्षिण दिल्ली एलईडी स्ट्रीट लाइट	187.70	354.45	196.85	345.30
सीपीडब्ल्यूडी - आईपी भवन दिल्ली	-	217.99	-	217.99
गोवा स्ट्रीट लाइट प्रोजेक्ट	-	0.23	-	0.23
गुवाहाटी स्ट्रीट लाइटिंग	-	6.88	-	6.88
एच.पी. एलईडी स्ट्रीट लाइट	-	0.58	-	0.58
लखनऊ एलईडी स्ट्रीट लाइटिंग	-	5.25	-	5.25
एमईएस दिल्ली कैंट एलईडी स्ट्रीट लाइटिंग	-	1.25	-	1.25
राजस्थान एसएल चरण- III	-	2.46	-	2.46
राजस्थान स्ट्रीट लाइट चरण- I	-	3,728.26	3,115.63	612.63
शिमला एलईडी स्ट्रीट लाइट	-	1.82	-	1.82
दक्षिण डीएमसी एलईडी एसएल पीएच -1	-	12,780.68	6,565.51	6,215.17
वाराणसी एलईडी स्ट्रीट लाइटिंग	-	1,045.03	11.59	1,033.44
मेडक एगड्सम तेलंगाना	-	10.06	-	10.06
कुल	533.07	38,493.84	24,742.50	14,284.41

4. गैर-चालू ऋण

	31.03.2017	31.03.2016	01.04.2015
विवरण	को	को	को
कर्मचारियों के लिए ऋण (अर्जित ब्याज सहित) असुरक्षित	41.61	3.79	2.73
सुरक्षा जमा (असुरक्षित, अच्छा माना जाने वाला)	85.98	37.83	26.24
कुल	127.59	41.62	28.97

5. अन्य गैर-चालू वित्तीय संपत्तियां

	31.03.2017	31.03.2016	01.04.2015
विवरण	को	को	को
बकाया राजस्व—	5,301.33	10348.39	5765.06
धारणाधिकार के तहत बैंकों के साथ जमा'	4,814.74	12.56	-
कुल	10,116.07	10,360.95	5,765.06

* बैंकों के पास जमा धारणाधिकारों में एनर्जी प्रोमो एसेट्स लिमिटेड (संयुक्त उद्यम कंपनी) द्वारा लाभांश के लिए 4.800 लाख और सीएसटी और वैट के लिए 14.74 लाख की एफडी के सावधि ऋण के संबंध में आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, भारत द्वारा आईसीआईसीआई बैंक यूके पीएलसी को जारी किए गए स्टैंडबाई लेटर ऑफ क्रेडिट के आधार पर आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, भारत में एफडी शामिल है।

6. अन्य गैर-चालू संपत्तियां

	31.03.2017	31.03.2016	01.04.2015
विवरण	को	को	को
पूँजी में वृद्धि	557.02	928.73	30.76
पूँजी अग्रिमों के अलावा अन्य अग्रिम सुरक्षा जमा	12.33	11.85	-
डिफेंड किराया	25.27	22.38	21.51
कुल	594.62	962.96	52.27

7. भंडार

	31.03.2017	31.03.2016	01.04.2015
विवरण	को	को	को
व्यापार में स्टॉक (ट्रांजिट में माल सहित: 1,142.58 लाख, 31 मार्च 2016 रु 1,162.96 लाख 01 अप्रैल 2015 रु शून्य)	15,464.97	18860.87	84.37
पुराने पंप	-	29.52	13.32
कुल	15,464.97	18,890.39	97.69

क) इन्वेंटरी आइटम की गणना लेखा नीति सी 5 के अनुसार नहीं की गई है।

ख) माल में पारगमन की कीमत पर मूल्यवान किया गया है

ग) वर्ष के दौरान व्यय के रूप में मान्यता प्राप्त इन्वेंट्री की लागत 82,559.5 9 लाख (व्यापार प्रमोशन के रूप में 71.84 लाख सहित) (पिछला वर्ष आंकड़े: 60,533.46 लाख)

घ) स्टॉक पर पहले पारी-पासु चार्ज और बुक ऋण पर ऋण सुरक्षित हैं। (नोट 16 और 21)

8. व्यापारिक प्राप्तियां

	31.03.2017	31.03.2016	01.04.2015
विवरण	को	को	को
असुरक्षित, अच्छा माना जाने वाला	80,140.77	34,499.82	3,679.50
कुल	80,140.77	34,499.82	3,679.50

स्टॉक पर पहले पारी-पासु चार्ज और बुक ऋण पर ऋण सुरक्षित हैं। (नोट 16 और 21)

9. नकद और नकदी के समतुल्य

	31.03.2017	31.03.2016	01.04.2015
विवरण	को	को	को
बैंकों के साथ शेष चालू खाते	26,459.04	24493.85	3516.69
नकद और सामान्य खर्च की नकदी	8.04	3.17	2.99
कुल	26,467.08	24,497.02	3,519.68

9ए. अन्य बैंकों में शेष राशि

₹ लाख में

विवरण	31.03.2017 को	31.03.2016 को	01.04.2015 को
तीन महीने से अधिक की मूल परिपक्वता वाली जमा राशि और एक वर्ष के भीतर परिपक्व (ब्याज एकत्रित) *	5,767.04	425.28	7431.75
कुल	5,767.04	425.28	7,431.75

* जमा में सीएसटी के लिए एफएसी के तहत एफडी और 4.47 लाख की वैट राशि शामिल है।

10. चालू ऋण

₹ लाख में

विवरण	31.03.2017 को	31.03.2016 को	01.04.2015 को
कर्मचारियों के लिए गारंटी रहित ऋण (अर्जित ब्याज सहित)	32.07	2.19	1.21
सुरक्षा जमा (असुरक्षित, अच्छा माना जाने वाला)	34.29	34.11	3.07
कुल	66.36	36.30	4.28

11. अन्य चालू वित्तीय संपत्तियां

₹ लाख में

विवरण	31.03.2017 को	31.03.2016 को	01.04.2015 को
अग्रिम परियोजना	542.73	1131.92	1026.62
बकाया राजस्वज	6,742.83	7494.93	2795.59
अन्य *	765.09	264.12	43.63
कुल	8,050.65	8,890.97	3,865.84

* तीसरे पक्ष की ओर से अन्य सभी खर्च जो वसूली योग्य हैं।

12. चालू कर संपत्ति (शुद्ध)

₹ लाख में

विवरण	31.03.2017 को	31.03.2016 को	01.04.2015 को
अग्रिम कर	-	376.60	-
स्व मूल्यांकन रिफंड	608.51	18.46	18.46
नियमित मूल्यांकन पर कर	14.23	14.23	-
टीसीएस वसूली योग्य	-	-	-
टीडीएस वसूली योग्य	-	261.20	67.90
कुल	622.74	670.49	86.36

13. अन्य चालू परिसंपत्ति

₹ लाख में

विवरण	31.03.2017 को	31.03.2016 को	01.04.2015 को
वैधानिक अधिकारियों से प्राप्य *	4,427.53	1138.74	76.80
प्रीपेड व्यय **	5,115.03	3610.29	10.24
डिफर्ड किराया	8.92	4.78	3.51
अन्य ***	3,695.87	36.75	17.21
कुल	13,247.35	4,790.56	107.76

* वैधानिक अधिकारियों से प्राप्य, 3,715.19 लाख (31 मार्च 2016 रु शून्य, 1 अप्रैल 2015 रु शून्य) की बिक्री में बिक्री कर अधिकारियों के विरोध में भुगतान किया गया।

** राज्य में डीएलपी / उजाला कार्यक्रम पर विज्ञापन / जागरूकता पर होने वाले व्यय को चालू वर्ष में वितरित किए गए एलईडी बल्बों के अनुपात में मुनाफे और हानि के वक्तव्य के लिए प्रभावित किया जाता है, जो उस संबंधित राज्य के लिए कुल लक्षित एलईडी बल्ब वितरण के साथ-साथ वर्ष की शुरुआत और शेष राशि आगे के वर्षों में लाभ और हानि के बयान को चार्ज करने के लिए आगे ले जाती है। डीएलपी / उजाला कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय मीडिया कैंपिंग पर लगाए गए समान खर्च, वर्तमान वित्तीय वर्ष में वितरित कुल एलईडी बल्बों के लिए लाभ और हानि के बयान पर आरोप लगाया गया है, जबकि डीएलपी / उजाला कार्यक्रम के तहत समग्र लक्षित एलईडी बल्ब वितरण के साथ-साथ वर्ष की शुरुआत और शेष राशि आगे के वर्षों में लाभ और हानि के बयान के लिए चार्ज करने के लिए आगे ले जाती है। तदनुसार, वर्ष 2016-17 के दौरान विज्ञापन पर किए गए ₹ 37.95 करोड़ से बाहर, ₹ 20.98 करोड़ को सिर के तहत प्रीपेड खर्च को 'अन्य वर्तमान आस्तियों' के रूप में स्थगित किया गया है।

*** अन्य में विक्रेताओं और कर्मचारियों को दी अग्रिम राशि शामिल है।

14. शेयर पूंजी

₹ लाख में

विवरण

31.03.2017 को

31.03.2016 को

01.04.2015 को

इक्विटी शेयर पूंजी

अधिकार दिया गया

10/- प्रत्येक के सममूल्य 50,00,00,000 के शेयर (31 मार्च 2016 और 1 अप्रैल 2015 तक 10/- प्रत्येक के सममूल्य 50,00,00,000 के शेयर)

50,000.00

50,000.00

19,000.00

जारी, सब्सक्राइब किया गया और पूरी तरह से भुगतान किया गया

46,20,00,000 के शेयर 10/- प्रत्येक सममूल्य (16,50,00,000 के शेयर 31 मार्च 2016 तक 10/- प्रत्येक सममूल्य और 10/- प्रत्येक सममूल्य के रूप में 1 लाख के रूप में 9,00,00,000 शेयर अप्रैल 2015)

46,200.00

16,500.00

9,000.00

क. इक्विटी शेयर पूंजी का चलन

विवरण	31.03.2017 को		31.03.2016 को	
	शेयरों की संख्या	राशि	शेयरों की संख्या	राशि
वर्ष की शुरुआत में गैर भुगतानित	16,50,00,000	16,500	9,00,00,000	9,000
जमा : वित्तीय वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयर	29,70,00,000	29,700	7,50,00,000	7,500
वर्ष के अंत में गैर भुगतानित	46,20,00,000	46,200	16,50,00,000	16,500

(ख) इक्विटी शेयर से जुड़े अधिकार और शर्तें:

कंपनी के सिर्फ एक ही श्रेणी के इक्विटी शेयर हैं, जो 10 रुपये प्रत्येक के मूल्य के हैं। शेयरधारकों को समय-समय पर घोषित लाभांश पाने का हक है और वे शेयरधारकों की बैठक में अपनी शेयरधारिता के अनुपात में वोट का अधिकार रखते हैं।

(ग) लाभांश:

	वर्ष के दौरान भुगतानित	
	2016-17	2015-16
(i) इक्विटी शेयर 31 मार्च 2016 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए अंतिम लाभांश 0.65/- (31 मार्च 2015 ₹ 0.30/-) प्रति पूर्ण भुगतानित शेयर	1,067.72	271.79
(ii) रिपोर्टिंग अवधि के अंत में गैर मान्यता वाले लाभांश उपरोक्त लाभांश के अतिरिक्त, निदेशकों ने प्रति पूर्ण भुगतानित इक्विटी शेयर के लिए ₹ XX (31 मार्च 2016: ₹ 0.65/-) के अंतिम लाभांश भुगतान की सिफारिश की है।		1,067.72

(डी) कंपनी में पांच प्रतिशत से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारकों का विवरण

शेयरधारकों के नाम	31.03.2017		31.03.2016		01.04.2015	
	शेयरों की संख्या	श्रेणी में धारित प्रतिशत	शेयरों की संख्या	श्रेणी में धारित प्रतिशत	शेयरों की संख्या	श्रेणी में धारित प्रतिशत
एनटीपीसी लिमिटेड	14,65,00,000	31.71	4,75,00,000	28.79	2,25,00,000	25.00
पावरग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	2,25,00,000	4.87	2,25,00,000	13.63	2,25,00,000	25.00
रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन इंडिया लिमिटेड	14,65,00,000	31.71	4,75,00,000	28.79	2,25,00,000	25.00
पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड	14,65,00,000	31.71	4,75,00,000	28.79	2,25,00,000	25.00
कुल	46,20,00,000		16,50,00,000		9,00,00,000	

15. अन्य इक्विटी

विवरण	31.03.2017 को	31.03.2016 को	₹ लाख में 01.04.2015 को
आवंटन के लिए लंबित शेयर आवेदन राशि	-	19,800.00	-
डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व	1,452.99	-	-
प्रतिधारण आय	7,880.80	5,463.02	2,173.99
कुल	9,333.79	25,263.02	2,173.99

समाप्त वर्ष के लिए

	31.03.2017	31.03.2016
(क) डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व		
ओपनिंग बैलेंस	-	-
जोड़े: प्राप्त आय से ट्रांसफर	1,452.99	-
क्लोजिंग बैलेंस	1,452.99	-

कंपनी को मुनाफे से डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनाने की आवश्यकता है जो डिबेंचर के मुक्ति के प्रयोजन के लिए लाभांश के भुगतान के लिए उपलब्ध है।

(ख) प्राप्त आय

ओपनिंग बैलेंस	5,463.02	2,173.99
जोड़े: पूर्व वर्ष के लिए लाभांश पर कर	-	1.53
जोड़े: लाभ और हानि विवरण के अनुसार वर्ष का लाभ	5,185.64	3,708.13
घटाएं: भुगतानित लाभांश	1,067.72	271.79
भुगतानित लाभांश पर कर	223.37	56.86
डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में स्थानांतरण	1,452.99	-
इक्विटी शेयर जारी करने में लेनदेन लागत, शुद्ध कर	19.42	90.69
	7,885.15	5,464.31

अन्य समग्र आय की वस्तुएं जिन्हें प्राप्त आय में प्रत्यक्ष चिह्नित किया गया है

रोजगार बाद लाभ दायित्व का पुनर्माप, शुद्ध कर	(4.35)	(1.29)
क्लोजिंग बैलेंस	7,880.80	5,463.02

16. गैर चालू उधार

विवरण	31.03.2017 को	31.03.2016 को	01.04.2015 को
बैंकों के अलावा अन्य से सावधि ऋण			
असुरक्षित			
(i) केएफडब्ल्यू ऋण—भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत (19.6% लोन आधे सालाना आधार पर 30.06.2018 से शुरू हुआ, यूरो 2,149,000 की 14 किश्तों में और यूरो 2,942,000 प्रत्येक के तीन किश्तों में)	30,193.76	22,639.05	8,818.53
(ii) एएफडी ऋण—भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत (1.87% पीए का ऋण 30.10.2020 से प्रति छमाही के रूप में 2,500,000 यूरो की 20 समान किश्तों में प्रतिवर्ष चुकता होने की शुरुआत हो चुकी है।)	2,595.53	-	-
सुरक्षित			
(i) 8.07% डिबेंचर (घरेलू बांड) – वर्तमान और भविष्य दोनों के चलने योग्य फिक्स्ड एसेट्स पर पारी पास प्रभार द्वारा सुरक्षित (तीन) असमान अलग-अलग हस्तांतरणीय प्राप्य प्राचार्य भागों (एसटीआरपीपी) के साथ 8.07% सुरक्षित गैर-संचयी गैर-परिवर्तनीय प्रतिदेय कर योग्य बांड 12,500.00 लाख, 12,500.00 लाख और 25,000.00 लाख प्रतिदेय 20.03.2020, 20.09.2021 और 20.09.2023 के बराबर, क्रमशः (प्रथम अंक—निजी प्लेसमेंट)	52,133.57	-	-
(ii) पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (पीएफएस) लोन—पहले पारी-पास प्रभार द्वारा कंपनी के पूरे स्टॉक के अधिभौतिकरण के माध्यम से सुरक्षित। 01.04.2017 से शुरू होने वाले 4 समकक्ष तिमाही किश्तों में चुकाए जाने वाले 10.25% पीएसी से 10.50% पीए (पीएफएस संदर्भ दर से जुड़े) के बीच अलग-अलग ऋण, बिल, बकाया धन, प्राप्तियां, बुक करें।	10,000.00	10,034.68	-
	94,922.86	32,673.73	8,818.53
घटायें : दीर्घकालिक उधार की मौजूदा परिपक्वता	10,000.00	2,403.69	-
घटायें : दीर्घकालिक उधारों पर अर्जित ब्याज	2,299.00	145.08	42.18
कुल	82,623.86	30,124.96	8,776.35
वर्ष के अंत में ऋण/ब्याज के पुनर्भुगतान में कोई चूक नहीं हुई है			

17. अन्य गैर चालू वित्तीय देयताएं

विवरण	31.03.2017 को	31.03.2016 को	01.04.2015 को
प्रतिधारण धन	5,194.96	3,014.00	384.08
कुल	5,194.96	3,014.00	384.08

18. गैर मौजूदा प्रावधान

विवरण	31.03.2017 को	31.03.2016 को	01.04.2015 को
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान			
ग्रेच्युटी	61.30	26.76	14.37
छुट्टियों का नकदीकरण	161.86	65.83	35.40
	223.16	92.59	49.77

19 इंड एस के अनुसार 'कर्मचारी लाभ' को नोट 34 में बताया गया है।

19. अस्थायी कर देयताएं (शुद्ध)

विवरण	31.03.2017 को	31.03.2016 को	01.04.2015 को
विलम्बित कर देयता			
उचित मूल्य पर मापा गया राजस्व	4,197.71	6,204.68	2,737.93
परिमाणीकृत लागत पर मापा गया वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताएं	709.47	524.35	54.97
आस्थगित कर परिसंपत्तियां			
पुस्तक मूल्यहास और कर मूल्यहास में अंतर	4,576.68	6,448.28	2,580.56
अवकाश का नकदीकरण	59.55	23.84	12.09
बोनस के लिए प्रावधान	21.43	0.88	-
गैरच्युटी के लिए प्रावधान	0.88	9.42	4.77
ऑपरेटिंग पट्टा देनदारी	15.90	10.17	4.01
उचित मूल्य पर मापा गया राजस्व	211.78	-	-
परिमाणीकृत लागत पर मापा गया वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताएं	12.58	10.00	-
अन्य लोग	0.00	90.51	10.91
कुल	8.38	135.93	180.55

क) आस्थगित कर परिसंपत्तियां और स्थगित कर देयताएं ऑफसेट की गई हैं क्योंकि वे उसी शासी कानूनों से संबंधित हैं।

चलन में आस्थगित कर शेष

31 मार्च 2017

₹ लाख में

विवरण	नेट शेष 1 अप्रैल 2016	लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त	ओसीआई में मान्यता प्राप्त	नेट शेष 31 मार्च 2017
उचित मूल्य पर मापा गया राजस्व	6,204.68	(2,006.98)	-	4,197.71
परिमाणीकृत लागत पर मापा गया वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताएं	524.35	185.12	-	709.47
कम:				
पुस्तक मूल्यहास और कर मूल्यहास में अंतर	6,448.28	(1,871.59)	-	4,576.68
छुट्टी नकदी छोड़ दें	23.84	35.71	-	59.55
गैरच्युटी के लिए प्रावधान	9.42	9.70	2.30	21.43
बोनस के लिए प्रावधान	0.88	-	-	0.88
ऑपरेटिंग पट्टा देनदारी	10.17	5.73	-	15.90
उचित मूल्य पर मापा गया राजस्व	-	211.78	-	211.78
परिमाणीकृत लागत पर मापा गया वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताएं	10.00	2.58	-	12.58
अन्य	90.51	(90.51)	-	0.00
कर संपत्ति / (देयताएं)	135.95	(125.26)	(2.30)	8.38

31 मार्च 2017

₹ लाख में

विवरण	नेट शेष 1 अप्रैल 2015	लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त	ओसीआई में मान्यता प्राप्त	नेट शेष 31 मार्च 2016
उचित मूल्य पर मापा गया राजस्व	2,737.93	3,466.76	-	6,204.68
परिमाणीकृत लागत पर मापा गया वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताएं	54.97	469.38	-	524.35
कम:				
पुस्तक मूल्यहास और कर मूल्यहास में अंतर	2,580.56	3,867.72	-	6,448.28
छुट्टी का नकदीकरण	12.09	11.75	-	23.84
गैरच्युटी के लिए प्रावधान	4.77	3.97	0.68	9.42
बोनस के लिए प्रावधान	-	0.88	-	0.88
ऑपरेटिंग पट्टा देनदारी	4.01	6.15	-	10.17
उचित मूल्य पर मापा गया राजस्व	-	-	-	-
परिमाणीकृत लागत पर मापा गया वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताएं	-	10.00	-	10.00
अन्य	10.91	79.60	-	90.51
कर संपत्ति / (देयताएं)	180.55	(43.92)	(0.68)	135.95

20. अन्य गैर-चालू देयताएं

विवरण	31.03.2017 को	31.03.2016 को	01.04.2015 को
ऑपरेटिंग लीज देनदारियां	43.95	29.38	12.38
कुल	43.95	29.38	12.38

21. चालू उधारी

विवरण	31.03.2017 को	31.03.2016 को	01.04.2015 को
बैंक से ऋण			
सुरक्षित			
(i) आईसीआईसीआई बैंक – पहले पारी पासू प्रभार द्वारा शेयर और प्राप्य दोनों वर्तमान और भविष्य दोनों से सुरक्षित (आरओआई 8.20% पीएसी से 8.90% पीए के बीच बदलती है, जो कि संबंधित योजनाओं के वितरण के दिनांक को दिसंबर 2017 से मार्च 2018 तक के ₹ 450.00 लाख से लेकर 5000.00 लाख तक के भुगतान के रूप में चुकाए जाने वाले तारीखों के आधार पर बदलते हैं।	18,000.00	15,000.00	-
(ii) कैनरा बैंक – बुक डेट पर पारी-पासु शुल्क द्वारा सुरक्षित (19 सितंबर, 2016 से मासिक आधार पर 10.55% ऋण चुकौती, 1,666.67 लाख प्रत्येक के 6 समान किश्तों में)	-	10,000.00	-
(iii) एचडीएफसी – स्टॉक और डेट पर पहली बार पारी पासु शुल्क द्वारा सुरक्षित (आरओआई 8.15% प्रति वर्ष फरवरी 2018 से मार्च 2018 तक संबंधित किश्तों के बुलेट पैमेंट के रूप में चुकाए जाने पर ₹ 500.00 लाख से लेकर 2,000.00 लाख तक की रकम)	4,000.00	-	-
(iv) (आरओआई 8.15% प्रति वर्ष। फरवरी 2018 से मार्च 2018 तक संबंधित किश्तों के बुलेट पैमेंट के रूप में चुकाए जाने पर 500.00 लाख से लेकर 2,000.00 लाख तक की रकम) (आरओआई 8.20: पीएसी से 9.10: पीए के बीच अलग-अलग हो रहा है। संबंधित योजनाओं के वितरण के दिनांक के अनुसार दिसंबर 1, 2017 से मार्च 2018 तक की अवधि के आधार पर संबंधित ट्रांजों की देनदारी के आधार पर 1,000.00 लाख से लेकर 12,000.00 लाख तक की सीमा होती है।	13,000.00	-	-
असुरक्षित			
(i) इंडसइंड बैंक (10.00: की दो किश्तों में ₹ 1,500.00 लाख और 2,000.00 लाख रुपये में ऋण चुकौती क्रमशः 28.02.2017 और 7.03.2017 को क्रमशः और ₹ 3500.00 लाख के समतुल्य हेज विदेशी मुद्रा ऋण।	-	3,500.00	-
कुल	35,000.00	28,500.00	-

22. भुगतान योग्य व्यापार

विवरण	31.03.2017 को	31.03.2016 को	01.04.2015 को
माल और सेवाओं के लेनदार	45,869.51	34,794.41	9,377.27
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए कोई बकाया राशि नहीं है इस पर किसी भी ब्याज या बकाया नहीं है			

23. अन्य मौजूदा वित्तीय देयताएं

विवरण	31.03.2017 को	31.03.2016 को	₹ लाख में 01.04.2015 को
दीर्घकालिक उधार की वर्तमान परिपक्वता अन्य से सुरक्षित सावधि रुपया ऋण	10,000.00	2,403.69	-
	10,000.00	2,403.69	-
उधार पर अर्जित ब्याज	2,299.00	145.08	42.18
खर्च के लिए देयताएं	77.12	511.62	79.04
प्रतिधारण धन	4,084.26	2,495.33	169.01
बयाना राशि	691.17	398.97	297.09
कर्मचारियों को देय	57.63	3.38	0.39
देय प्रतिबद्धता शुल्क	3.36	-	-
एक्सिस क्रेडिट कार्ड	2.10	1.12	0.47
कुल	17,214.64	5,959.19	588.18
ब्याज दर और सुरक्षित दीर्घकालिक उधार लेने की मौजूदा परिपक्वता की अदायगी की शर्तों के संबंध में विवरण नोट 16 में खुलासा किया गया है।			

24. अन्य चालू देनदारियां

विवरण	31.03.2017 को	31.03.2016 को	₹ लाख में 01.04.2015 को
सांविधिक बकाया	4,978.37	1505.01	68.30
परिसमापन हर्जाना	0.67	1.73	-
परियोजना पर प्राप्त अग्रिम	10,473.86	61.24	4.15
गैरउत्पार्जित आय	153.06	-	-
ऑपरेटिंग लीज देनदारियां	1.99	-	-
कुल	15,607.95	1,567.98	72.45

25. चालू प्रावधान

विवरण	31.03.2017 को	31.03.2016 को	₹ लाख में 01.04.2015 को
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान			
उपहार	0.62	0.47	0.33
लीज नकदीकरण	10.20	3.05	1.87
कुल	10.82	3.52	2.20

19 शकर्मचारी लाभ के लिए इंड एस 19 द्वारा आवश्यक प्रकटीकरण नोट 34 में किया गया है।

26. परिचालन से राजस्व

विवरण	31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए	₹ लाख में 01.04.2015 को
माल की बिक्री (एलईडी बल्ब)	1,02,248.73		72060.16
सेवाओं की बिक्री	12,837.30		5412.85
अन्य ऑपरेटिंग राजस्व	-		15.63
कुल	1,15,086.03		77,488.64

* अन्य ऑपरेटिंग राजस्व में बैंक गारंटी को जब्त करने के लिए नील (31 मार्च 2016 ₹ 15.63

27. अन्य आय

विवरण	₹ लाख में	
	31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए
निविदा दस्तावेज शुल्क	59.75	41.52
ई-निविदा पंजीकरण शुल्क	14.67	6.51
बैंक गारंटी/ईएमडी के फॉरफिट	-	17.19
कर्मचारियों को ऋण पर ब्याज आय	2.00	0.25
परिमाणीकृत लागत पर मापा गया सुरक्षा जमा पर ब्याज आय	8.38	4.73
उचित मूल्य पर मापा राजस्व पर ब्याज आय	2,885.82	1,852.81
ग्राहकों से ब्याज आय	1,111.61	284.29
ब्याज आय-अन्य	1,493.49	596.16
विदेशी मुद्रा लेनदेन और अनुवाद पर शुद्ध लाभ	1,974.18	-
विविध आय	82.47	19.35
कुल	7,632.37	2,822.82

28. भंडार में बढ़ोतरी/कमी

विवरण	₹ लाख में	
	31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
आरंभिक भंडार	17,950.57	13.32
क्लोजिंग भंडार	(15,464.97)	(17,950.57)
कुल	2,485.60	(17,937.25)

29. कर्मचारी लाभ व्यय

विवरण	₹ लाख में	
	31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
वेतन और मजदूरी	1,806.27	1140.09
भविष्य निधि में योगदान	128.09	96.02
कर्मचारी कल्याण व्यय	156.30	42.32
कुल	2,090.66	1,278.43

विभिन्न कर्मचारी लाभों के लिए किए गए प्रावधानों के संबंध में 19 में इंडस्ट्रीज के रूप में प्रकटीकरण नोट 34 में किए गए हैं।

30. वित्त लागत

विवरण	₹ लाख में	
	31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
परिशोधित लागत पर मापा गया वित्तीय देनदारियों पर वित्त प्रभार		
ऋण	3,681.33	719.84
डिबेंचर	1,497.96	-
रिटेंशन मनी पर डिस्काउंट की छूट नहीं	389.66	65.01
अन्य लोग	199.14	10.79
	5,768.09	795.64
विदेशी मुद्रा लेनदेन और अनुवाद पर शुद्ध नुकसान	-	71.32
अन्य उधार लेने की लागत		
प्रतिबद्धता शुल्क (केएफडब्ल्यू ऋण)	23.19	18.74
गारंटी शुल्क	364.81	501.95
	388.00	520.69
कुल	6,156.09	1,387.65

31. अन्य खर्च

विवरण	31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
वार्षिक रखरखाव प्रभार (परियोजनाएं)	601.06	166.33
कानूनी शुल्क और व्यावसायिक शुल्क	272.93	200.06
वाहक व्यय	90.14	20.61
अन्य खर्च	163.99	215.89
मरम्मत और रखरखाव के खर्च		
— भवन रख — रखाव	23.36	15.53
— कंप्यूटर रखरखाव	6.00	5.72
— घर रखरखाव	0.60	-
आंतरिक लेखा परीक्षा शुल्क	2.26	1.50
विज्ञापन और प्रचार व्यय	457.08	234.66
मुद्रण और स्टेशनरी व्यय	56.39	62.80
पुस्तकें और पत्रिकाओं	2.53	0.47
बैठक व्यय / आतिथ्य व्यय	75.97	35.71
यात्रा और यात्रा व्यय	508.95	126.06
किराया	438.93	118.16
आरओसी शुल्क	-	0.21
विद्युत व्यय	48.52	31.29
लेखा परीक्षकों को भुगतान (नोट एक देखें)	18.08	7.00
बैंक प्रभार	77.10	8.28
प्रायोजन खर्च	1.25	39.09
जनशक्ति व्यय	347.54	48.01
सदस्यता शुल्क	-	0.34
बीमा शुल्क	30.75	11.03
डिफेंड किराया व्यय	16.56	17.01
परीक्षण खर्च	39.24	106.21
व्यवसाय प्रचार	581.64	207.22
दर और करों	430.04	400.36
जागरूकता निर्माण, प्रशिक्षण और आउटरीच क्रियाएँ	37.71	0.00
दिवाली उपहार व्यय	58.20	0.00
वार्षिक दिवस उत्सव व्यय	28.89	0.00
उजाला योजना		
— सॉफ्टवेयर व्यय	391.66	202.90
— परियोजना रखरखाव खर्च	25.78	106.63
— उजाला से संबंधित अन्य परियोजना खर्च	2,745.44	824.01
अन्य परियोजना व्यय	492.88	886.70
कुल	8,071.47	4,099.79

क) लेखा परीक्षकों को भुगतान के संबंध में विवरण:

लेखा परीक्षक के रूप में		
ऑडिट फीस	10.53	5.00
कर लेखा परीक्षा शुल्क	5.01	2.00
सीमित समीक्षा	-	-
अन्य क्षमता में		
अन्य सेवाएं (प्रमाणन शुल्क)	-	-
व्यय की प्रतिपूर्ति	2.54	-
सेवा कर की प्रतिपूर्ति	-	-
कुल	18.08	7.00

32. इंड एस 12 के अनुसार आयकर 'प्रकटीकरण'

(क) आयकर व्यय

i) लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त आयकर

₹ लाख में

	31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
चालू कर व्यय		
चालू वर्ष	3,110.27	1,576.88
पूर्व अवधि के लिए समायोजन	(5.44)	(221.86)
	3,104.83	1,355.02
आस्थगित कर व्यय		
अस्थायी मतभेदों की उत्पत्ति और उल्लमण	(125.26)	(43.92)
	(125.26)	(43.92)
कुल आयकर व्यय	2,979.57	1,311.10

ii) अन्य समेकित आय में मान्यता प्राप्त आयकर

₹ लाख में

	31 मार्च 2017			31 मार्च 2016		
	कर पूर्व	कर खर्च (लाभ)	शुद्ध कर	कर पूर्व	कर खर्च (लाभ)	शुद्ध कर
— परिभाषित लाभ योजनाओं पर शुद्ध बीमांकिक लाभ/(हानि)	(6.65)	2.30	(4.35)	(1.97)	0.68	(1.29)
	(6.65)	2.30	(4.35)	(1.97)	0.68	(1.29)

iii) टैक्स व्यय और लेखा लाभ का भारत के घरेलू कर दर से गुणों का समाधान

₹ लाख में

	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016
कर पूर्व लाभ	8,165.21	5,019.23
34.61% की कंपनी की घरेलू कर दर (31 मार्च 2016 – 34.61%) का उपयोग कर कर	2,825.81	1,737.06
का टैक्स प्रभाव:		
गैर कटौती वाला कर व्यय	124.90	71.21
कर मुक्त आय	(5.44)	(221.86)
अन्य	34.30	(275.31)
36.49% (31 मार्च 2016: 26.12%) की प्रभावी आयकर दर पर	2,979.57	1,311.10

33. इंड एस 33 के अनुसार आय प्रति शेयर' प्रकटीकरण

₹ लाख में

	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016
प्रति शेयर मूल आय	1.25	2.73
प्रति शेयर कम की गई आमदनी	1.25	2.71
नाममात्र मूल्य प्रति शेयर	10	10

(क) इक्विटी शेयरधारकों के लिए लाभ (अंशांश के रूप में इस्तेमाल किया गया)

₹ लाख में

	31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
मूल आय के लिए इक्विटी धारकों के मुकाबले लाभ	5,185.64	3,708.13
इक्विटी धारकों के मुकाबले लाभ	5,185.64	3,708.13

(ख) इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (संख्या के रूप में इस्तेमाल किया जाता है)

संख्याओं में

	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016
जारी इक्विटी शेयरों का बैलेंस खोलना	13,59,01,639	9,00,00,000
वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयरों का प्रभाव, यदि कोई हो	27,74,71,233	4,59,01,639
बेसिक ईपीएस के लिए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	41,33,72,872	13,59,01,639
कमजोर पड़ने का प्रभाव	-	8,11,475
मिश्रित ईपीएस के लिए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	41,33,72,872	13,67,13,114

34. इंड-एस 19 के तहत कर्मचारी लाभ घोषणाएँ

(i) परिभाषित योगदान योजनाएं:

(क) प्रॉविडेंट फंड

कंपनी सरकार द्वारा प्रशासित एक पंजीकृत भविष्य निधि को पूर्वनिर्धारित दरों पर भविष्य निधि में निश्चित योगदान देता है, जो अनुमति प्राप्त प्रतिभूतियों में धन का निवेश करता है। भविष्य निधि में नियोक्ताओं के योगदान से संबंधित 128.09 लाख (31 मार्च 2016 रु.96.02 लाख) की राशि एक व्यय के रूप में मान्यता प्राप्त है और नोट 29 में 'कर्मचारी लाभ व्यय' में शामिल है।

(ख) सेवानिवृत्त कोष

कंपनी एक अलग ट्रस्ट के लिए सेवानिवृत्ति निधि में निश्चित योगदान का भुगतान करती है। सेवानिवृत्ति निधि में नियोक्ताओं के योगदान से संबंधित ₹ 58.73 लाख (31 मार्च 2016: शून्य) की राशि एक व्यय के रूप में मान्यता प्राप्त है और नोट 29 में 'कर्मचारी लाभ व्यय' में शामिल है।

(ii) परिभाषित लाभ योजना:

(क) ग्रैच्युटी

कंपनी एक ग्रैच्युटी योजना संचालित करती है जो अलग-अलग समय पर कंपनी के साथ योग्य वेतन से जुड़े एकमुश्त लाभ और कंपनी के साथ पूर्ण वर्ष की सेवा प्रदान करती है। हर कर्मचारी, जो लगातार 5 साल की सेवा पूरी कर चुका है, संगठन से अपनी सेवानिवृत्ति या अलग होने के समय, जो भी पहले हो, ग्रैच्युटी प्राप्त करने का हकदार है। किसी भी कर्मचारी के लिए जो ग्रैच्युटी लाभ देय है, उसकी गणना 'ग्रैच्युटी के भुगतान अधिनियम, 1972' के प्रावधानों के अनुसार की गयी है।

इस संबंध में प्राप्त बीमाकिक मूल्यांकन के आधार पर, निम्नलिखित तालिका ग्रैच्युटी और पेंशन योजना की स्थिति और कंपनी की वित्तीय वक्तव्यों में तुलन पत्र की तारीख के अनुसार मान्यता प्राप्त राशि निर्धारित करती है:

₹ लाख में

	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
शुद्ध परिभाषित लाभ देयता:			
ग्रैच्युटी (अनफंडेड)	61.91	27.23	14.70
	61.91	27.23	14.70
गैर चालू	61.30	26.76	14.37
चालू	0.61	0.47	0.33
शुद्ध परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति) / देनदारियां			
		परिभाषित लाभ दायित्व	
		31 मार्च 2017	31 मार्च 2016
प्रारम्भिक शेष		27.23	14.70
लाभ या हानि में शामिल:			
वर्तमान सेवा लागत		27.32	9.38
पिछली सेवा लागत		-	-
शुद्ध ब्याज लागत		2.17	1.17
लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त कुल राशि		29.49	10.55
ओसीआई में शामिल:			
पुनर्माप नुकसान (लाभ):			
से उत्पन्न होने वाले एक्चुरियल हानि (लाभ):			
जनसांख्यिकीय मान्यताओं		-	-
वित्तीय मान्यताओं		4.96	1.99
अनुभव समायोजन		1.69	(0.01)
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि		6.65	1.98
अन्य			
नियोक्त द्वारा प्रदत्त अंशदान		-	-
लाभ का भुगतान		1.46	-
जमा शेष		61.91	27.23

ख. परिभाषित लाभ दायित्व**i. बीमांकिक आंकलन**

रिपोर्टिंग तिथि पर बीमांकिक अनुमान निम्न रहा :

	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
छूट की दर	7.35%	8.00%	8.00%
वेतन वृद्धि की दर	6.00%	6.00%	5.50%
सेवानिवृत्ति की आयु (वर्ष)	60	60	60
विकलांगता के लिए प्रावधान सहित मौत की दर''	आईएलएम का 100: (2006 – 08)		
उभ्र			
शुद्ध परिभाषित लाभ में संचालन (परिसंपत्ति/देनदारी) ₹ लाखों में	निकास दर (%)	निकास दर (%)	निकास दर (%)
30 साल तक	3.00	3.00	3.00
31 से 44 साल तक	2.00	2.00	2.00
44 साल से ऊपर	1.00	1.00	1.00

भावी वेतन वृद्धि का आंकलन, बीमांकिक मूल्यांकन में माना जाता है, मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति और अन्य संबंधित कारकों, जैसे कि रोजगार बाजार में आपूर्ति और मांग, के कारण लेना।

B. परिभाषित संवेदनशील लाभ**ii. संवेदनशीलता विश्लेषण**

रिपोर्टिंग तारीख में अन्य अनुमानों को स्थिर रखते हुए प्रासंगिक एकचुपरिएल धारणाओं में से किसी एक में तार्किक संभावित परिवर्तन, निर्धारित लाभ दायित्वों पर नीचे दर्शायी गयी राशि का प्रभाव पड़ेगा।

₹ लाख में

	31 मार्च 2017		31 मार्च 2016	
	वृद्धि	कमी	वृद्धि	कमी
छूट दर (0.5: चलन)	(4.75)	5.28	(2.02)	2.24
वेतन वृद्धि की दर (0.5: चलन)	5.33	(4.83)	2.27	(2.07)

यद्यपि विश्लेषण में योजना के तहत अपेक्षित नकदी प्रवाह के पूर्ण वितरण को नहीं लिया गया है, लेकिन यह प्रदर्शित अनुमानों की संवेदनशीलता का सन्निकटन प्रदान करता है।

उपरोक्त संवेदनशीलता विश्लेषण रिपोर्टिंग अवधि के अंत में होने वाले मुख्य अनुमानों में तार्किक के परिणामस्वरूप निर्धारित लाभ दायित्वों पर पड़ने वाले प्रभाव को विस्तृत करने वाली त पद्धति के आधार पर निर्धारित किया गया है। यह विश्लेषण निर्धारित लाभ दायित्वों में वास्तविक परिवर्तन का प्रतिनिधित्व नहीं करने वाला हो सकता है क्योंकि यह संभव है कि धारणाओं में परिवर्तन एक दूसरे के अलगाव में घटित हों क्योंकि कुछ धारणाएं सहसंबद्ध हो सकती हैं।

(ग) जोखिम अनावरण

पोस्ट रोजगार लाभ योजना कंपनी को बीमांकिक (एक्चुरिएल) जोखिमों जैसे ब्याज दर जोखिम और बाजार (निवेश) जोखिम के सामने ले आती है।

(घ) भविष्य में परिभाषित लाभ योजनाओं का अपेक्षित परिपक्वता विश्लेषण

₹ लाख में

	एक वर्ष के कम	1-2 वर्ष के बीच	2-5 वर्ष के बीच	पांच वर्ष के उपर	कुल
31 मार्च 2017					
ग्रैच्युटी	0.62	0.34	3.09	57.87	61.91
31 मार्च 2016					
ग्रैच्युटी	0.47	0.24	1.82	24.71	27.23
1 अप्रैल 2015					
ग्रैच्युटी	0.33	0.29	0.81	13.27	14.70

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिभाषित लाभ योजना दायित्व की भार औसत अवधि 19.68 वर्ष (31 मार्च 2016 ₹19.67 वर्ष, 01 अप्रैल 2015 ₹17.68 वर्ष) है।

(iii) अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजनाएं**(ए) अवकाश**

कंपनी हर साल अपने कर्मचारियों को 30 दिन का अर्जित अवकाश (मुआवजा अनुपस्थिति सहित) देती है। कंपनी छोड़ने या सेवानिवृत्त होने के समय अधिकतम 300 दिनों का अर्जित अवकाश भुनाया जा सकता है। कंपनी ऐसी अनुपस्थिति की संभावित लागत को अतिरिक्त राशि मानती है, जिसे रिपोर्टिंग की तारीख पर जमा बिना इस्तेमाल किये हुए अधिकार के भुगतान के रूप में करना है और जमा अवकाश

को दीर्घावधि कर्मचारी लाभ के रूप में देखा जाता है। इस योजना को फंड नहीं मिलता और इसकी जिम्मेदारी एक्चुरिएल मूल्यांकन आधार पर पहचानी जाती है। वर्ष क अंत में 40.88 लाख रुपये (31 मार्च 2016: 33.00 लाख रुपये) एक्चुरिएल मूल्यांकन के आधार पर दिये गये और इन्हें लाभ और हानि विवरण में डाला गया।

(बी) प्रदर्शन आधारित भुगतान

लाभ और हानि खाते में डाले गये प्रदर्शन संबंधित भुगतान के 74,59,392 रुपये/- में से 72,76,529 रुपये/- का भुगतान वर्ष के दौरान किया गया है।

लाभ और हानि खाते में डाले गये 54,75,038 रुपये के परिलब्धियों में से पूरी राशि का भुगतान वर्ष के दौरान किया गया है।

35. इंड-एस 17 के अनुसार पट्टे का प्रकटीकरण

ए) ऑपरेटिंग पट्टे

पट्टेदार के रूप में पट्टे

कंपनी ने गैर-रह करने योग्य ऑपरेटिंग पट्टे के तहत कुछ आवासीय / कार्यालय परिसर और गोदामों को लिया है। लाभ और हानि विवरण में वर्ष के दौरान पट्टे के किराये में 438.93 लाख रुपये (31 मार्च 2016 : 135.17 लाख रुपये) दिये गये।

गैर-रह करने योग्य ऑपरेटिंग पट्टों के तहत कुल भावी न्यूनतम पट्टा भुगतान निम्नानुसार हैं :

₹ लाख में

	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
एक वर्ष से कम	373.81	281.53	173.34
एक से पांच वर्ष के बीच	1,079.01	1,009.83	693.34
पांच वर्ष से अधिक	1,813.93	1,411.29	1,574.48
	3,266.75	2,702.65	2,441.16

36. प्रारंभिक देनदारियां और प्रतिबद्धताएं

₹ लाख में

	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
अनुबंधित प्रतिबद्धताएँ			
आईसीआईसीआई बैंक, ब्रिटेन के पक्ष में 55 लाख पाउंड का ऋणपत्र, मै/एसईईएसएल एनर्जी प्रो एसेट लिमिटेड, लंदन, ब्रिटेन के पक्ष में ऋण वितरण के लिए 55 लाख पाउंड, 31 मार्च 2018 तक वैध, दावे की समाप्ति 30 अप्रैल 2018 को।	4,800.00	-	-
कंपनी के दावे ऋण (वैट भुगतानित) के रूप में चिह्नित नहीं।	7,183.28	3,703.55	-
सावधि तमा पर बैंक गारंटी ग्रहणाधिकार	19.21	-	-
	12,002.49	3,703.55	-

दावे को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया: इसमें कंपनी द्वारा देय वैट की समतुल्य राशि से कम दिखाने के कारण 31.03.2016 को आंध्रप्रदेश वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा एपी वैट अधिनियम की धारा 53 (3) के लगाये गये 34.79 करोड़ रुपये की जुर्माने की राशि (गत वर्ष: शून्य) शामिल है। यह मामला अब भी निर्धारण प्राधिकरण के पास लंबित है और विभाग द्वारा शुरू की गई उपर्युक्त जुर्माने संबंधी कार्यवाही पर कोई रोक नहीं लगी है।

अनुबंधित प्रतिबद्धताएँ			
पूजी खाते पर किये गये अनुबंधों का अनुमानित मूल्य और प्रदान नहीं किया गया	79,964.54	32,780.49	5,997.13
राजस्व संबंधी अनुबंधों की अनुमानित लागत और प्रदान नहीं की गयी	1,43,749.09	55,665.11	9,058.57
	2,23,713.63	88,445.60	15,055.70

37. उचित मूल्य माप

(ए) श्रेणी आधार पर वित्तीय साधन

कंपनी की सभी वित्तीय संपत्तियां और देनदारियां जैसे उधार, पूंजीगत व्यय के लिए देयता, अन्य देनदारियां, ऋण, नकद और नकद समकक्ष, अन्य बैंक बैलेंस, बकाया राजस्व और व्यापार और अन्य प्राप्तियों को परिशोधित लागत पर मापा जाता है।

(बी) उचित मूल्य पदानुक्रम

कंपनी ने परिशोधित लागत पर मापे गये वित्तीय साधनों के उचित मूल्य निर्धारण में इनपुट की विश्व सनीयता का संकेत देने के लिए इन्हें इंड एस 113 के तहत उल्लिखित स्तरों में वर्गीकृत किया है। 'उचित मूल्य माप' विवरण, निम्न हैं :

₹ लाख में

परिशोधित लागत पर मापी गयी परिसंपत्ति और देनदारियां, जिसके लिए उचित मूल्य का खुलासा किया गया है।	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 मार्च 2015
31 मार्च 2017 (स्तर 3*)			
वित्तीय परिसंपत्तियां			
सिक्क्योरिटी डिपोजिट	121.00	67.00	26.00
बकाया राजस्व	15,100.00	20,500.00	9,800.00
कर्मचारियों को ऋण	70.00	4.80	3.40
कुल	15,291.00	20,571.80	9,829.40
वित्तीय देनदारियां			
उधारी	87,155.00	33,824.00	8,982.00
प्रतिधारण धन	3,501.00	5,216.00	427.00
कुल	90,656.00	39,040.00	9,409.00

*स्तर 3: यदि एक या अधिक महत्वपूर्ण निविष्टियाँ अवलोकन बाजार के आंकड़ों पर आधारित नहीं हैं, तो उपकरण स्तर 3 में शामिल है। स्तर 3 में शामिल वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों का उचित मूल्य समान उपकरणों पर डीलर के उद्धरण और निरीक्षण योग्य चालू बाजार लेनदेन की कीमतों का इस्तेमाल करके किये गये रियायती नकदी प्रवाह विश्लेषण पर आधारित सामान्यतः प्राइसिंग मॉडल के अनुसार निर्धारित होता है।

(सी) परिशोधित लागत पर मापी गयी वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों का उचित मूल्य

₹ लाख में

विवरण	31 मार्च 2017		31 मार्च 2016		01 अप्रैल 2015	
	मूल राशि	उचित मूल्य	मूल राशि	उचित मूल्य	मूल राशि	उचित मूल्य
वित्तीय परिसंपत्तियां						
सिक्क्योरिटी डिपोजिट	120.27	121.00	71.94	67.00	29.31	26.00
बीमाकिक राजस्व	12,044.16	15,100.00	17,843.33	20,500.00	8,560.65	9,800.00
कर्मचारियों को ऋण	73.68	70.00	5.98	4.80	3.94	3.40
	12,238.11	15,291.00	17,921.24	20,571.80	8,593.90	9,829.40
वित्तीय देनदारियां						
उधारी	82,623.85	87,155.00	32,528.65	33,824.00	8,776.35	8,982.00
प्रतिधारण धन	5,194.96	3,501.00	3,014.00	5,216.00	384.08	427.00
	87,818.81	90,656.00	35,542.65	39,040.00	9,160.43	9,409.00

अल्पावधि कारोबार प्राप्य, अल्पावधि अग्रिम एवं नगद और नगद समतुल्य, पूंजी लेनदारों, व्यापार भुगतान, अल्प अवधि की बकाया राशि और अल्पावधि बकाया धन जमा की शेष राशि को उनके अल्पकालिक प्रकृति/प्राप्ति या मांग पर देय होने के कारण उनके उचित मूल्यों के समान माना जाता है।

सिक्क्योरिटी डिपोजिट, बकाया राजस्व, परिवहन अग्रिम, कर्मचारी ऋण, सावधि ऋण, उधार और प्रतिधारण धन के उचित मूल्य की गणना वर्तमान ऋण देने की दर/उधार दर का उपयोग करके रियायती पूंजी प्रवाह के आधार पर की गयी। निरीक्षण मूल्य सूचकांक के उपयोग के कारण उचित मूल्य पदानुक्रम में उन्हें स्तर 2 के उचित मूल्यों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

38. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

कंपनी की मुख्य वित्तीय देनदारियों में विदेशी और भारतीय मुद्रा में लिया गया ऋण और उधारी, व्यापार भुगतान और अन्य भुगतान शामिल हैं। इन वित्तीय देनदारियों का मुख्य उद्देश्य कंपनी के संचालन के लिए वित्त जुटाना है। कंपनी की प्रमुख वित्तीय परिसंपत्तियों में ऋण, व्यापार और अन्य प्राप्य, नकदी और अल्पावधि जमा शामिल हैं, जो अपने संचालन से सीधे प्राप्त होते हैं।

वित्तीय साधनों के उपयोग से कंपनी निम्नलिखित जोखिमों से उजागर हुई:

- ऋण जोखिम
- तरलता जोखिम
- बाजार जोखिम

यह नोट उपरोक्त जोखिमों के समक्ष कंपनी के उजागर होने, कंपनी के उद्देश्यों, नीतियों और जोखिम को मापने तथा उसके प्रबंधन की प्रक्रियाओं की जानकारी देता है।

ऋण जोखिम

ऋण जोखिम कंपनी के वित्तीय नुकसान का जोखिम है, यदि कोई ग्राहक या किसी वित्तीय साधन की प्रतिपक्षी पार्टी अनुबंध के दायित्वों को पूरा करने में विफल होते हैं तो इससे कंपनी को वित्तीय नुकसान होता है। मुख्य रूप से व्यापार प्राप्तियों, ऋण और अग्रिम, नकद और नकद समकक्ष और बैंकों के साथ जमा से ऋण जोखिम उत्पन्न होता है।

व्यापार प्राप्य

कंपनी मुख्य रूप से सरकारी नियंत्रित संस्थाओं (केंद्रीय और राज्य सरकार दोनों) से अपने राजस्व अर्जित करती है। ऐसी संस्थाओं के मामले में डिफॉल्ट के जोखिम को महत्वहीन माना जाता है। पिछले वर्षों में कंपनी को व्यापार प्राप्तियों के संबंध में कोई भी खास हानि नहीं हुई है। हालांकि, 31.03.2017 को कारोबार प्राप्तियों की शेष राशि पुष्टि और मिलान के अधीन है।

कंपनी ने इनवॉइस की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर चालान के भुगतान की अनुमति दी है, और एपीईपीडीसीएल और एपीएसपीडीसी के साथ संबंधित समझौतों के तहत चालू वित्त वर्ष 2016-17 से 30 दिन से अधिक की देरी के भुगतान पर 18% प्रति वर्ष अधिभार / ब्याज लगाना शुरू किया, जिसके तहत 13.96 करोड़ रुपये का जुर्माना हुआ जिसमें पिछले वित्त वर्ष 2015-16 का 2.84 करोड़ रुपए का ब्याज भी शामिल है।

कंपनी जिस माहौल में व्यवसाय करती है, उसके आधार पर प्रबंधन का मानना है कि अगर भुगतान देय तारीख के 90 दिन बाद हुआ है तो व्यापार प्राप्त डिफॉल्ट (क्रेडिट हानि) में है। पिछले वर्षों में कंपनी को व्यापार प्राप्तियों में कोई खास हानि नहीं हुई है।

चूंकि कंपनी के ग्राहक भारत के विभिन्न राज्य के हैं, इसलिए भौगोलिक दृष्टि से क्रेडिट जोखिम का कोई एकाग्रता नहीं है। हालांकि, प्रबंधन उन कारकों पर विचार करता है जो उद्योग के डिफॉल्ट जोखिम सहित ग्राहक आधार के क्रेडिट जोखिम को प्रभावित कर सकते हैं।

ऋण और अग्रिम

कंपनी ने कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम दिया है। कंपनी कर्मचारियों को दिये अपने ऋण और अग्रिम का निपटान उनके अंतिम भुगतान के माध्यम से करती है।

नकद और नकद समकक्ष और बैंकों में जमा

कंपनी ने नकद और नकद समतुल्य और उच्च जमा वाले अनुसूचित/राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ बैंक जमा राशि रखी है।

₹ लाख में

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
वित्तीय परिसंपत्तियां जिसके लिए हानि भत्ता 12 माह से मापा जाता है, अपेक्षित क्रेडिट हानि			
गैर चालू ऋण	127.59	41.62	28.97
अन्य गैर चालू वित्तीय परिसंपत्तियां	10,116.07	10,360.95	5,765.06
नगद एवं नगद समतुल्य	26,467.08	24,497.02	3,519.68
बैंकों में जमा	5,767.04	425.28	7,431.75
चालू ऋण	66.36	36.30	4.28
अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियां	8,050.65	8,890.97	3,865.84
	50,594.79	44,252.14	20,615.58
वित्तीय परिसंपत्तियां जिसके लिए हानि भत्ता जीवन पर्यंत का उपयोग करके मापा जाता है, अपेक्षित क्रेडिट हानि			
व्यापार प्राप्य	80,140.76	34,499.82	3,679.50
	80,140.76	34,499.82	3,679.50

(ii) अपेक्षित क्रेडिट हानि के लिए प्रावधान

(ए) वित्तीय परिसंपत्तियां जिसके लिए हानि भत्ता 12 माह की अपेक्षित क्रेडिट हानि का उपयोग करके मापा जाता है।

कंपनी के पास परिसंपत्तियां हैं जहां प्रतिपक्ष के पास दायित्वों को पूरा करने की पर्याप्त क्षमता है और जहां डिफॉल्ट का जोखिम बहुत कम है। इसलिए, रिपोर्टिंग अवधि के दौरान इन परिसंपत्तियों के संबंध में कोई हानि चिह्नित नहीं हुई है।

(बी) वित्तीय परिसंपत्तियां जिसके लिए हानि भत्ता जीवन काल से अपेक्षित क्रेडिट हानि का उपयोग करके मापा जाता है

कंपनी के ग्राहकों (राज्य सरकार यूटिलिटीज और वितरण कंपनियां) के पास दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता है और इसलिए डिफॉल्ट का जोखिम नगण्य या शून्य है। इसलिए, व्यापार प्राप्तियों के संबंध में रिपोर्टिंग अवधि के दौरान कोई हानि चिह्नित नहीं की गयी है।

(iii) व्यापार प्राप्तियों का आयु विश्लेषण

व्यापार प्राप्तियों का आयु विश्लेषण निम्नानुसार है:

आयु क्षीणता	गैर बकाया	देयता के 0-30 दिन की अवधि के बाद	देयता के 31-60 दिन की अवधि के बाद	देयता के 61-90 दिन की अवधि के बाद	देयता के 91-120 दिन की अवधि के बाद	देयता की अवधि के 120 दिन के बाद	कुल
31.03.2017 को सकल मूल राशि	-	17,194.46	39,385.22	2,541.82	2,754.26	18,265.00	80,140.76
31.03.2016 को सकल मूल राशि	-	22,256.44	10,735.85	142.68	38.10	1,326.75	34,499.82
01.04.2015 को सकल मूल राशि	-	2,762.31	278.63	121.98	97.11	419.47	3,679.50

38. वित्तीय जोखिम प्रबंधन (जारी) तरलता जोखिम**तरलता जोखिम**

तरलता जोखिम वह जोखिम है, जो कंपनी को वित्तीय देनदारियों से संबंधित दायित्वों को पूरा करने में उठानी पड़ती है, जिनका निपटान नगद या अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के माध्यम से होता है। तरलता के प्रबंधन के लिए कंपनी का दृष्टिकोण, यह सुनिश्चित करना है कि जहां तक संभव हो, सामान्य और विपरीत परिस्थितियों में, किसी अस्वीकार्य हानि और कंपनी की छवि को नुकसान पहुंचाये बगैर, इसके पास देयता की जवाबदेहियों को पूरा करने के लिए समुचित तरलता होगी।

कंपनी तरलता जोखिम का प्रबंधन, पूर्वानुमानों और वास्तविक नकदी प्रवाह के लगातार निरीक्षण से गैर आहरित उधार सुविधाओं के माध्यम करती है। कंपनी का कोष विभाग अल्पावधि और दीर्घकालिक तरलता आवश्यकताओं को प्रबंधित करने के लिए जिम्मेदार है।

आमतौर पर कंपनी सुनिश्चित करती है कि वित्तीय दायित्वों की पूर्ति सहित, 60 दिनों की अवधि के लिए अपेक्षित परिचालन खर्चों को पूरा करने के लिए मांग अनुसार पर्याप्त नकदी है, इसमें प्राकृतिक आपदा जैसी अत्यधिक विपरीत परिस्थितियों, जिनका पूर्वानुमान मुश्किल है, का संभावित प्रभाव शामिल नहीं है।

(i) वित्तीय प्रबंधन

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में कंपनी को निम्न गैर आहरित उधार लेने की सुविधाएं मिल सकती हैं:

₹ लाख में

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
तय दर उधारी			
मियादी ऋण	15,000.00	10,000.00	-
विदेशी मुद्रा ऋण	4,575.27	15,019.10	24,920.26
कुल योग	19,575.27	25,019.10	24,920.26

(ii) वित्तीय देनदारियों की परिपक्वता

अनुबंधित नकदी प्रवाह के आधार पर, गैर-व्युत्पन्न वित्तीय देनदारियों की अनुबंधित परिपक्वता निम्नलिखित हैं:

31 मार्च 2017

₹ लाख में

वित्तीय देनदारियों की अनुबंधित परिपक्वता	अनुबंधित पूंजी प्रवाह					
	तीन माह या उससे कम	3-12 माह	1-2 वर्ष	2-5 वर्ष	पांच वर्ष से अधिक	कुल
गैर चालू उधारी (उपार्जित ब्याज सहित)	2,299.00	10,000.00	3,535.12	30,560.21	48,528.52	94,922.85
चालू उधारी	-	35,000.00	-	-	-	35,000.00
व्यापार प्राप्त	-	45,869.51	-	-	-	45,869.51
प्रतिधारण धन	-	8,533.01	-	1,644.39	1,096.26	11,273.66
व्यय दायित्व	-	77.12	-	-	-	77.12
कर्मचारियों को देय	57.63	-	-	-	-	57.63
अन्य	-	696.63	-	-	-	696.63
	2,356.63	1,00,176.27	3,535.12	32,204.60	49,624.78	1,87,897.40

31 मार्च 2017

₹ लाख में

वित्तीय देनदारियों की अनुबंधित परिपक्वता	अनुबंधित पूंजी प्रवाह					
	तीन माह या उससे कम	3-12 माह	1-2 वर्ष	2-5 वर्ष	पांच वर्ष से अधिक	कुल
गैर चालू उधारी (उपार्जित ब्याज सहित)	145.08	2,403.00	7,597.00	3,975.64	18,553.01	32,673.73
चालू उधारी	-	28,500.00	-	-	-	28,500.00
व्यापार प्राप्त	-	34,794.41	-	-	-	34,794.41
प्रतिधारण धन	-	2,462.40	-	3,624.15	910.72	6,997.27
व्यय दायित्व	511.62	-	-	-	-	511.62
कर्मचारियों को देय	3.38	-	-	-	-	3.38
अन्य	-	400.10	-	-	-	400.10
	660.08	68,559.91	7,597.00	7,599.79	19,463.73	1,03,880.51

31 मार्च 2016

₹ लाख में

वित्तीय देनदारियों की अनुबंधित परिपक्वता	अनुबंधित पूंजी प्रवाह					
	तीन माह या उससे कम	3-12 माह	1-2 वर्ष	2-5 वर्ष	पांच वर्ष से अधिक	कुल
गैर चालू उधारी (उपार्जित ब्याज सहित)	42.18	-	-	1,032.51	7,743.84	8,818.53
व्यापार प्राप्त	-	9,377.27	-	-	-	9,377.27
प्रतिधारण धन	-	257.71	1.94	462.04	-	721.69
व्यय दायित्व	79.04	-	-	-	-	79.04
कर्मचारियों को देय	0.39	-	-	-	-	0.39
अन्य	-	297.56	-	-	-	297.56
	121.61	9,932.54	1.94	1,494.55	7,743.84	19,294.48

38. वित्तीय जोखिम प्रबंधन (निरंतर)

बाजार जोखिम

बाजार जोखिम ऐसा जोखिम है, जो बाजार की कीमतों में परिवर्तन, जैसे विदेशी विनिमय दरों और ब्याज दरें, कंपनी की आय को प्रभावित करेगा। बाजार जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य स्वीकार्य मानदंडों के भीतर लाभ का अनुकूलन करते हुए बाजार जोखिम को प्रबंधित और नियंत्रित करना है।

मुद्रा जोखिम

कंपनी कुछ ऐसे लेनदेन पर विदेशी मुद्रा जोखिम से अवगत होती है, जो इकाई की कार्यात्मक मुद्रा के अलावा किसी अन्य मुद्रा में होती है, इसलिए विनिमय दर में उतार-चढ़ाव का जोखिम होता है। जोखिम यह है कि विनिमय दर में बदलाव के परिणामस्वरूप नकदी प्रवाह के कार्यात्मक मुद्रा मूल्य अलग-अलग होंगे।

31 मार्च 2017, 31 मार्च 2016 और 1 अप्रैल 2015 तक वित्तीय देनदारियों की मुद्रा प्रोफाइल निम्नानुसार है:

₹ लाख में

	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
विवरण	यूरो	यूरो	यूरो
वित्तीय देनदारियां			
विदेशी मुद्रा उधारी	32,623.86	22,528.65	8,776.35

संवेदनशीलता विश्लेषण

भारतीय मुद्रा, जैसा नीचे बताया गया है, 31 मार्च को यूरो के मुकाबले, बड़े (घटे) लाभ या हानि में नीचे दिखायी गयी मजबूत होगी। यह विश्लेषण विदेशी मुद्रा विनिमय दर के भिन्न रूपों पर आधारित है जो कंपनी को रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित रूप से संभव माना जाता है। विश्लेषण मानता है कि सभी अन्य चर, विशेष रूप से ब्याज दरों में स्थिर रहे। विश्लेषण पिछले वर्ष इसी आधार पर किया जाता है, सिवाय इसके कि संभवतः विदेशी मुद्रा विनिमय दर भिन्न-भिन्न थे, जैसा नीचे बताया गया है।

₹ लाख में

विवरण	कर पूर्व लाभ और हानि	
	मजबूत	कमजोर
31 मार्च 2017	(3,262.50)	3,262.50
रुपया/यूरो	(3,262.50)	3,262.50

₹ लाख में

विवरण	कर पूर्व लाभ और हानि	
	मजबूत	कमजोर
31 मार्च 2016	(2,253.00)	2,253.00
रुपया/यूरो	(2,253.00)	2,253.00

38. वित्तीय जोखिम प्रबंधन (जारी)

ब्याज दर जोखिम

कंपनी मुख्य रूप से फ्लोटिंग ब्याज दरों वाली दीर्घ अवधि उधार से उत्पन्न ब्याज दर जोखिम का सामना करती है। कंपनी ब्याज दर जोखिम से अवगत होती है क्योंकि फ्लोटिंग रेट उधारी से जुड़ा पूंजी प्रवाह ब्याज दरों में बदलाव के साथ उतार चढ़ाव में रहेगा।

रिपोर्टिंग तिथि पर कंपनी के हित-धारक वित्तीय साधनों की ब्याज दर प्रोफाइल निम्नानुसार है:

₹ लाख में

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
वित्तीय परिसंपत्तियां			
निश्चित दर साधन			
कर्मचारी ऋण	73.68	5.98	3.94
कुल	73.68	5.98	3.94
वित्तीय देनदारियां			
निश्चित दर साधन			
विदेशी मुद्रा ऋण	32,623.86	22,528.65	8,776.35
ऋणपत्र	50,000.00	-	-
रुपया सावधि ऋण	35,000.00	28,500.00	
	1,17,623.86	51,028.65	8,776.35
परिवर्तनीय दर साधन			
रुपया सावधि ऋण	10,000.00	10,000.00	-
	10,000.00	10,000.00	-
कुल	1,27,623.86	61,028.65	8,776.35

निश्चित दर उपकरणों के लिए उचित मूल्य संवेदनशीलता विश्लेषण

कंपनी के निर्धारित दर उपकरणों को परिशोधित लागत पर देखा जाता है। इसलिए वे ब्याज दर के जोखिम के अधीन नहीं हैं, क्योंकि बाजार की ब्याज दर में बदलाव के कारण न तो मूल राशि और न ही भविष्य में नकदी प्रवाह में उतार-चढ़ाव होगा।

परिवर्तनीय दर उपकरणों के लिए नकदी प्रवाह संवेदनशीलता विश्लेषण

रिपोर्टिंग की तारीख में ब्याज दरों में 50 आधार अंकों का परिवर्तन नीचे दिखायी गयी राशि में बड़े (घटे) लाभ या हानि (करपूर्व) में होता। यह विश्लेषण मानता है कि अन्य सभी चर, विशेष रूप से विदेशी मुद्रा दरों में, स्थिर रहे। विश्लेषण पिछले वर्ष के समान आधार पर किया गया है।

₹ लाख में

	कर पूर्व लाभ और हानि	
	50 आधार अंकों की बढ़ोतरी	50 आधार अंकों की कटौती
31 मार्च 2017		
रुपया सावधि ऋण	(481.70)	481.70
कुल	(481.70)	481.70

₹ in Lakhs

	कर पूर्व लाभ और हानि	
	50 आधार अंकों की बढ़ोतरी	50 आधार अंकों की कटौती
31 March 2016		
रुपया सावधि ऋण	(476.19)	476.19
कुल	(476.19)	476.19

39. पूंजी प्रबंधन

पूंजी का प्रबंधन करते समय कंपनी के उद्देश्य निम्न हैं:

- शेयरधारकों को रिटर्न और अन्य हितधारकों को लाभ प्रदान करना जारी रखने के लिए अपनी क्षमता की सुरक्षा करना, और
- ऋण और इक्विटी के उपयुक्त पूंजी संरचना को बनाए रखना।

निदेशक मंडल की प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वह मजबूत पूंजी आधार बनाए रखे और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजारों में अवसरों को लाभ उठाकर धन की आपूर्ति और सोर्सिंग में विवेकपूर्ण प्रबंधन के माध्यम से पूंजी की लागत को कम कर सके ताकि निवेशकों, लेनदारों और बाजारों के विश्वास को बनाया रखा जा सके और व्यापार के भविष्य के विकास को बनाए रखा जा सके। निदेशकमंडल पूंजी पर रिटर्न, जिसे कंपनी शेयरधारकों की कुल इक्विटी में से संचालन गतिविधि के विभाजन के परिणाम के रूप में देखती है। निदेशक मंडल इक्विटी शेयरधारकों के लाभांश के स्तर का भी निरीक्षण करता है।

प्रमुख उधार सुविधाओं की शर्तों के तहत, कंपनी को निम्नलिखित वित्तीय करारों का अनुपालन करना आवश्यक है:

- (i) $> = 1$ का वर्तमान अनुपात बनाए रखना
- (ii) 1.00 गुणा का न्यूनतम परिसंपत्ति कवरेज बनाए रखना
- (iii) 80:20 के अनुपात में ऋणरू इक्विटी अनुपात बनाए रखना
- (iv) उधारकर्ता स्टॉक एक्सचेंज के साथ-साथ बैंक को सूचित करेगा यदि उनके लाभ या व्यापार पर पर्याप्त प्रभाव 20: या उससे अधिक का प्रतिकूल विचरण है।

किसी भी ब्याज वाले उधार के वित्तीय करारों में कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।

कंपनी आम तौर पर उद्योग और रेटिंग एजेंसियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले वित्तीय अनुपातों के आधार पर, तीन से पांच वर्ष के मध्य अवधि के दृश्य का उपयोग करके पूंजी की निगरानी करती है। कंपनी बाह्य रूप से लगाए गए पूंजी आवश्यकताओं के अधीन नहीं है।

कंपनी गियरिंग अनुपात का उपयोग करके पूंजी की निगरानी करती है, जो कुल इक्विटी से विभाजित शुद्ध ऋण है। शुद्ध ऋण में दीर्घकालिक और अल्पकालिक उधार के कम नकद और नकद समकक्ष शामिल हैं। इक्विटी में इक्विटी शेयर पूंजी और भंडार शामिल हैं जिनका प्रबंधन पूंजी की तरह होता है। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में गियरिंग अनुपात निम्नानुसार था:

₹ लाख में

	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
दीर्घावधि और अल्पावधि उधारी	1,29,922.86	61,173.73	8,818.53
कम: नगद और नगद समतुल्य	26,467.08	24,497.02	3,519.68
कुल ऋण	1,03,455.78	36,676.71	5,298.85
कुल इक्विटी	55,533.79	41,763.02	11,173.99
कुल ऋण: इक्विटी अनुपात	1.86	0.88	0.47

40. इंड एस 108 की संचालन श्रेणी के रूप में प्रकटीकरण

(ए) सामान्य जानकारी

कंपनी के पास रिपोर्ट करने योग्य तीन श्रेणियाँ हैं, जैसा नीचे बताया गया है, जो कंपनी की रणनीतिक व्यापार इकाइयाँ अलग-अलग उत्पादों और सेवाओं की पेशकश करती हैं और अलग-अलग प्रबंधित की जाती हैं क्योंकि उन्हें अलग-अलग तकनीक और विपणन रणनीतियों की आवश्यकता होती है। प्रत्येक रणनीतिक व्यवसाय इकाइयों के लिए, मुख्य परिचालन निर्णय निर्माता (सीओडीएम) कम से कम एक तिमाही आधार पर आंतरिक प्रबंधन रिपोर्टों की समीक्षा करता है।

निम्नलिखित सारांश में प्रत्येक कंपनी के रिपोर्ट करने योग्य क्षेत्रों में परिचालन का वर्णन किया गया है:

ट्रेडिंग: 6394.47

परामर्श और एस्कोष मॉडल सहित सेवाएं: 6980.47

प्रत्येक रिपोर्ट करने योग्य श्रेणी के परिणामों के बारे में जानकारी नीचे दी गई है। प्रदर्शन को आयकर से पहले श्रेणी लाभ के आधार पर मापा जाता है, जैसा आंतरिक प्रबंधन रिपोर्टों में शामिल है, जिसकी कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा समीक्षा की जाती है। श्रेणीगत लाभ का इस्तेमाल प्रदर्शन को मापने के लिए किया जाता है क्योंकि प्रबंधन का मानना है कि इन उद्योगों में काम करने वाली अन्य संस्थाओं के सापेक्ष कुछ क्षेत्रों के परिणामों का मूल्यांकन करने में ऐसी जानकारी सबसे अधिक प्रासंगिक है।

(बी) रिपोर्ट करने योग्यप श्रेणी के बारे में और वित्तीय स्थिति में दर्शायी गयी एकम के बारे में जानकारी:

विवरण	ट्रेडिंग		सेवायें		अन्य		कुल	
	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016
श्रेणीगत राजस्व								
उत्पाद विक्री / एस्को परियोजना आय / अन्य परामर्श सेवायें	1,02,248.73	72,060.16	12,837.30	5,428.48	-	-	1,15,086.03	77,488.64
श्रेणीगत व्यय	95,854.27	66,771.35	5,856.83	3,364.56	-	-	1,01,711.10	70,135.91
श्रेणीगत परिणाम	6,394.48	5,288.81	6,980.47	2,063.92	-	-	13,374.93	7,352.73
गैर आवंटित कॉरपोरेट दर एवं अन्य आय							7,632.37	2,822.81
गैरआवंटित कॉरपोरेट व्यय, वित्तीय प्रभार, मूल्यह्रास और परिशोधन							12,842.10	5,156.31
करपूर्व लाभ							8,165.21	5,019.23
आयकर (शुद्ध)							2,979.57	1,311.10
कर बाद लाभ (पैट)							5,185.64	3,708.13

₹ लाख में

₹ लाख में

विवरण	ट्रेडिंग			सेवायें			अन्य			कुल		
	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
श्रेणीगत परिसंपत्तियां	79,964.66	64,445.17	13.32	1,22,891.21	48,091.81	9,296.50	-	-	-	2,02,855.87	1,12,536.98	9,309.82
गैरआवृत्त कॉर्पोरेट एवं अन्य परिसंपत्तियां										54,799.45	33,448.02	21,464.90
कुल परिसंपत्तियां	79,964.66	64,445.17	13.32	1,22,891.21	48,091.81	9,296.50	-	-	-	2,57,655.32	1,45,985.00	30,774.72
श्रेणीगत दायित्व	14,615.18	20,155.76	-	31,254.34	20,147.98	9,377.27	-	-	-	45,869.52	40,303.74	9,377.27
गैरआवृत्त कॉर्पोरेट एवं अन्य देनदारियां										1,56,252.01	63,918.24	10,223.46
कुल देनदारियां	14,615.18	20,155.76	-	31,254.34	20,147.98	9,377.27	-	-	-	2,02,121.53	1,04,221.98	19,600.73

इंड-एस 108 के अनुसार संचालन श्रेणी के प्रकटीकरण

कंपनी ने भौगोलिक क्षेत्रों का खुलासा नहीं किया है क्योंकि कंपनी का संचालन मुख्यतः देश के भीतर है।

क) व्यापार श्रेणी:

कंपनी के प्रमुख व्यवसाय में दो श्रेणियां शामिल हैं- (1) उपभोक्ताओं के विभिन्न समूहों के लिए ऊर्जा दक्ष उपकरणों की बिक्री, और (2) एस्को मोड और परामर्श सेवाओं पर ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकी सेवाएं प्रदान करना।

ख) श्रेणीगत राजस्व और व्यय:

श्रेणी में प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त राजस्व को श्रेणीगत राजस्व के रूप में माना जाता है। श्रेणियों के लिए प्रत्यक्ष खर्च और उचित आधार पर आवंटित सामान्य खर्च को 'श्रेणीगत व्यय' के रूप में माना जाता है।

ग) श्रेणीगत परिसंपत्तियां और देनदारियां:

श्रेणी की परिसंपत्तियों में संबंधित श्रेणी की सभी परिचालन संपत्तियां शामिल हैं, जिनमें शुद्ध अचल परिसंपत्तियां, गतिमान पूंजी, पूंजीगत अग्रिम और मौजूदा परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम ऋण शामिल हैं। श्रेणीगत देनदारियों में संचालन देनदारियां और प्राक्धान शामिल हैं।

श्रेणीगत रिपोर्टिंग पर लेखांकन नीति

श्रेणीगत रिपोर्टिंग के लिए अपनाई गई लेखांकन नीतियां कंपनी के लेखांकन नीतियों के अनुरूप हैं। श्रेणीगत राजस्व, श्रेणीगत व्यय, श्रेणीगत परिसंपत्तियां और श्रेणीगत देनदारियां की पहचान उक्त श्रेणी की संचालन गतिविधियों से उनके संबंध के आधार पर की जाती है। राजस्व, व्यय, परिसंपत्तियां, और देनदारियां, जो कंपनी से संबंधित हैं और तार्किक आधार पर श्रेणी के लिए आवंटन योग्य नहीं हैं, उन्हें गैर आवंटित राजस्व/ खर्च / परिसंपत्तियों / देनदारियों के अंतर्गत शामिल किया गया है।

(सी) प्रमुख ग्राहकों के बारे में जानकारी

31 मार्च 2017 और 2016 के समापन के दौरान किसी बाहरी ग्राहक ने व्यक्तिगत रूप से 10% से अधिक राजस्व अर्जित नहीं किया है।

41. इंड एस-24 के अनुसार 'संबंधित पार्टी के खुलासे' का प्रकटीकरण**(ए) संबंधित पार्टियों की सूची:****i) कम्पनियों पर संयुक्त नियंत्रण वाली इकाइयां:**

1. एनटीपीसी लिमिटेड
2. पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
3. रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड
4. पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

ii) कम्पनी पर संयुक्त नियंत्रण वाली सहायक कंपनियां, संयुक्त उद्यम और सहयोगी:

1. पीएफसी कैपिटल एडवाइजरी सर्विसेज लिमिटेड
2. पीएफसी परामर्श लिमिटेड
3. पीएफसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड
4. आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड
5. यूटिलिटी पावरटेक लिमिटेड

iii) सहायक कंपनियां, संयुक्त उद्यम और कंपनियों द्वारा नियंत्रित इकाइयों की सहयोगी:

1. ईईएसएल एनर्जी प्रोमो एसेट्स लिमिटेड

iv) मुख्य प्रबंधकीय कर्मचारी (केएमपी):

कौशल किशोर शर्मा	अध्यक्ष एवं निदेशक	21 अक्टूबर, 2016 से प्रभावी
राजीव शर्मा	अध्यक्ष	21 अक्टूबर, 2015 से 21 अक्टूबर, 2016 तक प्रभावी
सौरभ कुमार	प्रबंध निदेशक	7 मई, 2013 से प्रभावी
विजय कुमार सिंह	नामांकित निदेशक	21 अक्टूबर, 2016 से प्रभावी
अनिल कुमार गुप्ता	निदेशक (वित्त)	5 फरवरी 2016 से 26 दिसंबर 2016 तक प्रभावी
एस.एन. गायकवाड	निदेशक (परियोजनाएं और व्यवसाय विकास)	5 फरवरी 2016 से 3 नवंबर 2016 तक प्रभावी
अवकाश सक्सेना	नामांकित निदेशक	22 सितंबर, 2016 से प्रभावी
राज पाल	नामांकित निदेशक	14 जुलाई 2016 से प्रभावी
सीमा गुप्ता	नामांकित निदेशक	10 जुलाई, 2013 से 25 अप्रैल, 2016 तक प्रभावी
एक चक्रवर्ती	नामांकित निदेशक,	16 जनवरी 2014 से 12 सितंबर 2016 तक प्रभावी
राधा कृष्णा श्रीवास्तव	नामांकित निदेशक	24 सितंबर, 2015 से 6 सितंबर, 2016 तक प्रभावी
संजय सेठ	नामांकित निदेशक	3 जुलाई, 2015 से 16 सितंबर, 2016 तक प्रभावी
पुलियार कृष्णास्वामी रवि	सरकार द्वारा नामांकित निदेशक	20 जून, 2013 से 6 जुलाई, 2016 तक प्रभावी
एस गोपाल	मुख्य वित्तीय अधिकारी	8 जून, 2016 से प्रभावी
समीर अग्रवाल	मुख्य वित्तीय अधिकारी	27 सितंबर, 2014 से 8 जून, 2016 तक प्रभावी
पूजा शुक्ला	कंपनी सचिव	27 दिसंबर, 2012 से प्रभावी

v) रोजगार बाद लाभ योजनाएं:

एनर्जी एएफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड सामूहिक सेवानिवृत्ति निश्चित अंशदान योजना ट्रस्ट को अंगीकार करती है ।

vi) समान सरकार द्वारा नियंत्रित संस्थाएं:

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

एनएचपीसी लिमिटेड

ओएनजीसी लिमिटेड

भेल लिमिटेड

कोल इंडिया लिमिटेड

भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (आईआरडीडीए)

(बी) संबंधित पार्टियों के साथ लेनदेन का आंकड़ा निम्न है:

₹ लाख में

विवरण	एनटीपीसी लिमिटेड	पावर ग्रिड कॉरपोरेशन	रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन लिमिटेड	पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन	यूटिलिटी पावर टेक लिमिटेड	एनर्जी प्रोसेसिंग लिमिटेड	कुल
i) वर्ष के दौरान वस्तु ओहसेवा की खरीद/बिक्री							
— कंपनी द्वारा प्राप्त कार्यबल सेवायें	-	-	-	-	1,083.26	-	1,083.26
	(-)	(-)	(-)	(-)	(407.69)	(-)	(407.69)
— कंपनी द्वारा प्रदत्त सलाहकार सेवायें	261.47	16.30	91.93	285.13	-	-	654.82
	(101.56)	(376.61)	(146.05)	(371.46)	(-)	(-)	(995.68)
— वस्तुओं की बिक्री	1,455.16	-	-	3.35	-	-	1,458.50
	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
ii) कर्मचारियों की डेपुटेशन	181.67	-	-	-	-	-	181.67
	(139.08)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(139.08)
iii) प्राप्ति इक्विटी योगदान	9,900.00	-	9,900.00	9,900.00	-	-	29,700.00
	(2,500.00)	(-)	(2,500.00)	(2,500.00)	(-)	(-)	(7,500.00)
iv) भुगतानित इक्विटी योगदान	-	-	-	-	-	189.04	189.04
	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
v) भुगतानित अंतिम लाभांश	338.57	52.00	338.57	338.57	-	-	1,067.72
	(67.95)	(67.95)	(67.95)	(67.95)	(-)	(-)	(271.79)

नकारात्मकता में पेश किये आंकड़े पूर्व वर्ष के आंकड़े हैं:

₹ लाख में

	2016-17	2015-16
रोजगार बाद लाभ योजना के साथ लेनदेन		
— वर्ष के दौरान किया गया योगदान	58.73	-
मुख्य प्रबंधकीय कर्मचारियों को मुआवजा		
— अल्पावधि कर्मचारी लाभ	80.51	68.64
— रोजगार बाद लाभ	10.99	8.34
— अन्य दीर्घावधि लाभ	11.62	9.48
मुख्य प्रबंधकीय कर्मचारियों का कुल मुआवजा	103.12	86.46
बकाया मुआवजा 1 अप्रैल 2015: 0.39 लाख)	0.80	0.87

₹ लाख में

समान सरकार द्वारा नियंत्रित संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन				
क्र.सं.	कंपनी का नाम	लेनदेन की प्रकृति	2016-17	2015-16
1	कोल इंडिया लिमिटेड	सलाहकार सेवायें	-	96.74
2	इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड (आईआरडीडीए)	सलाहकार सेवायें	-	96.74
3	ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी	वस्तुओं की बिक्री	170.93	-
4	एनएचपीसी लिमिटेड	सलाहकार सेवायें	19.55	-
5	ओएनजीसी लिमिटेड	वस्तुओं की बिक्री	8.40	-
6	भेल लिमिटेड	वस्तुओं की बिक्री	62.26	-
7			261.14	193.48

(सी) संबंधित पक्षों के साथ बकाया बैलेंस निम्न) है:

₹ लाख में

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
वस्तुओं/सेवाओं की खरीद/बिक्री से प्राप्त होने वाली राशि			
— एनटीपीसी लिमिटेड से	1,645.00	101.56	-
— पावरग्रिड कॉर्पोरेशन से	9.32	(6.17)	-
— रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन लिमिटेड से	402.08	310.24	173.45
— पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन से	394.87	456.36	138.47
— पीएफसी कैपिटल एडवाइजरी सर्विसेज लिमिटेड से	2.32	2.32	2.32
— पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड से	0.69	18.00	18.00
— पीएफसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड से	2.79	2.79	2.79
भुगतान योग्य राशि (ऋण के अलावा)			
— यूटिलिटी पावरटेक लिमिटेड से	1,133.92	50.66	-

(डी) संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन की शर्तें

- 1) संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन सामान्य व्यावसायिक नियमों और शर्तों और बाजार दर पर किया जाता है।
- (2) 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के दौरान कोई अनुबंध या व्यवस्था या लेनदेन नहीं हुआ था, जो बराबरी पर नहीं थे।
- (3) कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के बीच 50:50 के संयुक्त उपक्रम, मेसर्स यूटिलिटी पावरटेक लिमिटेड (यूपीएल) से मानवसंसाधन सेवाएं प्राप्त कर रही है।
- (4) कंपनी परामर्शी सेवाएं प्रदान करती है और ऐसी कंपनियों के लिए माल बेचती है जिन पर संयुक्त नियंत्रण होते हैं, जिस पर ऐसी कंपनियों से लागत और सेवाओं का शुल्क वसूल होता है।
- (5) वर्ष के अंत में संबंधित पक्षों की बकाया शेष राशि असुरक्षित और ब्याज मुक्त होती है और इनका निपटान नकद में होता है। 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए, कंपनी ने संबंधित पक्षों द्वारा बकाया राशियों से संबंधित प्राप्तियों की हानि दर्ज नहीं की है (31 मार्च 2016: शून्य)। यह मूल्यांकन प्रत्येक वित्तीय वर्ष को संबंधित पक्ष की वित्तीय स्थिति और बाजार में जांचने के माध्यम से किया जाता है, जिसमें संबंधित पक्ष संचालित होता है।

42. इंड एस को पहली बार लागू करना

कंपनी ने 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए इंड एस के अनुसार अपना पहला वित्तीय विवरण तैयार किया है। 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए और इसमें शामिल समयावधि के लिए, कंपनी ने अपने वित्तीय वक्तव्य भारतीय जीएपी की अनुसार तैयार किए, जिसमें कंपनी (लेखा मानक) नियम, 2006 (संशोधित रूप में) सहित लेखा मानकों को अधिसूचित किया गया था। कंपनी की इंड एस बैलेंस शीट खोलने की प्रभावी तिथि 1 अप्रैल 2015 (इंड एस में बदलाव की तारीख) है।

- 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के वित्तीय वक्तव्यों को तैयार करने, 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए इन वित्तीय वक्तव्यों में प्रस्तुत की गई तुलनात्मक जानकारी और 1 अप्रैल 2015 (कंपनी की संक्रमण की तारीख) को इंड एस की बैलेंस शीट खोलने में नोट 1 में उल्लिखित लेखा नीतियों को लागू किया गया है। इंड एस 101 के अनुसार, वित्तीय विवरणों के पहले इंड एस वित्तीय परिणाम में मान्यता और माप सिद्धांतों का उपयोग होना चाहिए जो मानकों और व्याख्याओं पर आधारित और जो 31 मार्च 2017, इंड एस के अनुसार पहली बार वित्तीय वक्तव्यों तैयार करने की तिथि, को प्रभावी थे। इन लेखांकन सिद्धांतों और माप सिद्धांतों को पूर्व रूप से इंड एस को संक्रमण की तिथि और पहले वित्तीय स्थिति के रूप में प्रथम इंड एस में प्रस्तुत सभी अवधियों के लिए लागू किया जाना चाहिए। 1 अप्रैल 2015 को इंड एस 101 के अनुसार संपत्तियों और देनदारियों में, 31 मार्च 2015 तक भारतीय जीएपी बैलेंस शीट में प्रस्तुत आंकड़ों का अंतर, इंड एस बैलेंस शीट में आय के तहत इविटी में मान्यता प्राप्त है।

पिछले जीएपीएपी से इंड एस के संक्रमण ने कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह को कैसे प्रभावित किया गया है, इसका विवरण निम्न तालिकाओं और नोटों में दिखाया गया है।

छूट और अपवादों का उठाया गया लाभ

1 अप्रैल 2015 को भारतीय बैलेंस शीट के रूप में इंडियन बैलेंस शीट खोलने में, 31 मार्च 2015 तक भारतीय जीएपी से होने वाली संपत्ति और देनदारियों को आम तौर पर पहचाना जाता है और 31 मार्च 2017 को प्रभावी रूप से इंड एस के अनुसार मापा जाता है। कुछ विशिष्ट मामलों के लिए हालांकि, इंड एस 101 के पूर्वव्यापी आवेदन के सामान्य सिद्धांतों के लिए वैकल्पिक छूट और अनिवार्य अपवाद प्रदान करता है। कंपनी ने अपने इंड एस ओपनिंग बैलेंस शीट तैयार करने में निम्न छूटों और अपवादों का उपयोग किया है।

i) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति

इंड एस— 10 पहली बार इसे लागू करने वालों को यह अनुमति देता है कि वह इंड एस में बदलाव की तारीख तक के वित्तीय परिणाम में चिह्नित अपनी सभी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति के मूल्य को जारी रखने का चुनाव करे और देनदारियों को खत्म करने के आवश्यक समायोजन के बाद संक्रमण की तारीख को इसे इसकी लागत के रूप में इस्ते माल करे।

तदनुसार, कंपनी ने अपनी पिछली जीएपी ले जाने वाले मूल्य पर अपनी सारी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्तियों को मापने के लिए चुना है।

ii) दीर्घावधि विदेशी मुद्रा मौद्रिक वस्तुएं

कंपनी ने भारतीय जीएपी के अनुसार पहली इंड एस वित्तीय रिपोर्टिंग से ठीक पहले समाप्त अवधि के वित्तीय परिणाम में चिह्नित दीर्घावधि विदेशी मुद्रा मौद्रिक वस्तुओं के विनिमय मतभेदों की अकाउंटिंग के लिए अपनाई गई नीति को जारी रखने का चुनाव किया है।

1 अप्रैल 2015 और 31 मार्च 2016 तक इक्विटी का समाधान

₹ लाख में

		1 अप्रैल 2015			31 मार्च 2016		
	नोट	पूर्व जीएएपी*	समायोजन	इंड एस	पूर्व जीएएपी	समायोजन	इंड एस
परिसंपत्तियां							
गैर चालू परिसंपत्तियां							
संपत्ति, संयंत्र, उपकरण	ए	14,308.28	(8,727.61)	5,580.67	46,877.71	(19,277.37)	27,600.34
प्रगतिमान पूंजी	ए	834.94	(301.87)	533.07	15,278.83	(994.41)	14,284.41
अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां		21.82	-	21.82	33.89	-	33.89
वित्तीय परिसंपत्तियां							
ऋण	सी	57.56	(28.59)	28.97	104.61	(62.99)	41.62
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	ए	-	5,765.06	5,765.06	12.55	10,348.40	10,360.95
अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां	सी	30.76	21.51	52.27	940.58	22.38	962.96
चालू परिसंपत्तियां							
भंडार	ए	13.32	84.37	97.69	17,950.57	939.82	18,890.39
वित्तीय परिसंपत्तियां							
प्राप्य व्यापार	बी	3,668.35	11.15	3,679.50	34,414.68	85.14	34,499.82
नगद एवं नगद समतुल्य		3,519.68	0.00	3,519.68	24,497.02	(0.00)	24,497.02
अन्य बैंक बैलेंस		7,431.75	0.00	7,431.75	425.28	-	425.28
ऋण	सी	1.21	3.07	4.28	2.19	34.11	36.30
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	ए	1,070.25	2,795.59	3,865.84	1,396.04	7,494.93	8,890.97
चालू कर परिसंपत्तियां(शुद्ध)		86.36	0.00	86.36	670.49	(0.00)	670.49
अन्य चालू परिसंपत्तियां	सी	104.25	3.51	107.76	4,785.77	4.79	4,790.56
कुल परिसंपत्ति		31,148.53	(373.81)	30,774.72	1,47,390.20	(1,405.20)	1,45,985.00
एक्विटी एवं देनदारी							
इक्विटी							
इक्विटी शेयर पूंजी		9,000.00	-	9,000.00	16,500.00	-	16,500.00
अन्य इक्विटी	आई	2,033.17	140.82	2,173.99	24,102.69	1,160.33	25,263.02
देनदारियां							
गैर चालू देनदारियां							
वित्तीय देनदारियां							
उधारी		8,776.35	-	8,776.35	30,124.96	-	30,124.96
अन्य वित्तीय देनदारियां	डी	554.01	(169.93)	384.08	4,501.95	(1,487.95)	3,014.00
प्रावधान		49.77	-	49.77	92.58	0.01	92.59
विलंबित कर देनदारी(शुद्ध)	एफ	230.24	(49.69)	180.55	176.26	(40.31)	135.95
अन्य गैर चालू देनदारियां		12.37	0.01	12.38	37.11	(7.73)	29.38
चालू देनदारी							
वित्तीय देनदारी							
उधारी		-	-	-	28,500.00	-	28,500.00
भुगतान योग्य व्यापार		9,377.27	-	9,377.27	34,794.41	-	34,794.41
अन्य वित्तीय देनदारियां		554.55	33.63	588.18	5,697.65	261.54	5,959.19
अन्य चालू देनदारियां		72.45	-	72.45	1,567.97	0.01	1,567.98
प्रावधान	जी	330.85	(328.65)	2.20	1,294.62	(1,291.10)	3.52
चालू कर दायित्व (शुद्ध)		157.50	-	157.50	-	-	-
कुल इक्विटी और देनदारी		31,148.53	(373.81)	30,774.72	1,47,390.20	(1,405.20)	1,45,985.00

* पिछले जीएएपी आंकड़ों को इस नोट के प्रयोजनों के लिए प्रस्तुति आवश्यकताओं के रूप में इंड एस के अनुरूप करने के लिए पुनः वर्गीकृत किया गया है।

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए कुल व्यापक आय के विवरण का समाधान

₹ लाख में

	नोट	पूर्व समायोजन जीएएपी	समायोजन	इंड एस
आय				
संचालन से आय	ए.बी	70,257.92	7,230.72	77,488.64
अन्य आय	ए.सी	680.99	2,141.82	2,822.81
कुल आय		70,938.91	9,372.54	80,311.45
व्यय				
स्टॉक इन ट्रेड की खरीद	ए	66,408.27	12,062.44	78,470.71
वितरण खर्च (उजाला)		4,783.34	-	4,783.34
मीडिया खर्च (उजाला)		1,454.55	-	1,454.55
भंडार में घट-बढ़		(17,937.25)	-	(17,937.25)
कर्मचारी लाभ व्यय	एच	1,280.40	(1.97)	1,278.43
वित्तीय लागत	डी	1,322.64	65.01	1,387.65
मूल्यह्रास, परिशोधन और हानि व्यय	ए.डी	4,756.10	(3,001.10)	1,755.00
अन्य व्यय	ए.डी	4,036.25	63.54	4,099.79
पूर्व अवधि वस्तु (शुद्ध)		22.48	(22.48)	-
कुल व्यय		66,126.78	9,165.44	75,292.22
कर पूर्व लाभ		4,812.13	207.10	5,019.23
चालू कर				
चालू वर्ष		1,528.89	47.99	1,576.88
पूर्व वर्ष		(221.86)	-	(221.86)
आस्थगित कर				
चालू वर्ष	इ	(53.99)	10.06	(43.92)
		1,253.04	58.05	1,311.10
कर बाद लाभ(पैट)		3,559.08	149.05	3,708.13

अन्य समग्र आय

वस्तु जो लाभ या हानि (कर का शुद्ध) के लिए पुनः वर्गीकृत

नहीं किया जाएगा

— परिभाषित लाभ योजनाओं पर शुद्ध बीमांकिक लाभ / (नुकसान) एच - (1.29) (1.29)

वर्ष के लिए कुल समग्र आय, शुद्ध आयकर - (1.29) (1.29)

वर्ष के लिए कुल समग्र आय 3,559.08 147.76 3,706.84

* पिछले जीएएपी आंकड़ों को इस नोट के प्रयोजनों के लिए प्रस्तुति आवश्यकताओं के रूप में इंड एस के अनुरूप करने के लिए पुनः वर्गीकृत किया गया है।

31 मार्च 2016 और 01 अप्रैल 2015 को समाप्त वर्ष के लिए कुल इक्विटी का समाधान

₹ लाख में

	नोट	31 मार्च 2016 40,602.69	1 अप्रैल 2015 11,033.17
कुल इक्विटी (शेयरधारक फंड) पूर्व जीएएपी के मुताबिक			
समायोजन			
प्रस्तावित लाभांश एवं कर	एफ	1,291.09	328.65
परिशोधन लागत पर परिसंपत्तियों/देनदारियों की पहचान	सी,डी	189.92	169.43
मूल्यह्रास और परिशोधन	डी	48.10	-
भूल सुधार	ए	(217.68)	(406.94)
उचित मूल्य पर राजस्व पहचान	बी	(199.15)	-
अन्य		7.73	-
इंड एस के समायोजन के कारण कर पर प्रभाव	एफ	40.32	49.68
कुल समायोजन		1,160.33	140.82
इंड एस के मुताबिक कुल इक्विटी		41,763.02	11,173.99

31 मार्च 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कुल समग्र (समेकित) आय का समाधान

	नोट	31 मार्च 2016 ₹ लाख में
पूर्व जीएएपी के मुताबिक कर बाद लाभ(पैट)		3,559.08
समायोजन		
मूल्यहास और परिशोधन	डी	48.10
परिशोधन लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियों/देनदारियों की पहचान	सी,डी	20.49
उचित मूल्य पर राजस्व की पहचान	बी	(199.15)
इक्विटी शेयर जारी करने में लेनदेन लागत, शुद्ध कर	इ	90.69
अन्य समग्र आय (शुद्ध कर) में मान्यता प्राप्त परिभाषित लाभ योजनाओं पर बीमांकित हानि	एच	1.29
मूल सुधार		189.27
अन्य	ए	7.74
इंड एस के समायोजन के कारण कर पर प्रभाव	एफ	(9.38)
कुल समायोजन		149.05
इंड एस के मुताबिक कर बाद लाभ (पैट)		3,708.13
अन्य समग्र आय (शुद्ध कर)		
पारिभाषित लाभ योजनाओं पर बीमांकित हानि	एच	(1.29)
इंड एस के मुताबिक कुल समग्र आय		3,706.84

इंड एस को पहली बार लागू करने संबंधी नोट्स:

(ए) त्रुटि सुधार

(i) पिछले जीएएपी के तहत, कंपनी ने संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के रूप में एलईडी-एस्को परियोजनाओं पर खर्च किए गए खर्च को गलत तरीके से पूंजीकरण किया। सहमति के नियमों के अनुसार राजस्व को बीमांकित आधार पर मान्यता दी गई थी।

इंड एस के संक्रमण के समय, ऊपर दी गई त्रुटि को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के गैर पूंजीकरण द्वारा संशोधित किया गया और उसे 1 अप्रैल, 2015 को प्राप्ति आय में व्यय के रूप में और 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि के विवरण में चिह्नित किया गया। इसके अलावा, जोखिम और पुरस्कारों को स्थानांतरित कर दिया गया, क्योंकि उत्पाद बेच दिए गए थे, भविष्य के भुगतानों के वर्तमान मूल्य में राजस्व प्राप्त किया गया था।

उपर्युक्त के अलावा, कंपनी ने इंड एस के तहत गैरपूँजीकृत संपत्तियों, संयंत्र और उपकरण की लागत को खास प्रशासन और सामान्य ओवरहेड के रूप में पूंजीकृत किया

(ii) पिछले जीएएपी के अंतर्गत, कंपनी ने लाभ और हानि के वक्तव्य में अलग-अलग आय और व्यय को अलग-अलग मान्यता दी।

इंड एस के तहत, पिछली अवधि की त्रुटियों को पूर्वकाल की तुलनात्मक मात्रा को फिर से समायोजित करने के लिए सामग्री की पूर्वकाल की त्रुटियों को समायोजित करने की आवश्यकता होती है, जिसमें त्रुटि उत्पन्न हुई या यदि त्रुटि हुई तो पहले की पूर्व अवधि के पहले हुई। तदनुसार, कंपनी ने पूर्व की अवधि के भूलों के लिए परिसंपत्तियां, देनदारियों और इक्विटी को दोबारा वर्णित किया है।

(बी) ओबीएफ मॉडल के तहत राजस्व

पिछले जीएएपी के तहत, एलईडी -ओबीएफ मॉडल के तहत माल की बिक्री से राजस्व को कुल प्राप्त या प्राप्य आय (अग्रिम भुगतान विकल्प और ईएमआई विकल्प के तहत) के मूल्य पर पहचाना जा रहा था।

इंड एस के तहत, ईएमआई विकल्प के तहत वित्तपोषण घटक को अग्रिम राजस्व (अपफ्रंट विकल्प के तहत प्राप्त राशि) से अलग किया गया था और जब यह अर्जित किया गया था।

(सी) सिक्क्योरिटी डिपोजिट

पिछले जीएएपी के अंतर्गत, ब्याज मुक्त पट्टा सुरक्षा जमा (पट्टे की अवधि पूरी होने पर नकद में वापसी योग्य है) उनके लेन-देन मूल्य पर दर्ज किए जाते हैं।

इंड एस के तहत सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को उचित मूल्य पर पहचाना जाना आवश्यक है। इसके मुताबिक, कंपनी ने इंड एस के तहत इन सुरक्षा जमाओं का उचित मूल्यांकन किया है। उचित मूल्य और सुरक्षा जमा के लेनदेन के मूल्य के बीच अंतर आस्थगित किराये के रूप में पहचाना गया है।

(डी) वित्तीय देनदारियां

पिछली जीएएपी के तहत, कंपनी ने लागत पर प्रतिधारण धन से संबंधित अपनी देनदारी को मान्यता दी।

हालांकि, इंड एस के अंतर्गत, देनदारी जिसमें कंपनी पर नकद देने के लिए अनुबंध संबंधी दायित्व है, उसे वित्तीय देयताओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और परिशोधित लागत पर दर्ज किया जाता है। इसलिए, ऐसे वित्तीय देनदारियों को मूल्य प्रस्तुत करने के लिए छूट दी गई है क्योंकि वे कोई ब्याज नहीं लेते हैं।

(ई) इक्विटी शेयर के जारी करने का लेनदेन शुल्क

पिछले जीएएपी के तहत, कंपनी ने इक्विटी शेयरों के मुद्दे पर लेन-देन की लागत हटाया था। इंड एस के तहत, इसे इक्विटी से निपटा जाना जरूरी है और इसलिए, कंपनी ने लेन-देन की 9.69 लाख (48.01 लाख का संबंधित कर लाभ) की लागत का समायोजन किया है।

उपर्युक्त समायोजन से उत्पन्न प्रभाव नीचे संक्षेप में दिया गया है:

विवरण	फुटनोट संदर्भ	1 अप्रैल 2015 को	वित्त वर्ष 2015-16	₹ लाख में 31 मार्च 2016 को
संपत्ति, संयंत्र, उपकरण				
एलईडी-एस्को के व्यय का गैरपूँजीकरण (स्टॉक इन ट्रेड की खरीद)	ए (i)	(9,102.50)	(12,184.85)	(21,287.35)
का सकल ब्लॉक				
एलईडी-एस्को के व्यय का गैरपूँजीकरण (प्रगतिमान पूँजी) का सकल ब्लॉक	ए (i)	-	(95.09)	(95.09)
सामान्य और प्रशासनिक खर्च का गैरपूँजीकरण	ए (i)	-	(29.20)	(29.20)
जमा मूल्यहास	ए (i)	374.89	2,952.99	3,327.88
अवधारण धन की छूट	डी	-	(1,241.71)	(1,241.71)
अवधारण धन की छूट के कारण मूल्यहास प्रभाव	डी	-	48.10	48.10
कुल		(8,727.61)	(10,549.76)	(19,277.37)
प्रगतिमान पूँजी				
एलईडी-एस्को व्यय (भंडार) का गैर पूँजीकरण	ए (i)	(84.37)	(939.82)	(1,024.19)
अवधारण आय (अप्रत्यक्ष लागत)	ए (i)	(217.50)	-	(217.50)
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के लिए पूँजीकरण का उत्क्रमण	ए (i)	-	95.09	95.09
एलईडी-एस्को व्यय (स्टॉक इन ट्रेड) का गैरपूँजीकरण	ए (i)	-	206.78	206.78
अवधारण धन की छूट	डी	-	(54.60)	(54.60)
कुल		(301.87)	(692.55)	(994.42)
ऋण (गैरचालू और चालू)				
सिक्क्योरिटी डिपोजिट की छूट	सी	(25.52)	(8.09)	(33.61)
सिक्क्योरिटी डिपोजिट में चिह्नित वित्तीय आय	सी	-	4.73	4.73
कुल		(25.52)	(3.36)	(28.88)
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ (चालू और गैर चालू)				
राजस्व (उचित मूल्य पर मापा गया राजस्व)	ए (i)	8,560.65	7,509.95	16,070.60
एलईडी- एस्को परियोजनाओं में चिह्नित एएमसी के मद में प्राप्त राजस्व	ए (i)	-	119.07	119.07
एलईडी-एस्को परियोजनाओं में चिह्नित वित्तीय आय	ए (i)	-	1,653.66	1,653.66
कुल		8,560.65	9,282.68	17,843.33
अन्य परिसंपत्तियाँ (गैर चालू और चालू):				
आस्थगित किराया (सिक्क्योरिटी डिपोजिट में छूट)	सी	25.03	8.09	33.12
आस्थगित किराया का परिशोधन	सी	-	(5.96)	(5.96)
कुल		25.03	2.13	27.16
भंडार				
एलईडी -एस्को व्यय का गैरपूँजीकरण (प्रगतिमान पूँजी)	ए (i)	84.37	939.82	1,024.19
व्यय के रूप में चिह्नित (स्टॉक इन ट्रेड की खरीद)	ए (i)	-	(84.37)	(84.37)
कुल		84.37	855.45	939.82
प्राप्य व्यापार				
उचित मूल्य पर मापा राजस्व	बी	-	(199.15)	(199.15)
पूर्व अवधि भूल का सुधार	ए (ii)	11.15	273.14	284.29
कुल		11.15	73.99	85.14
अन्य वित्तीय देनदारियाँ गैर चालू और चालू:				
अवधारण धन की छूट	डी	(169.92)	(1,383.04)	(1,552.96)
अवधारण धन की छूट सही करना	डी	-	65.01	65.01
पूर्व अवधि की त्रुटि में सुधार	ए (ii)	33.63	227.90	261.53
कुल		(136.29)	(1,090.13)	(1,226.42)

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए कुल व्यापक आय का पुनर्मूल्यांकन

विवरण	फुटनोट संदर्भ	₹ लाख में 31 मार्च 2016
राजस्व		
उचित मूल्य पर चिह्नित एलईडी एस्को राजस्व	ए (i)	7,629.02
ओबीएफ मॉडल के तहत वित्तीय तत्वों का समायोजन	बी	(398.30)
कुल		7,230.72
अन्य आय		
एलईडी-एस्को परियोजनाओं की वित्तीय आय	ए (i)	1,653.66
एलईडी-ओबीएफ परियोजनाओं की वित्त	ए	199.15
सिक्क्योरिटी डिपोजिट पर आय	सी	4.73
पूर्व अवधि त्रुटि का सुधार	ए (ii)	284.28
कुल		2,141.82
परिशोधन, मूल्यहास हानि		
एलईडी-एस्को गैरपूँजीकरण व्यय	ए (i)	(2,952.99)
अवधारण धन की छूट	डी	(48.10)
कुल		(3,001.09)
अन्य व्यय		
अवधारण धन की छूट	डी	(86.72)
आस्थगित किराया का परिशोधन	सी	5.96
इक्विटी शेयर जारी करने पर लेनदेन लागत	इ	(138.70)
पूर्व अवधि भूल का सुधार	ए (ii)	290.73
अन्य		(7.73)
कुल		63.54

(एफ) आस्थगित कर

उपरोक्त परिवर्तनों ने 34.608: (1 अप्रैल 2015 32.445:) की कर दर के आधार पर आस्थगित कर देयता में बढ़ोतरी (कमी) की है।:

भारतीय जीएएपी में कर योग्य मुनाफे और लेखा मुनाफे के बीच के मतभेदों पर ध्यान केंद्रित करने वाले आय विवरण दृष्टिकोण का उपयोग कर आस्थगित कर लेखा की आवश्यकता है। इंड-एस 12: आयकर को बैलेंस शीट दृष्टिकोण का उपयोग करके आस्थगित करें का लेखा करने की आवश्यकता होती है, जो बैलेंस शीट और उसके कर आधार में परिसंपत्ति या देनदारी की मात्रा के बीच अस्थायी अंतर पर केंद्रित है। इंड-एस 12 दृष्टिकोण के आवेदन के परिणामस्वरूप नए अस्थायी मतभेदों पर आस्थगित कर की मान्यता प्राप्त हुई जो भारतीय जीएएपी के तहत जरूरी नहीं थी।

उपरोक्त बदलावों ने आस्थगित कर देयता को निम्नानुसार बढ़ाया (घटाया):

विवरण	31 मार्च 2016	₹ लाख में 31 मार्च 2015
खाता मूल्यहास और कर के मूल्यहास में अंतर	6,671.51	2,831.67
उचित मूल्य पर मापा गया राजस्व	(6,204.68)	(2,734.31)
परिशोधन लागत पर मापी गयी वित्तीय परिसंपत्तियां और देनदारियां	(514.35)	(54.97)
अन्य	87.84	7.29
कुल	40.32	49.68

(जी) प्रस्तावित लाभांश

भारतीय जीएएपी के अंतर्गत, कंपनी ने उस वर्ष 31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष से संबंधित प्रस्तावित लाभांश का हिसाब किया था, हालांकि उस लाभांश की स्वीकृति रिपोर्टिंग तारीख के बाद हुई थी। इंड एस के तहत, प्रस्तावित लाभांश, देनदारी की परिभाषा को पूरा नहीं करते हैं, जब तक वे वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित नहीं किए जाते हैं। इसलिए, कंपनी ने लाभांश के लिए दायित्व नहीं पहचाना है जो प्रस्तावित किया गया है लेकिन रिपोर्टिंग की तारीख के बाद तक स्वीकृति नहीं दी जाएगी।

समायोजन का प्रभाव प्रावधानों में कमी लाने के साथ एक अप्रैल 2015 तक अवधारण आय में 328.65 लाख करोड़ रुपये और 31 मार्च 2016 तक 1,291.09 लाख रुपये की वृद्धि करना है।

(h) कर्मचारी लाभ:

भारतीय जीएएपी और इंड-एएस दोनों के तहत, कंपनी ने बीमाकि आधार पर रोजगार के बाद परिभाषित लाभ योजना से संबंधित लागतों की पहचान की। भारतीय जीएएपी के तहत, बीमाकि लाभ और घाटे सहित पूरी लागत को, लाभ या हानि में चार्ज किया जाता है। इंड एएस के तहत (बीमाकि लाभ और हानि, परिसंपत्ति सीलिंग के प्रभाव, शुद्ध पारिभाषित लाभ देनदारी पर शुद्ध ब्याज में शामिल राशि को छोड़कर और शुद्ध पारिभाषित लाभ देनदारी पर शुद्ध ब्याज में शामिल राशि को छोड़कर योजित परिसंपत्तियों पर रिटर्न को छोड़कर पुनः मापना अन्य समग्र आय में चिह्नित है।

परिणामतः 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ वर्ष के दौरान अन्य संवहनी आय में इसी कमी के साथ 1.29 लाख (कर का शुद्ध) की वृद्धि हुई।

(i) अवधारण आय:

1 अप्रैल 2015 को अवधारण आय के रूप में उपरोक्त इंड एएस को संक्रमण समायोजन के रूप में समायोजित किया गया है। विवरण के लिए उपरोक्त अनुसार '31 मार्च 2016 और 1 अप्रैल 2015 तक कुल इविटटी का पुनर्पूजीकरण' देखें।

(j) अन्य समेकित आय:

भारतीय जीएएपी के तहत, कंपनी ने अन्य व्यापक आय (ओसीआई) को अलग से प्रस्तुत नहीं किया है जिन आइटमों को लाभ और हानि के अन्य संचित आय के ब्यौरे से परिभाषित किया गया है, वे परिभाषित लाभ योजनाओं के पुनर्निर्माण के संबंध में हैं। इसलिए, भारतीय जीएएपी लाभ या हानि इंड एएस के अनुसार कुल व्यापक आय के साथ मेल खाता है।

(k) पूंजीप्रवाह का विवरण

भारतीय जीएएपी से इंड एएस के लिए संक्रमण का नकदी प्रवाह के बयान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

43. इंड एएस 27 के अनुसार पृथक वित्तीय विवरण का प्रकटीकरण

ए) संयुक्त उपक्रम में निवेश:

संस्थान का नाम	व्यापार का स्थायन	मालिकाना हक (प्रतिशत में)		
		31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
एनर्जी प्रो एसेस्ट्स लिमिटेड (ईईएसएल-ईपीएएल) *	ब्रिटेन	80.00	-	-

* कंपनी ने संयुक्त उपक्रम में इविटटी निवेश को इंड एएस 27 के अनुसार पृथक वित्तीय विवरण के आधार पर मापा है।

44. कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व व्यय (सीएसआर)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के तहत, डीपीई द्वारा जारी निर्देशों के साथ पठित, के अनुसार, कंपनी को तीन पूर्ववर्ती वित्त वर्षों में कंपनी के कुल औसत लाभ का कम से कम दो प्रतिशत सीएसआर नीति के तहत प्रत्येक वर्ष खर्च करना है। कंपनी के सीएसआर का व्यय निम्न है:

₹ लाख में

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016
ए) वर्ष के दौरान खर्च के लिए आवश्यक राशि	45.72	18.53
बी) पिछले वर्ष की राशि में कमी	शून्य	शून्य
सी) कुल (ए जोड़ बी)	45.72	18.53
डी) वर्ष के दौरान खर्च की गयी राशि—		
— किसी भी परिसंपत्ति के निर्माण/अधिग्रहण	शून्य	शून्य
— उपरोक्त(i) के अलावा अन्य उद्देश्यों पर	शून्य	शून्य
कुल	शून्य	शून्य
सीएसआर रिजर्व के लिए बकाया राशि की कमी	शून्य	शून्य

₹ लाख में

ए) 31 मार्च 2017 को समाप्त वित्त वर्ष में व्यय की गयी राशि

विवरण	नकद में	यदि नकद में भुगतान किया जाना है	कुल
किसी भी संपत्ति का निर्माण / अधिग्रहण	शून्य	शून्य	शून्य
उपरोक्त (i) के अलावा अन्य उद्देश्यों पर	शून्य	शून्य	शून्य

₹ लाख में

बी) 31 मार्च 2016 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान व्यय की गयी राशि

विवरण	नकद में	यदि नकद में भुगतान किया जाना है	कुल
किसी भी संपत्ति के निर्माण / अधिग्रहण	शून्य	शून्य	शून्य
उपरोक्त (i) के अलावा अन्य उद्देश्यों पर	शून्य	शून्य	शून्य

₹ लाख में

E. मुख्य स्थानों पर सीएसआर व्यय का व्यौरा निम्न है :

विवरण	31 मार्च 17	31 मार्च 16
1. स्वच्छ विद्यालय अभियान	शून्य	शून्य
2. स्वास्थ्य और स्वच्छता	शून्य	शून्य
3. शिक्षा और कौशल विकास	शून्य	शून्य
4. ग्रामीण विकास	शून्य	शून्य
5. पर्यावरण	शून्य	शून्य
6. पेयजल	शून्य	शून्य
7. खेल	शून्य	शून्य
8. क्षमता निर्माण	शून्य	शून्य
9. राष्ट्रीय विरासत, कला और संस्कृति का संरक्षण	शून्य	शून्य
10. अन्य सीएसआर गतिविधियां	शून्य	शून्य
कुल	शून्य	शून्य

45. 08/11/2016 से 30.12.2016 की अवधि के दौरान रखे और लेनदेन किए गए निर्दिष्ट बैंक नोट्स (एसबीएन) का विवरण:

वर्ष के दौरान, कंपनी के पास एमसीए की अधिसूचना, जीएसआर 308 (ई) दिनांकित मार्च 31, 2017 में परिभाषित बैंक नोट्स (एसबीएन) या अन्य निर्दिष्ट नोट थे। 8 नवंबर, 2016 से 30 दिसंबर 2016 की अवधि के दौरान हासिल और लेनदेन किये गये एसबीएन का विवरण, मूल्य के अनुसार निम्न है:

₹ लाख में

विवरण	निर्दिष्ट बैंक नोट्स	अन्य डिनोमिशन नोट	कुल
08.11.2016 को कलेंडिंग/डिस्ट्रिब्यूशन एजेंसियों के पास नगद	314.83	1089.74	1404.57
जोड़ें: अनुमति प्राप्त रसीदें	-	-	-
घटायें: अनुमति प्राप्त भुगतान	-	-	-
घटायें: बैंक में जमा राशि	314.83	1089.74	1404.57
30.12.2016 को नगद	-	-	-

*वितरण एजेंटों ने भारत के विभिन्न राज्यों में 08.11.2016 से पहले बिके एलईडी बल्ब/बल्बोंस की राशि 09.11.2016 से 30.12.2016 तक की निर्दिष्ट अवधि के दौरान सीधे निर्दिष्ट बैंक नोट्स जमा करा दिये, लेकिन नगदी बिक्री और नगदी जमा पर्ची का नोट के मूल्य के आधार पर रिकॉर्ड तैयार नहीं किया गया है इसीलिए यह उपलब्ध नहीं है।

46. (ए) कंपनी ने डिबेंचर सुरक्षित, प्रतिदेय, करयोग्य, गैर संचयी, गैर परिवर्तनीय बांड के रूप में 40,00,000 रुपये के अंकित मूल्य, वाले डिबेंचर जारी किये, जिनमें 10,00,000 रुपये प्रत्येक के मूल्य के दो एसटीआरपीपी और 20,00,000 रुपये प्रत्येक के मूल्य के एक एसटीआरपीपी शामिल है। इसका कुल आकार 50,000 लाख (सीरीज -1) है, जो नकदी के लिए 1.00 गुना की न्यूनतम संपत्ति कवरेज के साथ है। बांड को 20.09.2016 को आवंटित किया गया है और बंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) में सूचीबद्ध किया गया है।

(बी) कंपनी 25 प्रतिशत पर जारी बांड के लिए डिबेंचर रिडेप्शन रिजर्व (डीआरआर) का निर्माण कर रही है (जो कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014) के तहत आवश्यक है।

(सी) कंपनी गैर-परिवर्तनीय बांडों की श्रृंखला जारी करने सहित विभिन्न स्रोतों के माध्यम से धन जुटाती है।

गैर-परिवर्तनीय रुपया बांड, के लिए वार्षिक ब्याज के भुगतान की नियत तारीख 2017.09.20 है और मूलधन 20.03.2020, 20.09.2021 और 20.09.2023 को क्रमशः 12,500.00 लाख ₹ 12,500.00 लाख और ₹ 50,000.00 लाख रुपया होगा।

47. वर्ष के दौरान किये बड़े निवेश

(i) कंपनी ने एक रुपये प्रत्येक के अंकित मूल्य वाले 2,30,680 शेयर एम/एस एनर्जी प्रो एसेस्ट्स लिमिटेड, लंदन, ब्रिटेन में सबक्राइब किये, जो 21 मार्च 2017 को 189.04 लाख रुपये यानी 230,680.00 पाउंड के समतुल्य है।

(ii) कंपनी ने वर्ष के दौरान जयपुर में जयपुर औद्योगिक क्षेत्र में भूमि खरीदी है, जिसका सर्किल रेट के हिसाब से 31 मार्च 2017 को समाप्त वित्त वर्ष में रजिस्टर्ड स्टॉप मूल्य 743.64 लाख रुपये है।

(iii) कंपनी ने जयपुर में अपने क्षेत्रीय कार्यालय के लिए एनबीसीसी केंद्र, सहकर मार्ग, जयपुर में संपत्ति खरीदने के लिए अग्रिम राशि दे दी है। 4.590 वर्गफुट के क्षेत्रफल वाली इस जमीन की कुल लागत 460.77 लाख रुपये है। संपत्ति की किस्त की देय तिथि 26.04.2017 या उससे पहले की है।

(iv) कंपनी ने एनबीसीसी स्ववायर, एक्शन एरिया- III, राजरहाट, कोलकाता में बिल्ट अप ऑफिस की खरीद के लिए 55.29 लाख रुपये का अग्रिम भुगतान किया है। उक्त संपत्ति का कब्जा अगले वित्तीय वर्ष से उपलब्ध होगा।

48. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 31 मार्च 2015 को 10 आईसीडीएस को अधिसूचना संख्या 32/2015 एफ नंबर 134/48/2010 - टीपीएल, /एसओ 892 (ई), के तहत अधिसूचित किया, जो सभी करदाताओं (कॉर्पोरेट और गैर-कॉर्पोरेट) पर लागू होता है, जिसमें गैर-पेंशन करदाताओं सहित लेखांकन के मर्केंटाइल पद्धति का पालन किया जाता है। यह व्यापार, व्यवसाय और अन्य स्रोतों से प्राप्त आय के लाभ और हानि के

तहत गणना की गयी आमदनी पर लागू होता है। हालांकि, अन्य स्रोतों से एमएटी (न्यूनतम वैकल्पिक कर) के प्रयोजनों के लिए मुनाफे की गणना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जो कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कार्यप्रणाली द्वारा नियंत्रित रहेगा।

तदनुसार, कंपनी ने लागू आय गणना और प्रकटीकरण मानकों के अनुसार करों की गणना के लिए वर्तमान कर और प्रावधान किया है।

49. आय कंप्यूटिंग और प्रकटीकरण मानकों (आईसीडीएस) के अनुसार आयकर के लिए प्रावधान करते समय, 31 मार्च 2017 को, विदेशी मुद्रा में ऋण की प्राप्ति पर विदेशी मुद्रा विनिमय में उतार-चढ़ाव के अंतर पर लाभ और हानि के मद में 21 करोड़ रुपये की राशि रही, जो अधिग्रहण में इस्तेमाल की गयी, जो इंड एस 16 और आईसीडीएस के प्रावधानों का उल्लंघन है, जो बताता है कि यह कंपनी की आय के हिस्से से होनी चाहिए और इसका लाभ और हानि खाते के माध्यम से इस्तेमाल होना चाहिए था। लेकिन उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के कई मामलों को देखते हुए, उसे पूंजी रसीद होने के रूप में माना गया।

हमारी ऑडिट रिपोर्ट के अनुलग्ना
रिपोर्ट से संबद्ध तिथि

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

वीपीजीएस एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन 507971सी

सौरभ कुमार
प्रबंध निदेशक
डिन : 06576793

आकाश सक्सेना
निदेशक
डिन : 00529340

पूजा शुक्ला
कंपनी सचिव

एस गोपाल
मु. वित्तीय अधिकारी

गुरुकृपाल सिंह बेदी
सहभागी
मो. नं. 090637

स्थान: नोएडा
दिनांक : 30th May 2017

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के सदस्यों को

समेकित इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वित्तीय विवरण पर रिपोर्ट

हमने एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ('कंपनी') के समेकित इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वित्तीय विवरण का लेखापरीक्षण किया है, जिसमें 31 मार्च 2017 तक की बैलेंस शीट, लाभ और हानि (अन्य व्यापक आय सहित), पूंजी प्रवाह विवरण और वर्ष के लिए इविटी में परिवर्तन का विवरण और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों और अन्य स्पष्टीकरण संबंधी जानकारी का सारांश (इसके बाद 'समेकित इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वित्तीय विवरण' के रूप में संदर्भित) शामिल है।

समेकित वित्तीय परिणाम के लिए प्रबंधन का दायित्व

कंपनी का निदेशक मंडल समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय प्रदर्शन (अन्य समग्र आय सहित), समेकित पूंजी प्रवाह और अधिनियम की धारा 133 के तहत उल्लिखित इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सहित आम तौर पर भारत में स्वीकार्य लेखा सिद्धांत के मुताबिक कंपनी के इविटी में परिवर्तन पर सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देने वाले समेकित इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वित्तीय विवरण तैयार करने के संदर्भ में कंपनी अधिनियम, 2013, की धारा 134(5) में उल्लिखित बातों के लिए जिम्मेदार है।

इस जिम्मेदारी में कंपनी धोखाधड़ी तथा अन्य, अनियमितताओं की पहचान और रोकथाम और कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार समुचित लेखा रिकार्ड का रखरखाव उचित लेखा नीतियों का चयन और उनका क्रियान्वयन तार्किक निर्णय और अनुमान लगाना और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, समेकित इंडियन अकाउंटिंग वित्तीय विवरण तैयार करने और उसके प्रस्तुतिकरण से संबंधित लेखा विवरणों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और धोखाधड़ी या भूल से दिये गये गलत विवरण से मुक्त हैं।

लेखापरीक्षक का दायित्व

हमारी जिम्मेदारी हमारे लेखापरीक्षण के आधार पर समेकित इंडियन अकाउंटिंग वित्तीय विवरण पर मत देने की है।

हमने अधिनियम के प्रावधानों, लेखा और लेखा परीक्षा मानकों और मामलों को ध्यान में रखा है, जिन्हें अधिनियम के प्रावधानों और इसके तहत बनाए गए नियमों के तहत ऑडिट रिपोर्ट में शामिल करना जरूरी है।

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट ऑडिटिंग के मानक के अनुसार लेखापरीक्षण किया। उन मानकों के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं और अनुपालन के लिए उचित आश्वासन प्राप्त करें कि क्या समेकित इंडियन अकाउंटिंग वित्तीय विवरण गलतियों से मुक्त है या नहीं।

ऑडिट में समेकित इंडियन अकाउंटिंग वित्तीय विवरण में उल्लिखित राशि और खुलासों के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य और प्रकटीकरण प्राप्त करने की प्रक्रियाएं शामिल हैं। चयनित प्रक्रियाएं, लेखा परीक्षक के फैसले पर निर्भर करती हैं, जिसमें एकल इंडियन अकाउंटिंग वित्तीय विवरण भौतिक गलतफहमी के जोखिम के आकलन शामिल हैं, चाहे वह धोखाधड़ी के कारण हो या त्रुटि के। उन जोखिम आकलनों को बनाने में, लेखा परीक्षक आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को समझता है। कंपनी के समेकित इंडियन अकाउंटिंग वित्तीय विवरण की तैयारी के लिए जो परिस्थितियों में उपयुक्त ऑडिट प्रक्रिया तैयार करने के लिए एक सच्चे और निष्पक्ष दृश्य देते हैं। एक लेखापरीक्षण में शामिल लेखा नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन और कंपनी के निदेशकों द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों की समरूपता के साथ-साथ समेकित इंडियन अकाउंटिंग वित्तीय विवरण की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल है।

हमारा मानना है कि हमें प्राप्त लेखा साक्ष्य प्राप्ति हैं और ये समेकित इंडियन अकाउंटिंग वित्तीय विवरण पर हमारी योग्य लेखा-परीक्षा राय को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

योग्य राय का आधार

हम आपका ध्यान निम्नलिखित अर्हताओं के तरफ करना चाहेंगे जिसमें ईईएसएल के वित्तीय विवरण की परीक्षण रिपोर्ट 30.05.2017 को जारी किए जो इस प्रकार हैं:

1. विज्ञापन व्यय के बारे में वित्तीय विवरण के नोट 1 (सी) (10.6) में ध्यान आकर्षित किया गया है। 2016-17 के वित्त वर्ष के दौरान, कंपनी ने विज्ञापन पर 37.95 करोड़ रुपये की राशि व्यय की जिसमें से 20.98 करोड़ रुपये पूर्व खर्च के रूप में स्थगित कर दिये गये हैं, जो 'अन्य चालू परिसंपत्तियां' (नोट-13 वित्तीय विवरणों) के तहत दिखाए गए हैं। राजस्व का इस तरह व्यय समेकित इंडियन अकाउंटिंग वित्तीय विवरण 38 'अमूर्त संपत्ति' के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। यह 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के वित्तीय वक्तव्यों पर पिछले लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में योग्यता का विषय था।
2. हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने पीएफसी से समझौते के तहत 'एलआईडी आधारित सौर प्रकाश व्यवस्था' की समग्र आपूर्ति, स्थापना और कमीशन के लिए 1.48 करोड़ रुपये का बिल बनाया है लेकिन कंपनी ने मूल्य संवर्धित कर (जिन राज्यों में इसका निष्पादन किया गया, वहां लागू होने वाले कानूनों के तहत निर्दिष्ट दर) आपूर्ति पर नहीं लिया और सेवा अनुबंध सेवाओं के तहत सेवा कर भी नहीं लिया

जो सेवा कर (मूल्य निर्धारण) नियम, 2006 के नियम 2 ए (ii) का उल्लंघन है। यह 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के वित्तीय वक्तव्यों पर पिछले लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में योग्यता का विषय था।

- 37 3 हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नहीं की, जो अधिनियम की धारा 149(4) और(5), कंपनी नियम (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता), 2014 के साथ पठित, का उल्लंघन है

योग्य राय

हमारी राय में और हमारी जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के मुताबिक और संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाइयों के अनऑडिटेड वित्तीय परिणाम तथा इन इकाइयों की अन्य वित्तीय जानकारियों के आधार पर, उपरोक्त समेकित इंडियन स्टैंडर्ड अकाउंटिंग वित्तीय विवरण अधिनियम के अनुसार 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय सहित इसके वित्तीय प्रदर्शन, इसके नकदी प्रवाह और इविवटी में परिवर्तन की जरूरी सूचना और इंडियन स्टैंडर्ड अकाउंटिंग वित्तीय विवरण समेत भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सही और निष्पक्ष राय देते हैं।

अन्य मामले

- (ए) हमने संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई के वित्तीय वक्तव्यों / वित्तीय जानकारी का लेखा-जोखा नहीं किया, जिनका 31 मार्च 2017 को वित्तीय वक्तव्य/वित्तीय सूचना 9,98,22,306 की कुल संपत्ति और 2,25,78,377 की कुल परिसंपत्ति, कुल राजस्व शून्य और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए शुद्ध पूंजी प्रवाह 52,41,12,937 रुपये को प्रतिबिंबित करता है, जिसे समेकित वित्तीय वक्तव्य में माना गया है। समेकित वित्तीय विवरण में 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष में हुई 8,40,994 रुपये की हुई कुल हानि में कंपनी का हिस्सा भी शामिल है, जैसा संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाइयों के संदर्भ में समेकित वित्तीय विवरण में माना गया है, जिसका वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी हमारे द्वारा ऑडिट नहीं की गयी है। ये वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी बिना ऑडिट किये हुए हैं और हमारे द्वारा प्रबंधन और समेकित वित्तीय वक्तव्यों पर हमारी राय द्वारा प्रस्तुत की गई है, जहां तक यह इन संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था के संबंध में शामिल रकम और प्रकटीकरण से संबंधित है और हमारी रिपोर्ट शर्तों में है अधिनियम की धारा 143 के उप-धारा (3) में, जहां तक यह उपरोक्त संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई से संबंधित है, केवल इस तरह की अलेखित वित्तीय वक्तव्यों/वित्तीय सूचनाओं पर आधारित है। हमारी राय में और प्रबंधन द्वारा हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, ये वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी कंपनी और उसके संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई के लिए नहीं है।

- (बी) संयुक्त नियंत्रित इकाई भारत के बाहर स्थित है जिसका वित्तीय विवरण और अन्य वित्तीय जानकारी आमतौर पर उनके संबंधित देश में स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार तैयार की गई है और जो अलेखापरीक्षित हैं। कंपनी के प्रबंधन ने भारत के बाहर स्थित इस तरह की संयुक्त इकाई के वित्तीय वक्तव्यों को आम तौर पर भारत में स्वीकार किए जाने वाले लेखांकन सिद्धांतों से संबंधित अपने देश में स्वीकार किए जाने वाले लेखा सिद्धांतों से परिवर्तित कर दिया है। हमने कंपनी के प्रबंधन द्वारा किए गए इन रूपांतरण समायोजन का लेखा-परीक्षण किया है। हमारी राय, जहां तक यह भारत के बाहर स्थित ऐसी संयुक्त इकाई के संतुलन और मामलों से संबंधित है, कंपनी के प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए रूपांतरण समायोजनों पर आधारित है और हमारे द्वारा लेखापरीक्षित है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर ऊपर हमारी राय, और नीचे दिए गए अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर हमारी रिपोर्ट, काम किए गए कार्यों और वित्तीय विवरणों / प्रबंधन द्वारा प्रमाणित वित्तीय सूचना के संबंध में उपरोक्त मामलों के संबंध में संशोधित नहीं है।

- (सी) 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी की तुलनात्मक वित्तीय जानकारी और 1 अप्रैल, 2015 तक संक्रमण तिथि का ओपनिंग बैलेंस शीट, जो वित्तीय विवरणों के रूप में इन समेकित इंड एस वित्तीय परिणाम में शामिल हैं, पहले जारी किए गए वार्षिक सांविधिक लेखाकारों के वित्तीय विवरण पर आधारित हैं जिन्हें कंपनी (लेखा मानक) नियम, 2006 के अनुसार तैयार किया गया, जिन्हें पूर्ववर्ती लेखाकार ने ऑडिट किया, जिनकी 31 मार्च 2016 और 31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वित्त वर्ष की रिपोर्ट क्रमशः 16 सितंबर 2016 और तीन जुलाई 2015 को जारी की गयी, वे वित्तीय विवरण पर योग्य राय देते हैं, जैसा कि कंपनी द्वारा इंड एस के संक्रमण पर अपनाये गये लेखा सिद्धांतों में अंतर के लिए समायोजित किया गया है, जो हमारे द्वारा लेखा परीक्षित किया गया है। हालांकि, उपर्युक्त का संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई पर कोई असर नहीं है क्योंकि यह वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान कंपनी द्वारा अधिगृहित किया गया था।

अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत जरूरी, अनुलग्नक 1 में, हम ऑडिट के तरीके, उस पर उठाये गये कदम और वित्तीय परिणाम पर इसके प्रभाव के संकलन के बाद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी दिशानिर्देशों पर एक संशोधित बयान देते हैं।
2. अधिनियम की धारा 143 (3) के अनुसार आवश्यक, हम यह रिपोर्ट करते हैं कि:
 - (क) हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जो हमारे ज्ञान और मान्यता के अनुसार समेकित लेखा परीक्षण के लिए आवश्यक थे।
 - (ख) हमारे विचार में, उपरोक्त योग्य राय के आधार में वर्णित मामलों के प्रभाव के अलावा, कानूनन जरूरी अकाउंट बुक कंपनी द्वारा रखी गयी है जैसा कि उन अकाउंट बुक की हमारी जांच से प्रकट होता है और जिन शाखाओं में हम नहीं गये वहां से ऑडिट के प्रयोजन के लिए उचित रिकॉर्ड प्राप्त हुए हैं

- (ग) बैलेंस शीट, लाभ और हानि का बयान, नकदी प्रवाह का बयान और इस रिपोर्ट के साथ निपटाए गए इविट्टी में परिवर्तन अकाउंट बुक के अनुसार हैं
- (घ) हमारी राय में, उपरोक्त योग्य राय के आधार पैराग्राफ के आधार में वर्णित मामलों के प्रभाव के अलावा, पूर्व उल्लिखित समेकित इंडियन स्टैंडर्ड अकाउंटिंग वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं
- (ङ) निदेशक मंडल से 31 मार्च 2017 को प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के आधार पर, 31 मार्च 2017 को किसी भी निदेशक को धारा 164(2) और इसके तहत जारी प्रासंगिक नियमों के साथ पठित, के तहत निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने से अयोग्य घोषित नहीं किया गया।
- (च) कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्त और इस तरह के नियंत्रणों के संचालन प्रभावशीलता के संबंध में 'संलग्नक ए' में हमारी अलग रिपोर्ट को देखें तथा
- (छ) कंपनी नियम, (ऑडिट और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार, ऑडिटर की रिपोर्ट में अन्य मामले शामिल करने के संबंध में, हमारी जानकारी के अनुसार और दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार हमारी राय है :
- (i) कंपनी ने समेकित इंडियन स्टैंडर्ड अकाउंटिंग वित्तीय विवरण में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा किया है; समेकित वित्तीय परिणाम के नोट 36 को देखें।
- (ii) कंपनी के पास 31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स सहित कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं है जिसके लिए निकट भविष्य में कोई नुकसान होने वाला हो।
- (iii) कंपनी द्वारा 31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में कोई स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं है; तथा
- (iv) कंपनी ने 8 नवंबर, 2016 से 30 दिसंबर, 2016 की अवधि के दौरान निर्दिष्ट बैंक नोटों में किये गये सौदे के साथ ही होल्टिंग के बारे में वित्तीय विवरण में अपेक्षित जानकारी दी। हालांकि, हम इन खुलासों के बारे में पर्याप्त और उपयुक्त के प्रमाण प्राप्त करने में असमर्थ हैं कि ये खुलासे प्रबंधन द्वारा हमें दिये गये कंपनी के अकाउंट बुक के अनुसार हैं या नहीं – रेफर एकल इंडियन स्टैंडर्ड अकाउंटिंग वित्तीय विवरण नोट 45।

वीपीजीएस एंड कंपनी के लिए
 चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म
 पंजीकरण संख्या: 507971सी

गुरुकृपाल सिंह बेदी
 पार्टनर
 मेंबरशिप नंबर: 090637

दिनांक: 04 अगस्त 2017
 स्थान: नई दिल्ली

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक – ए

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप धारा 3 के अनुच्छेद – (1) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की रिपोर्ट

हमने 31 मार्च 2017 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरण के लेखा परीक्षण के साथ समान तिथि में एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के वित्तीय रिकॉर्ड पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का भी लेखा परीक्षण किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन का दायित्व

कंपनी प्रबंधन का दायित्व, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ('आईसीएआई') द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्ट पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मापदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल हैं, जो कंपनी के नीतियों के अनुपालन, परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने के लिए हैं तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत जरूरी समयानुसार विश्वसनीय और पूर्ण लेखा रिपोर्ट तैयार करना है।

लेखापरीक्षक का दायित्व

हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखा-परीक्षा पर आधारित वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर राय व्यक्त करना है। हमने आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग ('गाइडेंस नोट') और ऑडिटिंग के मानकों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट के अनुसार लेखापरीक्षण किया और कंपनी अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित किया जाना माना गया। 2013, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की एक लेखा परीक्षा के लिए लागू सीमा तक, दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू होते हैं और दोनों आईसीएआई द्वारा जारी किए गए हैं। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं और अनुपालन और लेखा परीक्षा का पालन करें ताकि वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित हो सकें और उसे बनाया रखा जा सकें और यदि इस तरह के नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में कारगर ढंग से संचालित हों तो इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करें।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग और उनकी संचालन प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आकलन करना, जो एक महत्वपूर्ण कमजोरी मौजूद है, और आकलन जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना और मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं लेखा परीक्षक के फैसले पर निर्भर करती हैं, जिसमें एकल इंडियन अकाउंट स्टैंडर्ड वित्तीय विवरण की भौतिक गलतफहमी के जोखिम के आकलन शामिल हैं, चाहे वह धोखाधड़ी के कारण हो या त्रुटिवाह।

हमारा मानना है कि कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारे लेखापरीक्षा राय को आधार प्रदान करने के लिए हमारे द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षा के प्रमाण पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और आम तौर पर स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने की एक प्रक्रिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण उन नीतियों और प्रक्रियाओं को शामिल करता है जो (1) रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित हैं, जो उचित विवरण में, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और स्वभाव को दर्शाते हैं; (2) उचित आश्वासन देते हैं कि लेनदेन आमतौर पर स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय वक्तव्य तैयार करने की अनुमति के लिए आवश्यक के रूप में दर्ज किए जाते हैं, और कंपनी की प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरण के अनुसार कंपनी की प्राप्ति और व्यय ही बनाये जा रहे हैं; और (3) वित्तीय विवरणों पर सामग्री प्रभाव हो सकता है कि कंपनी की संपत्ति के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या स्वभाव की रोकथाम या समय पर पहचान के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करें।

वित्तीय रिपोर्टिंग से अधिक आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जैसे प्रबंधन की अनुचित भागीदारी और त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलतबयानी हो सकती है, जिनका पता नहीं लगाया जा सकता है। साथ ही, भविष्य की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन का अनुमान जोखिम के अधीन है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में होने वाले परिवर्तनों की वजह से अपर्याप्त हो सकते हैं या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर खराब हो सकता है।

राय

हमारी राय में, भारत में गठित कंपनी के पास सभी तरह से, वित्तीय रिपोर्टिंग पर समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय प्रबंधन की ऑडिट पर जारी निर्देश नोट में आंतरिक नियंत्रण के जरूरी घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण मानदंड पर आधारित है। इस तरह का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च 2017 तक प्रभावी रूप से काम कर रहे था।

वीपीजीएस एंड कंपनी के लिए

चार्टर्ड अकाउंटेंट

एफआरएन 507971सी

गुरुकृपाल सिंह बेदी

(पार्टनर)

एम नंबर 090637

दिनांक: 04 अगस्त 2017

स्थान : नई दिल्ली

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक 1

(पैराग्राफ में संदर्भित)

क्रम संख्या	विवरण/निर्देश	लेखा परीक्षक के उत्तर	उठाये गये कदम और वित्तीय विवरण तथा लेखा पर प्रभाव
1.	क्या कंपनी के पास फ्रीहोल्ड और लीजहोल्ड भूमि का टाइटल / लीज दस्तावेज है? अगर नहीं, तो कृपया, उस क्षेत्र का उल्लेख करें जिसके फ्रीहोल्डर और लीज होल्ड के लिए टाइटल/लीज दस्तावेज उपलब्ध नहीं है।	वित्त वर्ष के दौरान कंपनी ने एक फ्रीहोल्ड भूमि खरीदी है। कंपनी ने उपरोक्त भूमि के संदर्भ में टाइटल डील कर ली है।	शून्य
2.	क्या ऋण/कर्ज/ब्याज आदि की माफी का कोई मामला है? अगर हां, तो इसकी वजह और मामले में शामिल राशि का उल्लेख करें।	वित्त वर्ष के दौरान कंपनी ने किसी भी ऋण/कर्ज/ब्याज आदि को माफ नहीं किया।	शून्य
3.	क्या थर्ड पार्टी के पास पड़े भंडार और सरकार या किसी भी प्रशासन से उपहार के रूप में प्राप्त परिसंपत्ति का समुचित रिकॉर्ड रखा गया है ?	कंपनी ने थर्ड पार्टी (उप ठेकेदार) के पास पड़े भंडार का समुचित रिकॉर्ड रखा है। कंपनी ने सरकार या किसी भी प्रशासन से उपहार के रूप में कोई भी परिसंपत्ति प्राप्त नहीं की है।	शून्य

31 मार्च 2017 को ईईएसएल की समेकित बैलेंस शीट

₹ लाख में

विवरण	नोट नंबर	31.03.2017 तक	31.03.2016 तक	01.04.2015 तक
संपत्तियां				
गैर चालू परिसंपत्ति				
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	2	60,109.90	27,600.34	5,580.67
प्रगतिमान पूंजी	3	36,618.37	14,284.41	533.07
अमूर्त संपत्ति	2	72.78	33.89	21.82
संयुक्त उद्यम में निवेश		180.63	-	-
वित्तीय संपत्ति				
ऋण	4	127.59	41.62	28.97
अन्य वित्तीय संपत्तियां	5	10,116.07	10,360.95	5,765.06
अन्य गैर चालू परिसंपत्ति	6	594.62	962.96	52.27
कुल गैर चालू परिसंपत्तियां		1,07,819.96	53,284.17	11,981.86
चालू परिसंपत्ति				
सूची	7	15,464.97	18,890.39	97.69
वित्तीय संपत्ति				
व्यापार स्वीकार योग्य	8	80,140.76	34,499.82	3,679.50
नकद और नकद उपकरण	9	26,467.08	24,497.02	3,519.68
नकद और नकद समकक्ष के अलावा बैंक की शेष राशि	9A	5,767.04	425.28	7,431.75
ऋण	10	66.36	36.30	4.28
अन्य वित्तीय संपत्तियां	11	8,050.65	8,890.97	3,865.84
चालू कर संपत्ति (शुद्ध)	12	622.74	670.49	86.36
अन्य मौजूदा परिसंपत्तियां	13	13,247.35	4,790.56	107.76
कुल मौजूदा संपत्ति		1,49,826.95	92,700.83	18,792.86
कुल संपत्ति		2,57,646.91	1,45,985.00	30,774.72
इक्विटी और देयता				
इक्विटी				
इक्विटी शेयर पूंजी	14	46,200.00	16,500.00	9,000.00
अन्य इक्विटी	15	9,325.38	25,263.02	2,173.99
कुल इक्विटी		55,525.38	41,763.02	11,173.99
देयताएं				
गैर मौजूदा देनदारियां				
वित्तीय देनदारियां				
उधारी	16	82,623.86	30,124.96	8,776.35
अन्य वित्तीय देयताएं	17	5,194.96	3,014.00	384.08
प्रावधान	18	223.16	92.59	49.77
निर्धारित कर देनदारियां	19	8.38	135.95	180.55
अन्य गैर चालू देनदारियां	20	43.95	29.38	12.38
कुल गैर चालू देनदारियां		88,094.31	33,396.88	9,403.13
वर्तमान देनदारियां				
वित्तीय देनदारियां				
उधारी	21	35,000.00	28,500.00	-
व्यापार देनदारियां	22	45,869.51	34,794.41	9,377.27
अन्य वित्तीय देनदारियां	23	17,214.64	5,959.19	588.18
अन्य चालू देनदारियां	24	15,607.95	1,567.98	72.45
प्रावधान	25	10.82	3.52	2.20
वर्तमान कर देयताएं		324.30	-	157.50
कुल मौजूदा देनदारियां		1,14,027.22	70,825.10	10,197.60
कुल शेयर और देनदारियां		2,57,646.91	1,45,985.00	30,774.72

महत्वपूर्ण लेखा नीति

वित्तीय विवरण पर नोट

1
2 से 49हमारी ऑडिट रिपोर्ट के अनुलग्न
रिपोर्ट से संबंधित तिथि

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

वीपीजीएस एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन 507971सीसौरभ कुमार
प्रबंध निदेशक
दिन : 06576793आकाश सक्सेना
निदेशक
दिन : 00529340पूजा शुक्ला
कंपनी सचिवएस गोपाल
मु. वित्तीय अधिकारीगुरुकृपाल सिंह बेदी
सहभागी
मो. नं. 090637स्थान: वाराणसी
दिनांक : 4th अगस्त 2017स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 4th अगस्त 2017

(ईईएसएल)

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का वक्तव्य

₹ लाख में

विवरण	नोट नंबर	31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
राजस्व			
संचालन से राजस्व	26	1,15,086.03	77,488.64
अन्य आय	27	7,632.37	2,822.81
कुल राजस्व		1,22,718.40	80,311.45
व्यय			
स्टॉक इन ट्रेड की खरीद		80,002.15	78,470.71
वितरण व्यय		8,188.53	4,783.34
मीडिया खर्च		2,015.12	1,454.55
भंडार में बढ़ोतरी/कमी	28	2,485.60	(17,937.25)
कर्मचारी लाभ व्यय	29	2,090.66	1,278.43
वित्तीय खर्च	30	6,156.09	1,387.65
मूल्यह्रास, परिशोधन और हानि व्यय	2	5,543.57	1,755.00
अन्य खर्चे	31	8,071.47	4,099.79
कुल खर्च		1,14,553.19	75,292.22
इक्विटी विधि और कर का उपयोग करने के लिए निवेश के शुद्ध लाभ के हिस्से से पहले लाभ:		8,165.21	5,019.23
इक्विटी विधि और कर का उपयोग करने के लिए निवेश के शुद्ध लाभ के हिस्से से पहले लाभ:		(5.94)	-
कर पूर्व लाभ		8,159.27	5,019.23
कर व्यय	32		
चालू कर			
चालू वर्ष		3,110.27	1,576.88
पूर्व वर्ष		(5.44)	(221.86)
आस्थगित कर		(125.26)	(43.92)
कुल कर व्यय		2,979.57	1,311.10
वर्ष का मुनाफा		5,179.70	3,708.13
अन्य समग्र आमदनी			
वस्तुतः जिन्हें लाभ या हानि में दोबारा सूचीबद्ध नहीं किया जायेगा (शुद्ध कर)			
— परिभाषित लाभ योजनाओं पर शुद्ध बीमांकिक लाभ / (नुकसान)		(4.35)	(1.29)
— वस्तु जिन्हें लाभ या हानि में दोबारा सूचीबद्ध नहीं किया जायेगा (शुद्ध कर)			
— विदेशी संचालन में विनिमय दर का अंतर		(2.47)	-
वर्ष के लिए अन्य समग्र आय, आयकर का शुद्ध		(6.82)	(1.29)
वर्ष के लिए कुल समग्र आय		5,172.88	3,706.84
प्रति शेयर इक्विटी शेयर (प्रति मान ₹ 10/- प्रत्येक)	33		
आधारभूत (₹)		1.25	2.73
मिश्रित (₹)		1.25	2.71

महत्वपूर्ण लेखा नीति
वित्तीय विवरण पर नोट

1
2 से 49

हमारी ऑडिट रिपोर्ट के अनुलग्न
रिपोर्ट से संबद्ध तिथि

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

वीपीजीएस एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन 507971सी

सौरभ कुमार
प्रबंध निदेशक
दिन : 06576793

आकाश सक्सेना
निदेशक
दिन : 00529340

पूजा शुक्ला
कंपनी सचिव

एस गोपाल
मु. वित्तीय अधिकारी

गुरुकृपाल सिंह बेदी
सहभागी
मो. नं. 090637

स्थान: वाराणसी
दिनांक : 4th अगस्त 2017

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 4th अगस्त 2017

एनर्जी एपिफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल)
31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित पूंजीप्रवाह विवरण

₹ लाख में

31.03.2017 को समाप्त हुआ वर्ष 31.03.2016 को समाप्त हुआ वर्ष

(क) संचालन गतिविधियों से पूंजी प्रवाह

कर पूर्व लाभ	8,159.27	5,019.23
के लिए समायोजन: -		
मूल्यह्रास और परिशोधन	5,543.57	1,755.00
ब्याज आय	(1,493.49)	(596.16)
विदेशी मुद्रा लाभ या हानि	(1,974.18)	71.32
आस्थशक्ति किराया व्यय	16.56	17.01
संयुक्त उद्यम के शेयर में कमी	5.94	-
वित्तीय लागत	3,681.33	719.84

कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पूर्व संचालन लाभ**कार्यशील पूंजी में परिवर्तन****बढ़ोतरी/घाटा**

प्राप्त कारोबार	(45,640.95)	(30,820.31)
भंडार	3,425.42	(18,792.70)
ऋण, अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां और अन्य संपत्तियां	(7,491.02)	(14,361.20)
अन्य बैंक बैलेंस	(5,341.76)	7,006.47
	(55,048.31)	(56,967.74)

वृद्धि/गिरावट

व्यापार देय, अन्य वित्तीय देनदारियां और अन्य देनदारियां प्रावधान

आयकर का भुगतान

संचालन गतिविधियों से प्राप्त नगद

(ख) निवेश गतिविधियों से पूंजी प्रवाह

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति की खरीद

प्रगतिमान पूंजी

ब्याज आय

संयुक्त उद्यम में निवेश

निवेश गतिविधियों में उपयोग किया गया कुल नकद

(ग) वित्तीय गतिविधियों से पूंजी प्रवाह

उधार से प्राप्त

वित्तीय लागत

जारी शेयर पूंजी

शेयर आवेदन धन (लंबित आवंटन)

शेयर जारी करने की लागत

भुगतानित लाभांश

भुगतानित लाभांश कर

एक्सिस क्रेडिट कार्ड

वित्त गतिविधियों से शुद्ध नकद

(घ) नकद और नकद समकक्षों में शुद्धपरिवर्तन(एबीसी)

(च) नकद और नकद समकक्ष (एक अप्रैल को ओपनिंग बैलेंस)

(छ) नकद और नकद समतुल्य(क्लोपजिंग बैलेंस)

नकद और नकद समतुल्य में नकद और बैंक बैलेंस शामिल है। नकद और नकद समतुल्य में नोट-9 के मुताबिक नगद पूंजी प्रवाह में निम्न बैलेंस शीट राशि शामिल है

नकद और नकद के प्रकार

नकदी (तत्कालिक जरूरतों के लिए उपलब्ध नकद)

बैंकों के साथ चालू खाते

8.04	3.17
26,459.04	24,493.85
26,467.08	24,497.02

हमारी ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार
रिपोर्ट से संबद्ध तिथि

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

वीपीजीएस एंड कंपनी

चार्टर्ड अकाउंटेंट

एफआरएन 507971सी

गुरुकृपाल सिंह बेदी

सहभागी

मो. नं. 090637

सौरभ कुमार
प्रबंध निदेशक
डिन : 06576793आकाश सक्सेना
निदेशक
डिन : 00529340पूजा शुक्ला
कंपनी सचिवएस गोपाल
मु. वित्तीय अधिकारीस्थान: वाराणसी
दिनांक : 4th अगस्त 2017स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 4th अगस्त 2017

इक्विटी में परिवर्तन के संदर्भ में ईईएसएल का समेकित वक्तव्य

(क) इक्विटी शेयर पूंजी 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए

₹ लाख में

1 अप्रैल 2016 को शेष राशि	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31 मार्च 2017 को शेष राशि
16,500.00	29,700.00	46,200.00

31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

₹ लाख में

1 अप्रैल 2015 को शेष राशि	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31 मार्च 2016 को शेष राशि
9,000.00	7,500.00	16,500.00

(ख) अन्य इक्विटी

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए

₹ लाख में

विवरण	रिजर्व और अधिशेष			विदेशी मुद्रा रिजर्व	कुल
	शेयर आवेदन राशि (आवंटन लंबित)	डिबेंचर प्रतिदान निधि	प्रतिधारण आय		
1 अप्रैल 2016 को शेष बैलेंस	19,800.00	-	5,463.02	-	25,263.02
इस साल का मुनाफा	-	-	5,179.70	-	5,179.70
अन्य समग्र आमदनी	-	-	(4.35)	(2.47)	(6.82)
कुल समग्र आय	-	-	5,175.35	(2.47)	5,172.88
पिछले वर्षों के लिए लाभांश पर कर	-	-	-	-	-
इक्विटी शेयर जारी करना	(19,800.00)	-	-	-	(19,800.00)
प्रतिधारित कमाई से स्थानांतरण	-	1,452.99	(1,452.99)	-	-
इक्विटी शेयरों के मुद्दे पर होने वाले लेनदेन की लागत, टैक्स की शुद्धता	-	-	(19.42)	-	(19.42)
अंतिम लाभांश (कर सहित) 2015-16 (नोट 15)	-	-	(1,291.09)	-	(1,291.09)
31 मार्च 2017 को शेष राशि	-	1,452.99	7,874.87	(2.47)	9,325.38

31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

₹ लाख में

विवरण	रिजर्व और अधिशेष			विदेशी मुद्रा रिजर्व	कुल
	शेयर आवेदन राशि (आवंटन लंबित)	डिबेंचर प्रतिदान निधि	प्रतिधारण आय		
1 अप्रैल 2015 को बैलेंस	-	-	2,173.99	-	2,173.99
इस साल का मुनाफा	-	-	3,708.13	-	3,708.13
अन्य समग्र आमदनी	-	-	(1.29)	-	(1.29)
कुल समग्र आय	-	-	3,706.84	-	3,706.84
पिछले वर्षों के लाभांश पर कर	-	-	1.53	-	1.53
शेयर आवेदन धन जारी	19,800.00	-	-	-	19,800.00

प्रतिधारण आय में/से लेनदेन	-	-	-	-	-
इविटटी शेयर जारी करने पर लेनदेन की लागत, शुद्ध कर	-	-	(90.69)	-	(90.69)
अंतिम लाभांश (कर सहित) 2015-16 (नोट 15)	-	-	(328.65)	-	(328.65)
31 मार्च 2016 को बैलेंस	19,800.00	-	5,463.02	-	25,263.02

हमारी ऑडिट रिपोर्ट के अनुलग्न रिपोर्ट से संबंध तिथि

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

वीपीजीएस एंड कंपनी

चार्टर्ड अकाउंटेंट

एफआरएन 507971सी

गुरुकृपाल सिंह बेदी

सहभागी

मो. नं. 090637

सौरभ कुमार

प्रबंध निदेशक

डिन : 06576793

आकाश सक्सेना

निदेशक

डिन : 00529340

पूजा शुक्ला

कंपनी सचिव

एस गोपाल

मु. वित्तीय अधिकारी

स्थान: वाराणसी

दिनांक : 4th अगस्त 2017

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 4th अगस्त 2017

वित्तीय विवरण नोट

1. कंपनी की जानकारी और खास लेखा नीतियां

(ए) संस्थान की जानकारी

एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड 'ईईएसएल' (कंपनी) भारत की कंपनी है और सूचीबद्ध (सीआईएन: यू40200डीएल2009पीएलसी196789) है। कंपनी की डेट सिवयुटी बीएसई लिमिटेड में सूचीबद्ध है। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता है: चौथा तल, सेवा भवन, आर के पुरम, नई दिल्ली – 110066.

यह कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड, पीएफसी, आरईसी और पावरग्रिड का संयुक्त उपक्रम है और ऊर्जा दक्ष परियोजनाओं के क्रियान्वन से जुड़ी है। कंपनी, ऊर्जा सेवा कंपनी (एस्को) के रूप में सीडीएम तथा ऊर्जा दक्षता आदि के लिए एक सलाहकार संगठन तथा एसडीए, यूटिलिटीज, वित्तीय संस्थानों आदि के क्षमता निर्माण के संसाधन केंद्र के रूप में काम कर रही है।

(बी) तैयारी का आधार

1. अनुपालन का विवरण

इन समेकित वित्तीय वक्तव्यों को लेखांकन के प्रोद्भव आधार पर तैयार किया जाता है और भारतीय लेखा मानकों (इंडियन अकाउंट स्टैंडर्ड) के साथ कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के तहत अधिसूचित और उसके बाद के संशोधन, कंपनी अधिनियम, 2013 (सीमा तक अधिसूचित और लागू) और कंपनी अधिनियम, 1956 के लागू प्रावधानों का अनुपालन किया जाना है। यह इंडियन अकाउंट स्टैंडर्ड लेखा सिद्धांत के आधार पर तैयार कंपनी का पहला वित्तीय वक्तव्य है और इंडियन अकाउंट स्टैंडर्ड 101 (भारतीय लेखा सिद्धांत का पहली बार अंगीकार करना) को लागू किया गया। 31 मार्च 2016 तक सभी समयावधि के लिए, कंपनी ने भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुसार अपने वित्तीय विवरणों को तैयार किया, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानक, कंपनी अधिनियम, 2013 (सीमा तक अधिसूचित एवं लागू) और कंपनी अधिनियम, 1956, लागू प्रावधानों के अनुसार तैयार किया है। कंपनी ने संक्रमण की तिथि अर्थात् 1 अप्रैल 2015 को शुरुआती बैलेंस शीट में इंडियन अकाउंट स्टैंडर्ड 101 के प्रावधानों का पालन किया। ओपनिंग बैलेंस शीट में इस्तेमाल इंडियन अकाउंट स्टैंडर्ड की कुछ नीतियां पूर्ववर्ती जीएएपी नीतियों से अलग हैं, और तदनुसार शुरुआती बैलेंस को इंडियन अकाउंट स्टैंडर्ड के अनुसार समायोजित करने के लिए कुछ बदलाव किये गये। इसी कारण, इंडियन अकाउंट स्टैंडर्ड 101 के अनुसार जरूरी इन समायोजनों को एक अप्रैल 2015 सीधे तौर पर बनाए आय के माध्यम से चिह्नित किया गया। यह इंडियन अकाउंट स्टैंडर्ड 101 के सामान्य नियम का असर है, जो पूर्वव्यापी रूप से इंडियन अकाउंट स्टैंडर्ड को लागू करना है।

किस प्रकार से इंडियन अकाउंट स्टैंडर्ड को अपनाने ने रिपोर्ट की गई वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और कंपनी के नकदी प्रवाह को प्रभावित किया गया है, उसे नोट 42 में दिया गया है। यह वित्तीय विवरण 30 मई 2017 को निदेशक मंडल द्वारा जारी किए जाने के लिए मंजूर कर लिया गया था।

2. मापने का आधार

पूर्व लागत के आधार पर यह समेकित वित्तीय विवरण तैयार किया गया है।

3. कार्यात्मक और प्रस्तुति मुद्रा

ये वित्तीय विवरण भारतीय रुपए (₹) में प्रस्तुत किए जाते हैं, जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा है। प्रस्तुत की गई सभी वित्तीय सूचना निकटतम लाखों (दो दशमलव तक) दिखायी गयी है।

4. चालू और गैर चालू वर्गीकरण

कंपनी चालू/गैर-चालू वर्गीकरण के आधार पर बैलेंस शीट में संपत्ति और देनदारियां प्रस्तुत करती है।

एक परिसंपत्ति चालू है जब यह है:

- सामान्य संचालन चक्र में बेचे या खपत करने का इरादा हो।
- मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य के लिए रखा हो।
- रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर जारी होने की उम्मीद हो, या
- नगद या नगद समतुल्य हो जब तक रिपोर्टिंग अवधि के कम से कम 12 माह तक देनदारी को खत्म करने के लिए इस्तेमाल करने या बदलने के लिए प्रतिबंधित हो।

अन्य सभी परिसंपत्तियां गैर चालू के रूप में अधिसूचित हैं। एक देनदारी चालू है जब:

- इसके सामान्य संचालन अवधि में खत्म होने की उम्मीद हो
- यह मुख्य रूप से कारोबार के लिए रखी गयी हो।
- यह रिपोर्टिंग अवधि के 12 माह के भीतर देय हो या
- रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीनों के लिए देयता का निपटान करने के लिए कोई बिना शर्त अधिकार नहीं हो अन्य सभी देनदारियों को गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है। आस्थगित कर संपत्ति/देनदारियों को गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

(सी) खास लेखा नीतियां

वित्तीय विवरणों की तैयारी में लागू महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सारांश नीचे दिया गया है। वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत सभी समयावधियों के लिए इन लेखा नीतियों को लगातार लागू किया गया है। कंपनी ने इंडियन अकाउंट स्टैंडर्ड 101 के विकल्प का चुनाव करते हुए इंडियन अकाउंट स्टैंडर्ड 16 और इंडियन अकाउंट स्टैंडर्ड 38 के प्रावधानों को लागू नहीं किया और संक्रमण की तारीख को पिछले जीएएपी की आगे ले जाने वाली राशि को इस्तेमाल किया। इसलिए, 1 अप्रैल 2015 को पिछले जीएएपी के अनुसार संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्तियां इंडियन अकाउंट स्टैंडर्ड में अंतरण में रखी गयीं।

1. समेकन का आधार

नोट नं में वर्णित संयुक्त रूप से संयुक्त प्रबंधन के समेकित वित्तीय विवरणों के अनुसार प्रबंधन 43 (ii) समेकन के प्रयोजन के लिए कंपनी की एक ही रिपोर्टिंग तिथि तक पर भरोसा किया गया है। चूंकि संयुक्त उद्यम विदेशी संस्था में मार्च -2017 में कंपनी द्वारा अधिग्रहण किया गया था, पिछले साल ऐसे संयुक्त उद्यम इकाई में ब्याज की हद तक समेकित आंकड़े, कंपनी के इन समेकित वित्तीय वक्तव्यों में लागू नहीं हैं।

1.1 संयुक्त उपक्रम में रुचि

नोट नं 43 (ii) में उल्लिखित अपने समेकित वित्तीय वक्तव्यों के आधार पर संयुक्त उद्यम में रुचियों को इक्विटी पद्धति का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार है (नीचे 1.2 देखें), समेकित बैलेंस शीट में प्रारंभिक रूप से पहचाने जाने के बाद।

1.2 इक्विटी विधि

लेखांकन की इक्विटी पद्धति के तहत, निवेश शुरू में लागत पर मान्यता प्राप्त है और इसके बाद कंपनी के शेयरों के अधिग्रहण के मुनाफे या लाभ और हानि में निवेशक के नुकसान को पहचानने के लिए और निवेशक की अन्य व्यापक आय की कंपनी की हिस्सेदारी को पहचानने के लिए समायोजित किया जाता है। संयुक्त उद्यम से प्राप्त या प्राप्य लाभांश निवेश की मात्रा में कमी के रूप में मान्यता प्राप्त है।

जब किसी इक्विटी-अकाउंट निवेश में नुकसान की कंपनी का शेयर इकाई के हितों के बराबर या उससे अधिक हो जाता है, जिसमें किसी अन्य असुरक्षित दीर्घकालिक प्राप्तियां शामिल हैं, तो कंपनी अधिक नुकसान नहीं पहचानती है, जब तक कि उसके दायित्वों का भुगतान न हो अन्य संस्था कंपनी और उसके संयुक्त उपक्रम के बीच होने वाले लेन-देन पर अवास्तविक लाभ कंपनी में कंपनी के हित की सीमा तक समाप्त हो जाते हैं। अनावृत नुकसान भी समाप्त हो जाते हैं जब तक कि लेन-देन ट्रांससेट की गई संपत्ति की हानि का सबूत नहीं देता। इक्विटी लेखांकन सामग्री निवेशकों की लेखा नीतियों को बदल दिया गया है जहां कंपनी द्वारा अपनाई गई नीतियों के अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो।

इक्विटी खाते में निवेश की मात्रा में हानि का सी 14 में वर्णित नीतियों के अनुसार किया गया।

जब कंपनी संयुक्त नियंत्रण के नुकसान के कारण निवेश के लिए इक्विटी पद्धति को लागू करना बंद कर देती है, तो इकाई में किसी भी ब्याज को बरकरार रखा जाता है, उसके निष्पक्ष मूल्य में लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त राशि ले जाने में परिवर्तन के साथ फिर से मापा जाता है। इसके अलावा, उस इकाई के संबंध में अन्य व्यापक आय में पहले पहचाने जाने वाले किसी भी राशि का विवरण दिया जाता है जैसे कि कंपनी ने संबंधित संपत्ति या देनदारियों का सीधे निपटारा किया है। इसका मतलब यह हो सकता है कि पहले से अन्य व्यापक आय में पहचानी गई राशि लाभ या हानि के लिए पुनः परिष्कृत की जाती है।

अगर एक संयुक्त उद्यम में स्वामित्व का हित कम हो जाता है लेकिन संयुक्त नियंत्रण बरकरार रखा जाता है, तो दूसरी व्यापक आय में पहले पहचाने जाने वाली राशि का केवल एक अनुपातिक हिस्सा लाभ या हानि के लिए पुनरु परिष्कृत किया जाता है जहां उपयुक्त।

2. संपत्ति, संयंत्र और माप

2.1 प्रारंभिक मान्यता और माप

संपत्ति, पौधे और उपकरणों की वस्तुएं कम लागत में एकत्रित मूल्यहास / परिशोधन और संचित हानि के घाटे में मापा जाता है।

कंपनी द्वारा किए गए एलईडी परियोजनाओं के अलावा अन्य एस्को मॉडल ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं पर किए गए परियोजना विकास लागत को संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के रूप में मान्यता प्राप्त है।

परियोजना विकास लागत में खरीद मूल्य, करों और कर्तव्यों, श्रमिक लागत और परियोजना के कार्यान्वयन या संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अधिग्रहण के लिए प्रत्यक्ष रूप से किसी भी अन्य लागत को परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर व्यवस्थित आधार पर आवंटित किया गया है, जब तक परिसंपत्ति अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार है जब संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के किसी भी सामान के विभिन्न उपयोगी जीवन होते हैं, तो उन्हें अलग से मान्यता प्राप्त होती है परिसंपत्तियों का उपयोग करने के मामले में, जहां ठेकेदारों के साथ बिलों का अंतिम निपटान अभी तक प्रभावी नहीं हुआ है, अंतिम समाप्ति के वर्ष में आवश्यक समायोजन के आधार पर पूंजीकरण अस्थायी आधार पर किया जाता है।

2.2 उत्तरवर्ती लागत

बाद के व्यय को परिसंपत्ति की वहन राशि में वृद्धि के रूप में पहचाना जाता है, जब यह संभावित होता है कि आने वाले खर्च से आने वाले भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को आएंगे और सामग्री की लागत विश्वसनीयता से मापी जा सकती है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के हिस्से को बदलने की लागत आगे ले जाने की राशि में मान्य है यदि यह संभव है कि भाग के अंतर्गत भावी आर्थिक लाभ कंपनी के पास आएंगे और इसकी लागत लागत विश्वसनीयता से मापी जा सकती है। बदले गए पुर्जों की वहन कीमत मान्य नहीं है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की रोजमर्रा सर्विसिंग की लागत, जैसा हुआ, उसके मुताबिक लाभ या हानि में होती है।

2.3 डिकमिशनिंग लागत

परिसंपत्ति के इस्तेमाल के बाद उसे हटाने की संभावित लागत का वर्तमान मूल्य संबंधित परिसंपत्ति की लागत में जोड़ा होता है अगर उसे मान्य करार देने का मानदंड पूरा हो।

2.4 अमान्य

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को तब अमान्यता कहा जाता है जब भविष्य में कोई भी आर्थिक लाभ उनके उपयोग से या उनके निपटान से अपेक्षित नहीं होता है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के निपटान पर लाभ और हानि संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की वहन राशि के साथ निपटान से आय की तुलना करके निर्धारित होते हैं, और लाभ और हानि के बयान में चिह्नित है।

2.5 मूल्य ह्रास / परिशोधन

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के हर हिस्से की अनुमानित उपादेयता के आधार पर लाभ और हानि विवरण में मूल्यह्रास को उल्लिखित किया जाता है। निम्न परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास तकनीकी विश्लेषण के आधार पर उनकी उपादेयता के आधार है:

परिसंपत्ति की प्रकृति	परिसंपत्ति की उम्र
मोबाइल फोन	दो साल
एस्को परियोजनायें	परियोजना अवधि
लीज होल्ड इम्पुवमेंट	लीज अवधि

मूल्य ह्रास का तरीका, उपादेयता और शेष उपादेयता की हर वर्ष के अंत में समीक्षा की जाती है और अगर उचित है तो उसे समायोजित किया जाता है। तकनीकी आंकलन और सलाह के आधार पर कंपनी का मानना है कि उपरोक्त अनुमानित उपादेयता सही है और इसी अवधि में प्रबंधन को इन परिसंपत्तियों का इस्तेमाल करने की उम्मीद है। परियोजना विकास लागत में खरीद मूल्य, कर, ड्यूटी, श्रम लागत और प्रशासनिक एवं टूर एंड ट्रेवलिंग व्यय, परामर्श शुल्क आदि जैसे अन्य आम व्यय समायोजित हैं, जिनकी पहचान की गयी है और जो परियोजना को लागू करने या अचल संपत्ति के अधिग्रहण पर आरोप हैं, उन्हें प्रणालीगत आधार पर परियोजना लागू करने में आवंटित किया गया, अद्यतन व्यय किया गया जब परिसंपत्ति इस्तेमाल के लिए तैयार थी। जहां मूल्यह्रास परिसंपत्ति की लागत विनिमय दर में उतार-चढ़ाव के कारण दीर्घावधि देनदारियों में कमी-वृद्धि की वजह से वर्ष के दौरान परिवर्तन से गुजरी है, उस परिसंपत्ति का गैर ऋणमुक्ति बैलेंस मूल्यह्रास/ऋणमुक्ति से संबंधित लेखा परीक्षण नीतियों के अनुसार शेष उपयोगिता आयु के दौरान चार्ज किया जाता है। अवमूल्यन / परिशोधन के लिए जहां यह संभावित है कि भविष्य में होने वाली लागत से प्राप्त होने वाला आर्थिक लाभ उद्यम तक पहुंच जाएंगे और सामग्री की लागत मापी जा सकती है, पीपीई पर इसके बाद के व्यय के साथ-साथ अपने अप्रयुक्त निष्प्रभावी राशि को संशोधित उपयोगी जीवन पर संभावित रूप से चार्ज किया जाता है।

3. प्रगतिमान पूंजी

प्रगतिमान पूंजी में सामग्रियों की लागत और प्रत्यक्ष श्रम, परिसंपत्तियों को लोकेशन पर लाने और प्रबंधन के उद्देश्य से कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए जरूरी स्थिति में लाने के मद में लगी अन्य लागत शामिल है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के निर्माण के खर्च, जब तक वे अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार नहीं होते हैं, संबंधित संपत्तियों की लागत पर व्यवस्थित आधार पर निर्धारित और आवंटित किए जाते हैं। अगर प्रगतिमान पूंजी के तहत हुए एस्को मॉडल एनर्जी एफिशिएंसी प्रोजेक्ट को अमल में नहीं किये गये, तो इसके संबंध में किए गए व्यय को उसी वर्ष लाभ और हानि के वक्तव्य में लिया जाएगा।

4. अमूर्त परिसंपत्ति

4.1 प्रारंभिक मान्यता और माप

कंपनी द्वारा हासिल की जाने वाली अमूर्त संपत्ति, जिनकी परिमित उपयोगी जीवन है, लागत कम संचित परिशोधन पर मापा जाता है और यदि कोई हो तो संचित हानि का नुकसान होता है। लागत में किसी भी सीधे विशेषकरणीय आकस्मिक व्यय शामिल होता है, जो इसके उपयोग के लिए संपत्ति तैयार करने के लिए आवश्यक होता है।

4.2 अमान्य

एक अमूर्त संपत्ति को तब अमान्यता करार किया जाता है जब भविष्य के किसी भी आर्थिक लाभ से उनके उपयोग या उनके निपटान से उम्मीद नहीं की जाती है। अमूर्त आस्तियों के किसी वस्तु के निपटान पर लाभ और हानि निर्धारित राशि से अमूर्त संपत्तियों के निपटान से निकासी से निर्धारित होती है और लाभ और हानि के बयान में मान्यता प्राप्त है।

4.3 ऋणमुक्ति

सॉफ्टवेयर की लागत को अमूर्त संपत्ति के रूप में मान्यता दी गई है, जिसका उपयोग वैधानिक अधिकारी की अवधि या तीन वर्ष, जो भी कम हो, किया जा सकता है।

5. उधारी लागत

फंड हासिल करने के संबंध में कंपनी द्वारा उठाये गये ब्याज या अन्य लागत उधारी लागत हैं। उधारी लागत उन क्षयी परिसंपत्तियों, जो इस्तेमाल के लिए तैयार होने में अच्छा खासा समय लेती हैं, उनके अधिग्रहण या निर्माण पर प्रत्यक्षतः आरोपित है। अन्य उधारी लागतों को उस अवधि के व्यय के रूप में चिह्नित किया गया है।

जब योग्य परिसंपत्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से कंपनी विशेष रूप से धन उधार लेती है, तो उधार लेने की लागत पूंजीकृत होती है। जब कंपनी सामान्य रूप से धन उधार लेती है और उसे योग्य परिसंपत्ति प्राप्त करने के उद्देश्य के लिए उपयोग करती है, उधार लेने की लागत का पूंजीकरण की गणना सामान्य उधार की भारित औसत लागत पर होती है जो अवधि के दौरान बकाया है और योग्यता के अधिग्रहण या निर्माण के लिए इस्तेमाल की जाती है।

उधार लेने की लागत का पूंजीकरण समाप्त होता है, जब उनके इच्छित उपयोगों के लिए योग्यता संपत्ति तैयार करने के लिए आवश्यक सभी गतिविधियों को पूरा किया जाता है। उधार लेने की लागत में ब्याज और अन्य लागतें शामिल होती हैं, जो एक इकाई को धन उधार के संबंध में उठता है। उधारी के अस्थायी निवेश पर अर्जित आय, योग्यता संपत्तियों पर अपने व्यय को लंबित करती है, उधार लेने की लागत से पूंजीकरण के लिए पात्र होती है। उधार लेने की लागतों में विदेशी मुद्रा उधार से उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतरों में वह हद तक कि वह ब्याज लागत के समायोजन के रूप में माना जाता है। अन्य उधार लेने की लागत उस वर्ष में एक व्यय के रूप में पहचानी जाती है जिसमें वे खर्च कर रहे हैं।

उपयोग के उप-वर्षीय वर्ष में पूंजीकरण के लिए आगे की जा रही योग्य परिसंपत्तियों के उपयोग के लिए उधारों की अनुपयुक्त राशि के लिए उधार लेने की लागत को रखा जा रहा है।

6 भंडार

भंडार का मूल्यांकन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट आधार पर आयी लागत के निचले स्तर और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर किया गया है।

7 नगद और नगद समतुल्य

बैलेंस शीट में उल्लिखित नगद और नगदतुल्य में बैंकों, चालू नगद और तीन माह या उससे कम की अवधि वाले अल्वावधि सावधि जमा राशि समाहित है, जो मूल्य में परिवर्तन के योग्य हैं।

8 प्रावधान और आकस्मिक देनदारियां

अगर किसी पिछली घटना के परिणामस्वरूप, एक प्रावधान मान्यता प्राप्त है, तो कंपनी का मौजूदा कानूनन दायित्व है जिसका विश्वसनीय रूप से अनुमान लगाया जा सकता है, और यह संभव है कि दायित्व को निपटाने के लिए आर्थिक लाभों का बहिर्वाह आवश्यक होगा। यदि धन के समय मूल्य का प्रभाव सामग्री है, प्रावधानों को पूर्व-कर दर पर अपेक्षित भविष्य के नकदी प्रवाह को छूटने से निर्धारित किया जाता है जो धन के समय मूल्य के वर्तमान बाजार मूल्यांकन और देयता के लिए विशिष्ट जोखिम को दर्शाता है। जब छूट का उपयोग किया जाता है, समय के पारित होने के कारण प्रावधान में वृद्धि वित्त लागत के रूप में मान्यता प्राप्त होती है प्रावधान के रूप में मान्यता प्राप्त राशि, दायित्व के आस-पास के जोखिमों और अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए, रिपोर्टिंग तिथि पर वर्तमान दायित्व को व्यवस्थित करने के लिए आवश्यक विचार का सबसे अच्छा अनुमान है।

जब किसी प्रावधान को व्यवस्थित करने के लिए अपेक्षित कुछ या सभी आर्थिक लाभों को तीसरे पक्ष से बरामद किए जाने की संभावना है, तो प्राप्य एक परिसंपत्ति के रूप में पहचाना जाता है यदि यह वास्तव में निश्चित है कि प्रतिपूर्ति प्राप्त की जाएगी और प्राप्य राशि को विश्वसनीय ढंग से मापा जा सकता है। किसी प्रावधान से संबंधित व्यय किसी भी प्रतिपूर्ति के मुनाफे और हानि लाभ के बयान में प्रस्तुत किया गया है।

आकस्मिक देनदारियां पिछली घटनाओं से उत्पन्न संभावित जिम्मेदारी होती हैं और जिनके अस्तित्व की पुष्टि कंपनी से पूर्ण रूप से नियंत्रित नहीं होने वाली एक या अधिक भविष्य की घटनाओं से ही हो सकती है। जहां यह संभव नहीं है कि आर्थिक लाभों का बहिर्वाह आवश्यक हो, या राशि का विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता हो वहां दायित्व का आकस्मिक दायित्व के रूप में खुलासा किया जाता है, जब तक कि आर्थिक लाभ के बहिर्वाह की संभावना दूरस्थ नहीं होती है। प्रबंधन / स्वतंत्र विशेषज्ञों के फैसले के आधार पर आकस्मिक देनदारियों का खुलासा किया गया है। ये प्रत्येक बैलेंस शीट की तारीख में समीक्षा की जाती है और वर्तमान प्रबंधन अनुमान को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित किया जाता है।

9 विदेशी मुद्रा लेनदेन और अंतरण

विदेशी मुद्रा में लेनदेन को उसी तारीख को मौजूद विनिमय दर के आधार पर रिकॉर्ड करते हैं, जिस दिन उनका विनिमय किया गया था। मौद्रिक परिसंपत्तियां और देनदारियां रिपोर्टिंग तिथि को आरबीआई के संदर्भ दर के अनुसार तय होती हैं। मौद्रिक वस्तुओं के अंतरण में होने वाले विनिमय अंतर को उसी वर्ष के लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है, सिर्फ 31 मार्च 2016 तक संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अधिग्रहण से संबंधित मौद्रिक वस्तुओं के विनिमय अंतर को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के लागत में समायोजित किया जाता है। गैर मौद्रिक वस्तुओं को विदेशी मुद्रा के लेनदेन की तारीख के विनिमय दर के आधार पर मापा जाता है।

विदेशी संचालन के परिणाम और वित्तीय स्थिति (जिनमें से कोई भी एक अति-गतिशील अर्थव्यवस्था की मुद्रा नहीं है) जिसकी प्रस्तुति मुद्रा से भिन्न कार्यात्मक मुद्रा प्रस्तुति मुद्रा में निम्नानुसार है:

- संपत्ति और देनदारियों को उस बैलेंस शीट की तारीख में समापन दर पर किया जाता है
- आय और व्यय का औसत विनिमय दर पर किया जाता है (जब तक कि लेनदेन की तारीखों पर प्रचलित दरों के संचयी प्रभाव का कोई उचित अनुमान नहीं है, जिसके मामले में आय और व्यय लेनदेन की तारीख में होते हैं), और
- सभी परिणामी विनिमय अंतर अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त हैं।

समेकन पर, विदेशी संस्थाओं में किसी भी शुद्ध निवेश से उत्पन्न विनिमय मतभेद अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त हैं। जब एक विदेशी ऑपरेशन बेच दिया जाता है, तो संबंधित विनिमय अंतर को लाभ या हानि के लिए पुनः वर्गीकृत किया जाता है, बिक्री या लाभ पर होने वाले नुकसान के रूप में।

10 राजस्व

10.1 वस्तुओं की बिक्री से प्राप्त राजस्व

एलईडी— एस्को परियोजनाओं सहित वस्तुओं की बिक्री से प्राप्त या प्राप्ति योग्य राजस्व, शुद्ध रिटर्न, व्यापार छूट और मात्रा छूट के उचित मूल्य पर मापा जाता है। अन्य बातों के साथ ही वर्तमान मूल्य के कारण विचार को छूट देना शामिल है अगर भुगतान सामान्य क्रेडिट शर्तों से परे हो। स्वामित्व के महत्वपूर्ण जोखिम और पुरस्कार खरीदार को स्थानांतरित कर दिया गया है, तो विचार की वसूली संभव है, संबद्ध लागत और माल की संभव वापसी विश्वसनीय रूप से अनुमान लगाया जा सकता है, राजस्व पर कोई निरंतर प्रभावी नियंत्रण, या साथ प्रबंधकीय भागीदारी नहीं है जब राजस्व मान्यता प्राप्त है, माल, और राजस्व की मात्रा विश्वसनीयता से मापी जा सकती है।

10.2 सेवाओं से प्राप्त राजस्व

प्रदत्त सेवाओं से प्राप्त राजस्व को आम तौर पर रिपोर्टिंग तिथि पर लेनदेन के पूरा होने के स्तर के अनुपात में मान्यता दी जाती है। निम्नलिखित शर्तों के पूरा होने पर राजस्व की पहचान की जाती है:

- राजस्व की मात्रा विश्वसनीयता से मापी जा सके;
- यह संभव है कि लेनदेन से जुड़ा आर्थिक लाभ संस्थान को मिले;
- रिपोर्टिंग अवधि के अंत में लेनदेन के पूरा होने का चरण विश्वसनीयता से मापा जा सकता है; तथा
- लेनदेन लागत और लेनदेन को पूरा करने में लगी लागत को विश्वसनीयता से मापा जा सकता है राजस्व की विभिन्न धाराओं के संबंध में राजस्व मान्यता इस प्रकार है:

राजस्व की विभिन्न धाराओं के संबंध में राजस्व निम्नानुसार वर्णित है:

स्ट्रीटलाइट और कृषि पंप परियोजनाएं:

स्ट्रीटलाइट और कृषि पंप परियोजनाओं की आपूर्ति और स्थापना से प्राप्त राजस्व ग्राहकों से हुए समझौते के आधार पर लाभ या हानि में वर्णित है।

सलाहकार सेवा परियोजनाएं:

रिपोर्टिंग तिथि पर लेनदेन के पूरा होने के स्तर के अनुपात में प्रदान किए गए परामर्श सेवाओं से प्राप्त राजस्व लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त है। पूरा होने का चरण वास्तविक प्रचालन के संदर्भ में/निष्पादित कार्य के तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर संबंधित अनुबंधों की शर्तों के अनुसार मूल्यांकन किया जाता है।

10.3 अन्य आय

ब्याज आय की पहचान तब की जाती है है, जब समय अनुपात आधार पर बकाया राशि और प्रभावी ब्याज दर विधि (ईआईआर) का उपयोग करते हुए, लागू ब्याज दर को ध्यान में रखते हुए उसे मापने और एकत्रित करने में कोई खास अनिश्चितता मौजूद न हो। ईएमआर का उपयोग करके ब्याज आय दर्ज की गई है। ईआईआर वह दर है जो वित्तीय साधनों की अपेक्षित जीवन पर या अनुमानित भविष्य के नकद भुगतान या रसीदों को ठीक से छूट देता है, जहां उपयुक्त है, वित्तीय परिसंपत्ति की सकल ले जाने की मात्रा या वित्तीय देयता की

परिशोधित लागत के लिए। ईआईआर की गणना करते समय, कंपनी वित्तीय साधन के सभी सविदात्मक शर्तों (उदाहरण के लिए, प्रीपेमेंट, एक्सटेंशन, कॉल और इसी तरह के विकल्प) पर विचार करके अपेक्षित नकदी प्रवाह का अनुमान लगाता है, लेकिन अपेक्षित क्रेडिट घाटे पर विचार नहीं करता है। लाभ और हानि के बयान में ब्याज आय अन्य आय में शामिल है।

10.4 व्यय

वास्तविक आधार पर खर्च का हिसाब किया जाता है और सभी ज्ञात घाटे और दायित्वों के लिए प्रावधान किया जाता है।

10.5 सलाहकार अनुबंधों पर व्यय

सलाहकार करारों पर होने वाले व्यय को उस अनुबंध पर दी गई सेवा की प्रगति के आधार पर आय के अनुपात में शामिल किया जाता है।

10.6 उजाला कार्यक्रम के जागरूकता अभियान पर खर्च

राज्य में डीएलपी/उजाला कार्यक्रम पर विज्ञापन / जागरूकता पर होने वाले व्यय को चालू वर्ष में वितरित किए गए एलईडी बल्बों के अनुपात में मुनाफे और हानि के वक्तव्य के लिए प्रभारित किया जाता है, इसके साथ-साथ उस संबंधित राज्य के लिए कुल लक्षित एलईडी बल्ब वितरण की शुरुआत होती है। वर्ष और शेष राशि आगे के वर्षों में लाभ और हानि के बयान के लिए चार्ज करने के लिए आगे ले जाया जाता है। डीएलपी / उजाला कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय मीडिया कैंपिंग पर लगाए गए समान खर्च, वर्तमान वित्तीय वर्ष में वितरित कुल एलईडी बल्बों के लिए लाभ और हानि के बयान के आरोप में लगाए गए हैं, इस पर डीएलपी / उजाला कार्यक्रम के तहत समग्र लक्षित एलईडी बल्ब वितरण के साथ-साथ वर्ष की शुरुआत और शेष राशि आगे के वर्षों में लाभ और हानि विवरण में चार्ज करने के लिए अग्रसारित होती है।

11. कर्मचारी लाभ

11.1 निर्धारित योगदान योजना

एक परिभाषित योगदान योजना रोजगार बाद योजना है जिसके तहत एक इकाई अलग संस्थाओं में निर्धारित अंशदान का भुगतान करती है और आगे की रकम का भुगतान करने के लिए कोई कानूनी या रचनात्मक दायित्व नहीं होगा। परिभाषित योगदान योजनाओं में योगदान के लिए दायित्व कर्मचारियों के कर्मचारियों द्वारा प्रदान की जाने वाली अवधि के दौरान लाभ या हानि में कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में मान्यता प्राप्त है। प्रीपेड योगदान को एक परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है जो कि नकद वापसी या भविष्य के भुगतान में कमी उपलब्ध है। परिभाषित योगदान योजना का योगदान जो उस अवधि के समापन के 12 महीनों से अधिक समय के बाद होता है, जिसमें कर्मचारियों को सेवा प्रदान की जाती है उनके वर्तमान मूल्य के लिए छूट दी जाती है। कंपनी भविष्य निधि आयुक्त के लिए पूर्वनिर्धारित दरों पर भविष्य निधि में निश्चित योगदान देता है। वर्ष के लिए फंड में योगदान खर्च के रूप में पहचाना जाता है और लाभ या हानि के लिए चार्ज किया जाता है।

11.2 परिभाषित लाभ योजनाएं

परिभाषित लाभ योजना एक रोजगार बाद योगदान योजना है। ग्रैच्युटी के प्रति कंपनी की देनदारी परिभाषित लाभ योजनाओं की प्रकृति में है। परिभाषित लाभ योजनाओं के संबंध में कंपनी की शुद्ध दायित्व अलग-अलग योजना के लिए अलग-अलग गणना की जाती है, जो भविष्य के लाभ की राशि का अनुमान लगाते हैं जो कर्मचारियों ने अपनी सेवा के बदले वर्तमान और पूर्व की अवधि में अर्जित किए हैं; यह लाभ इसके वर्तमान मूल्य को निर्धारित करता है। किसी भी अज्ञात सेवा शुल्क की कटौती की जाती है। छूट दर भारत की सरकारी प्रतिभूतियों की प्रचलित बाजार की पैदावार पर आधारित होती है, रिपोर्टिंग तारीख के अनुसार, जो कंपनी की दायित्वों की शर्तों का अनुमान लगाने की परिपक्वता तिथि होती है और जो उसी मुद्रा में अंकित होती है जिसमें लाभ का भुगतान करने की उम्मीद की जाती है। अनुमानित इकाई क्रेडिट विधि का उपयोग करके एक योग्य एक्चूएरी द्वारा प्रतिवर्ष का आकलन किया जाता है। जब गणना कंपनी के लिए एक लाभ में परिणाम, मान्यता प्राप्त संपत्ति किसी भी अज्ञात पिछले सेवा लागतों की कुल तक सीमित है। उस अवधि में ओसीआई में किसी भी बीमित लाभ या हानि को मान्यता दी जाती है जिसमें वे पैदा होते हैं।

11.3 अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

कंपनी अवकाश भुनाने (लीव इनकैशमेंट) के तहत मिलने वाले लाभ को दीर्घावधि कर्मचारी लाभ के रूप में देखती है।

लीव इनकैशमेंट के संबंध में कंपनी का दायित्व कर्मचारियों को वर्तमान और पूर्व अवधि में उनकी सेवा के लिए बदले में अर्जित राशि है; यह लाभ अपने वर्तमान मूल्य को निर्धारित करने छूट देता है। छूट दर भारत की सरकारी प्रतिभूतियों की प्रचलित यील्ड के आधार पर रिपोर्टिंग की तारीख के आधार पर होती है, जो कंपनी की दायित्वों की शर्तों का अनुमान लगाने की परिपक्वता तिथि होती है। अनुमानित इकाई क्रेडिट विधि का उपयोग करके गणना की जाती है किसी भी बीमा लाभ या हानि वे उत्पन्न होने वाली अवधि में लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त है।

11.4 अल्पावधि लाभ

अल्पावधि कर्मचारी लाभ को उसी साल में भुगतानित कर दिया जाता है, जिस वर्ष संबंधित सेवाएं ली गयी हों।

12 आयकर

आयकर व्यय में वर्तमान और आस्थगित कर शामिल है। वर्तमान कर व्यय को लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त है, अगर वह अन्य समग्र आय और इक्विटी में प्रत्यक्ष रूप से चिह्नित वस्तुओं से जुड़ा है तो, इस स्थिति में ओसीआई या इक्विटी में मान्यता प्राप्त है। मौजूदा कर,

वर्ष के लिए कर योग्य आय पर देय अपेक्षित कर, अधिनियमित या पर्याप्त रूप से अधिनियमित कर दरों या रिपोर्टिंग की तारीख में लागू है, और पिछले वर्षों के संबंध में देय कर के किसी भी समायोजन का उपयोग कर देय है।

आस्थगित करों को बैलेंसशीट के तरीके से चिह्नित किया गया है। आस्थगित कर टैक्स दरों पर अनुमानित है, जो रिपोर्टिंग तारीख द्वारा अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित किए गए कानूनों के आधार पर, जब वे रिवर्स करते हैं तो अस्थायी अंतर पर लागू होने की संभावना है। वर्तमान कर देनदारियों और परिसंपत्तियों को ऑफसेट करने का कानूनी तौर पर लागू करने योग्य अधिकार होने पर डिफरेंड कर संपत्ति और देयताएं ऑफसेट होती हैं, और वे उसी कर प्राधिकरण द्वारा लगाए गए आय कर से संबंधित हैं। आस्थगित करों को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है, अगर वह अन्य समग्र आय और इक्विटी में प्रत्यक्ष रूप से चिह्नित वस्तुओं से जुड़ा है तो, इस स्थिति में ओसीआई या इक्विटी में मान्यता प्राप्त है।।

आस्थगित कर संपत्ति को उस हद तक मान्यता दी जाती है कि यह संभव है कि भविष्य में कर योग्य मुनाफा उपलब्ध होगा जिसके अस्थायी अंतर का उपयोग किया जा सकता है। आस्थगित कर संपत्ति की प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर समीक्षा की जाती है और इस सीमा तक कम हो जाता है कि यह संभव नहीं है कि संबंधित कर लाभ साकार हो जाएगा।

13 लीज

संचालित लीज की अकाउंटिंग-पट्टेदार

उस तरह के लीज समझौते, जहां परिसंपत्ति के मालिकाना हक से जुड़े जोखिम और लाभ काफी हद तक पट्टेदार के रूप में कंपनी को हस्तांतरित न हों, उन्हें संचालित लीज कहते हैं। इस प्रकार के लीज के तहत भुगतान को पट्टे की अवधि के दौरान स्ट्रेट लाइन आधार पर लाभ एवं हानि खाते में वर्णित किया जाता है, जब तक कि पट्टा देने वाले की क्षतिपूर्ति के लिए अपेक्षित सामान्य मुद्रास्फीति की तर्ज पर भुगतान नहीं बढ़ता है। पट्टे की अवधि के मुकाबले प्राप्त लीज प्रोत्साहनों को कुल लीज व्यय का अभिन्न अंग माना गया है।

14 गैर-वित्तीय संपत्तियों की हानि

कंपनी की गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों की मात्रा की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर यह निर्धारित करने के लिए की जाती है कि क्या इंड-एएस 36 के (परिसंपत्ति की हानि) प्रावधान के अनुसार, किसी हानि के संकेत तो नहीं है। यदि कोई ऐसा संकेत मौजूद है, तो संपत्ति की वसूली योग्य राशि अनुमान की जाती है।

किसी परिसंपत्ति या नकदी पैदा करने वाली इकाई की वसूली योग्य मात्रा, लागत को हटाकर इसका वास्तविक मूल्य और इस्तेमाल में इसका मूल्य है। उपयोग में मूल्य का आकलन करने में, अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह को पूर्व-कर का उपयोग करते हुए अपने वर्तमान मूल्य में छूट दी जाती है।

छूट दर परिसंपत्ति संबंधी जोखिम और धन के समय मूल्य का मौजूदा बाजार मूल्यांकन को दर्शाती है। हानि परीक्षण के प्रयोजन के लिए, संपत्ति जो अलग-अलग परीक्षण नहीं की जा सकती है, उन संपत्तियों के सबसे छोटे समूह में एक साथ समूहीकृत की जाती है जो अन्य परिसंपत्तियों या परिसंपत्तियों के समूह ('नकदी पैदा करने वाले इकाई', या 'सीजीयू') के सतत उपयोग से नकदी प्रवाह उत्पन्न करती हैं।

हानि को तब मान्यता दी जाती है जब किसी परिसंपत्ति या उसके सीजीयू की वहन राशि उसके अनुमानित वसूली योग्य राशि से अधिक है। हानि को लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त है। सीजीओ के संबंध में मान्यता प्राप्त हानि सीजीजी की परिसंपत्तियों की मात्रा से कम हो जाती है। पूर्वकाल में मान्यता प्राप्त हानि का आकलन किसी भी संकेत के लिए प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर किया जाता है कि हानि कम हो गई है या अब मौजूद नहीं है। वसूली योग्य राशि निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल अनुमानों में कोई बदलाव आया है, तो एक हानि उलट हो जाती है एक हानि के नुकसान को केवल उस हद तक उलट दिया जाता है जो परिसंपत्ति की ले जाने वाली राशि उस निर्धारित राशि से अधिक नहीं होती है जो निर्धारित किया जाता है, अवमूल्यन या परिशोधन के शुद्ध होने पर, यदि कोई हानि नहीं पहचाना गया है।

15 संचालन श्रेणी

इंड-एएस 108 के अनुसार, सेगमेंट जानकारी पेश करने के लिए प्रयुक्त ऑपरेटिंग सेगमेंट को कंपनी के प्रबंधन द्वारा उपयोग किए गए आंतरिक रिपोर्टों के आधार पर खंडों के संसाधनों को आवंटित करने और उनके प्रदर्शन का आकलन करने के लिए पहचान की जाती है। निदेशक मंडल सामूहिक रूप से कंपनी के 'मुख्य परिचालन निर्णय निर्माता' या 'सीओडीएम' के रूप में इंड-एएस 108 में के अर्थ में है। आंतरिक रिपोर्टिंग प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल किए गए संकेतकों को प्रदर्शन मूल्यांकन उपायों के संबंध में विकसित किया जा सकता है।

सीओडीएम में रिपोर्ट किए जाने वाले श्रेणी के परिणामों में एक श्रेणी के लिए सीधे तौर पर विशेषताओं के साथ-साथ उनको भी शामिल किया जाता है, जिन्हें उचित आधार पर आवंटित किया जा सकता है। गैर आवंटित मदों में मुख्य रूप से कॉर्पोरेट व्यय, वित्त व्यय और आयकर खर्च शामिल हैं। श्रेणी के राजस्व को प्रत्यक्ष रूप से श्रेणी राजस्व के रूप में माना जाता है। श्रेणी के प्रत्यक्ष खर्च और उचित आधार पर आवंटित सामान्य खर्च को सीमेंट व्यय के रूप में माना जाता है।

श्रेणी पूंजी व्यय अवधि के दौरान संपत्ति, संयंत्र, उपकरण और सद्भावना के अलावा अन्य अमूर्त परिसंपत्तियों को प्राप्त करने में लगी लागत

है। श्रेणी परिसंपत्ति में संपत्ति, संयंत्र, उपकरण, अमूर्त परिसंपत्तियां, कारोबार और अन्य प्राप्त किये जाने वाले भंडार और अन्य परिसंपत्तियां जिन्हें सीधे तौर पर श्रेणी को आवंटित किया जा सकता है। श्रेणी की परिसंपत्ति में निवेश, आयकर परिसंपत्ति, प्रगतिमान पूंजी, एडवांस कैपिटल, कॉरपरेट परिसंपत्ति और जो श्रेणी को तार्किक रूप से आवंटित नहीं किये जाते वैसी चालू परिसंपत्तियां शामिल नहीं हैं। श्रेणी की जवाबदेही में मुख्यतः व्यापार और अन्य देनदारियां, कर्मचारी लाभ और प्रावधान शामिल हैं। श्रेणीगत देनदारियों में इक्विटी, आयकर देनदारियों, ऋण और उधारी और अन्य देनदारियों और प्रावधान शामिल नहीं हैं, जो श्रेणी को तार्किक रूप से आवंटित नहीं किए जा सकते हैं।

16 लाभांश

कंपनी के शेयरधारकों के लिए देय लाभांश और अंतरिम लाभांश उस अवधि में इक्विटी में बदलाव के रूप में पहचाने जाते हैं, जिसमें उन्हें निदेशक मंडल द्वारा अनुशंसित किया जाता है और शेयरधारक की बैठक द्वारा क्रमशः अनुमोदित किया जाता है।

17 मैटेरियल प्रायर पीरिएड एरर

मैटेरियल प्रायर पीरिएड एरर को प्रायर पीरियड की तुलनात्मक राशि को ठीक करके ठीक कर लिया गया। यदि त्रुटि की शुरुआत सबसे पहले की अवधि से पहले की गई थी, तो प्रस्तुत की गई प्रारंभिक अवधि के लिए परिसंपत्तियों, देनदारियों और इक्विटी के उद्घाटन के शेष को पुनः ठीक किया गया है।

18 आय प्रति शेयर

वित्तीय वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से कंपनी की इक्विटी शेयरधारकों के मुकाबले शुद्ध लाभ या हानि को विभाजित करके प्रति इक्विटी शेयर की मूल आय का आकलन किया जाता है। प्रति इक्विटी शेयर की कमाई की गणना इक्विटी शेयरों की मूल आय के लिए भारित औसत इक्विटी शेयरों और भारित औसत इक्विटी शेयरों की औसत संख्या के आधार पर कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों के लिए शुद्ध लाभ या हानि को विभाजित करके की जाती है। सभी संभावित इक्विटी शेयरों के रूपांतरण पर जारी किए गए।

19 पूंजी प्रवाह विवरण

नकद प्रवाह विवरण इंड-एएस 7 में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार तैयार किया गया है।

20 वित्तीय साधन

वित्तीय साधन ऐसा कोई भी अनुबंध है, जो किसी इकाई की वित्तीय परिसंपत्ति को बढ़ाती है और किसी अन्य संस्था के लिए वित्तीय देनदारी या इक्विटी उपकरण है।

20.1 वित्तीय परिसंपत्तियों की प्रारंभिक मान्यता और माप

वित्तीय परिसंपत्तियों की प्रारंभिक और माप

सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को उचित मूल्य पर शुरू में पहचाना जाता है, लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर दर्ज वित्तीय संपत्तियों के मामले में लेनदेन की लागत, जो अधिग्रहण या वित्तीय परिसंपत्ति के जारी होने के कारण होती है।

ऋणमुक्ति लागत पर परिमाणीकृत माप ऋण साधन

प्रारंभिक माप के बाद, ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों को बाद में ईआईआर पद्धति का उपयोग करके ऋणमुक्ति लागत पर मापा जाता है।

ऋणमुक्ति लागत की गणना ईआईआर से जुड़े शुल्क या लागत और अधिग्रहण पर मिली छूट या प्रीमियम को ध्यान में रखकर की जाती है। ईआईआर ऋणमुक्ति को लाभ या हानि में वित्तीय आय में शामिल किया जाता है। हानि से होने वाले नुकसान को हानि या लाभ में चिह्नित किया जाता है। यह श्रेणी सामान्यतः व्यापार और अन्य प्राप्त पर लागू होती है।

एफवीटीओसीआई पर ऋण साधन (ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य)

‘ऋण साधन’ को एफवीटीओसीआई के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि निम्न दोनों मानदंड पूरे हो जाते हैं:

(ए) व्यापार मॉडल का उद्देश्य सविदागत नकदी प्रवाह को इकट्ठा करके और वित्तीय परिसंपत्तियों को बेचकर दोनों हासिल किया गया है, और

(बी) परिसंपत्ति के अनुबंधित नकदी प्रवाह एसपीपीआई का प्रतिनिधित्व करता है, एफवीटीओसीआई श्रेणी के भीतर शामिल ऋण साधनों की शुरुआत और साथ ही उचित मूल्य पर प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर मापा जाता है। उचित मूल्य आंदोलन ओसीआई में मान्यता प्राप्त है हालांकि, कंपनी ब्याज आय, नुकसान हानि और रिवर्सल और विदेशी मुद्रा लाभ या लाभ और नुकसान में हानि पहचानती है। परिसंपत्ति

की मान्यता पर, ओसीआई में पहले से मान्यता प्राप्त संचयी लाभ या हानि को इविटी से लाभ और हानि के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है। एफआईटीओसीआई ऋण साधन रखने पर ईआईआर पद्धति का उपयोग करते हुए ब्याज आय के रूप में ब्याज अर्जित किया गया है।

एफवीटीपीएल पर ऋण साधन (लाभ या हानि के माध्यम से अंकित मूल्य)

एफवीटीपीएल ऋण साधनों के लिए एक अवशिष्ट श्रेणी है। किसी भी ऋण साधन, जो वर्गीकृत करने के लिए मानदंडों के अनुसार परिशोधित लागत या एफवीटीओसीआई के रूप में नहीं मिलता है, को एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसके अलावा, कंपनी एक डेट इंस्ट्रूमेंट को वर्गीकृत करने का चयन कर सकती है, जो अन्यथा एफवीटीपीएल के अनुसार परिशोधित लागत या एफवीटीओसी मानदंडों को पूरा करती है। हालांकि, ऐसे चुनावों की अनुमति केवल तभी दी जाती है जब कोई माप या मान्यता असंगतता को कम कर देता है या समाप्त कर देता है (जिसे 'अकाउंटिंग विसंगति' कहा जाता है) एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल ऋण उपकरणों को उचित मूल्य पर मापा जाता है, जो लाभ और हानि में मान्यता प्राप्त सभी परिवर्तनों के साथ मापा जाता है।

गैर मान्य

एक वित्तीय परिसंपत्ति (या, जहां लागू हो, वित्तीय परिसंपत्ति का एक हिस्सा या समान वित्तीय संपत्ति की कंपनी का हिस्सा) मुख्य रूप से गैर मान्य होता है (यानी कंपनी की बैलेंस शीट से निकाल दिया गया) जब:

- संपत्ति से नकदी प्रवाह पाने का अधिकार समाप्त हो गया है, या
- कंपनी ने परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के लिए अपने अधिकारों को स्थानांतरित कर दिया है या किसी 'पास-रू' व्यवस्था के तहत किसी तीसरे पक्ष के भौतिक देश के बिना पूरी तरह से प्राप्त नकदी प्रवाह का भुगतान करने के लिए एक दायित्व ग्रहण किया है; और या तो (ए) कंपनी परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को काफी हद तक स्थानांतरित कर दिया है, या (बी) कंपनी न तो हस्तांतरित की है और न ही परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को बरकरार रखा है, लेकिन परिसंपत्ति पर नियंत्रण स्थानांतरित कर दिया है।

वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

इंड-एएस 109 के अनुसार, कंपनी अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) मॉडल को मापने और निम्नलिखित वित्तीय संपत्तियों और क्रेडिट जोखिम जोखिम पर हानि के नुकसान की पहचान करती है:

(ए) वित्तीय साधन जो ऋण के साधन हैं, और परिशोधित लागत जैसे ऋण, ऋण प्रतिभूतियां, जमा, व्यापार प्राप्य और बैंक बैलेंस में मापा जाता है।

(बी) इंड-एएस 18 के तहत व्यापार प्राप्तियां।

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों और जोखिम पर हानि के नुकसान की मान्यता के लिए, कंपनी निर्धारित करती है कि क्या प्रारंभिक मान्यता से क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है या नहीं। यदि क्रेडिट जोखिम में काफी वृद्धि नहीं हुई है, तो 12 महीने का ईसीएल हानि के नुकसान के लिए उपयोग किया जाता है। हालांकि, यदि क्रेडिट जोखिम में काफी वृद्धि हुई है, तो जीवनकाल ईसीएल का उपयोग किया जाता है। यदि, बाद की अवधि में, साधन की क्रेडिट गुणवत्ता में सुधार होता है जैसे कि प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट जोखिम में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई है, तो इकाई 12 महीने के ईसीएल पर आधारित हानि भत्ता पहचानती है।

20.2 वित्तीय देनदारियां प्रारंभिक मान्यता और माप

प्रारंभिक पहचान और मापन

सभी वित्तीय देनदारियों को शुरू में उचित मूल्य पर मान्यता प्राप्त है, उधारी तथा देनदारियों के मामले में, सीधे लेनदेन की लागत। कंपनी की वित्तीय देनदारियों में व्यापार और अन्य देनदारियां, उधार और प्रतिधारण धन शामिल हैं।

बाद के माप

वित्तीय देनदारियों का माप उनके वर्गीकरण पर निर्भर करता है, जैसा कि नीचे वर्णित है: परिमाणीकृत लागत पर वित्तीय देयताएं

परिमाणीकृत लागत पर वित्तीय देयताएं

प्रारंभिक माप के बाद, ऐसी वित्तीय देनदारियों को बाद में एआईआर पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है। लाभ और हानि में लाभ या हानि में पहचाने जाते हैं जब देनदारियों को मान्यता दी जाती है और साथ ही ईआईआर परिशोधन प्रक्रिया के माध्यम से ऋणमुक्त लागत का आकलन किसी भी छूट या अधिग्रहण पर प्रीमियम या फीस या लागत जो कि ईआईआर का एक अभिन्न अंग है, ईआईआर परिशोधन को लाभ या हानि में वित्त लागतों में शामिल किया गया है। यह श्रेणी आम तौर पर उधार, व्यापार भुगतान और अन्य संविदागत देनदारियों पर लागू होती है।

लाभ या हानि के माध्यम से अंकित मूल्य पर वित्तीय देनदारियां

लाभ या हानि के माध्यम से अंकित मूल्य पर वित्तीय देनदारियों में लाभ और हानि के माध्यम से अंकित मूल्य के रूप में प्रारंभिक मान्यता पर नामित व्यापारिक और वित्तीय देनदारियों के लिए आयोजित वित्तीय देनदारियां शामिल हैं। वित्तीय देनदारियां को वर्गीकृत के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि वे निकट अवधि में पुनर्खरीद के प्रयोजन के लिए किए गए हैं। इस श्रेणी में कंपनी द्वारा दर्ज किए गए व्युत्पन्न वित्तीय साधनों को भी शामिल किया गया है, जो इंड-एएस 109 द्वारा परिभाषित हेजिंग रिजर्व में हेजिंग इंस्ट्रूमेंट के रूप में निर्दिष्ट नहीं हैं। व्यापार के लिए रखी गई देयताओं पर लाभ या हानि लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त है।

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर प्रारंभिक मान्यता पर वित्तीय देनदारी को मान्यता की प्रारंभिक तिथि पर नामित किया गया है, और यदि केवल इंड-एस 109 में मानदंड पूर्ण हैं तो एफसीटीपीएल के रूप में नामित उत्तरदायित्वों के लिए, ओसीआई में अपने क्रेडिट जोखिम में होने वाले बदलावों के कारण उचित मूल्य लाभ/हानि को मान्यता दी जाती है। ये लाभ/हानि बाद में लाभ और हानि में स्थानांतरित नहीं किए जाते हैं। हालांकि, कंपनी इक्विटी के भीतर संचयी लाभ या हानि हस्तांतरित कर सकती है। ऐसे दायित्व के उचित मूल्य में अन्य सभी परिवर्तन लाभ या हानि के बयान में मान्यता प्राप्त हैं। कंपनी ने लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य के रूप में किसी वित्तीय देनदारियों को निर्दिष्ट नहीं किया है।

देनदारी के तहत दायित्व का निर्वहन या रद्द या समाप्त होने पर वित्तीय देयता को मान्यता दी जाती है। जब एक मौजूदा वित्तीय देयता को एक ही ऋणदाता से काफी भिन्न शर्तों पर बदल दिया जाता है या मौजूदा दायित्वों की शर्तों को काफी हद तक संशोधित किया जाता है, तो इस तरह के विनिमय या संशोधन को मूल उत्तरदायित्व की मान्यता और नई देनदारी की मान्यता के रूप में माना जाता है। संबंधित ले जाने की मात्रा में अंतर लाभ या हानि के बयान में मान्यता प्राप्त है।

अमान्यता

वित्तीय देनदारी को तब अमान्यत किया जाता है, जब देनदारियों के तहत निर्वहन रद्द या समाप्त हो जाती है। जब एक मौजूदा वित्तीय देनदारी समान ऋणदाता से काफी भिन्न शर्तों पर बदल दी जाती है या मौजूदा दायित्वों की शर्तों को काफी हद तक संशोधित किया जाता है, तो इस तरह के विनिमय या संशोधन को मूल दायित्व की मान्यता और एक नई देयता की मान्यता के रूप में माना जाता है। संबंधित अग्रसारित मात्रा में अंतर लाभ या हानि के बयान में मान्यता प्राप्त है।

(डी) अनुमान और प्रबंधन निर्णय

वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए निर्णय लेने, अनुमान और धारणाएं बनाने के लिए प्रबंधन की आवश्यकता होती है, जो लेखांकन नीतियों के आवेदन और परिसंपत्तियों, देनदारियों, आय, व्यय और संबंधित वस्तुओं के संबंधित मूल्यों के साथ-साथ आकस्मिक परिसंपत्तियों और देनदारियों के संबंधित खातों की रिपोर्ट को प्रभावित कर सकते हैं। बैलेंस शीट की तारीख अनुमान और प्रबंधन के निर्णय पिछले अनुभव और परिस्थितियों में उचित और विवेकपूर्ण माना जाने वाले अन्य कारकों पर आधारित होते हैं। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से अलग हो सकते हैं। अनुमान और अंतर्निहित मान्यताओं की निरंतर आधार पर समीक्षा की जाती है। लेखा अनुमानों के लिए संशोधन उस अवधि में मान्यता प्राप्त है जिसमें अनुमान संशोधित किए गए हैं और किसी भी भविष्य की अवधि में प्रभावित हैं।

वित्तीय वक्तव्यों को समझने के लिए, वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त राशियों पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव वाले लेखांकन नीतियों को लागू करने में आकलन, अनिश्चितता और महत्वपूर्ण निर्णयों के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के बारे में जानकारी निम्नानुसार है:

1. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का जीवनचक्र

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का अनुमानित उपयोगी जीवन कई कारकों पर आधारित है जिसमें प्रचलन, मांग, प्रतिस्पर्धा और अन्य आर्थिक कारकों (जैसे उद्योग की स्थिरता और ज्ञात तकनीकी प्रगति) के प्रभाव और आवश्यक रखरखाव व्यय का स्तर शामिल है परिसंपत्ति से आने वाले भविष्य के नकदी प्रवाह को प्राप्त करने के लिए कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग की समाप्ति पर समीक्षा करती है, जो संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का उपयोगी जीवन है, और यदि उपयुक्त हो तो संभावित रूप से समायोजित किया जाता है।

2. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की पुनर्प्राप्ति योग्य राशि

पौधों और उपकरणों की वसूली योग्य राशि परियोजनाओं से जुड़े विशेष रूप से अपेक्षित बाजार दृष्टिकोण और भावी नकदी प्रवाह के बारे में अनुमान और मान्यताओं पर आधारित है। इन मान्यताओं में कोई भी बदलाव वसूल योग्य राशि के माप पर एक भौतिक प्रभाव हो सकता है और हानि हो सकती है।

3. रोजगार बाद लाभ योजना

कर्मचारी लाभ दायित्वों को बीमाकिक मान्यताओं के आधार पर मापा जाता है जिसमें मृत्यु दर और वापसी दरों के साथ-साथ छूट दरों में भविष्य के विकास, वेतन बढ़ने की दर और छूट दर के बारे में अनुमान लगाए गए हैं। कंपनी समझती है कि अपने दायित्वों को मापने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मान्यताओं को उचित और दस्तावेज दिया गया है। हालांकि, इन धारणाओं में होने वाले किसी भी परिवर्तन से परिणामी गणनाओं पर एक भौतिक प्रभाव हो सकता है।

4. राजस्व

कंपनी ने प्राप्त या प्राप्ति योग्य, रिटर्न का शुद्ध, व्यापार छूट और वॉल्यूम छूट के उचित मूल्य पर राजस्व को मान्यता दी है। भविष्य में नकदी प्रवाह के उचित मूल्य की गणना करने के लिए कंपनी ने छूट दर के रूप में उधार लेने की वृद्धि दर का इस्तेमाल किया है।

5. प्रावधान और आकस्मिक धन

प्रावधानों और आकस्मिकताओं को पहचानने में किए गए मूल्यांकनों को इंड-एस 37 के अनुसार, 'प्रावधान, आकस्मिक देनदारियों और आकस्मिक परिसंपत्तियों' के अनुसार बनाया गया है। आकस्मिक घटनाओं की संभावना के मूल्यांकन में संभावित नुकसान के संपर्क की संभावना के बारे में प्रबंधन द्वारा सर्वोत्तम निर्णय की आवश्यकता है। परिस्थितियों में परिवर्तन अप्रत्याशित घटनाओं के बाद होना चाहिए, यह संभावना बदल सकती है।

6. 50 प्रतिशत से अधिक का वोटिंग अधिकार रखने वाली इकाइयों की इक्विटी गणना विधि

प्रबंधन ने यह निष्कर्ष निकाला है कि कंपनी संयुक्त रूप से ईईएसएल एनर्जी प्रोमो एसेट्स लिमिटेड पर नियंत्रण करती है, हालांकि इसमें उसके पास 80: मत अधिकार हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि संबंधित गतिविधियों के बारे में निर्णय उन दोनों के बीच शेरधारकों के संयुक्त उद्यम समझौते के आधार पर दोनों शेरधारकों द्वारा निर्विवाद रूप से लिया जाता है।

2. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

31 मार्च 2017 को

₹ लाख में

विवरण	01.04.2016 को	इजाफा	कटौती / समायोजन	31.03.2017 को	मूल्यहास / परिशोधन और हानि	शुद्ध ब्लॉक
					01.04.2016 तक	31.03.2017 तक
भूमि	-	743.64	-	743.64	-	743.64
लीज होल्ड सुधार	161.72	33.76	-	195.48	8.78	160.17
प्रोजेक्ट उपकरण	28,683.16	36,932.52	-	65,615.68	1,664.12	58,587.61
सेलफोन	11.38	26.08	-	37.46	3.94	23.57
दफ्तर के उपकरण	63.07	105.75	-	168.82	9.76	136.31
फर्नीचर फिट करना	289.65	33.41	-	323.06	27.52	265.00
कंप्यूटर	142.19	152.26	-	294.45	36.71	193.60
कुल	29,351.17	38,027.42	-	67,378.59	1,750.83	60,109.90
					5,517.86	27,600.34

2. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

31 मार्च 2016 को

₹ लाख में

विवरण	01.04.2015 का	इजाफा	कटौती / समायोजन	31.03.2016 को	मूल्यहास / परिशोधन और हानि	शुद्ध ब्लॉक
					01.04.2015 तक	31.03.2016 तक
प्रोजेक्ट उपकरण	5,083.93	23,599.23	-	28,683.16	-	1,664.12
सेलफोन	4.69	7.83	1.14	11.38	-	4.50
दफ्तर के उपकरण	38.12	24.95	-	63.07	-	9.76
फर्नीचर फिट करना	261.79	27.86	-	289.65	-	27.52
कंप्यूटर	58.40	85.82	2.03	142.19	-	37.59
लीज होल्ड सुधार	133.74	27.98	-	161.72	-	8.78
कुल	5,580.67	23,773.67	3.17	29,351.17	-	1,752.27
					1.44	1,750.83
						27,600.34
						5,580.67

क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अधिग्रहण के लिए संविदात्मक प्रतिबद्धताओं के प्रकटीकरण के लिए नोट 36 देखें।

ख) संपत्ति के सकल ब्लॉक और पिछले GAAP के तहत जमा मूल्यहास के बारे में जानकारी निम्नानुसार है:

₹ लाख में

विवरण	1 अप्रैल 2015 को सकल ब्लॉक	1 अप्रैल 2015 को संचित अभिव्यक्ति	1 अप्रैल 2015 को नेट ब्लॉक (डीमड कॉस्ट)	1 अप्रैल 2015 को समायोजन के रूप में इंडस्ट्रीज खोलने की शेष राशि
प्रोजेक्ट उपकरण	14,366.81	555.27	13,811.54	(8,727.61)
सेलफोन	10.38	5.69	4.69	-
दफ्तर के उपकरण	48.52	10.40	38.12	-
फर्नीचर	279.02	17.23	261.79	-
कंप्यूटर	111.41	53.01	58.40	-
लीज होल्ड सुधार	137.98	4.24	133.74	-
कुल	14,954.12	645.84	14,308.28	(8,727.61)
				5,580.67

अमूर्त परिसंपत्तियां

31 मार्च 2017 को

₹ लाख में

विवरण	सकल ब्लॉक			ऋणमुक्ति			शुद्ध ब्लॉक	
	01.04.2016 को	इजाफा	कटौती / समायोजन	31.03.2017 का	01.04.2016 तक	वर्ष के लिए	कटौती / समायोजन	31.03.2017 तक
सॉफ्टवेयर	36.62	64.60	-	101.22	2.73	25.71	-	28.44
कुल	36.62	64.60	-	101.22	2.73	25.71	-	28.44
								72.78
								33.89
								72.78
								33.89

अमूर्त परिसंपत्तियां

31 मार्च 2016 तक

₹ लाख में

विवरण	सकल ब्लॉक			ऋणमुक्ति			शुद्ध ब्लॉक	
	01.04.2015 को	इजाफा	कटौती / समायोजन	31.03.2017 का	01.04.2016 तक	वर्ष के लिए	कटौती / समायोजन	31.03.2017 तक
सॉफ्टवेयर	21.82	14.80	-	36.62	-	2.73	-	2.73
कुल	21.82	14.80	-	36.62	-	2.73	-	2.73
								33.89
								21.82
								33.89
								21.82

क) संपत्ति के सकल ब्लॉक और पिछले जीएपी के तहत जमा मूल्यहास के बारे में जानकारी इस प्रकार है:

₹ लाख में

विवरण	1 अप्रैल 2015 को सकल ब्लॉक	1 अप्रैल 2015 को संचित अवमूल्यन	1 अप्रैल 2015 को निवल ब्लॉक (डीमड कॉस्ट)	1 अप्रैल 2015 को समायोजन के रूप में इंडस्ट्रीज की शेष राशि
सॉफ्टवेयर	30.78	8.96	21.82	-
कुल	30.78	8.96	21.82	-
				21.82
				21.82

3. प्रगतिमान पूंजी

31 मार्च 2017 को

₹ लाख में

विवरण	01.04.2016 को	वृद्धि	कटौती/समायोजन	31.03.2017 को
प्रगतिमान पूंजी				
सीडब्ल्यूआईपी – एसएपी	-	437.11	-	437.11
बिहार शरीफ स्ट्रीट लाइट	4.02	15.09	19.11	0.00
धर्मशाला स्ट्रीट लाइट एच.पी.	0.06	-	-	0.06
सीडब्ल्यूआईपी – एसएल एलईडी राजस्थान	4,319.39	23,942.68	20,179.83	8,082.24
सीडब्ल्यूआईपी – एसएल एलईडी आंध्र प्रदेश	1,800.12	17,565.03	12,435.95	6,929.20
छत्तीसगढ़ परियोजना	11.40	456.23	2.94	464.69
केरल एलईडी स्ट्रीट लाइटिंग	35.54	464.06	6.64	492.96
मरीन ड्राइव मुंबई एलईडी एसएल	246.24	3,036.80	485.06	2,797.98
सीडब्ल्यूआईपी – एसएल एलईडी पंजाब	-	236.78	-	236.78
सीडब्ल्यूआईपी – एपीडीएसएम – आंध्र प्रदेश	22.83	908.34	931.17	-
सीडब्ल्यूआईपी – एपीडीएसएम – कर्नाटक	-	1.95	1.95	-
सीडब्ल्यूआईपी – एपीडीएसएम – महाराष्ट्र	-	13.97	-	13.97
सीडब्ल्यूआईपी – एपीडीएसएम-राजस्थान	-	16.74	-	16.74
कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस – बिल्डिंग जम्मू और कश्मीर	-	108.32	0.17	108.15
सीडब्ल्यूआईपी- सीपीडब्ल्यूडी बिल्डिंग दिल्ली (डायरेक्ट व्यय)	-	4.81	-	4.81
सीडब्ल्यूआईपी – सीपीडब्ल्यूडी – आईपी भवन दिल्ली	-	623.58	-	623.58
सीडब्ल्यूआईपी – यूपीएससी – दिल्ली	-	4.56	-	4.56
जीवीएमसी स्ट्रीट लाइटिंग	6.83	-	-	6.83
दक्षिण दिल्ली एलईडी स्ट्रीट लाइट	6,560.47	9,178.19	12,878.14	2,860.52
सीडब्ल्यूआईपी – एसएल एलईडी – डिब्रूगढ़	-	32.77	-	32.77
सीडब्ल्यूआईपी – एसएल एलईडी – जीएचएमसी	-	52.68	-	52.68
सीपीडब्ल्यूडी – आईपी भवन दिल्ली	217.99	2.42	131.20	89.21
सीडब्ल्यूआईपी- डीएमआरसी राजीव चौक (डायरेक्ट व्यय)	-	53.22	-	53.22
सीडब्ल्यूआईपी- डीएमआरसी राजीव चौक (अप्रत्यक्ष व्यय)	-	2.25	-	2.25
सीडब्ल्यूआईपी- नीती आयुक्त सीपीडब्ल्यूडी पीएच –2 भवन (प्रत्यक्ष व्यय)	-	26.89	-	26.89
गोवा स्ट्रीट लाइट प्रोजेक्ट	0.23	3,836.46	43.79	3,792.90
सीडब्ल्यूआईपी – एसएल एलईडी गुजरात	-	3,820.71	-	3,820.71
गुवाहाटी स्ट्रीट लाइटिंग	6.89	404.34	6.61	404.62
एच.पी. एलईडी स्ट्रीट लाइट	0.58	1,853.39	940.65	913.32
सीडब्ल्यूआईपी – एसएल एलईडी – झारखंड	-	688.87	-	688.87
सीडब्ल्यूआईपी – एसएल एलईडी जम्मू और कश्मीर	-	40.16	-	40.16
सीडब्ल्यूआईपी – एसएल एलईडी तेलंगाना	-	302.58	-	302.58
लखनऊ एलईडी स्ट्रीट लाइटिंग	5.25	-	-	5.25
एमईएस दिल्ली कैंट एलईडी स्ट्रीट लाइटिंग	1.25	-	-	1.25
शिमला एलईडी स्ट्रीट लाइट	1.82	-	-	1.82
वाराणसी एलईडी स्ट्रीट लाइटिंग	1,033.44	2,083.51	275.68	2,841.27
मेडक एगडसम तेलंगाना	10.06	0.03	10.09	0.00
सीडब्ल्यूआईपी – जयपुर प्रॉपर्टी	-	334.56	-	334.56
सीडब्ल्यूआईपी – कोलकाता संपत्ति	-	55.29	-	55.29
सीडब्ल्यूआईपी – ट्रेड मार्क	-	0.77	-	0.77
सीडब्ल्यूआईपी-एसएल गोवा (मुंबई)	-	0.31	-	0.31
सीडब्ल्यूआईपी-एसएल- गुजरात (मुंबई)	-	13.14	-	13.14
सीडब्ल्यूआईपी-एसएल- महाराष्ट्र (मुंबई)	-	11.04	-	11.04
सीडब्ल्यूआईपी – बांड पर ब्याज (अनब्लॉक)	-	53.32	-	53.32
कुल	14,284.41	70,682.95	48,348.98	36,618.37

* उपयोग के अगले वर्ष में पूंजीकरण के लिए योग्यता प्राप्त परिसंपत्तियों के अधिग्रहण या निर्माण के उपयोग के लिए उधार लेने की अनुपयुक्त राशि के अनुपात में उधार लेने की लागत को रखा गया है। हालांकि, अस्थायी निवेश पर अर्जित आय, योग्य परिसंपत्तियों पर अपने व्यय को लंबित रखती है, उधार लेने की लागत से पूंजीकरण के लिए पात्र होती है, जैसा कि नोट सी 4 में लेखांकन नीतियों में कहा गया है "आईआरटी 'उधार लेने की लागत'।"

3. प्रगतिमान पूंजी

31 मार्च 2016 को

₹ लाख में

विवरण	01.04.2015 को	मान ली गई लागत	कटौती / समायोजन	31.03.2016 को
प्रगतिमान पूंजी				
बिहार शरीफ स्ट्रीट लाइट	-	4.02	-	4.02
धर्मशाला स्ट्रीट लाइट एच.पी.	-	0.06	-	0.06
राजस्थान एसएल चरण-II	-	4,639.29	936.52	3,702.77
राजस्थान एसएल एंड पीएच-IV	-	1.54	0.01	1.53
13 यूएलबी एपी एलईडी स्ट्रीट लाइट	11.29	1,374.65	1,372.42	13.52
51 यूएलबी के एपी एलईडी स्ट्रीट लाइटिंग	-	10,090.73	8,304.13	1,786.60
सीईएससी मैसूर	20.62	388.65	409.26	-
अगरतला एमसी एलईडी स्ट्रीट लाइट	133.52	31.68	165.19	.01
अलीगढ़ एमसी एलईडी स्ट्रीट लाइट	1.75	1,024.60	1,026.35	.01
छत्तीसगढ़ परियोजना	11.39	0.22	0.21	11.40
केरल एलईडी स्ट्रीट लाइटिंग	12.34	23.20	-	35.54
झाड़व मुंबई एलईडी SL	107.20	139.03	-	246.23
मुंबई (डीएलपी और स्ट्रीट लाइट)	23.35	15.56	38.90	.01
राजस्थान एलईडी डेल्टा और स्ट्रीट लाइट)	4.75	14.23	18.98	-
एडीडीएसएम राजानगरम एपीईपीडीसीएल	0.22	22.60	-	22.82
जीवीएमसी स्ट्रीट लाइटिंग	18.94	2,568.84	2,580.95	6.83
दक्षिण दिल्ली एलईडी स्ट्रीट लाइट	187.70	354.45	196.85	345.30
सीपीडब्ल्यूडी - आईपी भवन दिल्ली	-	217.99	-	217.99
गोवा स्ट्रीट लाइट प्रोजेक्ट	-	0.23	-	0.23
गुवाहाटी स्ट्रीट लाइटिंग	-	6.88	-	6.88
एच.पी. एलईडी स्ट्रीट लाइट	-	0.58	-	0.58
लखनऊ एलईडी स्ट्रीट लाइटिंग	-	5.25	-	5.25
एमईएस दिल्ली कैंट एलईडी स्ट्रीट लाइटिंग	-	1.25	-	1.25
राजस्थान एसएल चरण-III	-	2.46	-	2.46
राजस्थान स्ट्रीट लाइट चरण-I	-	3,728.26	3,115.63	612.63
शिमला एलईडी स्ट्रीट लाइट	-	1.82	-	1.82
दक्षिण डीएमसी एलईडी एसएल पीएच -1	-	12,780.68	6,565.51	6,215.17
वाराणसी एलईडी स्ट्रीट लाइटिंग	-	1,045.03	11.59	1,033.44
मेडक एगड्सम तेलंगाना	-	10.06	-	10.06
कुल	533.07	38,493.84	24,742.50	14,284.41

4. गैर-चालू ऋण

	₹ लाख में		
विवरण	31.03.2017 को	31.03.2016 को	01.04.2015 को
कर्मचारियों के लिए ऋण (अर्जित ब्याज सहित) असुरक्षित	41.61	3.79	2.73
सुरक्षा जमा (असुरक्षित, अच्छा माना जाने वाला)	85.98	37.83	26.24
कुल	127.59	41.62	28.97

5. अन्य गैर-चालू वित्तीय संपत्तियां

	₹ लाख में		
विवरण	31.03.2017 को	31.03.2016 को	01.04.2015 को
बकाया राजस्व—	5,301.33	10348.39	5765.06
धारणाधिकार के तहत बैंकों के साथ जमा	4,814.74	12.56	-
कुल	10,116.07	10,360.95	5,765.06

* बैंकों के पास जमा धारणाधिकारों में एनर्जी प्रोमो एसेट्स लिमिटेड (संयुक्त उद्यम कंपनी) द्वारा लाभांश के लिए 4,800 लाख और सीएसटी और वैट के लिए 14.74 लाख की एफडी के सावधि रिण के संबंध में आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, भारत द्वारा आईडीआईसीआई बैंक यूके पीएलसी को जारी किए गए स्टैंडबाई लेटर ऑफ क्रेडिट के आधार पर आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, भारत में एफडी शामिल है।

6. अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियां

	₹ लाख में		
विवरण	31.03.2017 को	31.03.2016 को	01.04.2015 को
पूंजी में वृद्धि	557.02	928.73	30.76
पूंजी अग्रिमों के अलावा अन्य अग्रिम सुरक्षा जमा	12.33	11.85	-
आस्थित किराया	25.27	22.38	21.51
कुल	594.62	962.96	52.27

7. भंडार

	₹ लाख में		
विवरण	31.03.2017 को	31.03.2016 को	01.04.2015 को
स्टॉक इन ट्रेड (ट्रांजिट में माल सहित: ₹ 1,142.58 लाख, 31 मार्च 2016: ₹ 1,162.96 लाख; 01 अप्रैल 2015: 'शून्य')	15,464.97	18860.87	84.37
पुराने पंप	-	29.52	13.32
कुल	15,464.97	18,890.39	97.69

क) भंडार की गणना लेखा नीति सी 5 के अनुसार नहीं की गई है।

ख) माल में पारगमन की कीमत पर मूल्यवान किया गया है

ग) वर्ष के दौरान व्यय के रूप में मान्यता प्राप्त भंडार की लागत 82,559.59 लाख (व्यापार प्रमोशन के रूप में 71.84 लाख सहित)य (पिछला वर्ष आंकड़े: 60,533.46 लाख)

घ) स्टॉक पर पहले पारी-पासु चार्ज और बुक ऋण पर ऋण सुरक्षित हैं। (नोट16 और 21 में संदर्भित)

8. व्यापारिक प्राप्तियां

	₹ लाख में		
विवरण	31.03.2017 को	31.03.2016 को	01.04.2015 को
असुरक्षित, अच्छा माना जाने वाला	80,140.76	34,499.82	3,679.50
कुल	80,140.76	34,499.82	3,679.50

स्टॉक पर पहले पारी-पासु चार्ज और बुक ऋण पर ऋण सुरक्षित है।

9. नकद और नकद समतुल्य

	₹ लाख में		
विवरण	31.03.2017 को	31.03.2016 को	01.04.2015 को
बैंकों के साथ शेष चालू खाते	26,459.04	24493.85	3516.69
नकद और सामान्य खर्च की नकदी	8.04	3.17	2.99
कुल	26,467.08	24,497.02	3,519.68

9ए. अन्य बैंकों में बैलेंस

₹ लाख में

विवरण	31.03.2017 को	31.03.2016 को	01.04.2015 को
तीन महीने से अधिक की मूल परिपक्वता वाली जमाराशि और एक वर्ष के भीतर परिपक्व (ब्याज एकत्रित)'	5,767.04	425.28	7431.75
कुल	5,767.04	425.28	7,431.75

* जमा में सीएसटी के लिए एफएसी के तहत एफडी और 4.47 लाख की वैट राशि शामिल है।

10. चालू ऋण

₹ लाख में

विवरण	31.03.2017 को	31.03.2016 को	01.04.2015 को
कर्मचारियों के लिए गारंटी रहित ऋण (अर्जित ब्याज सहित)	32.07	2.19	1.21
सुरक्षा जमा (असुरक्षित, अच्छा माना जाने वाला)	34.29	34.11	3.07
कुल	66.36	36.30	4.28

अन्य में तीसरे पक्ष की ओर से किए गए खर्च शामिल हैं जो वसूली योग्य हैं।

11. अन्य चालू वित्तीय संपत्तियां

₹ लाख में

विवरण	31.03.2017 को	31.03.2016 को	01.04.2015 को
अग्रिम परियोजना	542.73	1131.92	1026.62
बकाया राजस्वज	6,742.83	7494.93	2795.59
अन्य'	765.09	264.12	43.63
कुल	8,050.65	8,890.97	3,865.84

* तीसरे पक्ष की ओर से अन्यव सभी खर्च जो वसूली योग्य हैं।

12. चालू कर संपत्ति (शुद्ध)

₹ लाख में

विवरण	31.03.2017 को	31.03.2016 को	01.04.2015 को
अग्रिम कर	-	376.60	-
स्व मूल्यांकन रिफंड	608.51	18.46	18.46
नियमित मूल्यांकन पर कर	14.23	14.23	-
टीसीएस वसूली योग्य	-	-	-
टीडीएस वसूली योग्य	-	261.20	67.90
कुल	622.74	670.49	86.36

13. अन्य चालू परिसंपत्ति

₹ लाख में

विवरण	31.03.2017 को	31.03.2016 को	01.04.2015 को
वैधानिक अधिकारियों से प्राप्य*	4,427.53	1138.74	76.80
प्रीपेड व्यय **	5,115.03	3610.29	10.24
डिफर्ड किराया	8.92	4.78	3.51
अन्य ***	3,695.87	36.75	17.21
कुल	13,247.35	4,790.56	107.76

* वैधानिक अधिकारियों से प्राप्य, 3,715.19 लाख (31 मार्च 2016: शून्य, 1 अप्रैल 2015: शून्य) की बिक्री में बिक्री कर अधिकारियों के विरोध में भुगतान किया गया।

**राज्य में डीएलपी / उजाला कार्यक्रम पर विज्ञापन / जागरूकता पर होने वाले व्यय को चालू वर्ष में वितरित किए गए एलईडी बल्बों के अनुपात में मुनाफे और हानि के वक्तव्य के लिए प्रभावित किया जाता है, जो उस संबंधित राज्य के लिए कुल लक्षित एलईडी बल्ब वितरण के साथ-साथ वर्ष की शुरुआत और शेष राशि आगे के वर्षों में लाभ और हानि के बयान को चार्ज करने के लिए आगे ले जाती है। डीएलपी / उजाला कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय मीडिया कंपिंग पर लगाए गए समान खर्च, वर्तमान वित्तीय वर्ष में वितरित कुल एलईडी बल्बों के लिए लाभ और हानि के बयान पर आरोप लगाया गया है, जबकि डीएलपी / उजाला कार्यक्रम के तहत समग्र लक्षित एलईडी बल्ब वितरण के साथ-साथ वर्ष की शुरुआत और शेष राशि आगे के वर्षों में लाभ और हानि के बयान के लिए चार्ज करने के लिए आगे ले जाती है। तदनुसार, वर्ष 2016-17 के दौरान विज्ञापन पर किए गए ₹ 37.95 करोड़ से बाहर, ₹ 20.98 करोड़ को सिर के तहत प्रीपेड खर्च को 'अन्य वर्तमान आस्तियों' के रूप में स्थगित किया गया है।

*** अन्य में विक्रेताओं और कर्मचारियों को दी अग्रिम राशि शामिल है।

14. शेयर पूंजी

₹ लाख में

विवरण	31.03.2017 को	31.03.2016 को	01.04.2015 को
इक्विटी शेयर पूंजी			
अधिकार दिया गया			
10/- प्रत्येक के सममूल्य 50,00,00,000 के शेयर (31 मार्च 2016 और 1 अप्रैल 2015 तक 10/- प्रत्येक के सममूल्य 50,00,00,000 के शेयर)	50,000.00	50,000.00	19,000.00
जारी, सब्सक्राइब किया गया और पूरी तरह से भुगतान किया गया			
46,20,00,000 के शेयर 10/- प्रत्येक सममूल्य (16,50,00,000 के शेयर 31 मार्च 2016 तक 10/- प्रत्येक सममूल्य और 10/- प्रत्येक सममूल्य के रूप में 1 लाख के रूप में 9,00,00,000 शेयर अप्रैल 2015)	46,200.00	16,500.00	9,000.00

क. इक्विटी शेयर पूंजी का चलन

विवरण	31.03.2017 को		31.03.2016 को	
	शेयरों की संख्या	राशि	शेयरों की संख्या	राशि
वर्ष की शुरुआत में गैर भुगतानित	16,50,00,000	16,500	9,00,00,000	9,000
जमा : वित्तीय वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयर	29,70,00,000	29,700	7,50,00,000	7,500
वर्ष के अंत में गैर भुगतानित	46,20,00,000	46,200	16,50,00,000	16,500

(ख) इक्विटी शेयर से जुड़े अधिकार और शर्तें:

कंपनी के सिर्फ एक ही श्रेणी के इक्विटी शेयर हैं, जो 10 रुपये प्रत्येक के मूल्य के हैं। शेयरधारकों को समय-समय पर घोषित लाभांश पाने का हक है और वे शेयरधारकों की बैठक में अपनी शेयरधारिता के अनुपात में वोट का अधिकार रखते हैं।

(ग) लाभांश:

	वर्ष के दौरान भुगतानित	
	2016-17	2015-16
(i) इक्विटी शेयर		
31 मार्च 2016 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए अंतिम लाभांश 0.65/- (31 मार्च 2015: ₹ 0.30/-) प्रति पूर्ण भुगतानित शेयर	1,067.72	271.79
(ii) रिपोर्टिंग अवधि के अंत में गैर मान्यता वाले लाभांश		
उपरोक्त लाभांश के अतिरिक्त, निदेशकों ने प्रति पूर्ण भुगतानित इक्विटी शेयर के लिए ₹ XX (31 मार्च 2016: ₹ 0.65/-) के अंतिम लाभांश भुगतान की सिफारिश की है।		1,067.72

(डी) कंपनी में पांच प्रतिशत से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारकों का विवरण

शेयरधारकों के नाम	31.03.2017		31.03.2016		01.04.2015	
	शेयरों की संख्या	श्रेणी में धारित प्रतिशत	शेयरों की संख्या	श्रेणी में धारित प्रतिशत	शेयरों की संख्या	श्रेणी में धारित प्रतिशत
एनटीपीसी लिमिटेड	14,65,00,000	31.71	4,75,00,000	28.79	2,25,00,000	25.00
पावरग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	2,25,00,000	4.87	2,25,00,000	13.63	2,25,00,000	25.00
रूरल इलेक्ट्रिकेशन इंडिया लिमिटेड	14,65,00,000	31.71	4,75,00,000	28.79	2,25,00,000	25.00
पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड	14,65,00,000	31.71	4,75,00,000	28.79	2,25,00,000	25.00
कुल	46,20,00,000		16,50,00,000		9,00,00,000	

15. अन्य इक्विटी

₹ लाख में

विवरण	31.03.2017 को	31.03.2016 को	01.04.2015 को
आवंटन के लिए लंबित शेयर आवेदन राशि	-	19,800.00	-
डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व	1,452.99	-	-
प्रतिधारण आय	7,874.86	5,463.02	2,173.99
विदेशी मुद्रा रिजर्व	(2.47)	-	-
कुल	9,325.38	25,263.02	2,173.99

समाप्त वर्ष के लिए

31.03.2017 31.03.2016

(क) डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व

ओपनिंग बैलेंस	-	-
जोड़े: प्राप्त आय से हस्तांतरण	1,452.99	-
क्लोजिंग बैलेंस	1,452.99	-

कंपनी को मुनाफे से डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनाने की आवश्यकता है जो डिबेंचर के मुक्ति के प्रयोजन के लिए लाभांश के भुगतान के लिए उपलब्ध है।

(ख) प्रतिधारण आय

ओपनिंग बैलेंस	5,463.02	2,173.99
जोड़े: पूर्व वर्ष के लिए लाभांश पर कर	-	1.53
जोड़े: लाभ और हानि विवरण के अनुसार वर्ष का लाभ	5,179.70	3,708.13
घटाएं: भुगतानित लाभांश	1,067.72	271.79
भुगतानित लाभांश पर कर	223.37	56.86
डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में स्थानांतरण	1,452.99	-
इक्विटी शेयर जारी करने में लेनदेन लागत, शुद्ध कर	19.43	90.69
	7,879.21	5,464.31

अन्य समग्र आय की वस्तुएं जिन्हें प्राप्तक आय में प्रत्यक्ष चिद्धित किया गया है

रोजगार बाद लाभ दायित्व का पुनर्माप, शुद्ध कर	(4.35)	(1.29)
क्लोजिंग बैलेंस	7,874.86	5,463.02

(ग) विदेशी मुद्रा भंडार

ओपनिंग बैलेंस	-	-
जोड़े: मुद्रा समायोजन	(2.47)	-
क्लोजिंग बैलेंस	(2.47)	-

संयुक्त उद्घाटन में होने वाले विनिमय अंतर, लेखा नीतियों में वर्णित और इक्विटी के भीतर एक अलग रिजर्व में जमा किए गए अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त है। जब शुद्ध निवेश का निपटान होता है तो संचयी राशि को लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जाता है।

16. गैर चालू उधार

₹ लाख में

विवरण	31-03-2017 को	31-03-2016 को	01-04-2015 को
बैंकों के अलावा अन्य से सावधि ऋण			
असुरक्षित			
(i) केएफडब्ल्यू ऋण – भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत (19.6% लोन आधे सालाना आधार पर 30.06.2018 से शुरू हुआ, यूरो 2,149,000 की 14 किश्तों में और यूरो 2,942,000 प्रत्येक के तीन किश्तों में)	30,193.76	22,639.05	8,818.53
(ii) एएफडी ऋण – भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत (1.87% पीए का ऋण 30.10.2020 से प्रति छमाही के रूप में 2,500,000 यूरो की 20 समान किश्तों में प्रतिवर्ष चुकता होने की शुरुआत हो चुकी है।	2,595.53	-	-
सुरक्षित			
(i) 8.07: डिबेंचर (घरेलू बांड) – वर्तमान और भविष्य दोनों के चलने योग्य फिक्स्ड एसेट्स पर पारी पासू प्रभार द्वारा सुरक्षित (तीन) असमान अलग-अलग हस्तांतरणीय हस्तांतरणीय प्राप्य प्राचार्य भागों (एसटीआरपीपी) के साथ 8.07% सुरक्षित गैर-संचयी गैर-परिवर्तनीय प्रतिदेय कर योग्य बांड 12,500.00 लाख, 12,500.00 लाख और 25,000.00 लाख प्रतिदेय 20.03.2020, 20.09.2021 और 20.09.2023 के बराबर, क्रमशः (प्रथम अंक – निजी प्लेसमेंट))	52,133.57	-	-
(ii) पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (पीएफएस) लोन-पहले पारी-पासु प्रभार द्वारा कंपनी के पूरे स्टॉक के अधिभौतिककरण के माध्यम से सुरक्षित। 01.04.2017 से शुरू होने वाले 4 समकक्ष तिमाही किश्तों में चुकाए जाने वाले 10.25% पीएसी से 10.50% पीए (पीएफएस संदर्भ दर से जुड़े) के बीच अलग-अलग ऋण, बिल, बकाया धन, प्राप्तियां, बुक करें।	10,000.00	10,034.68	-
	94,922.86	32,673.73	8,818.53
घटायें : दीर्घकालिक उधार की मौजूदा परिपक्वता	10,000.00	2,403.69	-
घटायें : दीर्घकालिक उधारों पर अर्जित ब्याज	2,299.00	145.08	42.18
कुल	82,623.86	30,124.96	8,776.35
वर्ष के अंत में ऋण/ब्याज के पुनर्भुगतान में कोई चूक नहीं हुई है			

17. अन्य गैर चालू वित्तीय देयताएं

₹ लाख में

विवरण	31.03.2017 को	31.03.2016 को	01.04.2015 को
प्रतिधारण धन	5,194.96	3,014.00	384.08
कुल	5,194.96	3,014.00	384.08

18. गैर चालू प्रावधान

₹ लाख में

विवरण	31-03-2017 dks	31-03-2016 dks	01-04-2015 dks
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान			
ग्रेच्युटी	61.30	26.76	14.37
छुट्टियों का नकदीकरण	161.86	65.83	35.40
	223.16	92.59	49.77

इंड एस 19 के अनुसार शकर्मचारी लाभ को नोट 34 में बताया गया है

19. अस्थायी कर देयताएं (शुद्ध)

₹ लाख में

विवरण	31.03.2017 को	31.03.2016 को	01.04.2015 को
आस्थगित कर देयता			
अंकित मूल्य पर मापा गया राजस्व	4,197.71	6,204.68	2,737.93
परिमाणीकृत लागत पर मापा गया वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताएं	709.47	524.35	54.97
आस्थगित कर परिसंपत्तियां			
पुस्तक मूल्यहास और कर मूल्यहास में अंतर	4,576.68	6,448.28	2,580.56
अवकाश का नकदीकरण	59.55	23.84	12.09
बोनस के लिए प्रावधान	21.43	0.88	-
ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान	0.88	9.42	4.77
ऑपरेटिंग पट्टा देनदारी	15.90	10.17	4.01
उचित मूल्य पर मापा गया राजस्व	211.78	-	-
परिमाणीकृत लागत पर मापा गया वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताएं	12.58	10.00	-
अन्य	0.00	90.51	10.91
कुल	8.38	135.95	180.55

क) आस्थ गित कर परिसंपत्तियां और स्थगित कर देयताएं ऑफसेट की गई हैं क्योंकि वे उसी शासी कानूनों से संबंधित हैं।

आस्थगित कर बैलेंस में संचलन

31 मार्च 2017

₹ लाख में

विवरण	1 अप्रैल 2016 को शुद्ध बैलेंस	लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त	ओसीआई में मान्यता प्राप्त	31 मार्च 2017 शुद्ध बैलेंस
उचित मूल्य पर मापा गया राजस्व	6,204.68	(2,006.98)	-	4,197.71
परिमाणीकृत लागत पर मापा गया वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताएं	524.35	185.12	-	709.47
कम:				
पुस्तक मूल्यहास और कर मूल्यहास में अंतर	6,448.28	(1,871.59)	-	4,576.68
छुट्टी नकदी छोड़ दें	23.84	35.71	-	59.55
ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान	9.42	9.70	2.30	21.43
बोनस के लिए प्रावधान	0.88	-	-	0.88
ऑपरेटिंग पट्टा देनदारी	10.17	5.73	-	15.90
उचित मूल्य पर मापा गया राजस्व	-	211.78	-	211.78
परिमाणीकृत लागत पर मापा गया वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताएं	10.00	2.58	-	12.58
अन्य	90.51	(90.51)	-	0.00
कर संपत्ति / (देयताएं)	135.95	(125.26)	(2.30)	8.38

31 मार्च 2016

₹ लाख में

विवरण	नेट शेष 1 अप्रैल 2015	लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त	ओसीआई में मान्यता प्राप्त	नेट शेष 31 मार्च 2016
उचित मूल्य पर मापा गया राजस्व	2,737.93	3,466.76	-	6,204.68
परिमाणीकृत लागत पर मापा गया वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताएं	54.97	469.38	-	524.35
कम:				
पुस्तक मूल्यहास और कर मूल्यहास में अंतर	2,580.56	3,867.72	-	6,448.28
छुट्टी का नकदीकरण	12.09	11.75	-	23.84
ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान	4.77	3.97	0.68	9.42
बोनस के लिए प्रावधान	-	0.88	-	0.88
ऑपरेटिंग पट्टा देनदारी	4.01	6.15	-	10.17
उचित मूल्य पर मापा गया राजस्व	-	-	-	-
परिमाणीकृत लागत पर मापा गया वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताएं	-	10.00	-	10.00
अन्य	10.91	79.60	-	90.51
कर संपत्ति / (देयताएं)	180.55	(43.92)	(0.68)	135.95

20. अन्य गैर-चालू देयताएं

विवरण	31.03.2017 को	31.03.2016 को	01.04.2015 को
ऑपरेटिंग लीज देनदारियां	43.95	29.38	12.38
कुल	43.95	29.38	12.38

21. चालू उधारी

विवरण	31.03.2017 को	31.03.2016 को	01.04.2015 को
बैंक से ऋण सुरक्षित			
(i) आईसीआईसीआई बैंक — पहले पारी पासू प्रभार द्वारा शेयर और प्राप्य दोनों वर्तमान और भविष्य दोनों से सुरक्षित (आरओआई 8.20% पीएसी से 8.90% पीए के बीच बदलती है, जो कि संबंधित योजनाओं के वितरण के दिनांक को दिसंबर 2017 से मार्च 2018 तक के ₹ 450.00 लाख से लेकर 5000.00 लाख तक के भुगतान के रूप में चुकाए जाने वाले तारीखों के आधार पर बदलते हैं।	18,000.00	15,000.00	-
(ii) कैनरा बैंक — बुक डेट पर पारी-पासू शुल्क द्वारा सुरक्षित (19 सितंबर, 2016 से मासिक आधार पर 10.55% ऋण चुकौती, ₹ 1,666.67 लाख प्रत्येक के 6 समान किश्तों में)	-	10,000.00	-
(iii) एचडीएफसी — स्टॉक और डेट पर पहली बार पारी पासू शुल्क द्वारा सुरक्षित (आरओआई: 8.15% प्रति वर्ष फरवरी 2018 से मार्च 2018 तक संबंधित किश्तों के बुलेट पेमेंट के रूप में चुकाए जाने पर ₹ 500.00 लाख से लेकर 2,000.00 लाख तक की रकम)	4,000.00	-	-
(iv) एसबीआई — एमबीए में अन्य सभी बैंकों के साथ पार पासू आधार पर स्टॉक और प्राप्य और अन्य चार्ज करने योग्य मौजूदा परिसंपत्तियों पर पहले हाइपोथेकेशन चार्ज से सुरक्षित (आरओआई 8.20% पीएसी से 9.10% पीए के बीच अलग-अलग हो रहा है। संबंधित योजनाओं के वितरण के दिनांक के अनुसार दिसंबर 1, 2017 से मार्च 2018 तक की अवधि के आधार पर संबंधित ट्रांजों की देनदारी के आधार पर 1,000.00 लाख से लेकर 12,000.00 लाख तक की सीमा होती है।	13,000.00	-	-
असुरक्षित			
(i) इंडसइंड बैंक (10.00% की दो किश्तों में ₹ 1,500.00 लाख और 2,000.00 लाख रुपये में ऋण चुकौती क्रमशः 28.02.2017 और 7.03.2017 को क्रमशः और ₹ 3500.00 लाख के समतुल्य हेज विदेशी मुद्रा ऋण।	-	3,500.00	-
कुल	35,000.00	28,500.00	-

22. भुगतान योग्य व्यापार

विवरण	31.03.2017 को	31.03.2016 को	01.04.2015 को
माल और सेवाओं के लेनदार	45,869.51	34,794.41	9,377.27
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए कोई बकाया राशि नहीं है इस पर कोई भी ब्याज या बकाया नहीं है			

23. अन्य चालू वित्तीय देयताएं

₹ लाख में

विवरण	31.03.2017 को	31.03.2016 को	01.04.2015 को
दीर्घकालिक उधार की वर्तमान परिपक्वता			
अन्य से			
सुरक्षित			
सावधि रुपया ऋण	10,000.00	2,403.69	-
	10,000.00	2,403.69	-
उधार पर अर्जित ब्याज	2,299.00	145.08	42.18
खर्च के लिए देयताएं	77.12	511.62	79.04
प्रतिधारण धन	4,084.26	2,495.33	169.01
बयाना राशि	691.17	398.97	297.09
कर्मचारियों को देय	57.63	3.38	0.39
देय प्रतिबद्धता शुल्क	3.36	-	-
ऐक्सिस क्रेडिट कार्ड	2.10	1.12	0.47
कुल	17,214.64	5,959.19	588.18

ब्याज दर और सुरक्षित दीर्घकालिक उधार लेने की मौजूदा परिपक्वता की अदायगी की शर्तों के संबंध में विवरण नोट 16 में खुलासा किया गया है।

24. अन्य चालू देनदारियां

₹ लाख में

विवरण	31.03.2017 को	31.03.2016 को	01.04.2015 को
सांविधिक बकाया	4,978.37	1505.01	68.30
परिसमापन हर्जाना	0.67	1.73	-
परियोजना पर प्राप्त अग्रिम	10,473.86	61.24	4.15
गैरउपार्जित आय	153.06	-	-
ऑपरेटिंग लीज देनदारियां	1.99	-	-
कुल	15,607.95	1,567.98	72.45

25. चालू प्रावधान

₹ लाख में

विवरण	As at 31.03.2017	As at 31.03.2016	As at 01.04.2015
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान			
उपहार	0.62	0.47	0.33
लीज नकदीकरण	10.20	3.05	1.87
कुल	10.82	3.52	2.20

इंड एस 19 के अनुसार 'कर्मचारी लाभ' का आवश्यक प्रकटीकरण नोट 34 में किया गया है।

26. परिचालन से राजस्व

₹ लाख में

विवरण	31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए	समाप्त हुए वर्ष के लिए
माल की बिक्री (एलईडी बल्ब)	1,02,248.73		72060.16
सेवाओं की बिक्री	12,837.30		5412.85
अन्य ऑपरेटिंग राजस्व	-		15.63
कुल	1,15,086.03		77,488.64

* अन्य संचालन राजस्व में बैंक गारंटी को जब्त करने में (31 मार्च 2016 : 15.63 लाख रुपये) शून्य शामिल है।

27. अन्य आय

विवरण	₹ लाख में	
	31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए
निविदा दस्तावेज शुल्क	59.75	41.52
ई-निविदा पंजीकरण शुल्क	14.67	6.51
बैंक गारंटी / ईएमडी के फॉरफिट	-	17.19
कर्मचारियों को ऋण पर ब्याज आय	2.00	0.25
परिमाणीकृत लागत पर मापा गया सुरक्षा जमा पर ब्याज आय	8.38	4.73
उचित मूल्य पर मापा राजस्व पर ब्याज आय	2,885.82	1,852.81
ग्राहकों से ब्याज आय	1,111.61	284.29
ब्याज आय - अन्य	1,493.49	596.16
विदेशी मुद्रा लेनदेन और अनुवाद पर शुद्ध लाभ	1,974.18	-
विविध आय	82.47	19.35
कुल	7,632.37	2,822.81

28. भंडार में बढ़ोतरी/कमी

विवरण	₹ लाख में	
	31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए
आरंभिक भंडार	17,950.57	13.32
अंतिम भंडार	(15,464.97)	(17,950.57)
कुल	2,485.60	(17,937.25)

29. कर्मचारी लाभ व्यय

विवरण	₹ लाख में	
	31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए
वेतन और मजदूरी	1,806.27	1140.09
भविष्य निधि में योगदान	128.09	96.02
कर्मचारी कल्याण व्यय	156.30	42.32
कुल	2,090.66	1,278.43

इंड एस 19 के अनुसार विभिन्न कर्मचारी लाभों के लिए किए गए प्रावधानों के संबंध में प्रकटीकरण नोट 34 में किए गए हैं।

30. वित्त लागत

विवरण	₹ लाख में	
	31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए
परिशोधित लागत पर मापा गया वित्तीय देनदारियों पर वित्त प्रभार		
ऋण	3,681.33	719.84
डिबेंचर	1,497.96	-
रिटेंशन मनी पर डिस्काउंट की छूट नहीं	389.66	65.01
अन्य लोग	199.14	10.79
	5,768.09	795.64
विदेशी मुद्रा लेनदेन और अनुवाद पर शुद्ध नुकसान	-	71.32
अन्य उधार लेने की लागत		
प्रतिबद्धता शुल्क (केएफडब्ल्यू ऋण)	23.19	18.74
गारंटी शुल्क	364.81	501.95
	388.00	520.69
कुल	6,156.09	1,387.65

31. अन्य खर्च

विवरण	31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
वार्षिक रखरखाव प्रभार (परियोजनाएं)	601.06	166.33
कानूनी शुल्क और व्यावसायिक शुल्क	272.93	200.06
वाहक व्यय	90.14	20.61
अन्य खर्च	163.99	215.89
मरम्मत और रखरखाव के खर्च		
— भवन रख — रखाव	23.36	15.53
— कंप्यूटर रखरखाव	6.00	5.72
— घर रखरखाव	0.60	-
आंतरिक लेखा परीक्षा शुल्क	2.26	1.50
विज्ञापन और प्रचार व्यय	457.08	234.66
मुद्रण और स्टेशनरी व्यय	56.39	62.80
पुस्तकें और पत्रिकाओं	2.53	0.47
बैठक व्यय आतिथ्य व्यय	75.97	35.71
यात्रा और यात्रा व्यय	508.95	126.06
किराया	438.93	118.16
आरओसी शुल्क	-	0.21
विद्युत व्यय	48.52	31.29
लेखा परीक्षकों को भुगतान (नोट एक देखें)	18.08	7.00
बैंक प्रभार	77.10	8.28
प्रायोजन खर्च	1.25	39.09
कार्यबल व्यय	347.54	48.01
सदस्यता शुल्क	-	0.34
बीमा शुल्क	30.75	11.03
डिफेंड किराया व्यय	16.56	17.01
परीक्षण खर्च	39.24	106.21
व्यवसाय प्रचार	581.64	207.22
दर और करों	430.04	400.36
जागरूकता निर्माण, प्रशिक्षण और आउटरीच क्रियाएँ	37.71	0.00
दिवाली उपहार व्यय	58.20	0.00
वार्षिक दिवस उत्सव व्यय	28.89	0.00
उजाला योजना		
— सॉफ्टवेयर व्यय	391.66	202.90
— परियोजना रखरखाव खर्च	25.78	106.63
— उजाला से संबंधित अन्य परियोजना खर्च	2,745.44	824.01
अन्य परियोजना व्यय	492.88	886.70
कुल	8,071.47	4,099.79

लेखापरीक्षक के भुगतान का विवरण

लेखा परीक्षक के रूप में

ऑडिट फीस	10.53	5.00
कर लेखा परीक्षा शुल्क	5.01	2.00
सीमित समीक्षा	-	-
अन्य क्षमता में		
अन्य सेवाएं (प्रमाणन शुल्क)	-	-
व्यय की प्रतिपूर्ति	2.54	-
सेवा कर की प्रतिपूर्ति	-	-
कुल	18.08	7.00

32. इंड एस 12 के अनुसार 'आयकर' प्रकटीकरण

(क) आयकर व्यय

i) लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त आयकर

	31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
चालू कर व्यय		
चालू वर्ष	3,110.27	1,576.88
पूर्व अवधि के लिए समायोजन	(5.44)	(221.86)
	3,104.83	1,355.02
आस्थवर्गित कर व्यय		
अस्थायी मतभेदों की उत्पत्ति और उत्क्रमण	(125.26)	(43.92)
	(125.26)	(43.92)
कुल आयकर व्यय	2,979.57	1,311.10

ii) अन्य समग्र आय में मान्यता प्राप्त आयकर

	31 मार्च 2017			31 मार्च 2016		
	कर पूर्व	कर खर्च (लाभ)	शुद्ध कर	कर पूर्व	कर खर्च (लाभ)	शुद्ध कर
- परिभाषित लाभ योजनाओं पर शुद्ध बीमाकिक लाभ / (हानि)	(6.65)	(2.30)	(4.35)	(1.97)	(0.68)	(1.29)
- विदेशी संचालन में विनिमय दर का अंतर	(2.47)	-	(2.47)	-	-	-
	(9.12)	(2.30)	(6.82)	(1.97)	(0.68)	(1.29)

iii) टैक्स व्यय और लेखा लाभ का भारत के घरेलू कर दर से गुण का समाधान

	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016
कर पूर्व लाभ	8,165.21	5,019.23
34.61% की कंपनी की घरेलू कर दर (31 मार्च 2016 - 34.61%) का उपयोग कर कर का टैक्स प्रभाव:	2,825.81	1,737.06
गैर कटौती वाला कर व्यय	124.90	71.21
कर मुक्त आय	(5.44)	(221.86)
अन्य	34.30	(275.31)
36.49% (31 मार्च 2016: 26.12%) की प्रभावी आयकर दर पर	2,979.57	1,311.10

33. इंड एस 33 के अनुसार आय प्रति शेयर' प्रकटीकरण

मूल और प्रति शेयर क्रम की कमाई

	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016
प्रति शेयर मूल आय	1.25	2.73
प्रति शेयर आमदनी	1.25	2.71
प्रति शेयर नाममात्र मूल्य	10	10

(क) इक्विटी शेयरधारकों के लिए लाभ (अंशांश के रूप में इस्तेमाल किया गया)

	31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
मूल आय के लिए इक्विटी धारकों के मुकाबले लाभ	5,179.70	3,708.13
इक्विटी धारकों के मुकाबले लाभ	5,179.70	3,708.13

(ख) इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (संख्या के रूप में इस्तेमाल किया जाता है)

	31 ekpZ 2017	31ekpZ 2016
जारी इक्विटी शेयरों का बैलेंस खोलना	13,59,01,639	9,00,00,000
वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयरों का प्रभाव, यदि कोई हो	27,74,71,233	4,59,01,639
बेसिक ईपीएस के लिए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	41,33,72,872	13,59,01,639
कमजोर पड़ने का प्रभाव	-	8,11,475
मिश्रित ईपीएस के लिए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	41,33,72,872	13,67,13,114

34. इंड-एएस 19 के तहत कर्मचारी लाभ घोषणाएं**(i) परिभाषित योगदान योजनाएं:****(क) भविष्य निधि**

कंपनी सरकार द्वारा प्रशासित एक पंजीकृत भविष्य निधि को पूर्वनिर्धारित दरों पर भविष्य निधि में निश्चित योगदान देता है, जो अनुमति प्राप्त प्रतिभूतियों में धन का निवेश करता है। भविष्य निधि में नियोक्ताओं के योगदान से संबंधित 128.09 लाख (31 मार्च 2016: 96.02 लाख) की राशि एक व्यय के रूप में मान्यता प्राप्त है और नोट 29 में 'कर्मचारी लाभ व्यय' में शामिल है।

(ख) सेवानिवृत्त कोष

कंपनी एक अलग ट्रस्ट के लिए सेवानिवृत्ति निधि में निश्चित योगदान का भुगतान करती है। सेवानिवृत्ति निधि में नियोक्ताओं के योगदान से संबंधित ₹ 58.73 लाख (31 मार्च 2016: शून्य) की राशि एक व्यय के रूप में मान्यता प्राप्त है और नोट 29 में 'कर्मचारी लाभ व्यय' में शामिल है।

(ii) परिभाषित लाभ योजना:**(क) ग्रैच्युटी**

कंपनी एक ग्रैच्युटी योजना संचालित करती है जो अलग-अलग समय पर कंपनी के साथ योग्य वेतन से जुड़े एकमुश्त लाभ और कंपनी के साथ पूर्ण वर्ष की सेवा प्रदान करती है। हर कर्मचारी, जो लगातार 5 साल की सेवा पूरी कर चुका है, संगठन से अपनी सेवानिवृत्ति या अलग होने के समय, जो भी पहले हो, ग्रैच्युटी प्राप्त करने का हकदार है। किसी भी कर्मचारी के लिए जो ग्रैच्युटी लाभ देय है, उसकी गणना 'ग्रैच्युटी के भुगतान अधिनियम, 1972' के प्रावधानों के अनुसार की गयी है।

इस संबंध में प्राप्त बीमाकिक मूल्यांकन के आधार पर, निम्नलिखित तालिका ग्रैच्युटी और पेंशन योजना की स्थिति और कंपनी की वित्तीय वक्तव्यों में तुलन पत्र की तारीख के अनुसार मान्यता प्राप्त राशि निर्धारित करती है :

₹ लाख में

	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
शुद्ध परिभाषित लाभ देयता:			
ग्रैच्युटी (अनफंडेड)	61.91	27.23	14.70
	61.91	27.23	14.70
गैर चालू	61.30	26.76	14.37
चालू	0.61	0.47	0.33

शुद्ध परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति) / देनदारियां

₹ लाख में

	परिभाषित लाभ दायित्व में संचलन	
	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016
प्रारंभिक बैलेंस	27.23	14.70
लाभ या हानि में शामिल:		
चालू सेवा लागत	27.32	9.38
गत सेवा लागत	-	-
शुद्ध ब्याज लागत	2.17	1.17
लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त कुल राशि	29.49	10.55
ओसीआई में शामिल:		
पुनर्माप नुकसान (लाभ):		
से उत्पन्न होने वाले एक्चुरियल हानि (लाभ):		
जनसांख्यिकीय मान्यता	-	-
वित्तीय मान्यताओं	4.96	1.99
अनुभव समायोजन	1.69	(0.01)
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि	6.65	1.98
अन्य		
नियोक्ता द्वारा प्रदत्त अंशदान	-	-
लाभ का भुगतान	1.46	-
अंतिम शेष	61.91	27.23

ख. परिभाषित लाभ दायित्व

i. बीमांकिक आंकलन

रिपोर्टिंग तिथि पर बीमांकिक अनुमान निम्न रहा :

	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
छूट की दर	7.35%	8.00%	8.00%
वेतन वृद्धि की दर	6.00%	6.00%	5.50%
सेवानिवृत्ति की आयु (वर्ष)	60	60	60
विकलांगता के लिए प्रावधान सहित मौत की दर **	आईएलएम का 100% (2006-08)		
समय	निकास दर (%)	निकास दर (%)	निकास दर (%)
30 साल तक	3.00	3.00	3.00
31 से 44 साल तक	2.00	2.00	2.00
44 साल से ऊपर	1.00	1.00	1.00

भावी वेतन वृद्धि का आकलन, बीमांकिक मूल्यांकन में माना जाता है, मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति और अन्य संबंधित कारकों, जैसे कि रोजगार बाजार में आपूर्ति और मांग, के कारण लेना।

ii. संवेदनशीलता विश्लेषण

रिपोर्टिंग तारीख में अन्य अनुमानों को स्थिर रखते हुए प्रासंगिक एकचुरिएल धारणाओं में से किसी एक में तार्किक संभावित परिवर्तन, निर्धारित लाभ दायित्वों पर नीचे दर्शायी गयी राशि का प्रभाव पड़ेगा।

	31 मार्च 2017		31 मार्च 2016	
	वृद्धि	घटा	वृद्धि	घटा
छूट दर (0.5% चलन)	(4.75)	5.28	(2.02)	2.24
वेतन वृद्धि की दर (0.5% चलन)	5.33	(4.83)	2.27	(2.07)

यद्यपि विश्लेषण में योजना के तहत अपेक्षित नकदी प्रवाह के पूर्ण वितरण को नहीं लिया गया है, लेकिन यह प्रदर्शित अनुमानों की संवेदनशीलता का सन्निकट प्रदान करता है।

उपरोक्त संवेदनशीलता विश्लेषण रिपोर्टिंग अवधि के अंत में होने वाले मुख्य अनुमानों में तार्किक के परिणामस्वरूप निर्धारित लाभ दायित्वों पर पड़ने वाले प्रभाव को विस्तृत करने वाली पद्धति के आधार पर निर्धारित किया गया है। यह विश्लेषण निर्धारित लाभ दायित्वों में वास्तविक परिवर्तन का प्रतिनिधित्व नहीं करने वाला हो सकता है क्योंकि यह संभव है कि धारणाओं में परिवर्तन एक दूसरे के अलगाव में घटित हों क्योंकि कुछ धारणाएं सहसंबद्ध हो सकती हैं।

(ग) जोखिम अनावरण

पोस्ट रोजगार लाभ योजना कंपनी को बीमांकिक (एक्चुरिएल) जोखिमों जैसे ब्याज दर जोखिम और बाजार (निवेश) जोखिम के सामने ले आती है।

(घ) भविष्य में परिभाषित लाभ योजनाओं का अपेक्षित परिपक्वता विश्लेषण

	एक वर्ष के कम	1-2 वर्ष के बीच	2-5 वर्ष के बीच	पांच वर्ष के उपर	कुल
31 मार्च 2017					
ग्रैच्युटी	0.62	0.34	3.09	57.87	61.91
31 मार्च 2016					
ग्रैच्युटी	0.47	0.24	1.82	24.71	27.23
1 अप्रैल 2015					
ग्रैच्युटी	0.33	0.29	0.81	13.27	14.70

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिभाषित लाभ योजना दायित्व की भार औसत अवधि 19.68 वर्ष (31 मार्च 2016:19.67 वर्ष, 01 अप्रैल 2015:17.68 वर्ष) है।

(iii) अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजनाएं

(ए) अवकाश

कंपनी हर साल अपने कर्मचारियों को 30 दिन का अर्जित अवकाश (मुआवजा अनुपस्थिति सहित) देती है। कंपनी छोड़ने या सेवानिवृत्त होने के समय अधिकतम 300 दिनों का अर्जित अवकाश भुनाया जा सकता है। कंपनी ऐसी अनुपस्थिति की संभावित लागत को अतिरिक्त राशि मानती है, जिसे रिपोर्टिंग की तारीख पर जमा बिना इस्तेमाल किये हुए अधिकार के भुगतान के रूप में करना है और जमा अवकाश को दीर्घावधि कर्मचारी लाभ के रूप में देखा जाता है। इस योजना को फंड नहीं मिलता और इसकी जिम्मेदारी एक्चुरिएल मूल्यांकन आधार पर पहचानी जाती है। वर्ष के अंत में 40.88 लाख रुपये (31 मार्च 2016:33.00 लाख रुपये) एक्चुरिएल मूल्यांकन के आधार पर दिये गये और इन्हें लाभ और हानि विवरण में डाला गया।

(बी) प्रदर्शन आधारित भुगतान

लाभ और हानि खाते में डाले गये प्रदर्शन संबंधित भुगतान के 74,59,392 रुपये/- में से 72,76,529 रुपये/- का भुगतान वर्ष के दौरान किया गया है।

लाभ और हानि खाते में डाले गये 54,75,038 रुपये के परिलब्धियों में से, पूरी राशि का भुगतान वर्ष के दौरान किया गया है।

35. इंड टूएस 17 के अनुसार पट्टे का प्रकटीकरण

ए) ऑपरेटिंग पट्टे

पट्टेदार के रूप में पट्टे

कंपनी ने गैर-रह करने योग्य ऑपरेटिंग पट्टे के तहत कुछ आवासीय / कार्यालय परिसर और गोदामों को लिया है। लाभ और हानि विवरण में वर्ष के दौरान पट्टे के किराये में 438.93 लाख रुपये (31 मार्च 2016: 135.17 लाख रुपये) दिये गये।

गैर-रह करने योग्य ऑपरेटिंग पट्टों के तहत कुल भावी न्यूनतम पट्टा भुगतान निम्नानुसार हैं :

₹ लाख में

	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
एक वर्ष से कम	373.81	281.53	173.34
एक से पांच वर्ष के बीच	1,079.01	1,009.83	693.34
पांच वर्ष से अधिक	1,813.93	1,411.29	1,574.48
	3,266.75	2,702.65	2,441.16

36. प्रारंभिक देनदारियां और प्रतिबद्धताएं

₹ लाख में

	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
अनुबंधित प्रतिबद्धतायें			
आईसीआईसीआई बैंक, ब्रिटेन के पक्ष में 55 लाख पाउंड का ऋणपत्र, मै/एसईईएसएल एनर्जी प्रो एसेट लिमिटेड, लंदन, ब्रिटेन के पक्ष में ऋण वितरण के लिए 55 लाख पाउंड, 31 मार्च 2018 तक वैध, दावे की समाप्ति 30 अप्रैल 2018 को।	4,800.00	-	-
कंपनी के दावे ऋण (वैट भुगतानित) के रूप में चिह्नित नहीं।	7,183.28	3,703.55	-
सावधि तमा पर बैंक गारंटी ग्रहणाधिकार	19.21	-	-
	12,002.49	3,703.55	-
*दावे को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया: इसमें कंपनी द्वारा देय वैट की समतुल्य राशि से कम दिखाने के कारण 31.03.2016 को आंध्रप्रदेश वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा एपी वैट अधिनियम की धारा 53 (3) के लगाये गये 34.79 करोड़ रुपये की जुर्माने की राशि (गत वर्ष रु शून्य) शामिल है। यह मामला अब भी निर्धारण प्राधिकरण के पास लंबित है और विभाग द्वारा शुरू की गई उपयुक्त जुर्माने संबंधी कार्यवाही पर कोई रोक नहीं लगी है।			
अनुबंधित प्रतिबद्धतायें			
पूँजी खाते पर किये गये अनुबंधों का अनुमानित मूल्य और प्रदान नहीं किया गया	79,964.54	32,780.49	5,997.13
राजस्व संबंधी अनुबंधों की अनुमानित लागत और प्रदान नहीं की गयी	1,43,749.09	55,665.11	9,058.57
	2,23,713.63	88,445.60	15,055.70

37. अंकित मूल्य माप

(ए) श्रेणी आधार पर वित्तीय साधन

कंपनी की सभी वित्तीय संपत्तियां और देनदारियां जैसे उधार, पूंजीगत व्यय के लिए देयता, अन्य देनदारियां, ऋण, नकद और नकद समकक्ष, अन्य बैंक बैलेंस, बकाया राजस्व और व्यापार और अन्य प्राप्तियों को परिशोधित लागत पर मापा जाता है।

(बी) उचित मूल्य पदानुक्रम

कंपनी ने परिशोधित लागत पर मापे गये वित्तीय साधनों के उचित मूल्य निर्धारण में इनपुट की विश्वसनीयता का संकेत देने के लिए इन्हें इंड एस 113 के तहत उल्लिखित स्तरों में वर्गीकृत किया है। 'उचित मूल्य माप' विवरण, निम्न हैं :

₹ लाख में

परिशोधित लागत पर मापी गयी परिसंपत्ति और देनदारियां, जिसके लिए उचित मूल्य का खुलासा किया गया है।	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 मार्च 2015
31 मार्च 2017 (स्तंभ 3*)			
वित्तीय परिसंपत्तियां			
सिक्क्योरिटी डिपोजिट	121.00	67.00	26.00
बकाया राजस्व	15,100.00	20,500.00	9,800.00
कर्मचारियों को ऋण	70.00	4.80	3.40
कुल	15,291.00	20,571.80	9,829.40

वित्तीय देनदारियां			
उधारी	87,155.00	33,824.00	8,982.00
प्रतिधारण धन	3,501.00	5,216.00	427.00
कुल	90,656.00	39,040.00	9,409.00

*स्तर 3: यदि एक या अधिक महत्वपूर्ण निविष्टियाँ अवलोकन बाजार के आंकड़ों पर आधारित नहीं हैं, तो उपकरण स्तर 3 में शामिल है। स्तर 3 में शामिल वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों का उचित मूल्य समान उपकरणों पर डीलर के उद्धरण और निरीक्षण योग्य चालू बाजार लेनदेन की कीमतों का इस्तेमाल करके किये गये रियायती नकदी प्रवाह विश्लेषण पर आधारित सामान्यतः प्राइसिंग मॉडल के अनुसार निर्धारित होता है।

(सी) परिशोधित लगात पर मापी गयी वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों का उचित मूल्य

₹ लाख में

विवरण	31 मार्च 2017		31 मार्च 2016		01 अप्रैल 2015	
	मूल राशि	उचित मूल्य	मूल राशि	उचित मूल्य	मूल राशि	उचित मूल्य
वित्तीय परिसंपत्तियां						
सिक्क्योरिटी डिपोजिट	120.27	121.00	71.94	67.00	29.31	26.00
बीमाकिक राजस्व	12,044.16	15,100.00	17,843.32	20,500.00	8,560.65	9,800.00
कर्मचारियों को ऋण	73.68	70.00	5.98	4.80	3.94	3.40
	12,238.11	15,291.00	17,921.24	20,571.80	8,593.90	9,829.40
वित्तीय देनदारियां						
उधारी	82,623.85	87,155.00	32,528.65	33,824.00	8,776.35	8,982.00
प्रतिधारण धन	5,194.96	3,501.00	3,014.00	5,216.00	384.08	427.00
	87,818.81	90,656.00	35,542.65	39,040.00	9,160.43	9,409.00

अल्पावधि कारोबार प्राप्त, अल्पावधि अग्रिम एवं नगद और नगद समतुल्य, पूंजी लेनदारों, व्यापार भुगतान, अल्प अवधि की बकाया राशि और अल्पावधि बकाया धन जमा की शेष राशि को उनके अल्पकालिक प्रकृति/प्राप्ति या मांग पर देय होने के कारण उनके उचित मूल्यों के समान माना जाता है।

सिक्क्योरिटी डिपोजिट, बकाया राजस्व, परिवहन अग्रिम, कर्मचारी ऋण, सावधि ऋण, उधार और प्रतिधारण धन के उचित मूल्य की गणना वर्तमान ऋण देने की दर/उधार दर का उपयोग करके रियायती पूंजी प्रवाह के आधार पर की गयी। निरीक्षण मूल्य सूचकांक के उपयोग के कारण उचित मूल्य पदानुक्रम में उन्हें स्तर 2 के उचित मूल्यों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

38. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

कंपनी की मुख्य वित्तीय देनदारियों में विदेशी और भारतीय मुद्रा में लिया गया ऋण और उधारी, व्यापार भुगतान और अन्य भुगतान शामिल हैं। इन वित्तीय देनदारियों का मुख्य उद्देश्य कंपनी के संचालन के लिए वित्त जुटाना है। कंपनी की प्रमुख वित्तीय परिसंपत्तियों में ऋण, व्यापार और अन्य प्राप्य, नकदी और अल्पावधि जमा शामिल हैं, जो अपने संचालन से सीधे प्राप्त होते हैं।

वित्तीय साधनों के उपयोग से कंपनी निम्नलिखित जोखिमों से उजागर हुई:

- ऋण जोखिम
- तरलता जोखिम
- बाजार जोखिम

यह नोट उपरोक्त जोखिमों के समक्ष कंपनी के उजागर होने, कंपनी के उद्देश्यों, नीतियों और जोखिम को मापने तथा उसके प्रबंधन की प्रक्रियाओं की जानकारी देता है।

ऋण जोखिम

ऋण जोखिम कंपनी के वित्तीय नुकसान का जोखिम है, यदि कोई ग्राहक या किसी वित्तीय साधन की प्रतिपक्षी पार्टी अनुबंध के दायित्वों को पूरा करने में विफल होते हैं तो इससे कंपनी को वित्तीय नुकसान होता है। मुख्य रूप से व्यापार प्राप्तियों, ऋण और अग्रिम, नकद और नकद समकक्ष और बैंकों के साथ जमा से ऋण जोखिम उत्पन्न होता है।

व्यापार प्राप्य

कंपनी मुख्य रूप से सरकारी नियंत्रित संस्थाओं (केंद्रीय और राज्य सरकार दोनों) से अपने राजस्व अर्जित करती है। ऐसी संस्थाओं के मामले में डिफॉल्ट के जोखिम को महत्वहीन माना जाता है। पिछले वर्षों में कंपनी को व्यापार प्राप्तियों के संबंध में कोई भी खास हानि नहीं हुई है। हालांकि, 31.03.2017 को कारोबार प्राप्तियों की शेष राशि पुष्टि और मिलान के अधीन है।

कंपनी ने इनवॉइस की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर चालान के भुगतान की अनुमति दी है, और एपीईपीडीसीएल और एपीएसपीडीसी के साथ संबंधित समझौतों के तहत चालू वित्त वर्ष 2016-17 से 30 दिन से अधिक की देरी के भुगतान पर 18: प्रति वर्ष अधिभार / ब्याज लगाना शुरू किया, जिसके तहत 13.96 करोड़ रुपये का जुर्माना हुआ जिसमें पिछले वित्त वर्ष 2015-16 का 2.84 करोड़ रुपए का ब्याज भी शामिल है।

कंपनी जिस माहौल में व्यवसाय करती है, उसके आधार पर प्रबंधन का मानना है कि अगर भुगतान देय तारीख के 90 दिन बाद हुआ है तो व्यापार प्राप्त डिफॉल्ट (क्रेडिट हानि) में है। पिछले वर्षों में कंपनी को व्यापार प्राप्तियों में कोई खास हानि नहीं हुई है।

चूंकि कंपनी के ग्राहक भारत के विभिन्न राज्य के हैं, इसलिए भौगोलिक दृष्टि से क्रेडिट जोखिम का कोई एकाग्रता नहीं है। हालांकि, प्रबंधन उन कारकों पर विचार करता है जो उद्योग के डिफॉल्ट जोखिम सहित ग्राहक आधार के क्रेडिट जोखिम को प्रभावित कर सकते हैं।

ऋण और अग्रिम

कंपनी ने कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम दिया है। कंपनी कर्मचारियों को दिये अपने ऋण और अग्रिम का निपटान उनके अंतिम भुगतान के माध्यम से करती है।

नकद और नकद समकक्ष और बैंकों में जमा

कंपनी ने नकद और नकद समतुल्य और उच्च जमा वाले अनुसूचित/राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ बैंक जमा राशि रखी है।

(i) क्रेडिट जोखिम का विवरण

वित्तीय परिसंपत्तियों का राशि अधिकतम क्रेडिट एक्सपोजर का प्रतिनिधित्व करता है। रिपोर्टिंग तिथि पर क्रेडिट जोखिम का विवरण :

₹ लाख में

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
वित्तीय परिसंपत्तियां जिसके लिए हानि भत्ता 12 माह से मापा जाता है, अपेक्षित क्रेडिट हानि			
गैर चालू ऋण	127.59	41.62	28.97
अन्य गैर चालू वित्तीय परिसंपत्तियां	10,116.07	10,360.95	5,765.06
नगद एवं नगद समतुल्य	26,467.08	24,497.02	3,519.68
बैंकों में जमा	5,767.04	425.28	7,431.75
चालू ऋण	66.36	36.30	4.28
अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियां	8,050.65	8,890.97	3,865.84
	50,594.79	44,252.14	20,615.58
वित्तीय परिसंपत्तियां जिसके लिए हानि भत्ता जीवन पर्यंत का उपयोग करके मापा जाता है, अपेक्षित क्रेडिट हानि			
व्यापार प्राप्त्य	80,140.76	34,499.82	3,679.50
	80,140.76	34,499.82	3,679.50

(ii) अपेक्षित क्रेडिट हानि के लिए प्रावधान

(ए) वित्तीय परिसंपत्तियां जिसके लिए हानि भत्ता 12 माह की अपेक्षित क्रेडिट हानि का उपयोग करके मापा जाता है।

कंपनी के पास परिसंपत्तियां हैं जहां प्रतिपक्ष के पास दायित्वों को पूरा करने की पर्याप्त क्षमता है और जहां डिफॉल्ट का जोखिम बहुत कम है। इसीलिए, रिपोर्टिंग अवधि के दौरान इन परिसंपत्तियों के संबंध में कोई हानि चिह्नित नहीं हुई है।

(बी) वित्तीय परिसंपत्तियां जिसके लिए हानि भत्ता जीवन काल से अपेक्षित क्रेडिट हानि का उपयोग करके मापा जाता है

कंपनी के ग्राहकों (राज्य सरकार यूटिलिटीज और वितरण कंपनियां) के पास दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता है और इसलिए डिफॉल्ट का जोखिम नगण्य या शून्य है। इसलिए, व्यापार प्राप्तियों के संबंध में रिपोर्टिंग अवधि के दौरान कोई हानि चिह्नित नहीं की गयी है।

(iii) व्यापार प्राप्तियों का आय विश्लेषण

व्यापार प्राप्तियों का आय विश्लेषण निम्नानुसार है:

₹ लाख में

आयु क्षीणता	गैर बकाया	देयता के 0-30 दिन की अवधि के बाद	देयता के 31-60 दिन की अवधि के बाद	देयता के 61-90 दिन की अवधि के बाद	देयता के 91-120 दिन की अवधि के बाद	देयता की अवधि के 120 दिन के बाद	कुल
31.03.2017 को सकल मूल राशि	-	17,194.46	39,385.22	2,541.82	2,754.26	18,265.00	80,140.76
31.03.2016 को सकल मूल राशि	-	22,256.44	10,735.85	142.68	38.10	1,326.75	34,499.82
01.04.2015 को सकल मूल राशि	-	2,762.31	278.63	121.98	97.11	419.47	3,679.50

38. वित्तीय जोखिम प्रबंधन (जारी)

तरलता जोखिम

तरलता जोखिम वह जोखिम है, जो कंपनी को वित्तीय देनदारियों से संबंधित दायित्वों को पूरा करने में उठानी पड़ती है, जिनका निपटान नगद या अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के माध्यम से होता है। तरलता के प्रबंधन के लिए कंपनी का दृष्टिकोण, यह सुनिश्चित करना है कि जहां तक संभव हो, सामान्य और विपरीत परिस्थितियों में, किसी अस्वीकार्य हानि और कंपनी की छवि को नुकसान पहुंचाये बगैर, इसके पास देयता की जवाबदेहियों को पूरा करने के लिए समुचित तरलता होगी।

कंपनी तरलता जोखिम का प्रबंधन, पूर्वानुमानों और वास्तविक नकदी प्रवाह के लगातार निरीक्षण से गैर आहरित उधार सुविधाओं के माध्यम करती है। कंपनी का कोष विभाग अल्पावधि और दीर्घकालिक तरलता आवश्यकताओं को प्रबंधित करने के लिए जिम्मेदार है।

आमतौर पर कंपनी सुनिश्चित करती है कि वित्तीय दायित्वों की पूर्ति सहित, 60 दिनों की अवधि के लिए अपेक्षित परिचालन खर्चों को पूरा करने के लिए मांग अनुसार पर्याप्त नकदी है, इसमें प्राकृतिक आपदा जैसी अत्यधिक विपरीत परिस्थितियों, जिनका पूर्वानुमान मुश्किल है, का संभावित प्रभाव शामिल नहीं है।

(i) वित्तीय प्रबंधन

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में कंपनी को निम्न गैर आहरित उधार लेने की सुविधाएं मिल सकती हैं:

₹ लाख में

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
तय दर उधारी			
मियादी ऋण	15,000.00	10,000.00	-
विदेशी मुद्रा ऋण	4,575.27	15,019.10	24,920.26
कुल योग	19,575.27	25,019.10	24,920.26

(ii) वित्तीय देनदारियों की परिपक्वता

अनुबंधित नकदी प्रवाह के आधार पर, गैर-व्युत्पन्न वित्तीय देनदारियों की अनुबंधित परिपक्वता निम्नलिखित हैं:

31 मार्च 2017

₹ लाख में

वित्तीय देनदारियों की अनुबंधित परिपक्वता	अनुबंधित पूंजी प्रवाह					
	तीन माह या उससे कम	3-12 माह	1-2 वर्ष	2-5 वर्ष	पांच वर्ष से अधिक	कुल
गैर चालू उधारी (उपार्जित ब्याज सहित)	2,299.00	10,000.00	3,535.12	30,560.21	48,528.52	94,922.85
चालू उधारी	-	35,000.00	-	-	-	35,000.00
व्यापार प्राप्त	-	45,869.51	-	-	-	45,869.51
प्रतिधारण धन	-	8,533.01	-	1,644.39	1,096.26	11,273.66
व्यय दायित्व	-	77.12	-	-	-	77.12
कर्मचारियों को देय	57.63	-	-	-	-	57.63
अन्य	-	696.63	-	-	-	696.63
	2,356.63	1,00,176.27	3,535.12	32,204.60	49,624.78	1,87,897.40

31 मार्च 2016

₹ लाख में

वित्तीय देनदारियों की अनुबंधित परिपक्वता	अनुबंधित पूंजी प्रवाह					
	तीन माह या उससे कम	3-12 माह	1-2 वर्ष	2-5 वर्ष	पांच वर्ष से अधिक	कुल
गैर चालू उधारी (उपार्जित ब्याज सहित)	145.08	2,403.00	7,597.00	3,975.64	18,553.01	32,673.73
चालू उधारी	-	28,500.00	-	-	-	28,500.00
व्यापार प्राप्त	-	34,794.41	-	-	-	34,794.41
प्रतिधारण धन	-	2,462.40	-	3,624.15	910.72	6,997.27
व्यय दायित्व	511.62	-	-	-	-	511.62
कर्मचारियों को देय	3.38	-	-	-	-	3.38
अन्य	-	400.10	-	-	-	400.10
	660.08	68,559.91	7,597.00	7,599.79	19,463.73	1,03,880.51

1 अप्रैल 2015

₹ लाख में

वित्तीय देनदारियों की अनुबंधित परिपक्वता	अनुबंधित पूंजी प्रवाह					
	तीन माह या उससे कम	3-12 माह	1-2 वर्ष	2-5 वर्ष	पांच वर्ष से अधिक	कुल
गैर चालू उधारी (उपार्जित ब्याज सहित)	42.18	-	-	1,032.51	7,743.84	8,818.53
व्यापार प्राप्त	-	9,377.27	-	-	-	9,377.27
प्रतिधारण धन	-	257.71	1.94	462.04	-	721.69
व्यय दायित्व	79.04	-	-	-	-	79.04
कर्मचारियों को देय	0.39	-	-	-	-	0.39
अन्य	-	297.56	-	-	-	297.56
	121.61	9,932.54	1.94	1,494.55	7,743.84	19,294.48

38. वित्तीय जोखिम प्रबंधन (निरंतर)**बाजार जोखिम**

बाजार जोखिम ऐसा जोखिम है, जो बाजार की कीमतों में परिवर्तन, जैसे विदेशी विनिमय दरों और ब्याज दरें, कंपनी की आय को प्रभावित करेगा। बाजार जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य स्वीकार्य मानदंडों के भीतर लाभ का अनुकूलन करते हुए बाजार जोखिम को प्रबंधित और नियंत्रित करना है।

मुद्रा जोखिम

कंपनी कुछ ऐसे लेनदेन पर विदेशी मुद्रा जोखिम से अवगत होती है, जो इकाई की कार्यात्मक मुद्रा के अलावा किसी अन्य मुद्रा में होती है, इसलिए विनिमय दर में उतार-चढ़ाव का जोखिम होता है। जोखिम यह है कि विनिमय दर में बदलाव के परिणामस्वरूप नकदी प्रवाह के कार्यात्मक मुद्रा मूल्य अलग-अलग होंगे।

31 मार्च 2017, 31 मार्च 2016 और 1 अप्रैल 2015 तक वित्तीय देनदारियों की मुद्रा प्रोफाइल निम्नानुसार है:

₹ लाख में

	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
विवरण	यूरो	यूरो	यूरो
वित्तीय देनदारियां			
विदेशी मुद्रा उधारी	32,623.86	22,528.65	8,776.35

संवेदनशीलता विश्लेषण

भारतीय मुद्रा, जैसा नीचे बताया गया है, 31 मार्च को यूरो के मुकाबले, बड़े (घटे) लाभ या हानि में नीचे दिखायी गयी मजबूत होगी। यह विश्लेषण विदेशी मुद्रा विनिमय दर के भिन्न रूपों पर आधारित है जो कंपनी को रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित रूप से संभव माना जाता है। विश्लेषण मानता है कि सभी अन्य चर, विशेष रूप से ब्याज दरों में, स्थिर रहे। विश्लेषण पिछले वर्ष इसी आधार पर किया जाता है, सिवाय इसके कि संभवतः विदेशी मुद्रा विनिमय दर भिन्न-भिन्न थे, जैसा नीचे बताया गया है।

₹ लाख में

10 प्रतिशत संचलन	कर पूर्व लाभ और हानि	
	मजबूत	कमजोर
31 मार्च 2017		
रुपया/यूरो	(3,262.50)	3,262.50
	(3,262.50)	3,262.50

₹ लाख में

10 प्रतिशत संचलन	कर पूर्व लाभ और हानि	
	मजबूत	कमजोर
31 मार्च 2016		
रुपया/यूरो	(2,253.00)	2,253.00
	(2,253.00)	2,253.00

38. वित्तीय जोखिम प्रबंधन (जारी)**ब्याज दर जोखिम**

कंपनी मुख्य रूप से फ्लोटिंग ब्याज दरों वाली दीर्घ अवधि उधार से उत्पन्न ब्याज दर जोखिम का सामना करती है। कंपनी ब्याज दर जोखिम से अवगत होती है क्योंकि फ्लोटिंग रेट उधारी से जुड़ा पूंजी प्रवाह ब्याज दरों में बदलाव के साथ उतार चढ़ाव में रहेगा।

रिपोर्टिंग तिथि पर कंपनी के हित-धारक वित्तीय साधनों की ब्याज दर प्रोफाइल निम्नानुसार है:

₹ लाख में

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
वित्तीय परिसंपत्तियां			
निश्चित दर साधन			
कर्मचारी ऋण	73.68	5.98	3.94
कुल	73.68	5.98	3.94
वित्तीय देनदारियां			
निश्चित दर साधन			
विदेशी मुद्रा ऋण	32,623.86	22,528.65	8,776.35
ऋणपत्र	50,000.00	-	-
रुपया सावधि ऋण	35,000.00	28,500.00	
	1,17,623.86	51,028.65	8,776.35
परिवर्तनीय दर साधन			
रुपया सावधि ऋण	10,000.00	10,000.00	-
कुल	1,27,623.86	61,028.65	8,776.35

निश्चित दर उपकरणों के लिए अंकित मूल्य संवेदनशीलता विश्लेषण

कंपनी के निर्धारित दर उपकरणों को परिशोधित लागत पर देखा जाता है। इसलिए वे ब्याज दर के जोखिम के अधीन नहीं हैं, क्योंकि बाजार की ब्याज दर में बदलाव के कारण न तो मूल राशि और न ही भविष्य में नकदी प्रवाह में उतार-चढ़ाव होगा।

परिवर्तनीय दर उपकरणों के लिए नकदी प्रवाह संवेदनशीलता विश्लेषण

रिपोर्टिंग की तारीख में ब्याज दरों में 50 आधार अंकों का परिवर्तन नीचे दिखायी गयी राशि में बड़े (घटे) लाभ या हानि (करपूर्व) में होता है। यह विश्लेषण मानता है कि अन्य सभी चर, विशेष रूप से विदेशी मुद्रा दरों में, स्थिर रहे। विश्लेषण पिछले वर्ष के समान आधार पर किया गया है।

₹ लाख में

	कर पूर्व लाभ और हानि	
	50 आधार अंकों की बढ़ोतरी	50 आधार अंकों की कटौती
31 मार्च 2017		
रुपया सावधि ऋण	(481.70)	481.70
कुल	(481.70)	481.70

₹ in Lakhs

	कर पूर्व लाभ और हानि	
	50 आधार अंकों की बढ़ोतरी	50 आधार अंकों की कटौती
31 मार्च 2016		
रुपया सावधि ऋण	(476.19)	476.19
कुल	(476.19)	476.19

39. पूंजी प्रबंधन

पूंजी का प्रबंधन करते समय कंपनी के उद्देश्य निम्न हैं:

- शेयरधारकों को रिटर्न और अन्य हितधारकों को लाभ प्रदान करना जारी रखने के लिए अपनी क्षमता की सुरक्षा करना, और
- ऋण और इक्विटी के उपयुक्त पूंजी संरचना को बनाए रखना।

निदेशक मंडल की प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वह मजबूत पूंजी आधार बनाए रखे और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजारों में अवसरों को लाभ उठाकर धन की आपूर्ति और सोर्सिंग में विवेकपूर्ण प्रबंधन के माध्यम से पूंजी की लागत को कम कर सके ताकि निवेशकों, लेनदारों और बाजारों के विश्वास को बनाया रखा जा सके और व्यापार के भविष्य के विकास को बनाए रखा जा सके। निदेशकमंडल पूंजी पर रिटर्न, जिसे कंपनी शेयरधारकों की कुल इक्विटी में से संचालन गतिविधि के विभाजन के परिणाम के रूप में देखती है। निदेशक मंडल इक्विटी शेयरधारकों के लाभांश के स्तर का भी निरीक्षण करता है।

प्रमुख उधार सुविधाओं की शर्तों के तहत, कंपनी को निम्नलिखित वित्तीय करारों का अनुपालन करना आवश्यक है:

- झ = 1 का वर्तमान अनुपात बनाए रखना
- 1.00 गुणा का न्यूनतम परिसंपत्ति कवरेज बनाए रखना
- 80:20 के अनुपात में ऋण: इक्विटी अनुपात बनाए रखना
- उधारकर्ता स्टॉक एक्सचेंज के साथ-साथ बैंक को सूचित करेगा यदि उनके लाभ या व्यापार पर पर्याप्त प्रभाव 20% या उससे अधिक का प्रतिकूल विचरण है।

किसी भी ब्याज वाले उधार के वित्तीय करारों में कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।

कंपनी आम तौर पर उद्योग और रेटिंग एजेंसियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले वित्तीय अनुपातों के आधार पर, तीन से पांच वर्ष के मध्य अवधि के दृश्य का उपयोग करके पूंजी की निगरानी करती है। कंपनी बाह्य रूप से लगाए गए पूंजी आवश्यकताओं के अधीन नहीं है।

कंपनी गियरिंग अनुपात का उपयोग करके पूंजी की निगरानी करती है, जो कुल इक्विटी से विभाजित शुद्ध ऋण है। शुद्ध ऋण में दीर्घकालिक और अल्पकालिक उधार के कम नकद और नकद समकक्ष शामिल हैं। इक्विटी में इक्विटी शेयर पूंजी और भंडार शामिल हैं जिनका प्रबंधन पूंजी की तरह होता है। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में गियरिंग अनुपात निम्नानुसार था:

₹ लाख में

	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
दीर्घावधि और अल्पावधि उधारी	1,29,922.86	61,173.73	8,818.53
कम: नगद और नगद समतुल्यध	26,467.08	24,497.02	3,519.68
कुल ऋण	1,03,455.78	36,676.71	5,298.85
कुल इक्विटी	55,533.79	41,763.02	11,173.99
कुल ऋण: इक्विटी अनुपात	1.86	0.88	0.47

40. इंड एएस 108 की संचालन श्रेणी के रूप में प्रकटीकरण

(ए) सामान्य जानकारी

कंपनी के पास रिपोर्ट करने योग्य तीन श्रेणियाँ हैं, जैसा नीचे बताया गया है, जो कंपनी की रणनीतिक व्यापार इकाइयाँ हैं। रणनीतिक व्यवसाय इकाइयाँ अलग-अलग उत्पादों और सेवाओं की पेशकश करती हैं और अलग-अलग प्रबंधित की जाती हैं क्योंकि उन्हें अलग-अलग तकनीक और विपणन रणनीतियों की आवश्यकता होती है। प्रत्येक रणनीतिक व्यवसाय इकाइयों के लिए, मुख्य परिचालन निर्णय निर्माता (सीओडीएम) कम से कम एक तिमाही आधार पर आंतरिक प्रबंधन रिपोर्टों की समीक्षा करता है।

निम्नलिखित सारांश में प्रत्येक कंपनी के रिपोर्ट करने योग्य क्षेत्रों में परिचालन का वर्णन किया गया है:

ट्रेडिंग: 6394.47

परामर्श और एस्को मॉडल सहित सेवाएं: 6980.47

प्रत्येक रिपोर्ट करने योग्य श्रेणी के परिणामों के बारे में जानकारी नीचे दी गई है। प्रदर्शन को आयकर से पहले श्रेणी लाभ के आधार पर मापा जाता है, जैसा आंतरिक प्रबंधन रिपोर्टों में शामिल है, जिसकी कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा समीक्षा की जाती है। श्रेणीगत लाभ का इस्तेमाल प्रदर्शन को मापने के लिए किया जाता है क्योंकि प्रबंधन का मानना है कि इन उद्योगों में काम करने वाली अन्य संस्थाओं के सापेक्ष कुछ क्षेत्रों के परिणामों का मूल्यांकन करने में ऐसी जानकारी सबसे अधिक प्रासंगिक है।

(बी) रिपोर्ट करने योग्यप श्रेणी के बारे में और वित्तीय स्थिति में दर्शायी गयी रकम के बारे में जानकारी:

₹ लाख में

विवरण	ट्रेडिंग		सेवाएँ		अन्य		कुल	
	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016
श्रेणीगत राजस्व								
उत्पाद बिक्री/ एस्को परियोजना आय/ अन्य परामर्श सेवाएँ	1,02,248.73	72,060.16	12,837.30	5,428.48	-	-	1,15,086.03	77,488.64
श्रेणीगत व्यय	95,854.27	66,771.35	5,856.83	3,364.56	-	-	1,01,711.10	70,135.91
श्रेणीगत परिणाम	6,394.48	5,288.81	6,980.47	2,063.92	-	-	13,374.93	7,352.73
गैर आवंटित कॉर्पोरेट दर एवं अन्य आय							7,632.38	2,822.81
गैरआवंटित कॉर्पोरेट व्यय, वित्तीय प्रसार, मूल्यहास और परिशोधन							12,842.10	5,156.31
करपूर्व लाभ							8,165.21	5,019.23
आयकर (शुद्ध)							2,979.57	1,311.10
कर बाद लाभ (पैट)							5,185.64	3,708.13

₹ लाख में

विवरण	ट्रेडिंग			सेवायें			अन्य			कुल		
	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
श्रेणीगत परिसंपत्तियां	79,964.66	64,445.17	13.32	1,22,891.21	48,091.81	9,296.50	-	-	-	2,02,855.87	1,12,536.98	9,309.82
गैरआवृत्त कॉरपोरेट एवं अन्य परिसंपत्तियां										54,799.45	33,448.02	21,464.90
कुल परिसंपत्तियां	79,964.66	64,445.17	13.32	1,22,891.21	48,091.81	9,296.50	-	-	-	2,57,655.32	1,45,985.00	30,774.72
श्रेणीगत दायित्व	14,615.18	20,155.76	-	31,254.34	20,147.98	9,377.27	-	-	-	45,869.52	40,303.74	9,377.27
गैरआवृत्त कॉरपोरेट एवं अन्य देनदारियां										1,56,252.01	63,918.24	10,223.46
कुल देनदारियां	14,615.18	20,155.76	-	31,254.34	20,147.98	9,377.27	-	-	-	2,02,121.53	1,04,221.98	19,600.73

इंड-एएस 108 के अनुसार संचालन श्रेणी के प्रकटीकरण

कंपनी ने भौगोलिक क्षेत्रों का खुलासा नहीं किया है क्योंकि कंपनी का संचालन मुख्यतः देश के भीतर है।

क) व्यापार श्रेणी:

कंपनी के प्रमुख व्यवसाय में दो श्रेणियां शामिल हैं- (1) उपभोक्ताओं के विभिन्न समूहों के लिए ऊर्जा दक्ष उपकरणों की बिक्री, और (2) एस्को मोड और परामर्श सेवाओं पर ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकी सेवाएं प्रदान करना।

ख) श्रेणीगत राजस्व और व्यय:

श्रेणी में प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त राजस्व को 'श्रेणीगत राजस्व' के रूप में माना जाता है। श्रेणियों के लिए प्रत्यक्ष खर्च और उचित आधार पर आवृत्त सामान्य खर्च को 'श्रेणीगत व्यय' के रूप में माना जाता है।

ग) श्रेणीगत परिसंपत्तियां और देनदारियां

श्रेणी की परिसंपत्तियों में संबंधित श्रेणी की सभी परिचालन संपत्तियां शामिल हैं, जिनमें शुद्ध अचल परिसंपत्तियां, गतिमान पूंजी, पूंजीगत अग्रिम और मौजूदा परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम ऋण शामिल हैं। श्रेणीगत देनदारियों में संचालन देनदारियां और प्राक्धान शामिल हैं।

श्रेणीगत रिपोर्टिंग पर लेखांकन नीति

श्रेणीगत रिपोर्टिंग के लिए अपनाई गई लेखांकन नीतियां कंपनी के लेखांकन नीतियों के अनुरूप हैं। श्रेणीगत राजस्व, श्रेणीगत व्यय, श्रेणीगत परिसंपत्तियां और श्रेणीगत देनदारियां की पहचान उक्त श्रेणी की संचालन गतिविधियों से उनके संबंध के आधार पर की जाती है। राजस्व, व्यय, परिसंपत्तियां, और देनदारियां, जो कंपनी से संबंधित हैं और ताकिक आधार पर श्रेणी के लिए आवंटन योग्य नहीं हैं, उन्हें गैर आवृत्त राजस्व/खर्च / परिसंपत्तियों / देनदारियों के अंतर्गत शामिल किया गया है।

(सी) प्रमुख ग्राहकों के बारे में जानकारी

31 मार्च 2017 और 2016 के समापन के दौरान किसी बाहरी ग्राहक ने व्यक्तिगत रूप से 10% से अधिक राजस्व अर्जित नहीं किया है।

41. इंड एस-24 के अनुसार 'संबंधित पार्टी के खुलासे' का प्रकटीकरण

(ए) संबंधित पार्टियों की सूची:

i) कम्पनियों पर संयुक्त नियंत्रण वाली इकाइयां:

1. एनटीपीसी लिमिटेड
2. पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
3. रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड
4. पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

ii) कम्पनी पर संयुक्त नियंत्रण वाली सहायक कंपनियां, संयुक्त उद्यम और सहयोगी:

1. पीएफसी कैपिटल एडवाइजरी सर्विसेज लिमिटेड
2. पीएफसी परामर्श लिमिटेड
3. पीएफसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड
4. आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड
5. यूटिलिटी पावरटेक लिमिटेड

iii) सहायक कंपनियां, संयुक्त उद्यम और कंपनियों द्वारा नियंत्रित इकाइयों की सहयोगी:

2. ईईएसएल एनर्जी प्रोमो एसेट्स लिमिटेड

iv) मुख्य प्रबंधकीय कर्मचारी (केएमपी):

कौशल किशोर शर्मा	अध्यक्ष एवं निदेशक	21 अक्टूबर, 2016 से प्रभावी
राजीव शर्मा	अध्यक्ष	21 अक्टूबर, 2015 से 21 अक्टूबर, 2016 तक प्रभावी
सौरभ कुमार	प्रबंध निदेशक	7 मई, 2013 से प्रभावी
विजय कुमार सिंह	नामांकित निदेशक	21 अक्टूबर, 2016 से प्रभावी
अनिल कुमार गुप्ता	निदेशक (वित्त)	5 फरवरी 2016 से 26 दिसंबर 2016 तक प्रभावी
एस.एन. गायकवाड	निदेशक (परियोजनाएं और व्यवसाय विकास)	5 फरवरी 2016 से 3 नवंबर 2016 तक प्रभावी
अवकाश सक्सेना	नामांकित निदेशक	22 सितंबर, 2016 से प्रभावी
राज पाल	नामांकित निदेशक	14 जुलाई 2016 से प्रभावी
सीमा गुप्ता	नामांकित निदेशक	10 जुलाई, 2013 से 25 अप्रैल, 2016 तक प्रभावी
एक चक्रवर्ती	नामांकित निदेशक	16 जनवरी 2014 से 12 सितंबर 2016 तक प्रभावी
राधा कृष्णा श्रीवास्तव	नामांकित निदेशक	24 सितंबर, 2015 से 6 सितंबर, 2016 तक प्रभावी
संजय सेठ	नामांकित निदेशक	3 जुलाई, 2015 से 16 सितंबर, 2016 तक प्रभावी
पुलियार कृष्णास्वामी रवि	सरकार द्वारा नामांकित निदेशक	20 जून, 2013 से 6 जुलाई, 2016 तक प्रभावी
एस गोपाल	मुख्य वित्तीय अधिकारी	8 जून, 2016 से प्रभावी
समीर अग्रवाल	मुख्य वित्तीय अधिकारी	27 सितंबर, 2014 से 8 जून, 2016 तक प्रभावी
पूजा शुक्ला	कंपनी सचिव	27 दिसंबर, 2012 से प्रभावी

v) रोजगार बाद लाभ योजनाएं:

एनर्जी एफिशियेंसी सर्विसेज लिमिटेड सामूहिक सेवानिवृत्ति निश्चित अंशदान योजना ट्रस्ट को अंगीकार करती है ।

अपेक्षित समान सरकार द्वारा नियंत्रित संस्थाएं:

- ऊर्जा दक्षता ब्यूरो
- एनएचपीसी लिमिटेड
- ओएनजीसी लिमिटेड
- भेल लिमिटेड
- कोल इंडिया लिमिटेड
- भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (आईआरडीडीए)

(बी) संबंधित पार्टियों के साथ लेनदेन का आंकड़ा निम्न है:

₹ लाख में

विवरण	एनटीपीसी लिमिटेड	पावर ग्रिड कॉरपोरेशन	रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन लिमिटेड	पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन	यूटिलिटी पावर टेक लिमिटेड	एनर्जी प्रोसेस लिमिटेड	कुल
i) वर्ष के दौरान वस्तुओं/सेवा की खरीद/बिक्री							
— कंपनी द्वारा प्राप्त कार्यबल सेवायें	-	-	-	-	1,083.26	-	1,083.26
	(-)	(-)	(-)	(-)	(407.69)	(-)	(407.69)
— कंपनी द्वारा प्रदत्त सलाहकार सेवायें	261.47	16.30	91.93	285.13	-	-	654.82
	(101.56)	(376.61)	(146.05)	(371.46)	(-)	(-)	(995.68)
— वस्तुओं की बिक्री	1,455.16	-	-	3.35	-	-	1,458.50
	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
ii) कर्मचारियों की डेपुटेशन	181.67	-	-	-	-	-	181.67
	(139.08)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(139.08)
iii) प्राप्ति इक्विटी योगदान	9,900.00	-	9,900.00	9,900.00	-	-	29,700.00
	(2,500.00)	(-)	(2,500.00)	(2,500.00)	(-)	(-)	(7,500.00)
iv) भुगतानित इक्विटी योगदान	-	-	-	-	-	189.04	189.04
	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
v) भुगतानित अंतिम लाभांश	338.57	52.00	338.57	338.57	-	-	1,067.72
	(67.95)	(67.95)	(67.95)	(67.95)	(-)	(-)	(271.79)

*नकारात्मकता में पेश किये आंकड़े पूर्व वर्ष के आंकड़े हैं।

₹ लाख में

	2016-17	2015-16
रोजगार बाद लाभ योजना के साथ लेनदेन		
— वर्ष के दौरान किया गया योगदान	58.73	-
मुख्य प्रबंधकीय कर्मचारियों को मुआवजा		
— अल्पाकवधि कर्मचारी लाभ	80.51	68.64
— रोजगार बाद लाभ	10.99	8.34
— अन्य दीर्घावधि लाभ	11.62	9.48
मुख्य प्रबंधकीय कर्मचारियों का कुल मुआवजा	103.12	86.46
बकाया मुआवजा (1 अप्रैल 2015 ₹ 0.39 लाख)	0.80	0.87

₹ लाख में

समान सरकार द्वारा नियंत्रित संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन				
क्र. सं.	कंपनी का नाम	लेनदेन की प्रकृति	2016-17	2015-16
1	कोल इंडिया लिमिटेड	सलाहकार सेवायें	-	96.74
2	इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड (आईआरडीडीए)	सलाहकार सेवायें	-	96.74
3	ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी	वस्तुओं की बिक्री	170.93	-
4	एनएचपीसी लिमिटेड	सलाहकार सेवायें	19.55	-
5	ओएनजीसी लिमिटेड	वस्तुओं की बिक्री	8.40	-
6	भेल लिमिटेड	वस्तुओं की बिक्री	62.26	-
7			261.14	193.48

(सी) संबंधित पक्षों के साथ बकाया बैलेंस निम्न है:

₹ लाख में

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
वस्तुओं/सेवाओं की खरीद/बिक्री से प्राप्त होने वाली राशि			
— एनटीपीसी लिमिटेड से	1,645.00	101.56	-
— पावरग्रिड कॉरपोरेशन से	9.32	(6.17)	-
— रूरल इलेक्ट्रोफिकेशन लिमिटेड से	402.08	310.24	173.45
— पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन से	394.87	456.36	138.47
— पीएफसी कैपिटल एडवाइजरी सर्विसेज लिमिटेड से	2.32	2.32	2.32
— पीएफसी कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड से	0.69	18.00	18.00
— पीएफसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड से	2.79	2.79	2.79
— भुगतान योग्य राशि(ऋण के अलावा)			
— यूटिलिटी पावरटेक लिमिटेड से	1,133.92	50.66	-

(डी) संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन की शर्तें

- (1) संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन सामान्य व्यावसायिक नियमों और शर्तों और बाजार दर पर किया जाता है।
- (2) 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के दौरान कोई अनुबंध या व्यवस्था या लेनदेन नहीं हुआ था, जो बराबरी पर नहीं थे।
- (3) कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड और रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के बीच 50:50 के संयुक्त उपक्रम, मेसर्स यूटिलिटी पावरटेक लिमिटेड (यूपीएल) से मानवसंसाधन सेवाएं प्राप्त कर रही है।
- (4) कंपनी परामर्शी सेवाएं प्रदान करती है और ऐसी कंपनियों के लिए माल बेचती है जिन पर संयुक्त नियंत्रण होते हैं, जिस पर ऐसी कंपनियों से लागत और सेवाओं का शुल्क वसूल होता है।
- (5) वर्ष के अंत में संबंधित पक्षों की बकाया शेष राशि असुरक्षित और ब्याज मुक्त होती है और इनका निपटान नकद में होता है। 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए, कंपनी ने संबंधित पक्षों द्वारा बकाया राशियों से संबंधित प्राप्तियों की हानि दर्ज नहीं की है (31 मार्च 2016 रु शून्य)। यह मूल्यांकन प्रत्येक वित्तीय वर्ष को संबंधित पक्ष की वित्तीय स्थिति और बाजार में जांचने के माध्यम से किया जाता है, जिसमें संबंधित पक्ष संचालित होता है।

42. इंड एस को पहली बार लागू करना

कंपनी ने 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए इंड एस के अनुसार अपना पहला वित्तीय विवरण तैयार किया है। 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए और इसमें शामिल समयावधि के लिए, कंपनी ने अपने वित्तीय वक्तव्य भारतीय जीएपी के अनुसार तैयार किए, जिसमें कंपनी (लेखा मानक) नियम, 2006 (संशोधित रूप में) सहित लेखा मानकों को अधिसूचित किया गया था। कंपनी की इंड एस बैलेंस शीट खोलने की प्रभावी तिथि 1 अप्रैल 2015 (इंड एस में बदलाव की तारीख) है।

- 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के वित्तीय वक्तव्यों को तैयार करने, 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए इन वित्तीय वक्तव्यों में प्रस्तुत की गई तुलनात्मक जानकारी और 1 अप्रैल 2015 (कंपनी की संक्रमण की तारीख) को इंड एस की बैलेंस शीट खोलने में नोट 1 में उल्लिखित लेखा नीतियों को लागू किया गया है। इंड एस 101 के अनुसार, वित्तीय विवरणों के पहले इंड एस वित्तीय परिणाम में मान्यता और माप सिद्धांतों का उपयोग होना चाहिए जो मानकों और व्याख्याओं पर आधारित और जो 31 मार्च 2017, इंड एस के अनुसार पहली बार वित्तीय वक्तव्य तैयार करने की तिथि, को प्रभावी थे। इन लेखांकन सिद्धांतों और माप सिद्धांतों को पूर्व रूप से इंड एस को संक्रमण की तिथि और पहले वित्तीय स्थिति के रूप में प्रथम इंड एस में प्रस्तुत सभी अवधियों के लिए लागू किया जाना चाहिए। 1 अप्रैल 2015 को इंड एस 101 के अनुसार संपत्तियों और देनदारियों में, 31 मार्च 2015 तक भारतीय जीएपी बैलेंस शीट में प्रस्तुत आंकड़ों का अंतर, इंड एस बैलेंस शीट में आय के तहत इविवटी में मान्यता प्राप्त है।

पिछले जीएपी से इंड एस के संक्रमण ने कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह को कैसे प्रभावित किया गया है, इसका विवरण निम्न तालिकाओं और नोटों में दिखाया गया है।

छूट और अपवादों का उठाया गया लाभ

1 अप्रैल 2015 को भारतीय बैलेंस शीट के रूप में इंडियन बैलेंस शीट खोलने में, 31 मार्च 2015 तक भारतीय जीएपी से होने वाली संपत्ति और देनदारियों को आम तौर पर पहचाना जाता है और 31 मार्च 2017 को प्रभावी रूप से इंड एस के अनुसार मापा जाता है। कुछ विशिष्ट मामलों के लिए हालांकि, इंड एस 101 के पूर्वव्यापी आवेदन के सामान्य सिद्धांतों के लिए वैकल्पिक छूट और अनिवार्य अपवाद प्रदान करता है। कंपनी ने अपने इंड एस ओपनिंग बैलेंस शीट तैयार करने में निम्न छूटों और अपवादों का उपयोग किया है।

i) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति

इंड एस— 10 पहली बार इसे लागू करने वालों को यह अनुमति देता है कि वह इंड एस में बदलाव की तारीख तक के वित्तीय परिणाम में चिह्नित अपनी सभी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति के मूल्य को जारी रखने का चुनाव करे और देनदारियों को खत्म करने के आवश्यक समायोजन के बाद संक्रमण की तारीख को इसे इसकी लागत के रूप में इस्तेमाल करे।

तदनुसार, कंपनी ने अपनी पिछली जीएपी ले जाने वाले मूल्य पर अपनी सारी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्तियों को मापने के लिए चुना है।

ii) दीर्घावधि विदेशी मुद्रा मौद्रिक वस्तुएं

कंपनी ने भारतीय जीएपी के अनुसार पहली इंड एस वित्तीय रिपोर्टिंग से ठीक पहले समाप्ते अवधि के वित्तीय परिणाम में चिह्नित दीर्घावधि विदेशी मुद्रा मौद्रिक वस्तुओं के विनिमय मतभेदों की अकाउंटिंग के लिए अपनाई गई नीति को जारी रखने का चुनाव किया है।

1 अप्रैल 2015 और 31 मार्च 2016 तक इक्विटी का समाधान

₹ लाख में

		1 अप्रैल 2015			31 मार्च 2016		
	नोट	पूर्व जीएपी*	समायोजन	इंड एस	पूर्व जीएपी	समायोजन	इंड एस
परिसंपत्तियां							
गैर चालू परिसंपत्तियां							
संपत्ति, संयंत्र, उपकरण	a	14,308.28	(8,727.61)	5,580.67	46,877.71	(19,277.37)	27,600.34
प्रगतिमान पूंजी	a	834.94	(301.87)	533.07	15,278.82	(994.41)	14,284.41
अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां		21.82	-	21.82	33.89	-	33.89
वित्तीय परिसंपत्तियां							
ऋण	c	57.56	(28.59)	28.97	104.61	(62.99)	41.62
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	a	-	5,765.06	5,765.06	12.55	10,348.40	10,360.95
अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां	c	30.76	21.51	52.27	940.58	22.38	962.96
चालू परिसंपत्तियां							
भंडार	a	13.32	84.37	97.69	17,950.57	939.82	18,890.39
वित्तीय परिसंपत्तियां							
प्राप्त व्यापार	b	3,668.35	11.15	3,679.50	34,414.68	85.14	34,499.82
नगद एवं नगद समतुल्य		3,519.68	0.00	3,519.68	24,497.02	-	24,497.02
अन्य बैंक बैलेंस		7,431.75	0.00	7,431.75	425.28	-	425.28
ऋण	c	1.21	3.07	4.28	2.19	34.11	36.30
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	a	1,070.25	2,795.59	3,865.84	1,396.04	7,494.93	8,890.97
चालू कर परिसंपत्तियां(शुद्ध)		86.36	0.00	86.36	670.49	-	670.49
अन्यचालू परिसंपत्तियां	c	104.25	3.51	107.76	4,785.77	4.79	4,790.56
कुल परिसंपत्ति		31,148.53	(373.81)	30,774.72	1,47,390.20	(1,405.20)	1,45,985.00
एक्विटी एवं देनदारी							
इक्विटी							
इक्विटी शेयर पूंजी		9,000.00	-	9,000.00	16,500.00	-	16,500.00
अन्य इक्विटी	i	2,033.17	140.82	2,173.99	24,102.69	1,160.33	25,263.02
देनदारियां							
गैर चालू देनदारियां							
वित्तीय देनदारियां							
उधारी		8,776.35	-	8,776.35	30,124.96	-	30,124.96
अन्य वित्तीय देनदारियां	d	554.01	(169.93)	384.08	4,501.95	(1,487.95)	3,014.00
प्रावधान		49.77	-	49.77	92.58	0.01	92.59
विलंबित कर देनदारी(शुद्ध)	f	230.24	(49.69)	180.55	176.26	(40.31)	135.95
अन्य गैर चालू देनदारियां		12.37	0.01	12.38	37.11	(7.73)	29.38
चालू देनदारी							
वित्तीय देनदारी							
उधारी		-	-	-	28,500.00	-	28,500.00

भुगतान योग्य व्यापार		9,377.27	-	9,377.27	34,794.41	-	34,794.41
अन्य वित्तीय देनदारियां		554.55	33.63	588.18	5,697.65	261.54	5,959.19
अन्य चालू देनदारियां		72.45	-	72.45	1,567.97	0.01	1,567.98
प्रावधान	g	330.85	(328.65)	2.20	1,294.62	(1,291.10)	3.52
चालू कर दायित्व (शुद्ध)		157.50	-	157.50	-	-	-
कुल इक्विटी और देनदारी		31,148.53	(373.81)	30,774.72	1,47,390.20	(1,405.20)	1,45,985.00

* पिछले जीएएपी आंकड़ों को इस नोट के प्रयोजनों के लिए प्रस्तुति आवश्यकताओं के रूप में इंड एस के अनुरूप करने के लिए पुनः वर्गीकृत किया गया है।

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए कुल व्यापक आय के विवरण का समाधान

₹ लाख में

	नोट	पूर्व समायोजन जीएएपी	समायोजन	इंड एस
आय				
संचालन से आय	ए.बी	70,257.92	7,230.72	77,488.64
अन्य आय	ए.सी	680.99	2,141.82	2,822.81
कुल आय		70,938.91	9,372.54	80,311.45
व्यय				
स्टॉक इन ट्रेड की खरीद	ए	66,408.27	12,062.44	78,470.71
वितरण खर्च (उजाला)		4,783.34	-	4,783.34
मीडिया खर्च (उजाला)		1,454.55	-	1,454.55
भंडार में घट-बढ़		(17,937.25)	-	(17,937.25)
कर्मचारी लाभ व्यय	एच	1,280.40	(1.97)	1,278.43
वित्तीय लागत	डी	1,322.64	65.01	1,387.65
मूल्यहास, परिशोधन और हानि व्यय	ए.डी	4,756.10	(3,001.10)	1,755.00
अन्य व्यय	ए.डी	4,036.25	63.54	4,099.79
पूर्व अवधि वस्तु (शुद्ध)		22.48	(22.48)	-
कुल व्यय		66,126.78	9,165.44	75,292.22
कर पूर्व लाभ		4,812.13	207.10	5,019.23
चालू कर				
चालू वर्ष		1,528.89	47.99	1,576.88
पूर्व वर्ष		(221.86)	-	(221.86)
आस्थगित कर				
चालू वर्ष	इ	(53.99)	10.06	(43.92)
		1,253.04	58.05	1,311.10
कर बाद लाभ(पैट)		3,559.08	149.05	3,708.13
अन्या समग्र आय				
वस्तु जो लाभ या हानि (कर का शुद्ध) के लिए पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा				
– परिभाषित लाभ योजनाओं पर शुद्ध बीमांकिक लाभ / (नुकसान)	एच	-	(1.29)	(1.29)
वर्ष के लिए कुल समग्र आय, शुद्ध आयकर		-	(1.29)	(1.29)
वर्ष के लिए कुल समग्र आय		3,559.08	147.76	3,706.84

* पिछले जीएएपी आंकड़ों को इस नोट के प्रयोजनों के लिए प्रस्तुति आवश्यकताओं के रूप में इंड एस के अनुरूप करने के लिए पुनः वर्गीकृत किया गया है।

31 मार्च 2016 और 01 अप्रैल 2015 को समाप्त वर्ष के लिए कुल इक्विटी का समाधान

₹ लाख में

	नोट	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
कुल इक्विटी(शेयरधारक फंड) पूर्व जीएएपी के मुताबिक		40,602.69	11,033.17
समायोजन			
प्रस्तावित लाभांश एवं कर	एफ	1,291.09	328.65
परिशोधन लागत पर परिसंपत्तियों/देनदारियों की पहचान	सी,डी	189.92	169.43
मूल्यह्रास और परिशोधन	डी	48.10	-
भूल सुधार	ए	(217.68)	(406.94)
उचित मूल्य पर राजस्व पहचान	बी	(199.15)	-
अन्य		7.73	-
इंड एस के समायोजन के कारण कर पर प्रभाव	एफ	40.32	49.68
कुल समायोजन		1,160.33	140.82
इंड एस के मुताबिक कुल इक्विटी		41,763.02	11,173.99

31 मार्च 2016 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए कुल समग्र (समेकित) आय का समाधान

₹ लाख में

	नोट	31 मार्च 2016
पूर्व जीएएपी के मुताबिक कर बाद लाभ(पैट)		3,559.08
समायोजन		
मूल्यह्रास और परिशोधन	डी	48.10
परिशोधन लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियों/देनदारियों की पहचान	सी,डी	20.49
उचित मूल्य पर राजस्व की पहचान	बी	(199.15)
इक्विटी शेयर जारी करने में लेनदेन लागत, शुद्ध कर	ई	90.69
अन्य समग्र आय (शुद्ध कर) में मान्यता प्राप्त परिभाषित लाभ योजनाओं पर बीमांकिक हानि	एच	1.29
भूल सुधार		189.27
अन्य	ए	7.74
इंड एस के समायोजन के कारण कर पर प्रभाव	एफ	(9.38)
कुल समायोजन		149.05
इंड एस के मुताबिक कर बाद लाभ (पैट)		3,708.13
अन्य समग्र आय (शुद्ध कर)		
परिभाषित लाभ योजनाओं पर बीमांकिक हानि	एच	(1.29)
इंड एस के मुताबिक कुल समग्र आय		3,706.84

इंड एस को पहली बार लागू करने संबंधी नोट्स:

(ए) त्रुटि सुधार

- (i) पिछले जीएएपी के तहत, कंपनी ने संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के रूप में एलईडी-एस्को परियोजनाओं पर खर्च किए गए खर्च को गलत तरीके से पूंजीकरण किया। सहमति के नियमों के अनुसार राजस्व को बीमांकिक आधार पर मान्यता दी गई थी।

इंड एस के संक्रमण के समय, ऊपर दी गई त्रुटि को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के गैर पूंजीकरण द्वारा संशोधित किया गया और उसे 1 अप्रैल, 2015 को प्राप्ति आय में व्यय के रूप में और 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि के विवरण में चिह्नित किया गया। इसके अलावा, जोखिम और पुरस्कारों को स्थानांतरित कर दिया गया, क्योंकि उत्पाद बेच दिए गए थे, भविष्य के भुगतानों के वर्तमान मूल्य में राजस्व प्राप्त किया गया था।

उपर्युक्त के अलावा, कंपनी ने इंड एस के तहत गैरपूँजीकृत संपत्तियों, संयंत्र और उपकरण की लागत को खास प्रशासन और सामान्य ओवरहेड के रूप में पूंजीकृत किया

- (ii) पिछले जीएएपी के अंतर्गत, कंपनी ने लाभ और हानि के वक्तव्य में अलग-अलग आय और व्यय को अलग-अलग मान्यता दी।

इंड एस के तहत, पिछली अवधि की त्रुटियों को पूर्वकाल की तुलनात्मक मात्रा को फिर से समायोजित करने के लिए सामग्री की पूर्वकाल की त्रुटियों को समायोजित करने की आवश्यकता होती है, जिसमें त्रुटि उत्पन्न हुई या यदि त्रुटि हुई तो पहले की पूर्व अवधि के पहले हुई। तदनुसार, कंपनी ने पूर्व की अवधि के भूलों के लिए परिसंपत्तियां, देनदारियों और इक्विटी को दोबारा वर्णित किया है।

(बी) ओबीएफ मॉडल के तहत राजस्व

पिछले जीएएपी के तहत, एलईडी –ओबीएफ मॉडल के तहत माल की बिक्री से राजस्व को कुल प्राप्त या प्राप्य आय (अग्रिम भुगतान विकल्प और ईएमआई विकल्प के तहत) के मूल्य पर पहचाना जा रहा था।

इंड एस के तहत, ईएमआई विकल्प के तहत वित्तपोषण घटक को अग्रिम राजस्व (अपफ्रंट विकल्प के तहत प्राप्त राशि) से अलग किया गया था और जब यह अर्जित किया गया था।

(सी) सिक्वोरिटी डिपोजिट

पिछले जीएएपी के अंतर्गत, ब्याज मुक्त पट्टा सुरक्षा जमा (पट्टे की अवधि पूरी होने पर नकद में वापसी योग्य है) उनके लेन-देन मूल्य पर दर्ज किए जाते हैं।

इंड एस के तहत सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को उचित मूल्य पर पहचाना जाना आवश्यक है। इसके मुताबिक, कंपनी ने इंड एस के तहत इन सुरक्षा जमाओं का उचित मूल्यांकन किया है। उचित मूल्य और सुरक्षा जमा के लेनदेन के मूल्य के बीच अंतर आस्थगित किराये के रूप में पहचाना गया है।

(डी) वित्तीय देनदारियां

पिछली जीएएपी के तहत, कंपनी ने लागत पर प्रतिधारण धन से संबंधित अपनी देनदारी को मान्यता दी।

हालांकि, इंड एस के अंतर्गत, देनदारी जिसमें कंपनी पर नकद देने के लिए अनुबंध संबंधी दायित्व है, उसे वित्तीय देयताओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और परिशोधित लागत पर दर्ज किया जाता है। इसलिए, ऐसे वित्तीय देनदारियों को मूल्य प्रस्तुत करने के लिए छूट दी गई है क्योंकि वे कोई ब्याज नहीं लेते हैं।

(ई) इक्विटी शेयर के जारी करने का लेनदेन शुल्क

पिछले जीएएपी के तहत, कंपनी ने इक्विटी शेयरों के मुद्दे पर लेन-देन की लागत हटाया था। इंड एस के तहत, इसे इक्विटी से निपटा जाना जरूरी है और इसलिए, कंपनी ने लेन-देन की 9.69 लाख (48.01 लाख का संबंधित कर लाभ) की लागत का समायोजन किया है।

उपर्युक्त समायोजन से उत्पन्न प्रभाव नीचे संक्षेप में दिया गया है:

₹ लाख में

विवरण	फुटनोट संदर्भ	1 अप्रैल 2015 को	वित्त वर्ष 2015-16	31 मार्च 2016 को
संपत्ति, संयंत्र, उपकरण				
एलईडी-एस्को के व्यय का गैरपूँजीकरण (स्टॉक इन ट्रेड की खरीद) का सकल ब्लॉक	ए (i)	(9,102.50)	(12,184.85)	(21,287.35)
एलईडी-एस्को के व्यय का गैरपूँजीकरण (प्रगतिमान पूँजी) का सकल ब्लॉक	ए (i)	-	(95.09)	(95.09)
सामान्य और प्रशासनिक खर्च का गैरपूँजीकरण	ए (i)	-	(29.20)	(29.20)
जमा मूल्यहास	ए (i)	374.89	2,952.99	3,327.88
अवधारण धन की छूट	डी	-	(1,241.71)	(1,241.71)
अवधारण धन की छूट के कारण मूल्यहास प्रभाव	डी	-	48.10	48.10
कुल		(8,727.61)	(10,549.76)	(19,277.37)
प्रगतिमान पूँजी				
एलईडी-एस्को व्यय (भंडार) का गैर पूँजीकरण	ए (i)	(84.37)	(939.82)	(1,024.19)
अवधारण आय (अप्रत्यक्ष लागत)	ए (i)	(217.50)	-	(217.50)
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के लिए पूँजीकरण का उत्क्रमण	ए (i)	-	95.09	95.09
एलईडी-एस्को व्यय (स्टॉक इन ट्रेड) का गैरपूँजीकरण	ए (i)	-	206.78	206.78
अवधारण धन की छूट	डी	-	(54.60)	(54.60)
कुल		(301.87)	(692.55)	(994.42)
ऋण (गैरचालू और चालू)				
सिक्वोरिटी डिपोजिट की छूट	सी	(25.52)	(8.09)	(33.61)
सिक्वोरिटी डिपोजिट में चिह्नित वित्तीय आय	सी	-	4.73	4.73
कुल		(25.52)	(3.36)	(28.88)
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां (चालू और गैर चालू)				
राजस्व (उचित मूल्य पर मापा गया राजस्व)	ए (i)	8,560.65	7,509.95	16,070.60
एलईडी- एस्को परियोजनाओं में चिह्नित एएमसी के मद में प्राप्त राजस्व	ए (i)	-	119.07	119.07
एलईडी-एस्को परियोजनाओं में चिह्नित वित्तीय आय	ए (i)	-	1,653.66	1,653.66
कुल		8,560.65	9,282.68	17,843.33
अन्य परिसंपत्तियां (गैर चालू और चालू):				
आस्थगित किराया (सिक्वोरिटी डिपोजिट में छूट)	सी	25.03	8.09	33.12

आस्थगित किराया का परिशोधन	सी		(5.96)	(5.96)
कुल		25.03	2.13	27.16
भंडार				
एलईडी-एस्को व्यय का गैरपूजीकरण (प्रगतिमान पूजी)	ए (i)	84.37	939.82	1,024.19
व्यय के रूप में चिह्नित(स्टॉक इन ट्रेड की खरीद)	ए (i)	-	(84.37)	(84.37)
कुल		84.37	855.45	939.82
प्राप्य व्यापार				
उचित मूल्य पर मापा राजस्व	बी	-	(199.15)	(199.15)
पूर्व अवधि भूल का सुधार	ए (ii)	11.15	273.14	284.29
कुल		11.15	73.99	85.14
अन्य वित्तीय देनदारियां गैर चालू और चालू:				
अवधारण धन की छूट	डी	(169.92)	(1,383.04)	(1,552.96)
अवधारण धन की छूट सही करना	डी	-	65.01	65.01
पूर्व अवधि की त्रुटि में सुधार	ए (ii)	33.63	227.90	261.53
कुल		(136.29)	(1,090.13)	(1,226.42)

₹ लाख में

विवरण	फुटनोट संदर्भ	31 मार्च 2016
राजस्व		
उचित मूल्य पर चिह्नित एलईडी एस्को राजस्व	ए (i)	7,629.02
ओबीएफ मॉडल के तहत वित्तीय तत्वों का समायोजन	बी	(398.30)
कुल		7,230.72
अन्य आय		
एलईडी-एस्को परियोजनाओं की वित्तीय आय	ए (i)	1,653.66
एलईडी-ओबीएफ परियोजनाओं की वित	बी	199.15
सिक्क्योरिटी डिपोजिट पर आय	सी	4.73
पूर्व अवधि त्रुटि का सुधार	ए (ii)	284.28
कुल		2,141.82
परिशोधन, मूल्यहास हानि		
एलईडी-एस्को गैरपूजीकरण व्यय	ए (i)	(2,952.99)
अवधारण धन की छूट	डी	(48.10)
कुल		(3,001.09)
अन्य व्यय		
अवधारण धन की छूट	डी	(86.72)
आस्थगित किराया का परिशोधन	सी	5.96
इक्विटी शेयर जारी करने पर लेनदेन लागत	ई	(138.70)
पूर्व अवधि भूल का सुधार	ए (ii)	290.73
अन्य		(7.73)
कुल		63.54

(एफ) आस्थगित कर

उपरोक्त परिवर्तनों ने 34.608: (1 अप्रैल 2015 32.445:) की कर दर के आधार पर आस्थगित कर देयता में बढ़ोतरी (कमी) की है।:

भारतीय जीएएपी में कर योग्य मुनाफे और लेखा मुनाफे के बीच के मतभेदों पर ध्यान केंद्रित करने वाले आय विवरण दृष्टिकोण का उपयोग कर आस्थगित कर लेखा की आवश्यकता है। इंड-एएस 12: आयकर को बैलेंस शीट दृष्टिकोण का उपयोग करके आस्थगित करों का लेखा करने की आवश्यकता होती है, जो बैलेंस शीट और उसके कर आधार में परिसंपत्ति या देनदारी की मात्रा के बीच अस्थायी अंतर पर केंद्रित है। इंड-एएस 12 दृष्टिकोण के आवेदन के परिणामस्वरूप नए अस्थायी मतभेदों पर आस्थगित कर की मान्यता प्राप्त हुई जो भारतीय जीएएपी के तहत जरूरी नहीं थी।

उपरोक्त बदलावों ने आस्थगित कर देयता को निम्नानुसार बढ़ाया (घटाया):

	₹ लाख में	
विवरण	31 मार्च 2016	31 मार्च 2015
खाता मूल्यहास और कर के मूल्यहास में अंतर	6,671.51	2,831.67
उचित मूल्य पर मापा गया राजस्व	(6,204.68)	(2,734.31)
परिशोधन लागत पर मापी गयी वित्तीय परिसंपत्तियाँ और देनदारियाँ	(514.35)	(54.97)
अन्य	87.84	7.29
कुल	40.32	49.68

(जी) प्रस्तावित लाभांश

भारतीय जीएएपी के अंतर्गत, कंपनी ने उस वर्ष 31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष से संबंधित प्रस्तावित लाभांश का हिसाब किया था, हालांकि उस लाभांश की स्वीकृति रिपोर्टिंग तारीख के बाद हुई थी। इंड एस के तहत, प्रस्तावित लाभांश, देनदारी की परिभाषा को पूरा नहीं करते हैं, जब तक वे वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित नहीं किए जाते हैं। इसलिए, कंपनी ने लाभांश के लिए दायित्व नहीं पहचाना है जो प्रस्तावित किया गया है लेकिन रिपोर्टिंग की तारीख के बाद तक स्वीकृति नहीं दी जाएगी।

समायोजन का प्रभाव प्रावधानों में कमी लाने के साथ एक अप्रैल 2015 तक अवधारण आय में 328.65 लाख करोड़ रुपये और 31 मार्च 2016 तक 1,291.09 लाख रुपये की वृद्धि करना है।

(एच) कर्मचारी लाभ:

भारतीय जीएएपी और इंड-एस दोनों के तहत, कंपनी ने बीमाकिक आधार पर रोजगार के बाद परिभाषित लाभ योजना से संबंधित लागतों की पहचान की। भारतीय जीएएपी के तहत, बीमाकिक लाभ और घाटे सहित पूरी लागत को, लाभ या हानि में चार्ज किया जाता है। इंड एस के तहत (बीमाकिक लाभ और हानि, परिसंपत्ति सीलिंग के प्रभाव, शुद्ध पारिभाषित लाभ देनदारी पर शुद्ध ब्याज में शामिल राशि को छोड़कर और शुद्ध पारिभाषित लाभ देनदारी पर शुद्ध ब्याज में शामिल राशि को छोड़कर योजित परिसंपत्तियों पर रिटर्न को छोड़कर पुनः मापना अन्य समग्र आय में चिह्नित है।

नतीजतन, 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ वर्ष के दौरान अन्य संवहनी आय में इसी कमी के साथ 1.29 लाख (कर का शुद्ध) की वृद्धि हुई।

(आई) प्रतिधारण आय:

1 अप्रैल 2015 को अवधारण आय के रूप में उपरोक्त इंड एस को संक्रमण समायोजन के रूप में समायोजित किया गया है। विवरण के लिए उपरोक्त अनुसार '31 मार्च 2016 और 1 अप्रैल 2015 तक कुल इक्विटी का पुनर्पूजीकरण' देखें।

(जे) अन्य समग्र आय

भारतीय जीएएपी के तहत, कंपनी ने अन्य व्यापक आय (ओसीआई) को अलग से प्रस्तुत नहीं किया है जिन वस्तुओं को लाभ और हानि के अन्य संचित आय के ब्योरे से परिभाषित किया गया है, वे परिभाषित लाभ योजनाओं के पुनर्निर्माण के संबंध में हैं। इसलिए, भारतीय जीएएपी लाभ या हानि इंड एस के अनुसार कुल व्यापक आय के साथ मेल खाता है।

(के) पूंजीप्रवाह का विवरण

भारतीय जीएएपी से इंड एस के लिए संक्रमण का नकदी प्रवाह के बयान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

43. इंड एस 112 के अनुसार संयुक्त उपक्रमों में अन्य इकाइयों के हिस्से का प्रकटीकरण

संयुक्त उद्यम का व्याज

- (i) नीचे 31 मार्च, 2017 तक कंपनी के एक संयुक्त उद्यम का ब्योरा दिया गया है, जो निदेशकों की राय में, महत्वपूर्ण है। संस्थान की शेयर पूंजी में केवल इक्विटी शेयर होते हैं, जो कंपनी द्वारा सीधे आयोजित किए जाते हैं। निगमन या पंजीकरण का देश व्यवसाय का भी मुख्य स्थान है, और स्वामित्व के हित का अनुपात वही है जो मतदान अधिकारों के अनुपात में है।

₹ लाख में

संस्थान का नाम	व्यापार का स्थान	समूह के पास मालिकाना हक			लेखा विधि	मूल राशि		
		31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015		31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 15
ईईएसएल एनर्जी प्रो एसेट्स लिमिटेड (ईईएसएल-ई पीएल)*	ब्रिटेन	80.00	-	-	इक्विटी विधि	180.63	-	-

* ईईएसएल एनर्जी प्रो एसेट्स लिमिटेड (पूर्व में एनर्जी प्रो एसेट्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। ईईएसएल-ईपीएल एक असूचीबद्ध इकाई है और इसलिए, कोई उद्धृत मूल्य उपलब्ध नहीं है।

(ii) संयुक्त उद्यमों के लिए संक्षिप्त वित्तीय जानकारी

नीचे दी गई सारणी संयुक्त उद्यम इकाई की संक्षिप्त जानकारी प्रदान करती है। जो जानकारी दी गई है, वह दोनों सहायक कंपनियों सहित संयुक्त उपक्रम की बिना ऑडिट की हुई समेकित वित्तीय परिणाम में प्रस्तुत राशि को दर्शाती है, न कि उन राशियों में कंपनी की हिस्सेदारी।

संक्षेप में बैलेंस सीट

₹ लाख में

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
चालू परिसंपत्तियां			
नगद एवं नगद समतुल्य	5,241.13	-	-
अन्य परिसंपत्तियां	3,134.83	-	-
कुल चालू परिसंपत्तियां	8,375.96	-	-
कुल गैर चालू परिसंपत्तियां	1,122.26	-	-
चालू देनदारियां			
वित्तीय देनदारियां (प्रावधान, व्यापार और अन्य देयताओं को छोड़कर)	4,431.52	-	-
अन्य देनदारियां	4,840.91	-	-
कुल चालू देनदारियां	9,272.44	-	-
गैर चालू देनदारियां			
वित्तीय देनदारियां (प्रावधान, व्यापार और अन्य देयताओं को छोड़कर)	-	-	-
अन्य देनदारियां	-	-	-
कुल गैरचालू देनदारियां	-	-	-
कुल परिसंपत्ति	225.78	-	-

शेष राशि का समाधान

₹ लाख में

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016
शुरूआती शुद्ध परिसंपत्ति	236.29	-
वर्ष का लाभ/हानि	(7.42)	-
वर्ष का समग्र आय	(3.09)	-
वर्ष के अंत में शुद्ध परिसंपत्ति	225.78	-
समूह का शेयर : में	80.00	-
समूह का शेयर रुपये में	180.63	-
शेष राशि	180.63	-

लाभ और हानि का सारांश विवरण

₹ लाख में

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016
राजस्व	-	-
ब्याज आय	-	-
ब्याज व्यय	-	-
अन्य व्यय	(7.42)	-
आयकर व्यय	-	-
वर्ष का लाभ/हानि	(7.42)	-
अन्य समग्र आय	(3.09)	-
कुल समग्र आय	(10.51)	-

(iii) खास प्रतिबंधों का विवरण

₹ लाख में

(ए) संबंधित समझौतों के मुताबिक निवेश हटाने पर प्रतिबंध की अवधि	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
समझौते की तारीख से तीन साल की अवधि तक	180.63	-	-

(बी) आईसीआईसीआई बैंक को संयुक्त उपक्रम द्वारा ऋण चुकौती की चूक की स्थिति में, बैंक ईईएसएल सहित इसके हितधारकों को लाभांश भुगतान करने से रोक लगाने के लिए नोटिस दे सकता है।

44. कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व व्यय (सीएसआर)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार, कंपनी को अपनी सीएसआर नीति के तहत, पूर्व के तीन वित्त वर्षों के दौरान हुए औसत शुद्ध मुनाफे का कम से कम दो प्रतिशत खर्च करने की जरूरत है। हालांकि, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और उसके अनुच्छेद

VII कंपनी नियम 2014 (कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) के साथ पठित, के प्रावधानों के अनुसार सीएसआर गतिविधियों पर न्यूनतम राशि खर्च नहीं की है।

सीएसआर व्यय का ब्योरा निम्न है :

₹ लाख में

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016
ए) वर्ष के दौरान खर्च के लिए आवश्यक राशि	45.72	18.53
बी) पिछले वर्ष की राशि में कमी	शून्य	शून्य
सी) कुल (ए. बी)	45.72	18.53
डी) वर्ष के दौरान खर्च की गयी राशि—		
— किसी भी परिसंपत्ति के निर्माण/अधिग्रहण	शून्य	शून्य
— उपरोक्त(i) के अलावा अन्य उद्देश्यों पर	शून्य	शून्य
कुल	शून्य	शून्य
सीएसआर रिजर्व के लिए बकाया राशि की कमी	शून्य	शून्य

₹ लाख में

ए) 31 मार्च 2017 को समाप्त वित्त वर्ष में व्यय की गयी राशि

विवरण	नकद में	यदि नकद में भुगतान किया जाना है	कुल
किसी भी संपत्ति का निर्माण / अधिग्रहण	शून्य	शून्य	शून्य
उपरोक्त (i) के अलावा अन्य उद्देश्यों पर	शून्य	शून्य	शून्य

₹ लाख में

बी) 31 मार्च 2016 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान व्यय की गयी राशि

विवरण	नकद में	यदि नकद में भुगतान किया जाना है	कुल
किसी भी संपत्ति के निर्माण / अधिग्रहण	शून्य	शून्य	शून्य
उपरोक्त (i) के अलावा अन्य उद्देश्यों पर	शून्य	शून्य	शून्य

₹ लाख में

ई) मुख्य) स्थानों पर सीएसआर व्यय का ब्योरा निम्न है:

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016
1. स्वच्छ विद्यालय अभियान	शून्य	शून्य
2. स्वास्थ्य और स्वच्छता	शून्य	शून्य
3. शिक्षा और कौशल विकास	शून्य	शून्य
4. ग्रामीण विकास	शून्य	शून्य
5. पर्यावरण	शून्य	शून्य
6. पेयजल	शून्य	शून्य
7. खेल	शून्य	शून्य
8. क्षमता निर्माण	शून्य	शून्य
9. राष्ट्रीय विरासत, कला और संस्कृति का संरक्षण	शून्य	शून्य
10. अन्य सीएसआर गतिविधियाँ	शून्य	शून्य
कुल	शून्य	शून्य

45. 08.11.2016 से 30.12.2016 की अवधि के दौरान रखे और लेनदेन किए गए निर्दिष्ट बैंक नोट्स (एसबीएन) का विवरण:

वर्ष के दौरान, कंपनी के पास एमसीए की अधिसूचना, जीएसआर 308 (ई) दिनांकित मार्च 31, 2017 में परिभाषित बैंक नोट्स (एसबीएन) या अन्य निर्दिष्ट नोट थे। 8 नवंबर, 2016 से 30 दिसंबर 2016 की अवधि के दौरान हासिल और लेनदेन किये गये एसबीएन का विवरण, मूल्य के अनुसार निम्न है:

₹ लाख में

विवरण	निर्दिष्ट बैंक नोट्स	अन्य डिनोमिशन नोट	कुल
08.11.2016 को कलैक्टिंग/डिस्ट्रिब्यूशन एजेंसियों के पास नगद	314.83	1,089.74	1,404.57
जोड़े: अनुमति प्राप्ति रसीदें	-	-	-
घटायें: अनुमति प्राप्त भुगतान	-	-	-
घटायें: बैंक में जमा राशि*	314.83	1,089.74	1,404.57
30.12.2016 को नगद	-	-	-

*वितरण एजेंटों ने भारत के विभिन्न राज्यों में 08.11.2016 से पहले बिके एलईडी बल्ब / बल्बों की राशि 09.11.2016 से 30.12.2016 तक की निर्दिष्ट अवधि के दौरान सीधे निर्दिष्ट बैंक नोट्स जमा करा दिये, लेकिन नगदी बिक्री और नगदी जमा पर्ची का नोट के मूल्य के आधार पर रिकॉर्ड तैयार नहीं किया गया है इसलिए यह उपलब्ध नहीं है।

46. कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद III के तहत प्रकटीकरण

₹ लाख में

समूह में इकाई का नाम	शुद्ध संपत्ति, अर्थात् कुल संपत्ति शून्य से कुल देनदारियों के रूप में		के लिए लाभ या हानि में साझा करें वर्ष समाप्त		अन्य व्यापक आय में साझा करें वर्ष समाप्त होने के लिए		समाप्त वर्ष के लिए कुल व्यापक आय में हिस्सा ले	
	समेकित शुद्ध परिसंपत्तियों के रूप में	रकम	समेकित लाभ या हानि के रूप में	रकम	समेकित अन्य व्यापक आय के रूप में	रकम	कुल व्यापक आय के रूप में	रकम
माता-पिता								
एनर्जी एफिसिएंसी सर्विसेज लिमिटेड								
31 मार्च 2017	99.67%	55,344.75	100.11%	5,185.64	63.77%	(4.35)	100.16%	5,181.29
31 मार्च 2016	100.00%	41,763.02	100.00%	3,708.13	100.00%	(1.29)	100.00%	3,706.84
1 अप्रैल 2015	100.00%	11,173.99						
संयुक्त उद्यम (इक्विटी पद्धति के अनुसार निवेश)								
विदेशी								
ईईएसएल एनर्जी प्रोमो एसोसिएट्स लिमिटेड								
31 मार्च 2017	0.33%	180.63	-0.11%	(5.94)	36.23%	(2.47)	-0.16%	(8.41)
कुल								
31 मार्च 2017	100.00%	55,525.38	100.00%	5,179.70	100.00%	(6.82)	100%	5,172.88
31 मार्च 2016	100.00%	41,763.02	100.00%	3,708.13	100.00%	(1.29)	100%	3,706.84
1 अप्रैल 2015	100.00%	11,173.99						

47-

- (ए) कंपनी ने वर्ष के दौरान 50,000 लाख (सीरीज-एक) के इश्यू साइज के बराबर 40,00,000 मूल्य के, प्रत्येक 10,00,000 / प्रत्येक के मूल्य के दो एसटीआरपीपी और 20,00,000 मूल्य के एक एसटीआरपीपी सहित, ऋणपत्र के रूप में सुरक्षित, प्रतिदेय, कर योग्य, गैर संचयी, गैर परिवर्तनीय बॉन्ड जारी किए हैं। ब्याज के साथ बांड के अंकित मूल्य को कंपनी की चल संपत्तियों के जरिए सुरक्षित किया जाता है, जिसमें न्यूनतम आस्तियों का कवरेज 1.00 गुना है। बांड को 20.09.2016 को आवंटित किया गया है और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) में सूचीबद्ध किया गया है।
- (बी) कंपनी 25% के आधार पर (जैसे कंपनियों (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 के अनुसार आवश्यक है) डिबेंचर रिडेंपशन रिजर्व (डीआरआर) बना रही है।
- (सी) कंपनी गैर-परिवर्तनीय बांड की श्रृंखला सहित विभिन्न स्रोतों के माध्यम से धन जुटाती है।

गैर-परिवर्तनीय रुपया बांड के संबंध में, वार्षिक ब्याज के भुगतान के लिए पहली देय तिथि 20.09.2017 है और साधारण ब्याज क्रमशः 20.03.2020, 20.09.2021 और 20.09.2023 को क्रमशः 12,500.00 लाख, 12,500.00 लाख और 50,000.00 लाख होना चाहिए।

48. वर्ष के दौरान किए गए प्रमुख निवेश:

- (i) कंपनी ने वर्ष के दौरान जयपुर में जयपुर औद्योगिक क्षेत्र में भूमि खरीदी है, जिसका सर्किल रेट के हिसाब से 31 मार्च 2017 को समाप्त वित्त वर्ष में रजिस्टर्ड स्टॉप मूल्य 694.25 लाख रुपये है।
- (ii) कंपनी ने जयपुर में अपने क्षेत्रीय कार्यालय के लिए एनबीसीसी केंद्र, सहकर मार्ग, जयपुर में संपत्ति खरीदने के लिए अग्रिम राशि दे दी है। 4,590 वर्गफुट के क्षेत्रफल वाली इस जमीन की कुल लागत 460.77 लाख रुपये है। संपत्ति की किस्त की देय तिथि 26.04.2017 या उससे पहले की है।
- (iii) कंपनी ने एनबीसीसी स्ववायर, एक्शन एरिया- III, राजरहाट, कोलकाता में बिल्ट अप ऑफिस की खरीद के लिए अग्रिम भुगतान किया है। उक्त संपत्ति का कब्जा अगले वित्तीय वर्ष से उपलब्ध होगा।

49. प्रत्यक्ष कर केंद्रीय बोर्ड ने 31 मार्च 2015 को 10 आईसीडीएस को अधिसूचना संख्या 32/2015 खण्ड नं 134/48/2010 – टीपीएल, / एसओ 892 (ई), के तहत अधिसूचित किया, जो गैर-निवासी करदाताओं सहित लेखांकन की मर्कटाइल पद्धति उपयोग करने वाले सभी करदाताओं (कार्पोरेट और गैर-कार्पोरेट) पर लागू होता है। यह व्यापार और व्यवसाय के लाभ और अन्य स्रोतों से हुई आय पर लागू होता है। हालांकि, मेट (न्यूनतम वैकल्पिक कर) के प्रयोजनों के लिए खाता मुनाफे की गणना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार कार्यप्रणाली द्वारा शासित होगा।

तदनुसार, कंपनी ने लागू आय गणना और प्रकटीकरण मानकों के अनुसार करों की गणना के लिए वर्तमान कर और प्रावधान किया है।

50. 31 मार्च 2017 तक विदेशी मुद्रा में ऋण की प्राप्ति पर विदेशी मुद्रा विनिमय में उतार-चढ़ाव में अंतर पर अतृप्तन लाभ के कारण आय के साथ आयकर के लिए प्रावधान करते हुए, आयकर और आयोजीकरण मानक (आईसीडीएस) के अनुसार आय कर के प्रावधान की गणना करते हुए, जो अधिग्रहण और पूंजीगत संपत्तियों के निर्माण में इस्तेमाल किया गया उसे, पूंजीगत संपत्ति घटा दिया गया है, जो इंड एस 16 और आईसीडीएस के प्रावधानों के उल्लंघन में है, जिसमें कहा गया है कि यह कंपनी की आय के हिस्से से होना चाहिए और इसे लाभ और हानि खाते में दर्ज किया जाना जरूरी था। लेकिन उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट में चले विभिन्न अदालती मामलों पर भरोसा करते हुए उसे कैपिटल रिसीट के रूप में माना गया है।

हमारी ऑडिट रिपोर्ट के अनुलग्न
रिपोर्ट से संबद्ध तिथि

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

वीपीजीएस एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन 507971सी
गुरुकृपाल सिंह बेदी
सहभागी
मो. नं. 090637

सौरभ कुमार
प्रबंध निदेशक
दिन: 06576793

आकाश सक्सेना
निदेशक
दिन: 00529340

पूजा शुक्ला
कंपनी सचिव

एस गोपाल
मु. वित्तीय अधिकारी

स्थान: वाराणसी
दिनांक: 4th अगस्त 2017

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 4th अगस्त 2017

फार्म एओसी-1

धारा 129 की उपधारा (3), के पहले प्रावधान, कंपनी (लेखांकन) नियम,
2014 के नियम 5 के साथ पठित के अनुसार

सहायक कंपनियों या सहयोगी कंपनियों या संयुक्त उपक्रमों के वित्तीय विवरण की प्रमुख विशेषताओं वाले विवरण

पार्ट ए सहायक

(प्रत्येक सहायक के संबंध में जानकारी राशि (रुपये में) के साथ)

- क्रम संख्या : (शून्य)
- सहायक कंपनी/संयुक्त उपक्रम का नाम : (शून्य)
- सहायक कंपनी के अधिग्रहण की तारीख: (शून्य)
- संबंधित सहायक कंपनी की रिपोर्टिंग तिथि, अगर होल्डिंग कंपनी की रिपोर्टिंग तिथि से भिन्न हो: (शून्य)
- विदेशी सहायक कंपनी होने पर संबंधित वित्त वर्ष की आखिरी तारीख को रिपोर्टिंग मुद्रा और विनिमय दर: (शून्य)
- शेयर पूंजी: (शून्य)
- रिजर्व और सरप्लस: (शून्य)
- कुल परिसंपत्ति: (शून्य)
- कुल देनदारी: (शून्य)
- निवेश: (शून्य)
- टर्नओवर: (शून्य)
- कर पूर्व लाभ: (शून्य)
- कर के लिए प्रावधान: (शून्य)
- कर बाद लाभ: (शून्य)
- प्रस्तावित लाभांश: (शून्य)
- शेयरधारिता की सीमा : (शून्य)

पार्ट बी सहयोगी एवं संयुक्त उपक्रम

सहयोगी और संयुक्त उपक्रम से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(3) के तहत विवरण

S. No.	एसोसिएट्स या संयुक्त उपक्रम का नाम	ईईएसएल एनर्जी प्रोएसेट्स लि
1.	नवीनतम बैलेंस शीट तारीख	31 मार्च 2017
2.	सहयोगी या संयुक्त उपक्रम के जुड़ने या अधिग्रहण की तारीख	21 मार्च, 2017
3.	वर्ष के अंत में सहयोगी या संयुक्त उपक्रम में कंपनी की शेयरधारिता	80%
	संख्या	230680
	सहयोगी या संयुक्त उपक्रम में निवेश की राशि	18903695 रुपये
	शेयरधारिता की सीमा (प्रतिशत में)	80%
4.	महत्वपूर्ण प्रभाव का वर्णन	से अधिक की इक्विटी होल्डिंग
5.	सहयोगी/संयुक्त उपक्रम के समेकित नहीं होने का कारण	उपलब्धी नहीं
6.	नवीनतम लेखापरीक्षित बैलेंस शीट के अनुसार शेयरधारिता की शुद्ध कीमत	18062702
7.	वर्ष के लिए लाभ या हानि	-1051242 रुपये
i.	समेकन में माना गया	-840994 रुपये
ii.	समेकन में नहीं माना गया	-210248 रुपये

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

सौरभ कुमार
प्रबंध निदेशक
दिन : 06/5/2017

एस गोपाल
मु. वित्तीय अधिकारी
मो. नं. 090637

वीपीजीएस एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन 507971सी

गुरुकृपाल सिंह बेदी
सहभागी

जोनल कार्यालय

क्रम सं.	जोन के आधार पर कार्यालय स्थान	छव.	पता	संपर्क व्यक्ति और फोन नंबर
1.	जोनल कार्यालय (उत्तर)	नोएडा	चौथी और पांचवी मंजिल, आईडब्ल्यूएआई बिल्डिंग, ए -13, सेक्टर -1, नोएडा -201301 (उत्तर प्रदेश)	श्री वेंकटेश द्विवेदी, क्षेत्रीय प्रबंधक। संपर्क नंबर 0120-4908000
2.	जोनल कार्यालय (दक्षिण)	हैदराबाद	प्लॉट संख्या 43 सी, रोड नंबर 71, जुबली हिल्स, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश	सुश्री सावित्री सिंह, क्षेत्रीय प्रबंधक संपर्क नंबर 9555040363
3.	जोनल कार्यालय (पूर्व)	रांची	चौथा मंजिल, मेपल प्लाजा, रोड नंबर 2 के सामने, अशोक नगर, रांची, झारखंड -834002	श्री प्रभात कुमार, क्षेत्रीय प्रबंधक (झारखंड)। संपर्क नंबर 0120-4908000
4.	जोनल कार्यालय (वेस्ट)	मुंबई	ब्लॉक ए 1, 8 वीं मंजिल, चंद्रमुखी, रामनाथ गोएंका मार्ग, नरीमन प्वाइंट, मुंबई -400021	श्री डी जी सालपेकर, जोनल मैनेजर (मुंबई) संपर्क नंबर 0120-4908000
5.	जोनल कार्यालय (सेंट्रल)	लखनऊ	टीसी / जी-2 और टीसी / जी-5 / 5, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ	श्री तरुण तयाल, क्षेत्रीय प्रबंधक संपर्क नं। 9811166779

क्षेत्रीय कार्यालय

क्रम सं.	क्षेत्रवार	पता
1.	हैदराबाद	प्लॉट नं 43 सी, रोड नंबर 71, जुबली हिल्स, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश
2.	राजस्थान	605/606, छठी मंजिल, सिटी कॉर्पोरेट, मालवीय मार्ग, सी स्कीम, जयपुर 302001
3.	विशाखापत्तनम	द्वार संख्या 7-8 -22, आर के मिशन रोड, एरिया वॉल्टेजयर वार्ड , वार्ड संख्या3 -18, विशाखापत्तनम
4.	मुंबई	ब्लॉक ए1, 8वीं मंजिल, चंद्रमुखी, रामनाथ गोएंका मार्ग, नरीमन प्वाइंट, मुंबई -400021
5.	कोलकाता	प्लॉट नंबर 53, ब्लॉक : डीएन, सेक्टर पांच, साल्ट लेक सिटी , कोलकाता 700091
6.	शिमला	ठाकुर निवास, खलिनी, शिमला -171002
7.	विजयवाड़ा	द्वार नंबर 10-56, अब्दुल सलाम टावर्स, तीसरा मंजिल, अशोक नगर, एमजी रोड, विजयवाड़ा -520007

अंतरराष्ट्रीय कार्यालय

क्रम सं.	स्थान	Contact Person & E-mail
1.	लंदन, ब्रिटेन	सुश्री नीलिमा जैन ईमेल : njain@eesl.co.in
2.	बैंकाक, थाइलैंड	श्री आदेश सक्सेदना ईमेल : asaxena1@eesl.co.in
3.	रियाद, सऊदी अरब	श्री आशीष कुमार शर्मा ईमेल: asharma@eesl.co.in

एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड

(ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के पीएसयू की संयुक्त उपक्रम कंपनी)

कॉरपोरेट कार्यालय: ए-13, चौथी और पांचवीं मंजिल, आईडब्ल्यूआई बिल्डिंग, सेक्टर-1, नोएडा-201301 (उत्तर प्रदेश)

पंजीकृत कार्यालय: चौथी मंजिल, सेवा भवन, आर के पुरम, नयी दिल्ली

सीआईएन: -U40200DL2009PLC196789

उपस्थिति पर्ची

बैठक का स्थान: ओल्ड बोर्ड रूम, एनटीपीसी लिमिटेड, कोर-7, पांचवीं मंजिल, स्कोप कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नयी दिल्ली -110003

तारीख और समय: 29.09.2017 को 10 बजकर 30 मिनट पर

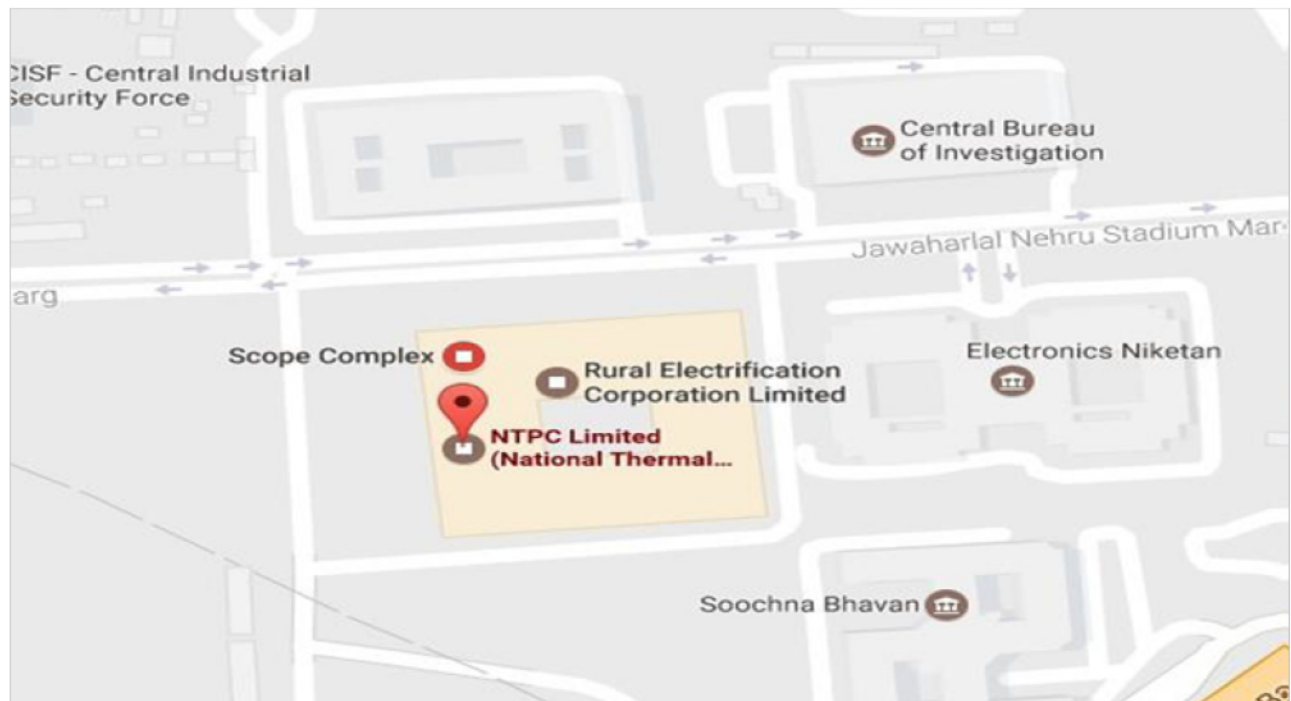
कृपया उपस्थिति पर्ची को भरे और सम्मेलन कक्ष के प्रवेश पर सौंप दें

शामिल होने वाले सदस्य का नाम	
'फोलियो नंबर	
डीपी आईडी नंबर	
ग्राहक पहचान संख्या	
शेयरधारिता की संख्या	
प्रॉक्सी का नाम (सदस्य के स्थान पर प्रॉक्सी के शामिल होने पर भरना है)	

मैं प्रमाणित करता हूँ कि मैं कंपनी के पंजीकृत शेयरधारक के लिए एक पंजीकृत शेयरधारक/प्रॉक्सी हूँ और यहां शुक्रवार 29.09.2017 को 10:30 बजे ओल्ड बोर्ड कक्ष, एनटीपीसी लिमिटेड, कोर-7, 5 वीं मंजिल, स्कोप कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली -110003 में आयोजित कंपनी की वार्षिक आम बैठक में उपस्थिति दर्ज करा रहा हूँ।

सदस्य या प्रॉक्सी का हस्ताक्षर

* Applicable in case of shares held in Physical Form.





एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड

कार्पोरेट कार्यालय

ए-13 आईडब्ल्यूएआई बिल्डिंग, 4 व 5 वां
तल, सेक्टर-1, नौएडा 201301
दूरभाष : +91 120 490 8000
फैक्स : +91 120 490 8099

पंजीकरण कार्यालय

4वां तल सेवा भवन
आर.के. पुरम
नई दिल्ली-110 066
दूरभाष: +91 11 26 17 9699

ईमेल: info@eesl.co.in
www.eesl.co.in